पंचम माला, खंड 27, अंक 48, बुधवार, 2 मई, 1973/12 वैशाख, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXVII No 48, Wednesday, May 2, 1973/Vaisakha 12, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

सातवां सत्र
Seventh Session

खंड 27 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXVII Contains Nos. 41 to 50

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1—317 LSS/73

विषय सूची/CONTENTS

अंक 48, बुधवार, 2 मई, 1973/12 वैशाख, 1895 (शक)

No. 48, Wednesday, May 2, 1973/Vaisakha 12, 1895 (Saka)

मौखिक प्रश्नों के उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता०प्र०संख्या S.Q.Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
921. पश्चिम बंगाल के रेडियो और इलेक्ट्रोनिक पुर्जों के निर्माताओं को व्यापार के विस्तार की अनुमति न देना	Radio and Electronic Components Manufacturers of West Bengal not allowed to expand their business	1—3
922. राष्ट्रीय एकता परिषद् को पुनर्जीवित करना	Revival of National Integration Council	3—5
923. गोआ के स्वास्थ्य सेवा निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच	Inquiry into charges against Director of Health Services, Goa . .	5—8
924. टायर निर्माताओं द्वारा उनके द्वारा न बनाये जाने वाले उत्पादों का व्यापार	Trading by Tyre Manufacturers in products not manufactured by them	8—10
926. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस में इन्स्पैक्टर के पद पर पदोन्नति देना	Promotion of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes to posts of Inspectors in Delhi Police . .	10—11
927. महाराष्ट्र में सीमेंट के कारखाने	Cement factories in Maharashtra	11—12
928. जिला भरतपुर (राजस्थान) में ताजपुर के हरिजनों पर किये गये अत्याचारों के बारे में शिकायतें	Complaint regarding Atrocities committed on Harijans of Tajpur in district Bharatpur (Rajasthan)	12—15
929. मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में झारग्राम के आदिम जाति क्षेत्रों का आर्थिक विकास	Economic development of tribal areas of Jhargram in Midnapore (West Bengal)	15—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
925. पांचवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में औद्योगिक कारखाने स्थापित करना	Industrial units in U.P. during Fifth Plan	17

किसी नाम पर अंकित यह चिह्न+ इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता॰ प्र॰ संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
930.	मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ क्षेत्र में एक हरिजन युवक को जिन्दा जमीन में गाड़ दिया जाना	Harijan Youth Buried Alive in Sabalgarh area of Morena district, Madhya Pradesh . .	17
931.	आकाशवाणी, दिल्ली के ग्रामीण सैक्शन तथा 'फार्म होम' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कृषकों को आमन्त्रण	Participation by farmers in programmes broadcast under rural section and farm-home of A.I.R. Delhi.	17—18
32.	पुरी के शंकराचार्य द्वारा जाति प्रथा का कथित प्रचार	Alleged propagation of caste system by Shankaracharya of Puri	18
933.	राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के एक दल द्वारा स्कूल स्तर तक अनिवार्य विज्ञान शिक्षा की सिफारिश	Compulsory Science education upto School level recommended by a group of the National Committee on Science and Technology .	19
934.	निर्धनता स्तर से नीचे के लोगों को भूमि सुधार कार्यक्रम से लाभ	Benefit to people living below poverty line from land reforms Programme	19—20
935.	उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा और नैनीताल जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन देना	Grant of pension to Freedom Fighters of Almora and Nainital of U.P.	20
936.	मंत्रालयों और विभागों के नामों के लिये रोमन लिपि में हिन्दी समानकों का प्रयोग	Use of Hindi equivalents in Roman script for names of Ministries and departments . . .	20—21
937.	पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर तस्करों और गुप्तचरों का सक्रिय होना	Smugglers, spies active on Punjab-Pak border . . .	21
938.	बड़े औद्योगिक गृहों के अधीन उद्योगों के विस्तार सम्बन्धी नीति	Policy for expansion of Industries under larger Houses . .	21—22
939.	नमक उद्योग संघ, फलौदी से ज्ञापन	Memorandum from Namak Udyog Sangh, Phalodi . .	22—23
940.	विदेशी सहयोग में कमियां	Lapses in foreign collaboration	23

उ ा

U. S. Q. Nos.

8740.	दिल्ली के एक होटल से एक रूसी पर्यटक के गायब हो जाने के सम्बन्ध में जांच	Enquiry into the Missing of a Soviet Tourist from a Hotel in Delhi	23
8741.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं के लिये छात्रावास बनाने हेतु राशि	Amount for construction of Hostels for Girls belonging to Scheduled Castes/Tribes . .	24

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8742.	आदिमजातीय विकास खण्डों के लिये राज्यों को सहायता	Assistance to States for Tribal Development blocks . . .	24—25
8743.	कुटीर उद्योगों के विकास के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिल्पियों को सहायता	Assistance to Scheduled Castes and Scheduled Tribes Artisans for development of Cottage Industries	25
8744.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड तीन के अधिकारी	Grade III of Indian Statistical Service in the National Sample Survey Organisation . . .	25
8745.	दिल्ली में मकान कर की दर	House Tax leviable in Delhi . .	26—27
8746.	डाक तार के अधिकारियों के लिये लगाये गये टेलीफोनों पर एस०टी०डी० की सुविधा पर रोक	Barring of STD facilities on telephones installed for P. & T. Officers	27
8747.	मंत्रालयों में भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों की एक मंत्रालय में काम करने की निर्धारित अवधि	Prescribed period of stay of an officer of Indian Statistical Service in the Ministries . .	27—28
8748.	तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों पर लागू करना	Application of Third Pay Commission's Recommendations to employees of KVIC . . .	28
8749.	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में पशमीना कांड	Pashmina Scandal in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi.	28
8750.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में व्यापारिक कर्मचारियों का नियमित कर्मचारियों के रूप में घोषित किया जाना	Declaration of Trading Employees of K.V.I.C. as regular employees	29
8751.	अन्तरिक्ष विभाग में हिन्दी टाइप राइटिंग/स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण	Training in Hindi Typewriting and Stenography in the Department of Space	29
8753.	नीमच में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Neemuch .	29
8754.	दिल्ली में नई टेलीफोन डायरेक्टरी न मिलने के कारण टेलीफोन प्रयोक्ताओं को कठिनाइयां	Hardships to Telephone Users in Delhi in the absence of New Telephone Directory . .	29
8755.	मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश	Directions by Central Government for Industrialisation of Tribal Areas of M.P.	30
8756.	मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ जिले के गांवों में टेलीफोन की व्यवस्था	Provision of Telephones in villages of East Nimar district of Madhya Pradesh . . .	30

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8757.	नेपा मिल के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण	Construction of quarters for employees of NEPA Mills . .	30
8758.	इंदौर (मध्य प्रदेश) में केन्द्रीय औद्योगिक संस्थान	Central Industrial Establishments in Indore (M.P.) . . .	30
8759.	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या	Population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Madhya Pradesh	31
8760.	भावनगर, गुजरात के भवन में विस्फोटों के बारे में जांच प्रतिवेदन	Report of inquiry into explosions in a building in Bhavnagar, Gujarat	31
8761.	महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म में महात्मा गांधी का अभिनय करने के लिए कलाकार की भारत में खोज	Hunt in India for an Actor to play the Part of Mahatma Gandhi in film biography . .	31
8762.	कुछ बड़े समाचार-पत्रों द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति तथा कार्य-पद्धति संबंधित सूचनायें दिया जाना	Some big newspapers to supply information regarding their Financial position and working system	32
8763.	कुल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि की दर	Rate of growth of GNP	33
8764.	कोका कोला और लिम्का के निर्माताओं द्वारा कोका कोला और लिम्का के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Coca Cola and Limca by Manufacturers . .	33
8765.	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग संघ के यूनियन के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाया जाना	Prosecution of workers of Union of Bihar Rajya Khadi Gramodyog Sangh	33
8766.	भर्ती नीति के विरुद्ध टेलीविजन स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by T.V. Staff artistes against recruitment policy . .	33—34
8767.	बंगला देश पर स्मृति टिकट जारी करना	Issue of commemoration stamp on Bangladesh	34
8768.	हाट गैस से बिजली का उत्पादन	Generation of power from Hot Gas	34
8769.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण	Classification of Scheduled Castes and Scheduled Tribes . .	34—35
8770.	केन्द्रीय काननों का उल्लंघन करके होने वाले अपराधों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	Investigation by C.B.I. into crimes committed in violation of Central laws	35
8771.	पांचवीं योजना के दौरान आदिमजाति क्षेत्रों के विकास के लिए सामान्य क्षेत्र (जनरल सेक्टर), पर भरोसा	Reliance of general sector for development of tribal areas during Fifth Plan . .	35

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8772.	'एक टैक्सी ड्राइवर द्वारा 2058 रुपए का चैक लेकर भाग जाना' शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item under the caption "Taxi-driver ran away with a cheque of Rs. 2058" .	36
8773.	केन्द्रीय इंजन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच	Inquiry into charges of corruptions against the Director of Central Fuel Research Institute, Dhanbad . . .	36
8774.	टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली के लिए "प्रोडक्शन असिस्टेंट"	Production assistants for T.V. Delhi	37
8775.	ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली के डाकघर से एक खजांची का फरार हो जाना	Abscondence of a Cashier of a post-office of Greater Kailash, New Delhi	37
8776.	प्रवर डाक अधीक्षक इन्दौर के विरुद्ध कथित अनियमितताओं की शिकायत	Complaint of alleged irregularities against Senior Supdt. of Post Offices, Indore	38
8777.	हरियाणा में शिक्षित बेरोजगार	Educated unemployed in Haryana	38—39
8778.	नेताजी जांच आयोग को दस्तावेजों की सप्लाई	Supply of documents to Netaji Inquiry Commission . . .	40
8779.	महाराष्ट्र में अकुशल ग्रामीण श्रमिकों के लिये रोजगार गारंटी योजना	Employment guarantee Scheme for rural unskilled labour in Maharashtra . . .	40
8780.	भारत में पूर्वता अधिपत्र (वारंट आफ प्रिसिडेंस) में फील्ड मार्शल का स्थान .	Position of Field Marshal in Warrant of Precedence in India	40
8781.	हैदराबाद के परमाणु ईंधन उद्योग समूह में मिश्रित जस्ते की ट्यूबों और मिश्रित इस्पात के पाइपों का उत्पादन	Production of Zinc Alloy Tubes and Pipes of Alloy Steel in Nuclear Fuel Complex in Hyderabad	40—41
8782.	बम्बई में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani spies in Bombay	41
8783.	अम्बर सारंजन भंडार, अहमदाबाद के कर्मचारियों को बोनस देना	Grant of bonus to employees of Ambar Saranjan Bhandar, Ahmedabad	41—42
8784.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to employees of K.V.I.C.	42
8785.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को बोनस देने के लिये मांग	Demand for grant of Bonus to employees of Khadi and Village Industries Commission . .	42
8786.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्रों और उद्योगों को दर्शाने वाला कार्यक्रम	Programme indicating areas and industries covered under the Khadi and Village Industries Commission	42—43

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8787.	ऋण पाने वाली संस्थाओं द्वारा राशि का उचित उपयोग करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उनके वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए व्यवस्था का विस्तार करना	Expansion of Machinery to check financial aspects for proper utilisation of funds by Khadi and Village Industries Commission	43
8788.	विदेशी पर्यटकों को बेचे गये बहुमूल्य पत्थरों और जवाहरातों पर विक्रय कर	Sales tax on precious stones and jewellery sold to Tourists from foreign Countries . . .	43—44
8789.	पश्चिम बंगाल में नमक का मूल्य	Price of salt in West Bengal	44
8790.	अरुणाचल प्रदेश में ग्रामोद्योग का विकास	Development of village industries in Arunachal Pradesh . .	44
8791.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आरंभ किया गया कार्यक्रम	Programmes Undertaken by Khadi and Village Industries Commission	44—45
8792.	संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का सरकारी ऋण	Take-over of sick textile Mills	45
8794.	ट्रक के टायरों का आयात	Import of truck tyres .	45
8795.	भोपाल से खादी आयोग भवन का स्थानान्तरण	Transfer of Khadi Commission's Bhavan from Bhopal . .	45—46
8796.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लिये उपदान योजना	Gratuity Scheme for Khadi and Village Industries Commission .	46
8797.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को उपदान दिये जाने की योजना	Scheme for payment of Gratuity to Employees of Khadi and Village Industries Commission	46
8798.	नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा अर्जित लाभ	Profit made by Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi . . .	46—47
8799.	ग्रामीण औद्योगिक आयोग की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up a Rural Industries Commission . .	47
8800.	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग पर लागू होने वाले श्रमिक कानून	Labour laws applicable to K.V.I.C.	47
8801.	कुटीर और ग्राम उद्योग क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र तथा बड़े उद्योग क्षेत्र का योगदान	Role of Cottage and Village Industries sector vis-a-vis small and large industries . . .	47—48
8802.	केरल में ग्राम उद्योगों के विकास की संभावनाएं	Prospects for Developing Village Industries in Kerala . . .	48
8803.	गुजरात की तुलना में अन्य राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central assistance to States vis-a-vis Gujarat	48

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8804.	आय तथा मूल्य नीति बनाने के कार्य को स्थगित करना	Deferment of formulation of incomes and prices policy . .	48—49
8805.	सी० आई० ए० की गतिविधियां	Activities of C.I.A.	49
8806.	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योगपतियों को राजसहायता	Subsidy to industrialists for setting up Industries in Backward areas	49
8807.	पिछड़े जिलों के विकास के लिए बिहार को विशेष सहायता	Special assistance to Bihar for Development of backward districts	50
8808.	वर्ष 1972 में विदेशी सहयोग के मामले	Foreign collaboration cases during 1972	50—51
8809.	गोआ में हिन्दू राज के सम्बन्ध में गोआ के मुख्य मंत्री का कथित वक्तव्य	Reported observation of Chief Minister of Goa regarding Hindu Raj ruling Goa . .	51
8810.	जनजाति क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए काम कर रही गैर-सरकारी एजेंसियां	Non-governmental agencies working for upgrading of Economic conditions in Tribal areas . .	51
8811.	उड़ीसा में डाकघरों, सार्वजनिक टेलीफोन और तारघरों की संख्या	Post Offices, P.C.Os. and Telegraph Offices in Orissa . .	52—53
8812.	अराजपत्रित डाक अधिकारियों की राजपत्रित संवर्गों में पदोन्नति करने का आधार	Basis of promotion of non-gazetted posts officials to gazetted cadres	53
8813.	डाक तार कर्मचारियों का प्रशिक्षण	Training of P. & T. employees	53—54
8814.	डाक तार विभाग में नियमों और प्रक्रियाओं का सरल बनाया जाना	Simplification of rules and procedures in P. & T. Department .	54—55
8815.	कश्मीर की अर्थ-व्यवस्था को नया रूप देने के लिये योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाना	Schemes Finalised to give a new turn to Kashmir's Economy .	
8816.	आदिवासी विकास खण्डों और प्रायोगिक परियोजनाओं के अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों का विकास	Development of Tribals outside the Tribal development blocks and pilot Projects . . .	56
8817.	पांचवीं योजना में आदिमजातीय क्षेत्रों का विकास	Development of Tribal areas during Fifth Plan . . .	56
8818.	पश्चिम बंगाल को छोड़कर किसी अन्य राज्य में टायरों का नया कारखाना स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस देना	Issue of Industrial licence for new Tyre Factory to be set up in a State other than West Bengal	56—57

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8819.	पश्चिम बंगाल के लिए अल्पावधि रोजगार योजनाएं	Short-Term employment schemes for West Bengal . .	57
8820.	"इलेक्ट्रोनिक्स स्विंडल" के बारे में समाचार	News Report regarding "Electronics Swindle"	57—58
8821.	दोषपूर्ण आयोजन के कारण खाद्यान्नों की कमी	Shortage of foodgrains due to faulty Planning	58
8822.	उत्तर बिहार के सारन में कुछ भागों और चम्पारन एवं नेपाल के भोजपुरी क्षेत्र को दृष्टि से पटना प्रसारण केन्द्र का रेन्ज	Range of Patna Broadcasting Station with reference to Champaran and some parts of Saran in North Bihar and Bhojpuri area of Nepal .	58
8823.	चम्पारन जिले में टेलीफोन सेवा	Telephone service in Champaran District	59
8824.	दिल्ली में एक टेलीफोन के खम्भे में एक व्यापारी द्वारा 16000 गैर-कानूनी ट्रंक काल करना	16000 illegal trunk calls made by a Trader from a Telephone pole in Delhi	59
8825.	दिल्ली में चुराये गये वाहन	Vehicles stolen in Delhi .	59
8826.	नार्थ लखीमपुर टाउन में डफ्ला आदिवासियों द्वारा स्कूल के लड़कों की हत्या किया जाना	Killing of School Boys by Dafla Tribesmen in North Lakhimpur Town	60
8827.	लाइसेंस दात्री समिति की बैठक	Meeting of Licensing committee	60—61
8828.	टायरों एवं ट्यूबों के अलग-अलग मूल्य	Different prices of Tyres and Tubes	61
8829.	टायर निर्माताओं द्वारा पैदा की गयी बनावटी कमी के परिणामस्वरूप टायर विक्रेताओं द्वारा ट्रक और बस टायरों का अधिक कीमत पर बेचा जाना	Selling of Truck and Bus Tyres at Premium by Tyre Dealers as a result of artificial shortage created by Tyre Manufacturers .	61—62
8830.	विशाखापत्तनम जेल से कलकत्ता उच्च न्यायालयों को भेजी गई बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका का डाक-तार विभाग द्वारा लौटाया जाना	Habeas Corpus petition from Vishakhapatnam jail to Calcutta High Court returned by P. & T. Department	62
8831.	देश में शराब बनाने वाले कारखाने	Breweries functioning in the country	62—63
8832.	नागा संघीय सेना के भूमिगत ब्रिगेडियर सेनुका का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Brigadier Senuka of Underground Naga Federal Army	64
8833.	वैध पारपत्रों पर महाराष्ट्र राज्य में आये पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani Nationals visiting Maharashtra State on valid Passports	64
8834.	शिमला के मुख्य डाक घर में आग लगना	Fire in Head Post Office, Simla	64

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8835.	आकाशवाणी, लखनऊ, द्वारा विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्ति	Appointments to various categories of Staff Artistes by A.I.R., Lucknow	64—65
8836.	विट्ठलभाई पटेल भवन, नई दिल्ली में गुंडागर्दी	Rowdyism at Vithalbhai Patel House, New Delhi . . .	65—66
8837.	कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices	66
8838.	सरकारी औद्योगिक नीति के ढांचे के अन्तर्गत मशीन उद्योग के लिए उप-नीति	Sub-policy for Machinery Industry within the frame-work of Government's Industrial policy .	66—67
8840.	पांचवीं योजना में टेलीविजन का विस्तार	Extension of T.V. in Fifth Plan	
8841.	मैसूर में टायरों और ट्यूबों के निर्माण के लिए विदेशी जानकारी का आयात	Import of Foreign know-how for manufacture of Tyres and Tubes in Mysore . . .	67—68
8842.	पांचवीं योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Minimum needs Programme during Fifth Plan . . .	68
8843.	पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जन संचार के साधनों के विस्तार की योजनाएं	Fifth Plan Schemes for expansion of Mass Communication Media.	68
8844.	उद्योगों के कार्य और क्षमताओं का अध्ययन	Studies on performances and potentialities of Industries . .	68—69
8845.	मैसूर की जेनु, कुर्बा और सालिगा जनजातियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Jenu, Kurba and Saliga Tribals in Mysore.	69
8846.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नये बोर्ड का गठन	Constitution of New Board of Khadi and Village Industries Commission	70
8847	पूंजी प्रधान उद्योगों के लिए नियंत्रित मूल्यों की दो स्तर वाली प्रणाली	Two Tier System of controlled prices for capital intensive Industries	70
8848.	भारत में विदेशी धन का आना .	Inflow of foreign money into India	70—71
8849.	मध्य प्रदेश में खुली जेल के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश जेल मन्त्री और गृह मन्त्रालय के बीच हुआ विचार विमर्श	Discussion between Minister of Jails of Madhya Pradesh and Ministry regarding construction of an open Jail	71
8850.	प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा दिल्ली में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के बारे में दिल्ली के उप राज्यपाल को ज्ञापन प्रस्तुत करना	Memoranda submitted by the delegations to Lt. Governor of Delhi regarding maintaining of Law and Order in Delhi	71—74

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8851.	दिल्ली में पुलिस के बर्खास्त सिपाहियों द्वारा भारत सरकार के अधीन अन्यत्र काम करना	Dismissed Police constables in Delhi employed under Govt. of India elsewhere . . .	74
8852.	प्राथमिकता के आधार पर उद्योगों के लिए कच्चे माल आदि की सप्लाई	Supply of Raw Material etc. to industries on priority basis.	74—75
8853.	कलपक्कम परमाणु बिजली घर को चालू करना	Commissioning of Kalpakkam Atomic Power Plant . .	75
8854.	'टोटल इनर्जी कोनसेप्ट' नामक ईंधन मितव्ययता सम्बन्धी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की योजना	National Productivity Council's Schemes for Fuel Economy known as "Total Energy Concept"	75—76
8855.	स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवा भंग की अवधि को नियमित करना	Regularisation of break period of Government employees who took part in Freedom Struggle.	76
8858.	दिल्ली प्रशासन में लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर पदोन्नति	Promotion to the posts of L.D.Cs in Delhi Administration . .	76—77
8859.	उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र	Applications for setting up of Industries in Backward areas of Orissa.	77
8860.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स, मद्रास द्वारा बनायी गयी द्विभाषी टेलीप्रिंटर मशीन	Bilingual Teleprinter Machine manufactured by Hindustan Teleprinter, Madras . . .	77
8861.	'समाचारपत्र उद्योग की अर्थव्यवस्था की जांच करने के लिए स्थापित की गई तथ्यों का पता लगाने वाली समिति को जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिक अधिकार देने का निर्णय	Decision to vest powers under Commission of Inquiry Act to the Facts Finding Committee on economics of Newspapers. .	78
8862.	भारत का सोवियत मानकीकरण विशेषज्ञों के साथ करार	Agreement reached by India with Soviet Standardisation experts .	78—79
8863.	केन्द्रीय सरकार में महिला कर्मचारियों की प्रतिशतता	Percentage of women employees in Central Government . .	79
8864.	आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत का चयन	Selection of Hindustani Classical music to be relayed over A.I.R.	79—80
8865.	भीलवाड़ा राजस्थान के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of pension to freedom fighters from Bhilwara Rajasthan	80
8866.	बंगला देश और पाकिस्तान के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना	Grant of Indian citizenship to refugees from Bangladesh and Pakistan	80—81

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8867.	भीलवाड़ा (राजस्थान) में उद्योगों की स्थापना करने के लिए आवेदन पत्र	Applications for setting up Industries in Bhilwara (Rajasthan)	81
8868.	मध्य प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of pension to freedom fighters from Madhya Pradesh.	81
8869.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र का विकास	Development of Bundelkhand region	81—82
8870.	बड़े व्यापार-गृहों से जन सम्पर्क के साधनों का लिया जाना	Delinking of Media of Communications from big Business. .	82
8871.	सीमेंट के मूल्य में वृद्धि	Increase in prices of Cement	82—83
8872.	आर० एम० एस० आफिस, जयपुर में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV employees in R.M.S. Office, Jaipur . . .	83
8873.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा द्वारा माल का निर्यात	Export of goods from Instrumentation Ltd., Kotah . . .	83
8874.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड की नई शाखाएं	New Branches of Instrumentation Ltd., Kotah	83
8875.	वर्ष 1973 में सेवानिवृत्ति होने वाले सेलेक्शन ग्रेड के स्टेशन डायरेक्टर	Selection grade Station Directors retiring in 1973 . . .	84
8877.	शरणार्थी सहायता डाक टिकटों को बदलना	Exchange of Regugee Relief Postal Stamps	84
8878.	योजनाओं की बेहतर क्रियान्विति के लिए प्रशासनिक ढांचा	Administrative structure for better implementation of Plans	84
8879.	टेलीवीजन द्वारा विज्ञापन	Introduction of Advertisements over T.V.	85
8880.	बिजली में कटौती के कारण राजस्थान के उद्योगों को हुई क्षति	Loss to Industries in Rajasthan due to Power cut . . .	85
8881.	मीना टण्डन हत्याकांड का मामला	Meena Tandon murder case . .	85—86
8882.	बंगला देश को दूरसंचार उपकरणों की सप्लाई	Supply of Telecommunication equipment to Bangladesh . .	86
8884.	पिछड़े जिलों में औद्योगिक आधारभूत ढांचे तैयार करना	Creation of Industrial Infrastructure in Backward districts . .	86
8885.	संगणक विज्ञान में चीन की तुलना में भारत द्वारा की गयी कम प्रगति	Slow progress made by India in Computer Science as compared to China.	87
8886.	पांचवीं योजना के लिए विदेशी सहायता	Foreign aid for Fifth Plan .	87

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8887.	वर्ष 1973-74 में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को रोजगार	Employment to Engineers and Scientists in 1973-74	87—89
8888.	उद्योगों में क्षमता का उपयोग	Utilisation of capacity in Industries	89—90
8889.	क्रास-बार एक्सचेंज में त्रुटियां	Defects in Cross-bar exchange	90—91
8890.	दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोनों की मांग	Demands for Telephones in Delhi and New Delhi .	91
8891.	आकाशवाणी केन्द्र, कलकत्ता के न्यूज रीडिंग सेक्शन और अनाउन्समेंट सेक्शन में कार्य कर रहे नैमित्तिक कर्मचारी	Staff in News reading Section/Announcement section working as casual staff in A.I.R., Calcutta.	92
8892.	उद्योगों में आर० एण्ड डी० संगठन	Organisation of R. & D. in Industries	92
8893.	कोरापुट और गंजम एजेंसी (उड़ीसा) में उद्योगों का विकास	Development of Industries in Koraput and Ganjam Agency (Orissa).	93
8894.	पांचवीं योजना के दौरान खानाबदोश जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास	Socio-economic development of Nomadic tribes during Fifth Plan	93—94
8895.	आदिवासी संस्कृति पर निर्मित्त वृत्त चित्र	Documentary films produced on Tribal culture	94
8896.	वर्ष 1973-74 के दौरान सिंचाई, विद्युत, इस्पात, उर्वरकों और अलौह धातुओं पर बल	Emphasis on irrigation, power, steel, fertilisers and non-ferrous metals during 1973-74	95
8897.	शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने हेतु एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय दल का राज्यों का दौरा	Visit of High level Central Team to States for launching programme for providing Jobs to educated unemployed	95—97
8898.	आशय पत्रों/लाइसेंसों को रद्द करना	Cancellation of letters of Intent/ Licences	97
8899.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पता लगाए गए झूठी शिकायतों के मामले	Cases of false complaints detected by Central Vigilance Commission.	98
8900.	राज्य सरकारों द्वारा संघ सरकार की नीतियों, उसकी उपलब्धियों और उसके कार्यक्रमों का प्रचार	Publicity of policies, achievements and programmes of Union Government by State Governments.	98
8901	क्रासबार एक्सचेंजों में त्रुटियों को दूर किया जाना	Rectification of defects in Crossbar exchanges.	98—99
8903.	बिहार में स्वचालित टेलीफान एक्सचेंजों वाले स्थान	Places in Bihar with Automatic Telephone exchanges . . .	99

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8904.	लघु उद्योगों से आयातित माल के लिए अधिक मूल्य वसूल करना	Charging of higher prices of imported goods from small scale industries	99
8905.	दिल्ली में औद्योगिक विकास बोर्ड की स्थापना का सुझाव	Proposal to set up Industrial Development Board in Delhi . .	99—100
8906.	बिहार के गया और नवादा जिलों में सरकारी क्षेत्र में उद्योग	Industries in Public sector in Gaya and Nowadah (Bihar) .	100
8907.	बिहार में गया टैक्सटाइल मिल्स को पुनः खोलना	Reopening of Gaya Textile Mills in Bihar	100
8908.	भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने की मांग	Demand by F. I. C. C. I. for laying guidelines on nationalisation of industry	100—101
8909.	विभिन्न राज्यों में डाकुओं का सफाया	Liquidation of dacoits in various States	101
8910.	घर पर जाकर टेलीफोन बिल देने के लिए मैसेंजर नियुक्त करने का प्रस्ताव	Proposal to appoint messengers to deliver telephone bills at door steps of subscribers. . .	101—102
8911.	श्रीमती लक्ष्मीबाई छेनबागारामन पिल्ले नामक एक स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु	Death of Mrs. Lakshmi Bai Chenbagaraman Pillai, a freedom fighter	102
8912.	संगणकों के विकास और निर्माण के लिए एक नया उपक्रम बनाने का प्रस्ताव	Proposal to set up a new undertaking for the development and manufacture of computers . . .	102—103
8913.	आर० के० पुरम, नई दिल्ली स्थित लाइब्रेरी आफ कम्प्यूटर सेंटर से संबद्ध डी०जी०टी०डी०डेटा टेप का गुम होना	Loss of D. G. T. D. data tape belonging to Library of Computer Centre, R. K. Puram, New Delhi .	103
8914.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता द्वारा कम्प्यूटर पर आधारित सूचना केन्द्र का डिजाइन तैयार किया जाना	Designing of computer-based information system by Indian Institute of Management, Calcutta .	103
8915.	आकाशवाणी और गीत तथा नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों के पदोन्नति के अवसर और स्थानान्तरण के लिये नियम	Avenues of promotion and rules for transfer of staff artists of A. I. R. and Song and Drama Division	104
8917.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरियां देने सम्बन्धी योजनायें	Schemes for providing jobs to uneducated Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . .	104—105
8918.	भारत और सोवियत संघ में अन्तरिक्ष सम्बन्धी करार	Pact between India and U. S. S. R. on Space	105
8919.	पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों का बन्द होना	Closure of small scale industries in West Bengal	105—106

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8920.	पश्चिम बंगाल में बिजली के बल्ब बनाने वाले कारखानों का बन्द होना	Closure of electric bulb manufacturing factories in West Bengal .	106
8921.	जनसंचार साधनों के कार्यकरण के संबंध में राष्ट्रीय सलाहकार पैनल	National Advisory Panel on working of mass communication media	106
8922.	चालू वर्ष में योजना व्यय में कमी	Shortfall in plan expenditure during the current year . . .	106—107
8924.	नगरों में रेडियो और टेलीविजन कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for Radio and T. V. Staff in cities	107
8925.	राष्ट्रपति द्वारा दी गई विभिन्न उपाधियों का लौटाना	Return of various awards made by President	107
8926.	भारत सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पद	Posts lying vacant in various departments of Government of India .	107
8927.	पांचवीं योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये आयोजना सेल द्वारा तैयार की गई योजनायें	Schemes formulated by the Planning Cell for the Development of Hill Areas during Fifth Plan . .	108
8928.	पिछड़े क्षेत्रों में तीव्रगति से उद्योगिकरण करने के लिये अवस्थापना की व्यवस्था	Provision of Infra-structure for the rapid Industrialisation of Backward areas	108—109
8929.	जिला स्तर पर योजना बोर्ड	Planning Boards at district level	109
8930.	10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रम	A. I. R. Programmes for children below 10 years of age . .	109
8932.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परमाणु उर्जा कम्पलेक्स	Nuclear energy complex in Western Uttar Pradesh	110
8933.	आत्म-निर्भरता के जरिए औद्योगिक विकास के बारे में गोष्ठी	Seminar on Industrial growth through self-reliance	110—111
8934.	संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries under joint sector	111
8935.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की क्लर्कों के रूप में पदोन्नति	Promotion of Class IV employees as clerks	111
8936.	उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में संचार व्यवस्था	Communication system in Hill districts of U. P.	112
8937.	आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का 'समाचार दर्शन' कार्यक्रम	'Spotlight' feature of news services Division of A. I. R. . . .	112
8938.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास अनुदान के दर का पुनरीक्षण	Revision of rate of Hostel grants to Scheduled Caste and Scheduled Tribes students . . .	112—114
8939.	मैसर्स जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड को दिये गये लाइसेंस का रद्द किया जाना।	Revocation of Licence issued to M/s. J. Stone and Company (India) Limited	114

U.S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री मधु लिमये के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	*Re.* Question of Privilege against Shri Madhu Limaye . . .	114—115
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	115—116
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	117
16वां, 17वां, और 18वां प्रतिवेदन	Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Reports . . .	117
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक—**पुरःस्थापित**	Central Excises and Salt (Amendment) Bill—*Introduced* . .	117
नियम 377 के अन्तर्गत मामले .	Matters Under Rule 377 .	117—118
(एक) केनेडी एयरपोर्ट, न्यूयार्क स्थित एयर इंडिया कार्गो से हीरे-जवाहरात लूटने का समाचार	(i) Reported looting of jewels from Air India Cargo Terminal at Kennedy Airport, New York. . .	117
(दो) गुजरात में खाद्यान्न और सीमेंट की अनुपलब्धता	(ii) Non-availability of foodgrains and Cement in Gujarat	118
वित्त विधेयक, 1973	Finance Bill, 1973 .	118—134
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider . . .	118
श्री राम सहाय पांडे	Shri R.S. Pandey .	118—119
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh .	119—121
श्री के० डी० मालवीय	Shri K.D. Malaviya . . .	121—123
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody .	123—124
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh . . .	124—125
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन	Shrimati Bhargavi Thankappan .	125—126
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh .	126—127
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S.R. Damani .	127—128
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Sheila Kaul .	128
डा० कैलाश	Dr. Kailash .	128—130
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan . .	130—132
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh .	132
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N.K. Sanghi . .	132—133
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayana Rao .	133—134
श्री डी० एम० तिवारी	Shri D.N. Tiwary	134

317LSS/73—2

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में चर्चा	Discussion *Re.* Appointment of Chief Justice of India . .	135—149
	श्री मधु लिमये	Shri Madhyu Limaye . .	135—137
	श्री नरसिंह नारायण पांडे	Shri Narsingh Narain Pandey	137
	श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao . .	137—139
	श्री ए० के० गोपालन	Shri A.K. Gopalan . .	139—141
	श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . .	141—143
	श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee . .	143—145
	श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam	145—149
	श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody . . .	149

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 2 मई, 1973—12 बैशाख, 1895 (शक)

Wednesday, May 2, 1973—*Vaisakha* 12, 1895 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल के रेडियो और इलैक्ट्रोनिक पुर्जों के निर्माताओं को व्यापार के विस्तार की अनुमति न देना

*921. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के रेडियो और इलैक्ट्रोनिक पुर्जों के निर्माताओं को पश्चिम बंगाल में अपने व्यापार का विस्तार करने की अनुमति नहीं दी गई है जबकि इन निर्माताओं को अन्य राज्यों में नई परियोजनाएं प्रारम्भ करने अथवा अपने व्यापार का विस्तार करने की अनुमति निर्बाध रूप में दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पश्चिम बंगाल के रेडियो और इलैक्ट्रोनिक्स पुर्जों के निर्माताओं को अपने व्यापार में विस्तार करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या यह सत्य है कि फिलिप्स कम्पनी ने भारत सरकार से लगभग 3,00,000 सैटों के निर्माण करने के लिये लाइसेंस मांगा था किन्तु भारत सरकार ने कुछ शर्तें लगा दी हैं कि कम्पनी द्वारा निर्मित 60,000 सैटों से अधिक जितने भी सैटों का निर्माण किया जायेगा। उसका 75 प्रतिशत सैटों का निर्यात किया जाना चाहिये तथा इसी कारण से कम्पनी को विस्तार करने की अनुमति नहीं दी गई? क्या इस मामले में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की सरकार ने केन्द्र को एक व्यापक प्रतिवेदन भेजा है जिसमें केन्द्रीय

सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ अन्य राज्यों में कम्पनी को अपने व्यापार के विस्तार करने की अनुमति दी है तथा मुख्य मंत्री ने अगस्त, 1972 में इस सम्बन्ध में एक नोट भेजा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : फिलिप्स (इंडिया) के पास कलकत्ता फैक्टरी में 60,000 रेडियो रसीवरों का निर्माण करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस है। 1967 में 60,000 से 1,00,000 सैटों के लिये विस्तार को नियमित करने के लिये उनका पहला आवेदन पत्र था। रक्षा पूर्ति विभाग, जो इस समय इस मामले को निपटा रहा था ने कहा कि यह आवेदन पत्र विस्तार के लिये होना चाहिये न कि नियमित करने के लिये। अतः उन्होंने 1,75,000 सैटों के निर्माण के लिये आवेदन पत्र दिया। यह बात अप्रैल, 1969 की है। उस समय तक यह मामला लाईसेंसिंग समिति के हाथ में था इस सम्बन्ध में नीति यह थी कि कुछ क्षेत्रों में, जहां पर लघु उद्योग भी थे विस्तार करने की अनुमति दी जायेगी यदि वह अपनी अतिरिक्त क्षमता का 75 प्रतिशत निर्यात करने की इच्छुक हो। इस प्रकार की शर्त रखने का यही कारण है। तत्पश्चात पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार को इसके बारे में तब लिखा जब कम्पनी 2 लाख से अधिक सैटों का निर्माण कर रही थी। मैं माननीय सदस्य को याद दिला दूं कि इस कम्पनी का पहले वाला लाइसेंस केवल 60,000 सैटों के निर्माण के लिये ही है। वह 2 लाख से ऊपर सैटों का निर्माण कर रहे हैं तथा सिफारिश यह की गई है कि उस कम्पनी को तीन लाख सैट बनाने की अनुमति दी जाये। अतः कम्पनी ने बताया कि वह 75 प्रतिशत की शर्त से सहमत नहीं हैं। वास्तव में अनाधिकृत रूप से तीन लाख सैटों को निर्माण करना आपत्तिजनक है। किन्तु पश्चिम बंगाल की शर्तों के कारण तथा वहां की सरकार की सिफारिश के कारण कम्पनी के साथ इस मामले पर बात चीत हो रही है सरकार ने इस मामले को तय करने के लिये फिलिप्स (इंडिया) कम्पनी के पास एक दल भेजा है। यह दल उसके साथ न केवल इस लाईसेंस विशेष के विषय में बल्कि उसकी सामान्य भूमिका तथा अन्य मामलों के बारे में बातचीत करेगा।

श्री बी० के० दासचौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि फिलिप्स कम्पनी ने 1958 में पूना के समीप लोनी नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया जिस-की 12,000 सैट निर्माण करने की क्षमता है। तथा इस समय तक लोनी की शाखा में बिना किसी प्रतिबन्ध के अथवा बिना इस शर्त के अपनी कुल क्षमता का 75 प्रतिशत का निर्यात किया जाना चाहिये, 7,00,000 सैट तैयार किये जा रहे हैं? यदि ऐसा है तो उसी कम्पनी द्वारा पश्चिम बंगाल में और दूसरा महाराष्ट्र लोनी में वितार के लिये दो मानक क्यों अपनाये जा रहे हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : दो मानकों का कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार पूना में कम्पनी की क्षमता लाइसेंस के अनुसार 3·3 लाख रेडियो रिसीवर हैं। माननीय सदस्य ने जिस तिथि का उल्लेख किया है यह शायद उसके बाद की तिथि का हो। 1968 में उन्होंने अपनी क्षमता को 19 लाख सैट तक बढ़ाने के लिये लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिया है। किन्तु लाइसैंसिंग समिति ने 7 लाख रेडियो निर्माण की बात ही मानी है। इसका अनुमोदन कर दिया गया था तथा इसके लिये आशय-पत्र भी जारी किया गया था। यह आवेदन-पत्र कलकत्ता के एकक में 60,000 से 1,75,000 एककों की क्षमता बढ़ाने के आवेदन-पत्र से पहले का है अतः मेरे विचार से दो मानक नहीं हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं ....(**व्यवधान**) कि तिथि को बदल दिया गया है यद्यपि इस लाइसेंस का मासिक कोटा नवम्बर, 1970 से था किन्तु क्या अब इसे बदल कर अगस्त 1949 से 1970 कर दिया गया है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे इस बात की सूचना नहीं कि तिथि को बदला गया है। मुझे इस बात का भी नहीं पता कि माननीय सदस्य किस बात पर आपत्ति उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इस कम्पनी ने उत्पादन में वृद्धि कर ली है तथा अनाधिकृत रूप से उन्हें उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। आपत्ति किस बात पर है?

श्री एम० एस० संजीवी राव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस तथ्य से अवगत हैं कि भारत सरकार की नितियों के कारण पश्चिम बंगाल में फिलिप्स कम्पनी बन्द नहीं हो रही बल्कि वह सिंगापुर में बड़े पैमाने पर कार्य करने वाले हैं और वह भारत में से अपना सारा कारोबार हटा लेना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता। आप मंत्री महोदय को सूचना दे रहे हैं। आप कैसे आशा करते हैं कि उन्हें इसका पता होगा? क्या उन्होंने उनसे सिंगापुर के बारे में सलाह ली है? अगला प्रश्न!

श्री समर गुह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे आधे मिन्ट का समय दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले प्रश्न पूछने के लिए कह दिया है अतः मुझे खेद है। अब श्री विभूति मिश्र पूछें।

Revival of National Integration Council

*922. †**Shri Bibhuti Mishra**, **Maulana Ishaque Sambhali** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the question of reviving the National Integration Council; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) The matter is under consideration.

Shri Bibhuti Mishra : I want to know upto what time Government would keep this matter under consideration. Whether Government would consult the various political parties, so that they may extend all their cooperation to Government in this regard?

Shri Ram Niwas Mirdha : The question to re-organise the National Integration Council is being considered. But this does not mean that the no work has been done by it, since it met last. The standing committee and one other committee of this Council have held their meetings from time to time and the last time it held its meeting was during 1970. After that due to Bangla Desh crisis and after that due to election etc. held in 1972, its meeting could not be held. But the recommendations made by this Council or its committee, being whether these were about making a new law or about making some changes in the existing laws or about the administrative steps to be taken, were being followed. Therefore, though no meeting of it has been held but even then the work is being carried out in accordance with the resolutions passed by its Council and it is hoped that this Council would be reconstituted and its meeting or of its committee would be held soon.

Shri Bibhuti Mishra : There seems to be contradiction in the replies given by the hon'ble Minister to my main question and to my supplementary question. I want to know how Government propose to re-constitute and the steps being taken by Government in regard to reconsituting it and the steps taken by Government? Whether all the employees working in all the departments of Government are entirely in favour of national integration. Whether Government is taking an active step to provide justice to every body and in the interest of national integration?

Shri Ram Niwas Mirdha : There have been many changes in the membership of this Council. There were many chief Ministers on it, but now they are no more Chief Ministers now. There were many members of Parliament who were members of this Council but now they are no more members of Parliament and many parties are also not connected with it. Therefore, it is required that it should be reconstituted so that it may be able to discharge its functions effectively.

The honourable member has asked whether all the departments of Government implement programmes of this National Integration Council and follow all its instructions. I would like to submit that all the decisions taken by the Council or by its committees have been sent to all the State Governments and Government departments. Efforts are always made that all of them should follow them, not only follow them but create an administrative outlook and atmosphere which may help in inspiring right sort of national integration.

श्री फतह् सिंह गायकवाड़ : क्या मैं राष्ट्रीय एकता परिषद् की उन प्रमुख असफलताओं के विषय में जान सकता हूं जिनके कारण इसे समाप्त करना पड़ा ?

श्री राम निवास मिर्धा : इसे समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता तथा न ही इसकी असफलता का प्रश्न ही उठता है। इस परिषद से काफी लाभ हुआ है। इसने कछ निदेश दिये थे जिनके अनुसार प्रशासन कार्य कर सका। इस परिषद ने इस तरह के संकेत दिये जिनके अनुसार विधायी सांविधाओं में संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है जो अब भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है।

श्री वाई० एस० महाजन : एकता जाति के विभिन्न भागों में भाषाई भावनाओं पर आधारित है। इस उद्देश्य के लिये यदि भिन्न-भिन्न भाषा भाषी बच्चों को एक ही स्कूल में शिक्षित किया जाये तो इससे एकता पनपेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के स्कूल हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न परिषद के पुनः सक्रिया करने के बारे में है न कि स्कूलों के बारे में।

श्री वाई० एस० महाजन : एकता की भावना को भिन्न-भिन्न भाषा भाषी बच्चों को एक स्थान पर शिक्षित करके प्रोत्साहित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप का कहना सही है किन्तु यह बात भी महत्वपूर्ण है कि प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित हो अतः मुझे अफसोस है।

श्री जी० विश्वानाथन : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों में से कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है तथा उनमें से कितनी सिफारिशों का अब तक कार्यान्वियन हो चुका है।

श्री राम निवास मिर्धा : हमने इस सम्बन्ध में पहले भी प्रश्नों का उत्तर दिया है इनमें तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न ने तथा हमने सिफारिशों तथा उनका किस तरह से कार्यान्वियन हुआ, का व्यौरा सदन के सभा पटल पर रख चुके हैं। यदि माननीय सदस्य चाहे तो मैं उन्हें इसकी प्रति भेज सकता हूं।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस परिषद को पुनः सक्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये हैं तथा इसके लिये देश के विभिन्न तत्वों से क्या सहायता मिली है तथा उन राजनीतिक दलों से क्या सहायता मिली है जो राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनः सक्रिया करने का विरोध कर रहे हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार इस बात से अवगत नहीं कि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता परिषद् का पुनः सक्रिय होने का विरोध कर रही है। यह सत्य है कि कुछ दलों ने राष्ट्रीय एकता परिषद् की आरम्भिक बैठकों में भाग नहीं लिया है किन्तु हम किसी ऐसे राजनीतिक दल को नहीं जानते जो इसके पुनः सक्रिय होने का विरोध कर रहे हैं।

श्री समर गुह : क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय एकता परिषद ने, आज वह जिस रूप में है, अपनी अंतिम बैठक में इस देश के निवासियों के लिए तथा अल्पमत जातियों के अधिकारों विशेषकर भाषाई अल्पमतों के सम्बन्ध में कुछ बातें बताई हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल पुनः सक्रिय होने की बात है। आपके प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री समर गुह : मैं आपका ध्यान मेरे से पहले पूछे गए दो प्रश्नों की ओर आकर्षित करता हूं। जहां तक कार्यान्वियन का सम्बन्ध है मन्त्री महोदय ने इसका उत्तर दे दिया है। मेरा प्रश्न उससे सम्बन्धित है। अतः आप मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है। यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री समर गुह : यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। (**व्यवधान**) . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न राष्ट्रीय एकता परिषद् के पुनः सक्रिय होने का है। आप मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं आपकी बात के सामने झुक जाऊंगा और अनुमति दे दूंगा क्योंकि आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। मैं इस प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मुझे इसका अफसोस है।

गोआ के स्वस्थ्य सेवा निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच

***923. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर:** क्या गृह मंत्री गोआ में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयों की खरीद में कदाचारों के बारे में 7 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1826 के उत्तर के संबन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के स्वास्थ्य सेवा निदेशक के विरुद्ध कोई जांच की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमान्। गोआ, दमन व दीव सरकार द्वारा अपने स्वास्थ्य सेवा निदेशक के विरुद्ध जांच प्रारम्भ की गई है। 17 अक्तूबर, 1970 को अधिकारी पर आरोपों के विवरण की तामील कर दी गई थी। जांच अधिकारी ने 7 जलाई, 1970 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 25 सितम्बर, 1972 को जांच अधिकारी के निष्कर्षों पर अपनी सलाह दी। गोआ, दमन व दीव सरकार द्वारा शीघ्र एक अन्तिम निर्णय लिए जाने की आशा है।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मेरा प्रश्न यह है कि गोवा, दमन और दीव के मुख्य मंत्री द्वारा गृह मंत्रालय को लिखे गए पत्र में जिन आरोपों का उल्लेख किया गया है तथा स्वास्थ्य सेवा, गोवा के निदेशक डा० वाग को दिए गए कारण बताओ नोटिस में जिन आरोपों का उल्लेख है क्या उनमें कोई अन्तर है ? पता नहीं क्यों मेरे मूल प्रश्न को इस प्रकार काट-छांट दिया गया है। मंत्री महोदय ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा, गोवा के निदेशक को अक्तूबर, 1970 में इन आरोपों के बारे में नोटिस दिया गया था। 7 जुलाई, 1972 को जांच प्राधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा 25 सितम्बर, 1972 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों के सम्बन्ध में संघ राज्य क्षेत्र को अपना परामर्श दे दिया था। इस समय मई, 1973 चल रहा है। मंत्री महोदय ने बताया कि शीघ्र ही अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया जाएगा। अभी हाल ही में कलकत्ता की अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था ने डा० वाग को देश में लोक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए 1972 का पुरस्कार दिया है। गोवा, दमन और दीव के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक तथा व्यक्तिगत बदले की भावना से इस निदेशक को 1970 में कोई बहाना बना कर निलम्बित कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : यह भाषण करने का अवसर नहीं है। आप प्रश्न पूछिए।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मंत्री महोदय बताएंगे कि आरोपों की जांच करने पर क्या उन्हें निराधार पाया गया ? मंत्री महोदय कृपया बताएं कि मुख्य मंत्री के विरुद्ध क्या कठोर कार्रवाई की गई है, या की जा रही है अथवा करने का विचार है क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के निदेशक को कई महीनों या दो वर्ष तक निलम्बित कर के रखा और उन्हें मानसिक वेदना दी। उनको बिना कारण कष्ट देने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सबसे पहले मैं अपने माननीय मित्र को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमसे जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आरोपों में अंतर की बात नहीं है। प्रश्न यह है कि "क्या उनके विरुद्ध जांच कराई गई, यदि हां तो कब और उसके क्या परिणाम निकले ?" हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

दूसरा प्रश्न यह है कि कितना समय लगा ? मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं कि हमने इस विषय में गोवा, दमन और दीव की सरकार से बात-चीत की है और उप-राज्यपाल से कहा है कि इस बारे में शीघ्र निर्णय लें। हमें दिनांक 27 अप्रैल, 1973 का सन्देश प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि गोवा सरकार ने विभिन्न स्तरों पर मामले की जांच की है और 17 अप्रैल, 1973 को सारा मामला अनुशासनिक प्राधिकारी को सौंप दिया है। और इस बारे में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा। मैंने इसी आधार पर मुख्य प्रश्न का उत्तर दिया है कि निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा। हम मामले में शीघ्रता करने के लिए जोर भी दे रहे हैं।

जहां तक सर्तकता आयोग के निष्कर्षों का प्रश्न है, उसने जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर ही गोवा, दमन और दीव की सरकार को सलाह दी है। इस समय मैं कोई टिप्पणी न करके केवल यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने सावधानी बरतने के लिए कहा है, इसीलिए तथा डाक्टर द्वारा अपील किए जाने पर राष्ट्रपति ने अक्तूबर, में उनके निलम्बित आदेश को रद्द कर दिया।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : केवल यही एक मामला नहीं है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें मुख्य-मंत्री ने राजनीतिक तथा व्यक्तिगत बदले की भावना से कई पदों को समाप्त किया और सरकारी कर्मचारियों को किसी न किसी बहाने नौकरी से हटाया है।

श्री जी० विश्वानाथन : जब गोवा में विधान सभा है तो यह मामला यहां क्यों उठाया गया है।

श्री भागवत झा आजाद : इसमें क्या बुराई है।

श्री पीलू मोदी : दोहरी नीति है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री विश्वनाथन का सुझाव स्वीकार है और भविष्य में किसी मुख्य मंत्री के सम्बन्ध में उल्लेख करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा।

श्री के० एस० चावड़ा : हम यह कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में उल्लेख करने के बारे में मतभेद नहीं होना चाहिए। महोदय आपने, श्री बंसी लाल के सम्बन्ध में प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : जब श्री बंसी लाल का नाम आता है तो आप बहुत खुश होते हैं किन्तु किसी और का नाम आता है तो बड़ी अप्रसन्नता होती है। इस बारे में एक समान नीति होनी चाहिए मैं श्री काकोड़कर से भी अनुरोध करूंगा कि वह मुख्यमंत्री के नाम को बीच में न लायें।

श्री समर गुह : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बीच व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री समर गुह : मैं तो स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैं आपकी इस टिप्पणी से सहमत हूं कि राज्यों समबन्धी मामलों का उल्लेख यहां नहीं होना चाहिए। किन्तु कुछ ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं और संसद् को उनके बारे में उल्लेख करने का अधिकार है। अतः आपकी टिप्पणी राज्यों के विषय में होनी चाहिए न कि उन विषयों के सम्बध में जो समवर्ती सूची में आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उचित प्रक्रिया मालूम है।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र हैं अतः वहां के मुख्यमंत्री का नाम लिया जाए अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुख्य मंत्री का नाम बीच में न लाएं तो अच्छा होगा। आप केवल सरकार कहिए।

श्री पुरुषोत्तम काकोड़कर : मैं मुख्यमंत्री का नाम बीच में नहीं ला रहा। गोवा, दमन और दीव भी अन्य राज्यों की भांति एक राज्य है। यह केन्द्र के अधीन एक संघ राज्य क्षेत्र है। भारत सरकार और गृह मंत्रालय को हर बात पर चर्चा करने का अधिकार है। जो कुछ भी वहां हो रहा है वह राजनीतिक और व्यक्तिगत बदले की भावना से हो रहा है। गोवा, दमन और दीव में कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप तो पूरा भाषण दे रहे हैं।

श्री पुरषोत्तम काकोड़कर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव में अनिश्चितता की स्थिति समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। अथवा किए जाने का विचार है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक गोवा सरकार की सक्षमता का प्रश्न है, मैं कहूंगा कि जब भी अनियमितताओं की जानकारी मिलती है, तो गोवा सरकार उचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। अतः यह उनका उत्तरदायित्व है और वह कैसे इसे निभाते हैं यह भी उन्हें ही देखना है। लेकिन यदि मेरे

माननीय मित्र कहते हैं कि ठीक ढंग नहीं अपनाया जाता तो गोवा के लोगों का कार्य है कि वह स्थिति का जायजा लें।

श्री पी० गंगादेव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किसी सिविल अधिकारी को, यदि निष्पक्ष जांच द्वारा वह कदाचार के आरोपों से मुक्त हो जाता है, उच्च अधिकारियों द्वारा की जाने वाली बदले की कार्यवाही से कैसे बचाया जाए, इस बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह प्रश्न परिकल्पित है। किसी भी मामले की क्या कार्यवाही की जाए इसका निर्णय उप-राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं और मुझे आशा है कि जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह को ध्यान में रख कर कोई भी कार्यवाही की जाएगी।

टायर निर्माताओं द्वारा उनके द्वारा न बनाए जाने वाले उत्पादों का व्यापार

924. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर निर्माता उन वस्तुओं का भी व्यापार कर रहे हैं जिनका वे स्वयं उत्पादन नहीं करते ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह उन्हें दिए गए लाइसेन्स की शर्तों के अनुरूप हैं;

(ग) क्या इन टायर कम्पनियों द्वारा स्वयं न बनाए जाने वाले उत्पादों के व्यापार से प्राप्त धनराशि पूर्णतया या आंशिक रूप से भारत से बाहर भेजी जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि विदेश भेजी गई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) :—एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : टायर निर्माताओं को दिए गए औद्योगिक लाइसेंस विशिष्ट वस्तुओं का निर्माण करने के लिए हैं और इन फर्मों द्वारा अपनाए गए व्यापार कार्य कलाप उन्हें जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की किसी भी शर्त के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह सच है कि टायर एवं ट्यूबें बनाने वाली विदेश नियंत्रित फर्में अपने विक्रेताओं के जरिए मोटर गाड़ियों के सहायक सामान आदि को जो न तो स्वयं इन कंपनियों द्वारा बनाया जाता है और न उन अन्य कंपनियों द्वारा बनाया जाता है जिनके लिए ये कंपनियां तकनीकी जानकारी की व्यवस्था करती हैं।

(ग) और (घ) : इन टायर कंपनियों द्वारा निर्माण न किए गए उत्पादों के व्यापार से हुई आय को ये कंपनियां भारत से बाहर भेज रही हैं परंतु इन सौदों से कितनी राशि बाहर भेजी गई इसके संबंध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री बी० आर० शुक्ल : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या यह व्यापार पूर्णतया एक स्वतंत्र उद्यम है अथवा क्या यह किसी भी प्रकार से किसी सरकारी कार्यवाही या विनियम से नियंत्रण में है।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : वक्तव्य में पहले ही यह बताया गया है कि यह पता चला है कि टायर बनाने वाली कुछ कंपनियां उन वस्तुओं का भी व्यापार कर रही हैं जिन पर लाइसेंस नहीं दिए जाते। एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 10क(1) के अंतर्गत पहले ही एक शिकायत दर्ज की गई है। इसकी जांच हो रही है और जांच निदेशक से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कार्यवाही की जाएगी।

श्री बी० आर० शुक्ल : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन निर्माताओं को सहायक पुर्जों के व्यापार के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिए गए उनके द्वारा यह व्यापार कितने समय से हो रहा है और क्या सहायक पुर्जों के ऐसे व्यापार की जानकारी होने के बावजूद सरकार ने कोई कार्यवाही न करने का निर्णय लिया है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह तथ्य नहीं है कि सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कार्यवाही न करने का निर्णय लिया है। जैसाकि मैंने पहले ही बताया था कि एम० आर० टी० पी० आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्रालय भी बाहर भेजी जाने वाली धनराशि में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने की संभावना पर विचार कर रहा है। जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, उसे 1972 में अखिल भारतीय मोटर संघ कांग्रेस से एक शिकायत मिली थी और जैसे ही यह शिकायत मिली उसी समय उचित कार्यवाही की गई। सहायक पुर्जों के संबंध में टायर कंपनियों ने जो धनराशि बाहर भेजी है, उस वास्तविक धनराशि का पता लगाना बड़ा कठिन है।

श्री मनोरंजन हाजरा : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या वह फायरस्टोन कंपनी द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन से अवगत हैं और यदि हां, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह कंपनी के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न है जबकि मुख्य प्रश्न अपने-आप में सामान्य है। आप एक विशेष कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं। यदि मंत्री जी के पास कोई सूचना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मेरे पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

श्री पीलू मोदी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें सरकार के किसी कानून विनियम, नियम या अधिनियम की जानकारी है जिसमें इन कम्पनियों पर उन वस्तुओं का व्यापार करने के लिए प्रतिबंध है जिनका वे उत्पादन नहीं करते।

औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं मानता हूं कि सहायक पुर्जों और अन्य वस्तुओं का व्यापार करने के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु यदि वे प्रतिबंध व्यापार व्यवहार में संलग्न रहते हैं और उनके विरुद्ध आरोप लगाया जाता है तो एम० आर० टी० पी० अधिनियम लागू होती है। इस पर अब जांच की जा रही है।

श्री के० डी० मालवीय : इस तथ्य को देखते हुए कि ऐसे मामलों में स्पष्ट रूप से कदाचार अथवा अनियमितताएं हुई हैं, क्या सरकार जांच की लम्बी प्रक्रिया को छोटा करने के लिए कोई तरीका नहीं ढूंढ सकती क्योंकि महीनों अथवा वर्षों से मामले अनिर्णीत पड़े रहते हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस मामले में हमें प्रक्रियाओं को अपनाना है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि व्यापार करने के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु व्यापार करते हुए यदि कदाचार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार किए जाते हैं तो वे अधिनियम के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके विदेशी कम्पनी होने के कारण शायद इसकी गतिविधियों को विनियमित कर सकते हैं जब हम विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक को पारित करते हैं।

श्री के० डी० मालवीय : इन कदाचारों को रोकने के लिए क्या सरकार के पास कोई तरीका नहीं है? ऐसा करने से सरकार को कौन रोकता है? ये चीजें जांच की धीमी प्रक्रिया पर क्यों छोड़ी जाती है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : सर्वप्रथम, हमें ऐसा कदम उठाने से पहले अनियमितता का पता लगाना चाहिए।

श्री के० डी० मालवीय : कई स्पष्ट अनियमितताएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को दिल्ली पुलिस में इन्सपैक्टर के पद पर पदोन्नति देना

*926. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टरों के पदों पर पदोन्नति देने के लिए हाल ही में लगभग 50 सब इंसपैक्टरों की एक सूची तैयार की गई है ;

(ख) क्या इस सूची में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोई भी व्यक्ति नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इंस्पेक्टरों के पदों में पदोन्नति के लिए 46 सब इंस्पैक्टरों की एक सूची दिल्ली की पुलिस के इंस्पैक्टर जनरल द्वारा 12–1–1973 को अधिसूचित की गई थी।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) इस सूची में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के बारे में जारी किए गए अनुदेशों से भिन्न है। इस सूची की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। चयन मण्डल इस सम्बन्ध में सरकार के अनुदेशों के अनुसार अब एक नई सूची तैयार करेगा।

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, I would like to know from the Minister whether it is a fact that in Delhi only 9 out of 253 Inspectors and 118 Sub-Inspectors out of 1330 Sub-Inspectors belong to the backward classes and Harijans? How many Sub-Inspectors belonging to Scheduled Castes and backward classes have been so far promoted to the post of Inspector and what are the reasons for changing this list?

Shri K.C. Pant : Mr. Speaker, no candidate belonging to Scheduled caste was selected in this particular case and the selection of these candidate was merged with other candidates. But there is an instruction from the Government that a separate list of Scheduled castes candidates should be prepared and the separate interview for them should be held. That is why, this selection has been cancelled and now new Selection Board would be formed and the selections would be made according to the instructions of the Government.

Shri Shashi Bhushan : What are the facilities provided to the people of Scheduled castes for their promotion from the post of Sub-Inspector to the post of Inspector and the number of persons promoted so far. If not, the reasons therefor?

Shri K.C. Pant : The procedure for the selection is this that the selection is made from the Sub-Inspectors of Selection Grade and who have completed six years' service. Here is the figures —Inspectors, Reserve Force—Actual Posts 39, but S.C. 8, 120 post of Sub-Inspectors out of 219 are reserved. Among the confirmed Sub-Inspectors of Selection Grade and have completed six years' service, the lists of the candidates of Scheduled Castes and others have been prepared separately. Those candidate of S.C. are included in the list who satisfied the minimum prescribed qualifications.

In this case, 210 candidates should have been considered but 109 candidates, who were in senior posts, were considered. So the selections would be made again after the formation of Selection Board.

Shri B. S. Bhaura : Police prepares the list, no criteria is the Committee takes those persons, whom it likes, no criteria is adopted for this purpose. I want to know that whether you would adopt any criteria for this. The previous selection has been now done away, whether they have not got your instructions before, if so, they have ignored these instructions, what action you have taken against them?

Shri K. C. Pant : There is no question of previous selection or later selection. The people who were selected at that time, the whole selection has been cancelled and now fresh selection would be done. Therefore, there is no question of any mistake.

Shri B.S. Bhaura : What action has been taken for this negligence.

Shri K. C. Pant : I don't say that what was done before. I have told you about the number, the Scheduled Castes were considered in that, but they were not taken this is the actual position. As now everything will be done afresh, therefore Scheduled Castes will get full chances.

श्री मोहम्मद खुदा बख्श : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उस सूची में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त किसी अन्य अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल अनुसूचित जातियों के बारे में है। इसमें से आप का प्रश्न नहीं उठता। आप एक पृथक प्रश्न कर सकते हैं।

श्री नानू भाई एम० पटेल : अनुसूचित जन जातियों के बारे में क्या बात है ? अनुसूचित जन-जातियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। केवल अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया गया है।

Mr. Speaker : Now it is being done afresh, therefore there is no matter of controversy—now about this which question is to be asked?

महाराष्ट्र में सीमेन्ट के कारखाने

***927. श्री जे० जी० कदम† / श्री शंकर राव सावंत :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के कितने कारखाने हैं तथा प्रत्येक की क्षमता क्या है ?

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कुछ और सीमेन्ट के कारखाने स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से अभ्यावेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो ये कारखाने कहां कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा इनकी क्षमता क्या होगी और केन्द्र सरकार का उसके अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रवण कुमार मुखर्जी) : (क) चांदा महाराष्ट्र में निजी क्षेत्र में सीमेंट का एक कारखाना है जिसकी वार्षिक क्षमता 4.0 लाख टन है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। किन्तु चांदा (महाराष्ट्र) में प्रतिवर्ष 6.0 लाख टन सीमेंन्ट बनाने की क्षमता का एक संयंत्र लगाने के लिये एक प्राइवेट पार्टी से 19-4-1973 को एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

श्री जे० जी० कदम : चूंकि महाराष्ट्र में चनाका में कच्ची सामग्री उपलब्ध है, इसलिये क्या सरकार वहां सरकारी क्षेत्र में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने की कृपा करेगी ?

श्री प्रवण कुमार मुखर्जी : इस समय महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री शंकर राव सावन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या किसी गैर-सरकारी पार्टी ने चनाका में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना करने के लिये प्रार्थना पत्र भेजा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : सामान्यतया विचाराधीन प्रार्थना पत्र के विवरण नहीं दिये जाते।

Shri Madhu Limaye : Whether the attention of the Minister has been drawn to this matter that Cement is being sold at 2½ times price of the controlled price and as there is no Cement factory in Maharashtra, therefore the price of Cement has gone up by three times. Whether the Minister is aware about this? If so, the appropriate steps proposed to be taken about the distribution and production of Cement?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस का सम्बन्ध वितरण से बिलकुल ही नहीं है। इस का संबंध तो महाराष्ट्र में कारखानों की संख्या से है।

Shri Madhu Limaye : If there are no factories, there will be no production and if there is no production, there would be difficulty in distribution.

Mr. Speaker : This relates to the setting up of new factories. This does not relate to distribution.

श्री धामनकर : क्या सहकारी क्षेत्र में एक सीमेंट कारखाना चालू करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री प्रवण कुमार मुखर्जी : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Complaint regarding Atrocities committed on Harijans of Tajpur in District Bharatpur (Rajasthan)

***928. Dr. Laxminarayan Pandeya † / Shri Hemendra Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received a complaint in regard to the atrocities committed on the Harijans of Tajpur in District Bharatpur (Rajasthan);

(b) whether they have also submitted a memoradum to his Ministry; and

(c) if so, the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

A letter dated 3rd April, 1973 and signed by S/Shri Hemendra Singh, Laxminarayan Pandeya and some other Members of Parliament was received by the Home Minister. It was stated therein that some harijan families in village Tajpur, Tehsil Ber, district Bharatpur had been cultivating lands during the last fourteen years and that some Gujjars of the village had been harassing the harijan cultivators with a view to displacing them from the village. It was also stated that the Gujjars concerned had beat up the harijan cultivators with lathis. Though the matter was reported to the local police, appropriate action was not taken. The letter was forwarded to the Government of Rajasthan requesting them to furnish factual information on the points raised therein.

2. Some harijans of the said village Tajpur met the Home Minister and also presented a memorandum dated 2nd April on the same subject, prepared on their behalf by the Bhartiya Harijan Sangh. The memorandum had been forwarded to the Government of Rajasthan for necessary action. The Home Minister advised the Harijans who met him to approach the Chief Minister, Rajasthan for necessaary redress. The Home Minister had also written to the Chief Minister Rajasthan about this matter requesting him to have the matter enquired into and initiate suitable action.

3. According to information received from the State Government, it would appear that there was litigation between some Harijans and a Gujjar over land measuring 28 bighas and the decision of the Court is at present in favour of the Gujjar concerned. Further information regarding law as well as all the relevant facts of the land dispute are being ascertained.

Dr. Laxminarain Pandeya : Home Minister has placed the statement, from which it is not known that what action has been taken by the State Government against the action of evacuation of Harijan taken. You have stated that the enquiry is being made about the legal technicalities of this case, but the main question is this that the astrocities committee against them on large scale, they are beaten up, the Police has not registered the case—what action has been taken against those persons, who have committed such atrocities. Whether any information has been received by the Government in this regard.

Shri Ram Niwas Mirdha : The information supplied by the State Government, the legal dispute mainly involved therein and the names of the persons connected with it—it has mentioned about this. But they have not stated many other facts so far. We are corresponding with them in this regard and the complete information regarding the full details contained in the application has been sent to them—so far we have not received the full reply from them.

Dr. Laxminarain Pandeya : The memorandum submitted to the Home Minister by some Members of Parliament, including myself and those farmers, against whom such incidents have occurred and atrocities committed on them have also submitted a memorandum. They had demanded that enquiry should be conducted forthwith and appropriate security should be provided to them. You say that full details have not been received from Rajasthan Government. I want to know whether you have issued instructions to the Rajasthan Government so that no such incident should occur to them in future and whether the case, which those people wanted to register, has been registered or not and what action has been taken regarding the giving of protection by Police.

Shri Ram Niwas Mirdha : It is a fact that a memorandum was given to the Home Minister and the Home Minister has himself written a letter to the Chief Minister in this regard and he has also asked the persons, who submitted the Memorandum to see the Chief Minister . He has written to the Chief Minister complete action is being taken in this regard.

Shri Ram Kanwar : In regard to this injustice done to the Harijans of Tajpur, the local Harijans accompanied by their wives and children continued lying in front of Vigyan Bhavan for two days where the Agriculture Minister was present on that day. They also went to the Prime

Minister with a memorandum. These Harijans were beaten up and turned out of their village. They were deprived of their lands. I want to know whether the Prime Minister paid any special attention to them.

Shri Ram Niwas Mirdha : The Home Minister had met them personally and listened to them quite patiently. He has written to the Chief Minister to make complete verification and state the factual position.

Shri Panna Lal Barupal : I want to know from the Minister whether the reactionary elements, which are still present in the country, are causing more harm to the Harijans from the day the Prime Minister gave the slogan of socialism and gave a call to stop injustice to the Harijans and asked the Chief Ministers of the States to allot land to the Harijans, settle them and slove their problems. I am forwarding through you 200—250 letters to him. Whether any officer will kindly be put on special duty for getting justice to the Harijans after conducting an enquiry in this regard?

Mr. Speaker : You have not put any question.

Shri Panna Lal Barupal : More and more atrocities have been committed on the Harijans. Since the day the Prime Minister made an appeal to the countrymen to do justice to the Harijans. They are being uprooted instead of being settled.

Mr. Speaker : Please sit down.

Shri Panna Lal Barupal : How can I sit . I should get a reply to my question.

Mr. Speaker : You please first sit down. If there is any question he (Minister) should reply it.

Shri Ram Niwas Mirdha : The honourable member has said that he writes to the Government about the cases as and when such cases come to his notice. It is correct that the honourable member has also sent to us the various letters received by him in this regard and special action is taken on each application. He has suggested that some special action should be taken by the Central Government to look into all their complaints. In this connection I may state that whatever action is taken it will be taken by the administration of the State Government. We write to the State Government about every case which come to our notice. Not only that but we lay to settle the case by establishing thorough contacts with the State Governments.

श्री के० एस० चावड़ा : भारत सरकार अनुसूचित जातियों की दशा सुधारने के लिये बनाई गई योजनाओं को गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित नहीं कर रही है। मैंने 1970 में मध्य प्रदेश में एक हरिजन लड़की को जिन्दा जलाये जाने के बारे में प्रश्न उठाया था और इस सम्बन्ध में जानकारी 1972 में दी गई। वर्तमान घटना के बारे में भी माननीय मंत्री ने अभी कहा है : Correspondence is being exchanged and he will tell us later on. So whether will he supply information to the House after making enquiries?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shanker Dixit) : It will not be proper if the honourable members derive such conclusions on the basis of the reply given by us that we are not considering the matter seriously. According to information received by us in this regard, the judgement of the court has gone against them and it will not be of any useful to give more information in this regard. *(interruption)*. According to information received by us they sold their land for rupees 8 thousands. Again the same land was sold second time for Rs. 8000/-. Then the matter was taken to the court of law and the judgement of the court was given in favour of those who were in occupation of the land. Accordingly the land was given to a 'goojer'. It does not transpire that injustice has been done to them deliberately. That is why we have asked for detailed information in this regard. It is therefore incorrect to lay that we are not considering the matter seriously. If we find any lethargy and impropriety on the part of Government we shall definitely interfere and also given to them the proposals in this regard.

श्री के० एस० चावड़ा : मंत्री जी उत्तर देने में टालमटोल कर रहे हैं। वक्तव्य में बताया गया है कि हरिजन काश्तकार गूजरों द्वारा पीटे गये हैं परन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत, मैं इस पर वाद-विवाद की अनुमति नहीं दूंगा।

Shri Phool Chand Verma : I want to know from the Minister about the Memorandum submitted to him by the M.Ps. on 3rd April. It is 2nd May today and full one month has elapsed. The Harijans are being expelled from the village. It is correct as you have stated that the decision of the court of law has gone against them. It is a separate thing but why the Harijans are being beaten and the Harijan women are being molested and turned out of the village. Not only that even Dr. Ambdedkar's statue in Bayana has also been broken....

Mr. Speaker : You keep yourself limited to the question and do not make speech.

Shri Phool Chand Verma : It is a separate thing that the decision of the court has gone against them but what action has he (Minister) taken during the entire month in regard to beating of the Harijans and their wives and their expulsion from the village. Why chief Minister has not given him any reply to his letter addressed in this regard? I want to know whether he (Minister) will write another letter to the Chief Minister asking him to take immediate and appropriate action in the case of the Harijans and what action he proposes to take in regard to breaking of statue of Dr. Ambedkar at Bayana.

Shri Uma Shanker Dixit : In this short time much progress has been made. The matter has also been discussed over telephone. A letter has also been written and chief Minister has also sent a reply thereto. He has supplied whatever information was available with him. Even then we have assured that if we find any laxity we shall take even further action. As regards the second question being asked by the Member we shall give reply after collecting information when he asks this question separately.

As regards the question what further action we were going to take it may be said that we have looked into all the letters received by us sympathetically. The Central Government will do every possible thing within its capacity for them.

मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में झारग्राम के आदिम जाति क्षेत्रों का आर्थिक विकास

*929. **श्री आर० एन० बर्मन**
श्री ए० के० एम० इसहाक } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिदनापुर जिला (पश्चिम बंगाल) में झारग्राम के आदिमजाति क्षेत्र देश में सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों में से है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

मिदनापुर जिले में झारग्राम क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा राज्य का पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है।

1973-74 की वार्षिक योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपये का विशेष आवंटन किया गया है। यह आबंटन क्षेत्रीय परिव्ययों, सामान्य योजना और विभिन्न विभागों के गैर-योजना

कार्यक्रमों के आवंटनों में पूर्ति करने के लिए है। राज्य विकास और आयोजना विभाग में केबिनट मंत्री के अधीन झारग्राम कार्य शाखा के नाम से एक एकांश की स्थापना भी की गई है। इस एकांश के अलावा, इस क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वियन कार्य का समन्वय करने के लिए झारग्राम विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों की केन्द्रीय स्कीमों के साथ साथ वित्तीय संस्थानों के रियायती धन तथा पिछड़े निर्धारित जिलों को उद्योगों द्वारा स्थायी पूंजी विनियोजन पर 10 प्रतिशत केन्द्रीय इमदाद से भी झारग्राम को लाभ पहुंचने की आशा है।

इसके अलावा पांचवीं योजना में शुरु किये जाने वाले न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम से भी इस क्षेत्र के विकास में सहायता मिलने की आशा है।

श्री आर० एन० बर्मन : जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि केन्द्रीय सहायता योजना झारग्राम में भी लागू की जा रही, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस योजना को पश्चिम बंगाल केअन्य पिछड़े क्षेत्रों में भी लागू करने का विचार रखती है यदि हां, तो वे कौन कौन से स्थान हैं।

श्री मोहन धारिया : झारग्राम में यह योजना पहले ही लागू की जा चुकी है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने रियायती तौर पर धन देने के लिये तथा 10 प्रतिशत सहायता के लिये इस क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया है।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या मैं यह जान सकता हूं कि केवल केन्द्रीय सहायता की घोषणा से इन क्षेत्रों में उद्योगपतियों को आकर्षित नहीं किया जा सकता और यदि यह सत्य है तो इन क्षेत्रों के विकास के लिये और किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

श्री मोहन धारिया : प्रश्न झारग्राम क्षेत्र से संबंधित है। राज्य सरकार ने एक झारखण्ड विकास बोर्ड की स्थापना की है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी एक कक्ष स्थापित किया गया है और इन क्षेत्रों का विकास करने के लिये इन एजेन्सियों की स्थापना की गई है।

श्री शक्ति कुमार सरकार : माननीय मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या वह पिछड़े क्षेत्रों के लिये सहायता तथा प्रोत्साहन को देखते हुए इन पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कोई केन्द्रीय योजनायें प्रायोजित करने का विचार रखते हैं ?

श्री मोहन धारिया : हमें इन सब समस्याओं के प्रति एक समुचित रवैया अपनाना होगा। जैसा कि हमने पांचवीं योजना के दृष्टिकोण प्रलेख में उल्लेख किया है कि इन क्षेत्रों को उचित राहत पहुंचाने के लिये अनेक उपाय करने का विचार है।

श्री समर गुह : क्या यह सत्य नहीं है कि लगभग 80 से 90 प्रतिशत आदिवासी लोगों के पास न तो भूमि है और न ही मकान ? आर्थिक विकास करने की दृष्टि से सर्व प्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पहले उन्हें कम से कम मकान दिलाने का आश्वासन देगी और तत्पश्चात् क्या उन्हें फालतू भूमि में से उन्हें कुछ भूमि उपलब्ध करेगी और यदि हां, तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने ऐसे कौन से उपाय किये हैं ?

श्री मोहन धारिया : केन्द्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी भूमिहीन व्यक्तियों को पहले रहने के लिये सरकारी खर्च पर मकान दिये जायेंगे। यह स्वभाविक है कि यह इस क्षेत्र में भी लागू होगा। दूसरे विषय के संबंध में मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पांचवी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में औद्योगिक कारखाने स्थापित करना :

*925. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में कई औद्योगिक कारखानों की स्थापना की सम्भावना है।

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों के नाम क्या हैं ? और

(ग) सरकारी क्षेत्र में इन कारखानों की स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : **(क) और (ख)**. पांचवी योजनावधि में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जाने वाले लघु तथा मझौले उद्योगों से सम्बन्धित कार्यक्रमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Harijan Youth Buried Alive in Sabalgarh Area of Morena District, Madhya Pradesh

*930. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item appearing at page 2 of 'Hindustan' dated the 10th April, 1973 to the effect that a Harijan youth was buried alive in Sabalgarh area of Morena District of Madhya Pradesh on the occasion of Holi as a result of which he died; and

(b) if so, the Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) & (b) : Government have seen the relevant news item which appeared in the "Hindustan" dated the 10th April, 1973. No incident as alleged in the news item is reported to have taken place in Sabalgarh area of Morena district. However, according to the information received from the Government of Madhya Pradesh, on March 17, 1973 a report was lodged at the police station Gaswani in Tehsil Vijayapur district Morena that one Shri Kashiram Jatav of village Dhondha, who had been keeping a watch on his field during the night on 16th/17th March, 1973, was found missing from his field. During the investigation, two persons who had been on inimical terms with the deceased confessed to have murdered Kashiram Jatav. The body of the deceased, which had been kept hidden under stones in the jungles, was recovered on the morning of 18h March. 1973. The police registered an offence U/S 302 I.P.C. and the accused persons were arrested. Investigations are in progress.

आकाशवाणी, दिल्ली के ग्रामीण सेक्शन तथा 'फ़ार्म होम' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कृषकों को आमंत्रण

*931. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के दौरान आकाशवाणी दिल्ली के ग्रामीण सैक्सेन तथा 'फार्म होम' के अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कितने कृषक आमंत्रित किए गए ;

(ख) हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आमंत्रित कृषकों की राज्यवार, संख्या क्या थी और भाग लेने वालों की विशेष योग्यताएं क्या थीं; और

(ग) दिल्ली केन्द्र के ग्रामीण कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 305 ।

(ख) (i) हरियाणा 104।

(ii) उत्तर प्रदेश 159 ।

(iii) दिल्ली 42।

कार्यक्रम में भाग लेने वालों में कृषि पंडितों के अतिरिक्त प्रगतिशील किसान तथा अन्य खेतिहार शामिल होते हैं। किसानों के लिये एकमात्र अर्हता यह है कि वे वास्तविक खेतिहर होने चाहिएं।

(ग) कार्यक्रमों की पहले ही बड़े पैमाने पर प्रशंसा की जाती है, परन्तु कार्यक्रमों में अधिकाधिक किसानों को लेकर और इनको अधिक खेती आधारित बनाकर इनके स्तर को और सुधारने का सदा प्रयत्न किया जाता है।

पुरी के शंकराचार्य द्वारा जाति प्रथा का कथित प्रचार

*932. **श्री एम० कतामुतु**
श्री मधु दण्डवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरी के जगतगुरु शंकराचार्य जात-पात व्यवस्था का, जिसमें वर्ग भेद और अन्याय निहित है, खुले आम प्रचार कर रहे हैं;

(ख) क्या उनके द्वारा किये जाने वाले जात-पात व्यवस्था के खुले आम प्रचार का जनता के एक बड़े वर्ग द्वारा विरोध किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो जात-पात व्यवस्था पर आधारित जाति तथा सामाजिक भेदभाव के प्रचार को निरुत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बताया जाता है कि पुरी के शंकराचार्य ने 18 मार्च, 1973 को कोल्हापुर में 'चतुर्वर्ण' एक पक्ष में भाषण दिया था।

(ख) चतुर्वर्ण की वकालत करने के लिए शंकराचार्य के विरुद्ध कोल्हापुर में एक प्रतिरोधात्मक प्रदर्शन हुआ था।

(ग) महाराष्ट्र सरकार शंकराचार्य के भाषण पर यह निर्णय करने के लिए विचार कर रही है कि इसमें क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा विविध उपबंध विधेयक, 1972 में एक विशिष्ट उपबन्ध बनाने का विचार है जिसमें ऐतिहासिक, दार्शनिक अथवा धार्मिक आधार पर अस्पृश्यता की प्रथा को न्यायसंगत करना एक अपराध होगा। विधेयक संयुक्त समिति के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के एक दल द्वारा स्कूल स्तर तक अनिवार्य विज्ञान शिक्षा की सिफारिश

*933. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक समिति के एक दल ने सिफारिश की है कि विज्ञान शिक्षा स्कूल स्तर तक अनिवार्य बना दी जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां तो राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति द्वारा की गई दूसरी सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां।

(ख) शिक्षा को अधिकाधिक छात्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने तथा उसे प्रयोजनीय बनाने के उद्देश्य से वर्तमान संस्थाओं और कार्यक्रमों में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लक्ष्य से शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी दल ने कई सिफारिशें की हैं जिनमें सम्मिलित सिफारिशें हैं; क्षेत्रीय साधन विनियोग सुविधाएं, परीक्षण तथा विश्लेषण की सुविधाओं का विकास, प्रलेख-पोषण से सम्पन्न क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुस्तकालयों की स्थापना, विश्व-विद्यालय तथा भारत के प्रौद्योगिकी संस्थानों, के मुल अनुसंधान के लिए निधि प्रदान करने हेतु एक उत्तम प्रणाली का विकास करना, इत्यादि। विज्ञान और प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति इन सिफारिशों पर, इससे पहले कि सरकार इन पर कोई निश्चय ले, विचार करेगी।

निर्धनता स्तर से नीचे के लोगों को भूमि सुधार कार्यक्रम से लाभ

*934. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता-स्तर से नीचे के लोगों को भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी पुनरीक्षित कानूनों तथा भूमि सुधारों से सम्बन्धित अन्य उपायों से कितना लाभ होगा;

(ख) क्या यह बात सरकार को विदित है कि भूमि में निहित स्वार्थ रखने वाले व्यक्ति भूमि सुधार सम्बन्धी उपायों को विफल करने और उसमें रुकावट डालने के लिये संगठित प्रयास कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों द्वारा रुकावट डालने के ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए निर्धन ग्रामीणों का सक्रिया सहयोग प्राप्त करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) कृषि जोतों की अधिकतम सीमा सम्बन्धी राष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कुछ राज्यों ने हाल ही में उच्चतम सीमा कानूनों में संशोधन किया है और अन्य राज्यों में इन कानूनों में संशोधन किया जा रहा है अत: अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की पंक्ति से निचले स्तर पर रह रहे हैं उन्हें भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण सम्बन्धी कानूनों तथा भूमि सुधार से सम्बन्धित अन्य उपायों से कितना लाभ होगा।

(ख) जी, हां।

(ग) जुलाई 1972 में सम्पन्न, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के निष्कर्षों पर आधारित राष्ट्रीय मार्गदर्शक सिद्धान्तों में भूमि सुधारों के कारगर कार्यान्वयन के लिए समुचित स्तरों पर गैर सरकारी संगठनों के गठन की परिकल्पना की गई है। सभी राज्य सरकारों को तदनुसार सलाह दी गई है।

Grant of Pension to Freedom Fighters of Almora and Nainital of U.P.

***935. Shrimati Savitri Shyam :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of applications received from the freedom fighters from Almora and Nanital Districts of Uttar Pradesh for the grant of pension;

(b) the number out of them which are under consideration and the number of applications rejected; and

(c) the time by which all the applications are likely to be finalised?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shanker Dikshit) : (a) & (b) : The information is given in the statement laid on the table of the House.

(c) Efforts are being made to complete examination of all the applications received up-to 31-3-1973 by 14-8-1973, that is during the Jayanti Year and pension sanctioned in as many cases as are found eligible.

Statement

District	Received (upto 28-4-73)	Sanctioned	Rejected	Under Considera-tion (Awaiting clarifi-cation from applicants/ State Govt.)	Pending (to be ex-amined)
Almora	528	196	64	70	198
Nainital	561	239	51	143	128

मंत्रालय और विभागों के नामों के लिए रोमन लिपि में हिन्दी समानकों का प्रयोग

*936. **श्री सेझियान**
श्री पी० ए० सामिनाथन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालय और विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मंत्रालयों और विभागों के नामों के लिए रोमन लिपि में हिन्दी समानकों के प्रयोग के बारे में आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रोमन लिपि में हिन्दी समानकों के उपयोग के बारे में कोई आपत्ति उठाई गई थी?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियमावली, 1961 का 89वां संशोधन, जिसमें नियमा-

वली की प्रथम अनुसूची को प्रतिस्थापित किया, 17 जून, 1971 को अधिसूचित किया गया। इसमें मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के अंग्रेजी नामों के साथ-साथ कोष्ठों में रोमन लिपि में उनके हिन्दी समानकों का वर्णन था। इस प्रकार विदेश मंत्रालय का वर्णन इस प्रकार किया गया था :—

Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya)

तदनुसार पत्र शीर्षों पर मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के नामों के वर्णन के लिए विद्यमान अनुदेशों में 1 फरवरी, 1973 को किंचित परिवर्तन किया गया ताकि भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की प्रथम अनुसूची में दिये गए वर्णन सदृश्य हो सके। संक्षेप में अनुदेशों का आशय यह है कि पत्र शीर्षों में मंत्रालयों विभागों के हिन्दी नाम पहले दिये जायेंगे और उसके बाद उनके अंग्रेजी समानक और उनके साथ कोष्ठ में रोमन लिपि में हिन्दी रूपान्तर। इस प्रकार विदेश मंत्रालय का पत्र शीर्ष इस प्रकार मुद्रित किये जायेंगे:—

विदेश मंत्रालय

Ministry of External Affairs
(Videsh Mantralaya)

1 फरवरी, 1973 को उपरोक्त अनुदेशों के लिए कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

पंजाब पाकिस्तान सीमा पर तस्करों और गुप्तचरों की सक्रिय होना

*937. **श्री वरके जार्ज**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब-पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय तस्करों और गुप्तचरों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जासूसी तथा तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त समझे जाने वाले तथा सन्दिग्ध सभी व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड विधान तथा कानून के निरोधात्मक उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

बड़े औद्योगिक गृहों के आधीन उद्योगों के विस्तार संबंधी नीति

*938. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े औद्योगिक ग्रहों के नियंत्रण में उद्योगों के विस्तार की अनुमति देने के बारे में एक नई नीति सीमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कारण क्या हैं, और

(ग) बड़े औद्योगिक ग्रहों के प्रति यह क्या दृष्टिकोण अपनाने के क्या कारण है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) 2 फरवरी 1973 को जो जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति जिसमें सरकार की औद्योगिक नीतियों के रूप में सरकार के निर्माण का स्पष्टीकरण दिया गया था, मैं औद्योगिक विकास में बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा भाग लेने के संबंध में सरकारी नीति की स्थापना की गई है। प्रैस विज्ञप्ति की प्रतियां 21-2-1973 को उत्तर दिए गये अतारांकित प्रश्न सं० 281 के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गई है।

नमक उद्योग संघ, फलौदी से ज्ञापन

*939. **श्रीमती कृष्णा कुमारी (जोधपुर) :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में नमक उद्योग संघ, फलौदी से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में किन मुख्य मांगों का उल्लेख है;

(ग) क्या उन पर इस बीच निर्णय लिया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) नमक उद्योग संघ, फलौदी ने 14 मार्च, 1973 को छपा हुआ ज्ञापन महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे नई दिल्ली को दिया था।

ज्ञापन में दी गई मुख्य माँगें निम्न प्रकार हैं:—

(1) नियत कोटे के आधार पर प्रतिदिन 50 वैगनों की प्रत्याभूत आरंटीकृत आपूर्ति को स्वीकृति दी जाये और प्राथमिकता एवं ओ० डी० आर०के अनुसार आपूर्ति की कोई प्रणाली बनाई जाये।

(2) फलौदी को कोलातनी से मिलाने वाली रेल-लाइन परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित किया जाये।

(3) बीकानेर डिविजन के स्टेशनों से नमक लादने पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया जाये।

महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे ने नमक उद्योग संघ, फलौदी को उत्तर दिया है कि फलौदी पर 1971-72 की अवधि में नमक लदान के मुकाबले में नमक के लदान की स्थिति वर्ष 1972-73 में सुधार हुआ था। रेलवे को होने वाली कठिनाइयों के बारे में भी संघ को सूचित कर दिया और इसके फलस्वरूप प्रयत्नों के बावजूद भी लदान की स्थिति में सुधार करना संभव नहीं।

फलौदी को कोलातनी से रेल द्वारा मिलाये जाने के प्रस्ताव को रेलवे ने उचित नहीं बताया।

बीकानर डिवीजन में स्टेशनों से नमक पर लादने पर लगाये गये प्रतिबंध को हटाने के बारे में रेलवे ने नमक उद्योग संघ को बताया है कि स्थानीय उत्पादन कर्ता भी माल बेच सकें इस विचार से नमक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के लिए नमक का लदान सीमित कर दिया

था। फिर भी अन्य उद्योगों को भो रेल परिवहन को सुविधा उपलब्ध करने के विचार से यह निर्णय किया गया कि नमक उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से नमक लाने ले जाने को सीमित कर दिया जाये।

विदेशी सहयोग में कमियां

*940. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**
श्री पी० गंगादेव } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी सहयोग में कुछ कमियों के बारे में केन्द्रीय सरकार को अवगत कराया गया है।

(ख) यदि हां, तो कौन सी कमियाँ बतायी गई हैं; और

(ग) भविष्य में इन कमियों को न होने देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री० सी० सुब्रहमण्यम) : (क) विदेशी निवेश और टैक्नोलाजी के बारे में सरकार की नीति चयनात्मक रही है उन्हीं वस्तुओं की टेक्नालाजी और जानकारी का आयात किया जा सकता है जिनकी स्वदेशी क्षमता का देश में पर्याप्त रूप में विकास न हुआ हो।

इस नीति का अनुरूप देशी संसाधनों जैसे कच्चा माल, मशीनें और उपकरण तथा टैक्नालोजी का पूर्णतम प्रयोग करते हुए तथा दुर्लभ विदेशी मुद्रा की अभिरक्षा करते हुए एवं निर्यात की आवश्यकता को प्रोत्साहित करते हुए विदेशी निवेश और सहयोग की प्रथमतः उच्च प्राथमिकता वाले और विशिष्ट तकनीक क्षेत्र में अनुमति की जाती है ताकि देशी क्षमता को प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में आवश्यक सीमा तक विकसित किया जा सके। हाल ही में वैज्ञानिकों और टैक्नालाजिस्टों को एक समिति की इस नीति की समीक्षा करने और अपनी सिफारिशें, सरकार को देने के बारे में नियुक्ति हुई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी पेश की है जिसका अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली के एक होटल से एक रूसी पर्यटक के गायब हो जाने के संबंध में जांच

8740. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या 30 मार्च 1973 को राजधानी में एक होटल से एक रूसी पर्यटक के गायब हो जाने के बारे में कोई जांच की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जांच से पता लगा कि रूसी नागरिक 31 मार्च, 1973 को प्रातः 5 बजकर 51 मिनट पर पान अमेरिकन फ्लाइट नं० 001 से दिल्ली से चला गया था।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने हेतु राशि

8741. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने या छात्रावासों की वर्तमान क्षमता में विस्तार करने के लिए वर्ष 1973-74 के दौरान राज्य सरकारों को अलग-अलग कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : 1973-74 वर्ष के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित आदिम जाति की छात्राओं के लिए छात्रावास की योजना के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित की गई राशि 41.53 लाख रुपये है (अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिये 17.85 लाख रुपये और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 23.68 लाख रुपये)।

आदिमजातीय विकास खंडों के लिए राज्यों को सहायता

8742. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिम जातीय विकास खण्ड कार्यक्रम योजनाओं के लिये राज्यों को राज्यवार कितनी-कितनी सहायता दी गई ;

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में आदिम जातीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए क्या विशेष उपाय करने का विचार है।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) एक विवरण संलग्न है [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 4933/73]।

(ख) राज्य स्तर पर आदिम जातीय विकास खण्डों तथा अन्य कार्यक्रमों की, विशेषरूप से आदिमजाति अनुसंधान संस्थाओं द्वारा मल्यांकन करने की प्रणाली है।

महा निदेशक (पिछड़े वर्ग कल्याण) के संगठन ने विभिन्न राज्यों में कछ आदिम जातीय विकास खण्डों के कुछ सर्वेक्षण अध्ययन किये हैं उसकी मुख्य बातें इस प्रकार हः–

(i) सामुदायिक विकास व्यवस्था समेत निर्धारित धनराशि पूर्णरूप से उपयोग नहीं की गई है।

(ii) कुछ क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन धीमा है और जिसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(iii) सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त सारे देश में आदिम जातीय विकास का समान्य पुनरीक्षण भी करते हैं। 1969-70 वर्ष के लिये अन्तिम रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संसदीय समिति ने भी विभिन्न राज्यों में आदिम जातीय विकास खण्डों की जांच हाथ में ली है। अब तक समिति ने गुजरात पर

एक रिपोर्ट (पांचवी लोक सभा की 11वीं रिपोर्ट) प्रस्तुत की है: समिति ने मध्य प्रदेश के आदिम जातीय विकास खण्डों की जांच भी पूरी कर ली है ओर उनकी रिपोर्ट अभी आनी है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में आदिम जातीय विकास के लिए एक नई नीति पर विचार किया गया है जिसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक आदिम जाति जनसंख्या वाले आदिम जातीय क्षेत्रों के लिए स्वीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है। पृथक आदिम जातीय वर्गों औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं द्वारा प्रभावित जनजातियों तथा स्थान परिवर्ती कृषकों के लिए विशेष ध्यान देने का भी प्रस्ताव है। मूल्यांकित अध्ययनों के परिणामों का कार्यक्रम बनाने में ध्यान रखा जाता है।

कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिल्पियों को सहायता

8743. श्री के० मालन्ना : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुटीर उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिल्पियों को कितनी सहायता दी गई;

(ख) प्रत्येक राज्य में लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है;

(ग) प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने या सहकारी संस्थाएं बनाने के किए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है; और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) उक्त योजनाओं में सुधार करने और उनको गहन बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ङ) सूचना इकटठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड तीन के अधिकारी

8744. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्र संचालन प्रभाग) में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड तीन के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो उक्त सेवा के प्रारम्भ होने के समय से लगातार वही काम कर रहे हैं; और

(ख) उस संगठन में उनकी लगातार सेवा के तथा उन्हें सांख्यिकीय विभाग के अन्य कार्यालयों/संगठनों/शाखाओं में बारी-बारी से न भेजने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड III का ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है जो कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग में उक्त सेवा के प्रारंभ होने के समय से ही उस हैसियत में लगातार वही कार्य करता रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में मकान कर की दर

8745. श्री के० सूर्यनारायण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत वर्ष यह निर्णय दिया था कि दिल्ली नगर निगम द्वारा रिहायशी मकानों पर लगाए जाने वाले कर की राशि मकान की पूंजीगत लागत के साढ़े सात प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ख) क्या उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद, दिल्ली नगर निगम अपने नियमों के अनुसार मकान कर ले रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) दीवान दौलत राम कपूर बनाम दिल्ली नगर निगम के मुकदमें में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 नवम्बर, 1972 को निम्नलिखित निर्णय दिया था :—

(1) किराये के मकानों के मामले में यदि नियंत्रक द्वारा किराया निर्धारित किया गया है अथवा दिल्ली किराया अधिनियम, 1958 के अधीन वैधानिक रूप से तय किया गया है तो वार्षिक मूल्य मानक किराये से अधिक नहीं होना चाहिये और अन्य मामलों में जहां मानक किराया तय नहीं किया गया है, वार्षिक मूल्य स्वीकृत किराये से अधिक नहीं होना चाहिए जब तक कि स्वीकृत किराये को धोखेबाजी, संठगांठ, आपातकाल, रिश्तेदारी और ऐसी अन्य बात से दूषित नहीं किया जाता है।

(2) ऐसे मकानों के मामले में जो मूल्यांकन के वर्ष में किराये पर न दिये गये बल्कि इससे पहले किसी समय किराये दिये गये हों, वार्षिक मूल्य मानक किराये से अधिक नहीं होना चाहिए यदि नियंत्रक द्वारा पहले निर्धारित किया गया हो अथवा दिल्ली किराया अधिनियम के अधीन वैधानिक रूप से तय किया गया हो और ऐसे निर्धारण अथवा तय के अभाव में वार्षिक मूल्य पहले वर्षों में स्वीकृत किराये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) ऐसे मकानों के मामलों में जिन्हें कभी किराये पर नहीं दिया गया है अथवा ऐसे मकान जिनका वार्षिक मूल्य पहली बार निर्धारित किया जा रहा है, वार्षिक मूल्य दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 6(1)(ए) (बी) अथवा धारा 6(1) (बी) (2) (बी), जो भी हो, के उपबन्धों के अनुसार तय की गई धन राशि से अधिक नहीं होना चाहिए यदि यह दिल्ली किराया अधिनियम की धारा (9) की उपधारा (4) में निहित सिद्धान्तों पर उस समय इस प्रकार निश्चित नहीं है।

निर्णय का सम्बन्ध भवनों के वार्षिक मूल्य (कर-योग्य मूल्य) से है, जिस पर मकान कर का हिसाब लगाया जाता है न कि ऐसे मकान कर से। सभी भवनों के कर-योग्य मूल्य उपरोक्त निर्णय के अनुसार तय किये जा रहे हैं। जहां तक उपरोक्त निर्णय का स्वयं अधिकृत रिहायशी भवनों के कर-योग्य मूल्य के निर्धारण का सम्बन्ध है, दिल्ली नगर निगम ने सर्वोच्च

न्यायालय में एक अपील दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपील का प्रमाण पत्र पहले ही दे दिया है।

डाक तार के अधिकारियों के लिए लगाए गए टेलीफोनों पर एस० टी० डी० की सुविधा पर रोक

8746. **श्री के० सूर्यनारायण : क्या संचार** मंत्री डाक-तार कर्मचारियों द्वारा एस० टी० डी० के कथित दुरुपयोग के बारे में 4 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6055 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5 अक्टूबर, 1972 में ये आदेश हैं कि 1800 रुपये प्रति मास वेतन पाने वाले अधिकारियों के कार्यालयों में लगे टेलीफोन पर भी एस० टी० डी० सुविधा समाप्त की जाये,

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा डाक-तार विभाग के समान पद पर काम कर रहे अधिकारियों के मामले में इन आदेशों का पालन किन आधारों पर नहीं किया जा रहा है और विशेष कर उस स्थिति में जबकि उनको ट्रंक काल करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं और उन कालों के लिए भुगतान न करके उन्हें विभागीय माना जाता है और केवल लेखा पुस्तकों में उनका समायोजन कर दिया जाता है, और

(ग) डाक तथा तार विभाग में विभिन्न स्तरों के राजपत्रित अधिकारियों के रिहायशी टेलीफोनों के बारे में एस० टी० डी० सुविधा समाप्त करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं जैसा कि वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन, जिसका हवाला उक्त (क) भाग में दिया गया है, में कहा गया है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां :

(ख) इस मामले पर डाक-तार बोर्ड वित्त मंत्रालय से परामर्श करके विचार कर रहा है।

(ग) रिहायशी टेलीफोन कनेक्शनों से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा पर रोक उस स्थिति में लगाई जाती है जब संबंधित अधिकारियों से इस आशय का आवेदन पत्र प्राप्त होता है। रिहायशी सर्विस टेलीफोनों से की जाने वाली कालों पर पाबंदी लगाने के बारे में वित्त मंत्रालय ने जो निदेश दिए हैं, डाक-तार विभाग में उनका पालन किया जा रहा है।

मंत्रालयों में भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों की एक मंत्रालय में काम करने की निर्धारित अवधि

8747. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संख्यिकी सेवा के ग्रेड तीन अथवा ग्रेड चार के अधिकारियों की किसी विभाग अथवा मंत्रालय में काम करने की अवधि निर्धारित की गई है, और यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। ;

(ख) योजना आयोग तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में काम करने वाले ग्रेड तीन अथवा ग्रेड चार के अधिकारियों की संख्या कितनी है जो उक्त सेवा प्रारम्भ होने से लेकर लगातार वहां काम कर रहे हैं; और

(ग) वर्तमान मंत्रालयों/विभागों में उनके लगातार काम करते रहने के क्या कारण हैं।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी नहीं, श्रीमान्। किसी मंत्रालय या विभाग में भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग पदों पर कार्य करने के लिए कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। संवर्गबाह्य पदों के लिए 3 वर्ष का सामान्य कार्यकाल निर्धारित किया गया है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय के ग्रेड तीन के चार अधिकारी तथा योजना आयोग का ग्रेड तीन का एक अधिकारी सेवा प्रारम्भ होने से लेकर तत्सम्बन्धी संगठनों में कार्य कर रहे हैं। ग्रेड चार के किसी अधिकारी ने सेवा प्रारम्भ होने से लेकर एक ही मंत्रालय/विभाग में लगातार सेवा नहीं की है।

(ग) इन अधिकारियों को उन्हीं संस्थानों में बने रहने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि ग्रेड चार से ग्रेड तीन में उनकी पदोन्नति के समय इन संगठनों में ग्रेड तीन के पदों में रिक्तियां उपलब्ध थीं। ऐसे अधिकारियों जिन्होंने एक ही संस्थान में तीन वर्ष से अधिक सेवा कर ली है, उन्हें भारतीय सांख्यिकीय सेवा में सम्मिलित अन्य संगठनों में बारी-बारी से लगाये जाने के प्रयत्न किए जाते हैं।

Application of Third Pay Commission's Recommendations to Employees of KVIC

8748. Shri Hiralal Doda : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the report of the Third Pay Commission would be made applicable to the employees working in the Khadi and Village Industries Commission and in all the Khadi Bhavans under the Khadi Commission after the recommendations contained in this report are accepted by Government; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) The application of the recommendations of the Third Pay Commission to the employees working in the Khadi and Village Industries Commission and in all the Khadi Bhavans under the Khadi Commission may be considered by the Commission/Government after the recommendations contained in this report are accepted by Government.

(b) Does not arise.

Pashmina Scandal in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

8749. Shri Hiralal Doda : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government and Khadi and Village Industries Commission have received complaint in regard to Pashmina scandal in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi involving an amount of about rupees 4 thousand; and

(b) if so, when the complaint was received and the action taken so far or proposed to be taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b). The complaint is under investigation of the Khadi and Village Industries Commission.

Declaration of Trading Employees of K.V.I.C. as regular Employees

8750. Shri Hiralal Doda : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Khadi and Village Industries Commission is going to declare all its trading employees as regular employees of the Commission; and

(b) if so, the date from which the grades and all other facilities of the said Commission would be made available to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Training in Hindi Typewriting and Stenography in the Department of Space

8751. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Space** be pleased to state :

(a) the number of persons in the Department of Space who have received or are receiving training under Hindi Teaching Scheme and Hindi Typewriting/Stenography Training Scheme; and

(b) the programme chalked out for imparting training in Hindi to all the employees as per policy of the Government?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Out of forty-eight officers and staff in the Department of Space the number of officers and staff who already have some qualification in Hindi including training under the scheme is forty-one. One Typist has been trained in Hindi Typewriting. A programme for training the remaining persons including training in Hindi Typewriting and Stenography is being drawn up.

Cement Factory in Neemuch

8753. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4142 on the 2nd March, 1972 and state :

(a) whether the question of setting up a cement factory at Neemuch in Madhya Pradesh has since been considered;

(b) if so, the time by which the work of setting up the factory is likely to be taken up; and

(c) the anticipated annual production of the factory?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Mukherjee) : (a) and (b). The proposal is likely to be considered at the next meeting of the Public Investment Board. Thereafter, a final decision would be taken.

(c) The anticipated annual production at this factory will be of the order of 3·40 lakh tonnes.

दिल्ली में नई टेलीफोन डायरेक्टरी न मिलने के कारण टेलीफोन प्रयोक्ताओं को कठिनाइयां

8754. डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी के वर्तमान संस्करण के प्रकाशन के बाद जोड़े गए अथवा बदले गए टेलीफोन नम्बरों की प्रतिशतता क्या है, और

(ख) क्या नई डायरेक्टरी के जारी करने में विलम्ब होने से टेलीफोन प्रयोक्ताओं को हो रही कठिनाइयों से सरकार अवगत है और वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 में (आज तक) दिल्ली में केवल नए नम्बर जानने के लिए प्रयोक्ताओं द्वारा कितने टेलीफोन प्रतिमास किए गए तथा उनसे जनता को कितनी हानि हुई ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Directions by Central Government for Industrialisation of Tribal Areas of M.P.

8755. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state whether any directions have been issued by the Central Government to the Government of Madhya Pradesh for making special efforts for the industrialisation of tribal areas in the State of Madhya Pradesh; if so, what?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Zia ur Rahman Ansari) : While no special programme exclusively for the industrial development of Tribal areas has been chalked out, the Government, with a view to removing regional imbalances, have formulated certain subsidy and incentive schemes. The respective State Governments/Union Territory Administrations including the Mahdya Pradesh Government, have been advised to take energetic steps towards the development of backward areas in their States with the assistance of these schemes.

Provision of Telephones in Villages of East Nimar District of Madhya Pradesh

8756. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the percentage of villages in East Nimar District of Madhya Pradesh which have been provided with telephone facility and their position as compared to State-wise and District-wise figures in this regard;

(b) the percentage of population in Madhya Pradesh to whom telephone facility is not available and its position in comparsion with All India and State-wise figures; and

(c) the percentage of villages where telephone facilities have been provided during Fourth Five Year Plan?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The percentage of villages in East Nimar District of Madhya Pradesh which have been provided with Telephone facility is 0·5546. The corresponding percentage for the State (Madhya Pradesh) is 0·2642. District-wise figures are given in Annexure I. (Placed in Library See No. LT 4934/73).

(b) The information is not available in the form asked for. However the number of Telephones existing in each State per 1000 persons as on 1-4-72 is given in Annexure II.

(c) The percentage of villages in Madhya Pradesh where Telephone facility has been provided in the first 4 years of the Fourth Five Year Plan works out to 0·1422.

Construction of quarters for Employees of NEPA Mills

8757. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of employees working in Nepa Hill (Madhya Pradesh);

(b) the total number of quarters constructed for them; and

(c) the steps being taken to allot quarters to all the employees/labourers working there?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee):

(a) 2103.

(b) 1550.

(c) The quarters are being constructed on a phased basis. Sanction for construction of another 200 quarters in phase II has already been accorded. Construction of more quarters in phase III programme is contemplated.

Central Industrial Establishments in Indore (M.P.)

8758. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the number of Central industrial establishments in Indore Division in Madhya Pradesh?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : There is one Central Industrial Establishments viz. Cement Factory at Mandsaur, in Indore Division of Madhya Pradesh.

Population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Madhya Pradesh

8759. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Madhya Pradesh at present, District wise; and

(b) the percentage thereof to the total population of Madhya Pradesh and to that of East-Nimar district, separately?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The district-wise population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Madhya Pradesh according to the 1971 Census is given in the statement enclosed. (Placed in Library. See No. LT 4935/73).

(b) The percentages of Scheduled Caste and Scheduled Tribe population to total population as per 1971 Census in Mahdya Pradesh and East Nimar district are given below :

	Percentage to total Population	
	S.C.	S.T.
Madhya Pradesh	13·9	20·14
Khandwa (E. Nimar)	9·12	7·53

भावनगर, गुजरात के भवन में विस्फोटों के बारे म जांच प्रतिवदन

8760. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा विस्फोटक सामग्री के मुख्य निरीक्षक, नागपुर की सेवाएं प्राप्त की गई थीं और 24 मार्च, 1973 को भावनगर के भवन में हुए दो विस्फोटों जिसमें दो व्यक्ति मारे गए थे और कुछ अन्य घायल हो गए थे, के कारणों की जांच कराई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : जी हां, श्रीमान्। विस्फोटक नियंत्रक पश्चिम क्षेत्र, बम्बई ने 26 मार्च, 1973 को घटनास्थल का दौरा किया और उसी दिन रसायन विश्लेषक, जूनागढ़ को नमूने भेज दिए थे।

(ख) उनसे अभी विस्तृत रिपोर्ट आनी है।

महात्मा गाँधी की जीवनी पर आधारित फिल्म में महात्मा गाँधी का अभिनय करने लिए कलाकार की भारत में खोज ।

8761. श्री एस० एस० शिवस्वामी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन के श्री रिचर्ड एटनबरा द्वारा निर्देशित महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित नई फिल्म में महात्मा गांधी का अभिनय करने के लिए कलाकार की हाल ही में भारत में खोज की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए निर्देशक को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सरकार को इस मामले के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

(ख) सरकार से अभी तक इस सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं मांगी गई है।

Some big Newspapers to Supply Information regarding their Financial Position and Working System

8762. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether some big newspapers are not in a positon to supply to Government sufficient information in regard to their financial position and working system; and

(b) if so, the names of such newspapers and the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sihna): (a) & (b). A Fact Finding Committee to enquire into the economics of the newspaper industry was appointed by the Government in April 1972. The Committee issued a detailed questionnaire to all daily newspapers in September 1972. In spite of repeated reminders, only 26 out of 49 big newspapers have so far sent replies to the questionnaire. The Committee has been vested with powers under the Commissions of Inquiry Act, 1952 to enable it to obtain the required information and data from defaulting newspapers.

A statement giving the names of the newspapers is attached.

STATEMENT

List of Dailies with Circulation above 50,000 from which replies to Questionnaire have not been received

(Position as on 26-4-1973)

1. Lokasatta	Marathi	Bombay
2. Hindustan	Hindi	New Delhi
3. Hindustan Times	English	New Delhi.
4. Daily Thanthi	Tamil	Madras
5. Statesman	English	Calcutta
6. Kerala Kaumudi	Malayalam	Trivandrum
7. *Dinamani	Tamil	Madurai
8. Indian Express	English	Bombay
9. Sandesh	Gujarati	Ahmedabad
10. Sakal	Marathi	Poona
11. Bombay Samachar	Gujarati	Bombay
12. Gujarat Samachar	Gujarati	Ahmedabad
13. Indian Express	English	New Delhi
14. Andhra Prabha	Telugu	Vijayawada
15. *Indian Express	English	Madurai
16. *Indian Express	English	Vijayawada
17. *Indian Express	English	Bangalore
18. Navakal	Marathi	Bombay
19. *Dinamani	Tamil	Madras
20. Kannada Prabha	Kannada	Bangalore
21. Daily Thanthi	Tamil	Tiruchirapalli
22. Jana Satta	Gujarati	Ahmedabad
23. Maratha	Marathi	Bombay

*Replies have been received in respect of the 4 Southern Indian Editions (Madras, Madurai, Vijayawada and Bangalore) of the *Indian Express* in respect of one year only ending April 1971; the replies are also combined figures for all the 4 editions together. Similarly, combined figures in respect of 2 editions (Madras and Madurai) of *Dinamani* (Tamil Daily) have been received in respect of one year only ending April 1971. Director of Indian Express (Madurai) Pvt. Ltd. has been requested to furnish separate figures for each edition of the Indian Express and Dinamani for all the five years and estimates for 3 more years as required by the Committee.

कुल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि की दर

8763. **श्री दिनेश सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि की दर क्या रही;

(ख) क्या गत वर्षों को तुलना में यह सूचना देने में विलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Increase in Price of Coca Cola and Limca by Manufacturers

8764. **Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of Industrial Development and Science and Technology be pleased to state :**

(a) whether the manufacturers have increased the price by 5 paise per bottle of Coca Cola and Limca which used to sell earlier for 50 paise and 55 paise per bottle respectively;

(b) whether the said increase has been made with the approval of Government; and

(c) if so, the considerations which guided Government to give this decision?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) It is understood that the selling price of Coca Cola and Limca has recently been increased.

(b) 'Soft drinks' are not covered under the Essential Commodities Act. Therefore Government's approval is not required for increasing their price.

(c) Does not arise.

Prosecution of Workers of Union of Bihar Rajya Khadi Gramodyog Sangh

8765. **Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Industrial Development and Science and Technology be pleased to state :**

(a) whether the authorities are prosecuting 200 workers of the Union of Bihar Rajya Khadi Gramodyog Sangh who had gone on strike by the end of last year in support of their demands;

(b) whether atrocities were alleged to have been committed on these workers; and

(c) if so, the action taken so far by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भर्ती नीति के विरुद्ध टेलीविजन स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा प्रदर्शन

8766. **श्री राम रतन शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन के स्टाफ आर्टिस्टों ने टेलीविजन में स्टाफ आर्टिस्टों की भर्ती संबंधी नीति के विरुद्ध अभी हाल में प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उनकी मांग पदोन्नति के और अच्छे अवसरों के बारे में थी, उन्होंने मांग की थी कि प्रोड्यूसर (ग्रेड-2) के पद पर विभागीय पदोन्नति के लिए कोटा निर्धारित किया जाए। इस मांग पर इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है।

बंगला देश पर स्मृति टिकट जारी करना

8767. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बंगला देश पर उस राष्ट्र के जन्म की स्मृति में, विशेष डाक टिकट जारी की थी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : बंगला देश के नए संसद के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल, 1973 को एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था।

हाट गैस से बिजली का उत्पादन

8768. **श्री पी० गंगादेव**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे बिजलीघर का डिजायन तैयार किया है, जो हाट गैस से 25 मैगावाट बिजली तैयार करेगा ;

(ख) क्या ऐसा बताया जाता है कि भारतीय डिजायन विश्व के प्रथम और एक मात्र उस एम० एच० डी० जनरेटर के समान है, जो रूस में मास्को के बाहरी क्षेत्र में दिसम्बर, 1971 से बिजली का उत्पादन कर रहा है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय विज्ञान समिति द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल ने यह सिफारिश की है कि एम० एच० डी० जनरेटर द्वारा बिजली का उत्पादन शीघ्रातिशीघ्र किया जाए और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) कोयला-गैसीकरण के उत्पादों का एम० एच० डी० शक्ति उत्पादन में उपयोग करने की संभवता पर प्रारंभिक अध्ययनों के उद्देश्य से एम० एच० डी० जनरेटर से 25 मैगावाट की शक्ति-उत्पादन का एक निश्चय लिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने यह सिफारिश की है कि प्रयोगशाला स्तर के प्रयोगों को कोयले पर आधारित एम० एच० डी० कार्यक्रम पर प्रारम्भ करना चाहिए। ये प्रारम्भिक प्रयोगशाला-प्रयोग 1 से 2 मैगावाट शक्ति के स्तर पर होंगे।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण

8769. **श्री कार्तिक उमराव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वर्गीकरण में कोई भेदभाव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) यह निर्धारित करने के लिए कि एक जाति अनुसूचित जाति की सूची में अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित की जाय अथवा नहीं सरकार निम्नलिखित मानदण्ड का अनुसरण करती रही है।

अनुसूचित जाति --अस्पृश्यता की परम्परागत प्रथा के कारण उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित जनजाति--प्राचीन विशेषताओं के लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथकता समस्त जाति के साथ सम्पर्क करने में संकोच तथा पिछड़ापन।

अनुसूचित जातियों के मामले में मुख्य मानदण्ड परम्परागत अस्पृश्यता की प्रथा से उत्पन्न स्पष्ट बाधाओं का होना है। क्योंकि यह प्रथा केवल हिन्दू और सिख धर्म के सदस्यों में ही विद्यमान है अतः राष्ट्रपति के आदेशों में यह व्यवस्था है कि केवल इन दो धर्मों के व्यक्तियों को ही अनुसूचित जाति के सदस्य समझा जा सकता है।

Investigation by C.B.I. Into Crimes Committed in Violation of Central Laws

8770. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Law Commission has recommended that only C.B.I. should investigate the crimes committed in violation of the Central laws; and

(b) if so, whether Government propose to enact any legislation to that effect?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

पांचवीं योजना के दौरान आदिम जाति क्षेत्रों के विकास के लिए सामान्य क्षेत्र (जनरल सैक्टर) पर भरोसा

8771. श्री गिरधर गोमांगों : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में आदिम जाति क्षेत्रों के विकास के लिए सामान्य क्षेत्रों पर भरोसा रखा गया है; और

(ख) पांचवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई और विद्युत के लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय में से आदिम-जाति क्षेत्रों के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में सिंचाई और बिजली परिव्ययों समेत पांचवीं योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आवंटन का व्यौरा तैयार किया जा रहा है। पांचवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए नई स्कीमों का चुनाव करते समय, उन सिंचाई कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा जो आदिम जाति क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगे। इसी प्रकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण बिजलीकरण कार्यक्रमों का तैयार करते समय आदिम जाति क्षेत्रों पर समुचित ध्यान दिया जाएगा। काफी हद तक 3,300 करोड़ रुपए का न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आदिम जाति क्षेत्रों को विकसित करने में सहायता देगा।

News Item under the Caption "Taxi-driver ran away with a Cheque of Rs. 2058"

8772. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the "Hindustan" dated the 19th December, 1972, to the effect that a taxi driver ran away with a cheque worth Rs. 2058;

(b) whether the taxi belonged to the tourist services; and

(c) if so, the action in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes. However, the news item appeared on 20-12-1972 and not 19-12-1972.

(b) Yes.

(c) On receipt of a complaint from the partner of Tourist Service, alleging, *inter alia*, that his driver had not handed over to the Company a cheque for Rs. 2058/- received from a party, a case was registered on 18th December, 1972 at Police Station Parliament Street, New Delhi. Investigation of the case is in progress.

केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

8773. **श्री ज्योतिमय बसु**
श्री रोबिन सेन : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में सतर्कता महानिदेशक ने केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद (बिहार) के निदेशक के विरूद्ध भ्रष्टाचार और कदाचारों की शिकायतों के बारे में जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो सतर्कता महानिदेशक के निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) निदेशक के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की केन्द्रीय ईधन अनुसंधान संस्थान शाखा-वैज्ञानिक श्रमिक संघ, ने 1972 में महानिदेशक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) नई दिल्ली तथा सतर्कता महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को निदेशक के विरूद्ध धन संबधी भ्रष्टाचार की शिकायतें भेजी थीं और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) महानिदेशक सतर्कता ने सरकार समिति से केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार और धांधलेबाजी संबंधी आरोपों की नौ शिकायतें प्राप्त की थी। महानिदेशक सतर्कता द्वारा प्रारंभिक जांच की गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि आठ शिकायतों में दर्ज मामलों में कोई भी मामला प्रत्यक्ष नहीं था। बाकी एक मामले में महानिदेशक सतर्कता के प्रतिवेदन पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विचार किया गया था। आयोग की सलाह पर निदेशक केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(ग) जी, हां। मामला प्रारंभिक जांच के लिए महानिदेशक सतर्कता के पास भेजा गया है।

टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली के लिए "प्रोडक्शन असिस्टेन्ट"

8774. **श्री राजदेव सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन केन्द्र, दिल्ली के लिए "प्रौडक्शन आसिस्टैंट" के चयन हेतु कोई मानदण्ड बनाया गया है ;

(ख) उक्त पदों के लिए अप्रैल/मई, 1972 में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ;

(ग) उनमें से कितने आवेदकों का चयन किया गया तथा उनकी योग्यतायें क्या हैं और बाकी आवेदकों को किस आधार पर नहीं लिया गया ; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में अधिक योग्यता-प्राप्त और अनुभवी व्यक्तियों की पूर्ण अवहेलना की गई थी और उन्हें न लिए जाने की सूचना कई मास पश्चात् दी गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। पद के लिए निर्धारित अर्हतायें निम्नलिखित हैं :—

आवश्यक :

रेडियो/टेलीविजन/फिल्म/थियेटर या किसी अन्य सम्पर्क माध्यम में प्रोडक्शन या प्रस्तुतिकरण में सहायता देने के अनुभव या कार्यक्रम के अनुभव के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री।

वांछनीय :

सामयिक मामलों की पृष्टभूमि।

(ख) 264.

(ग) 34 उम्मीदवारों, जो अपेक्षित स्तर के अनुरूप पाए गए थे, को योग्यता आधार पर नियुक्ति के लिए स्वीकृत किया गया था। अस्वीकृत किए गए उम्मीदवार अपेक्षित स्तर के अनुरूप नहीं पाए गए थे।

(घ) जी नहीं। अधिक अहर्ता प्राप्त तथा अनुभवी उम्मीदवारों को नजर अन्दाज नहीं किया गया। तथापि, अन्य कार्य का जोर होने के कारण अस्वीकृत किए गए उम्मीदवारों को सूचित करने में कुछ देरी हुई।

Abscondence of a cashier of a Post Office of Greater Kailash, New Delhi

8775. **Shri Pool Chapu Verma** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a cashier had absconded sometime back after taking 16 thousands of rupees from a Post Office in Greater Kailash (New Delhi); and

(b) if so, the facts of the case and the action taken in this regard so far?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) & (b). Yes. On the morning of 26-3-73 sub-Postmaster found the double locks of iron safe inside the treasury room open. Immediate Departmental investigations revealed a shortage of Rs. 10,162·11 representing cash and stamps. An insured letter for Rs. 6,000/- was also found missing.

The case has been reported to the Police and their investigations are in progress. The sub-postmaster has been arrested. Another official Shri Gopal Krishna Chadda is, however, absconding and has not been traced as yet.

Complaint of Alleged Irregularities Against Senior Supdt. of Post Offices, Indore

8776. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Communications** be pleased to **state** :

(a) whether complaint has been received against the Senior Superintendent of Post Offices, Indore in regard to corruption and other irregularities;

(b) if so, the action taken in this regard; and

(c) whether such complaints were also received in 1969-70?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, some complaints have been received against the officer.

(b) While some of the complaints against him have been investigated through Departmental agencies, some others are still under investigation. On receipt of reports on all the complaints, the Central Vigilance Commission will be consulted as per the prescribed procedure, and further action will be taken in the light of their advice.

(c) Yes.

हरियाणा में शिक्षित बेरोजगार

8777. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा राज्य में निरक्षर बेरोज़गारों, बेरोज़गार स्नातकों एवं इंजी-नियरों के संबंध में कोई जानकारी एकत्र की है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उनकी सहायता के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में हरियाणा सरकार को कितनी धनराशि दी; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस बीच सारी धन-राशि खर्च कर दी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में योजना मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) तक एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

रोज़गार कार्यालय निदेशालय से उपलब्ध हुई सूचना के अनुसार हरियाणा में 31-12-1972 को रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या 1 लाख 23 हज़ार 2 सौ छिअत्तर थी । इसका विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) मैट्रिक से कम (निरक्षरों सहित)	68,560
(2) मैट्रिकुलेट	34,167
(3) उच्चतर माध्यमिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति (इंटरमीडिएट/स्नातक पूर्व योग्यता प्राप्त व्यक्तियों सहित) . .	10,120
(4) कुल स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त व्यक्ति	10,429
(1) कला	4,378
(2) विज्ञान .	1,995
(3) वाणिज्य . .	335
(4) अभियांत्रिकी . .	401
(5) चिकित्सा	146

(6) पशु-चिकित्सा	6
(7) कृषि . . .	168
(8) विधि	26
(9) शिक्षा	2,922
(10) अन्य .	32
	10,429
जोड़ .	1,23,276

इसके अतिरिक्त राज्य की 1972-73 की वार्षिक योजना में सामान्य विकास कार्यक्रम शामिल किए गए थे। राज्य में रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के विशेष कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित रूप में दी गई थी :—

स्कीम का नाम	1972-73 में निर्धारित की गई राशि (लाख रुपए)
1. प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार तथा विस्तार .	30.01
2. उद्योग स्थापित करने के लिए लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता	70.00
3. ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण .	12.60
4. कृषि सेवा केन्द्र . .	0.53
5. उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का विस्तार	2.10
6. सड़क परियोजनाओं पर अनुसंधान .	4.65
7. ग्रामीण जल-आपूर्ति के लिए डिज़ाइन यूनिटों की स्थापना	1.20
8. सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं का अनुसंधान	15.00
9. प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण	3.32
10. इंजीनियरी में डिगरी/डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को काम पर लगाने के लिए राज सहायता	0.83
11. शिक्षित तथा अशिक्षित, दोनों तरह के ग्रामीण तथा शहरी रोज़गार चाहने वालों के लाभ के लिए विशेष रोज़गार कार्यक्रम	49.00
12. ग्रामीण रोज़गार की त्वरित स्कीम .	87.50
जोड़	276.74

राज्य सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों पर वास्तव में कितना व्यय किया गया है—इस संबंध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

नेताजी जांच आयोग को दस्तावेजों की सप्लाई

8778. **श्री समर गुहा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा ताईपेह (ताइहोको) में कथित विमान दुर्घटना, जिसमें महान भारतीय नेता की मृत्यु हुई थी, के बारे में जापान, अमरीका और ब्रिटेन की सरकारों के कब्जे में दस्तावेज नेताजी जांच आयोग को उपलब्ध कराये गये थे ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सरकार के पास उपलब्ध सभी रिकार्ड जो आयोग के विचार में जांच-पड़ताल से सम्बद्ध थे उपलब्ध करा दिये गये हैं : जापान में हमारे मिशन ने सूचित किया है कि कोई भी दस्तावेज जो इस विषय से सम्बद्ध हो सकते हैं, जापान सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। वाशिंगटन में हमारे मिशन से प्राप्त दस्तावेज आयोग को पहले ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। युनाइटेड किंगडम के प्राधिकारियों के पास बताये जाने वाले कतिपय सम्बद्ध दस्तावेजों को प्राप्त करने के भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में अकुशल ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी योजना

8279. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अकुशल ग्रामीण श्रमिकों के लिये रोज़गार गारंटी योजना लागू की है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सभी अन्य राज्य सरकारों को यह कहने का है कि वे ऐसी योजना को यदि आवश्यक हो तो केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता से लागू करें।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत में पूर्वता अधिपत्र (वारंट आफ प्रिसिडेन्स) में फील्ड मार्शल का स्थान

8780. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के पूर्वता अधिपत्र (वारण्ट आफ प्रिसिडेंस) में फील्ड मार्शल का क्या स्थान है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : पूर्वता-क्रम सूची में फील्ड मार्शल के पद के अधिकारियों का उल्लेख नहीं है किन्तु फील्ड मार्शल एस० एच० एफ० जे० मानेकशाह को पूर्वता-क्रम सूची के अनुच्छेद 15 में व्यक्तिगत स्थान दिया गया है।

हैदराबाद के परमाणु ईंधन उद्योग समूह में मिश्रित जस्ते की ट्यूबों और मिश्रित इस्पात के पाइपों का उत्पादन

8781. **श्री के० लकप्पा**
श्री पी० गंगादेव } : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के परमाणु इंधन उद्योग समूह में मिश्रित जस्ते की ट्यूबों और मिश्रित इस्पात के पाइपों का उत्पादन शीघ्र आरम्भ हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख): नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र हैदराबाद में जिंक मिश्रधातु की ट्यूबों का उत्पादन करने का कोई विचार नहीं है। जहां तक मिश्रधातु स्टील के पाइपों के उत्पादन का प्रश्न है, प्रतिवर्ष 2000 टन स्टेनलैस स्टील की जोड़ रहित ट्यूबों को तैयार करने की क्षमता वाला एक संयंत्र 412.70 लाख रुपये की लागत से नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में लगाया जा रहा है। आशा की जाती है कि इस संयंत्र में सन् 1975 के अंत तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

बम्बई में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी

8782. **श्री सतपाल कपूर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में कुछ समय से जासूसी गतिविधियों में लगे 2 पाकिस्तानी जासूसों को सुरक्षा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है;

(ख) क्या वे भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत में घुस आए थे और बम्बई की गोदी में भारतीय नौसेना के जहाजों के आवागमन और वहां रुके रूस के जहाजों की जासूसी कर रहे थे; और

(ग) इस मामले में तथ्य क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग): नवम्बर 1971 में दो पाकिस्तानी नागरिकों को अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान में सीमा पार करने का प्रयत्न करते हुए पंजाब में गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुकदमा चलाया गया था और संबंधित कानून के अन्तर्गत छः महीने का कठोर कारावास तथा 1000/- रुपये का जुर्माना और उसके न देने पर 3 महीने के कठोर कारावास की सज़ा दी गई थी। उपरोक्त सज़ा के समाप्त होने पर बम्बई पुलिस द्वारा इस संदेह पर पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है कि वे जासूसी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त थे जब वे पहले बम्बई में रह रहे थे। राजकीय रहस्य अधिनियम, 1923 के अधीन दायर किये गये मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है।

अम्बर सारंजन भण्डार, अहमदाबाद के कर्मचारियों को बोनस देना

8783. **श्री रानेन सेन :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग के अम्बर सारंजन भंडार, अहमदाबाद के कर्मचारियों ने उन्हें दिये जाने के लिए अहमदाबाद के उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है ;

(ख) क्या रिट याचिका स्वीकार कर ली गई है;

(ग) क्या उच्च न्यायालय बैंच ने महाधिवक्ता महान्यायावादी तथा/अथवा आयोग के कानूनी सलाहकारों को सुझाव दिया है कि वे खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन के साथ आपसी मामले को सहयोग से सुलझाएं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी): (क) तथा (ख) खादी आयोग कर्मचारी सघ, अहमदाबाद ने अपनी अहमदाबाद यूनिट के सेक्रेटरी जो शशिकान्त शुक्ल

मार्कंम अम्बर सरगांव भन्डार अहमदाबाद के जरिए गुजरात उच्च न्यायालय में बोनस की मंजूरी के लिए 1972 में याचिका दायर की थी जो स्वीकार कर ली गयी।

(ग) तथा (घ). खादी आयोग कर्मचारी संघ ने न्यायालय की अनुमति से उक्त याचिका वापस ले ली थी।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को बोनस

8784. **श्री रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अपने कर्मचारियों को भी बोनस देने के प्रश्न को हल करने का इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न के हल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख): खादी व ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना मुनाफा कमाने वाली एक संस्था के रूप में नहीं की गई है; इस प्रकार यह बोनस अधिनियम की धारा 32(5) के अन्तर्गत आ जाता है, अतः यह उक्त अधिनियम के उपबन्धों से मुक्त है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को बोनस देने के लिए मांग

8785. **श्री रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन' ने 1967 और 1971 में आयोग के कर्मचारियों को बोनस देने की मांग रखी थी;

(ख) क्या खादी आयोग ने यूनियन की मांग को ठुकरा दिया था और वह मामला श्रम आयुक्त महाराष्ट्र सरकार के पास गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय हुआ है; और

(घ) क्या समझौता अधिकारी ने आयोग को स्वेछित मध्यस्थ निर्णय तथा कर्मचारियों को अदा किये जाने वाले बोनस के आवश्यक आंकड़ों की सप्लाई के सम्बन्ध में जो सलाह दी थी आयोग ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्रों और उद्योगों को दर्शाने वाला कार्यक्रम

8786. **श्री रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सरकार के पास सामान्य उत्पादन कार्यक्रम के लिये विभिन्न प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत उन क्षेत्रों और उद्योगों को सम्मिलित किये जाने का उल्लेख किया है जिन को सरकार द्वारा आरक्षित प्रोत्साहित पालित किया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग): खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने सरकार के पास प्रस्ताव भेजे जिन में ग्रामीण उद्योगों की कुछ एक समस्याओं का उल्लेख किया गया था और सम्बन्धित उद्योगों के लिए आरक्षण, वित्तीय रियायतें जारी रखने, निम्नतम मूल्यों का निर्धारण करने, तकनीकी विकास में सहायता पहुंचाने सरकार की ओर से मूल्य तथा खरीदारी में तरजीह दिए जाने, ग्रामीण तथा देहात स्थित उद्योगों के लिए कच्चे माल की समुचित संभरण (सप्लाई) इत्यादी के बारे में सुझाव रखे गए थे। मांगी गई रियायतों में से कुछ तो पहले से ही दी जा रही हैं और शेष पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

ऋण पाने वाली संस्थाओं द्वारा राशि का उचित उपयोग करने के लिए खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग द्वारा उनके वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए व्यवस्था का विस्तार करना

8787. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने वर्ष 1971-72 में कुल कितना धन वितरित किया है;

(ख) आयोग ने इस वितरित राशि का लेखा परीक्षा कराने के लिए कुल कितना धन व्यय किया है;

(ग) क्या खादी आयोग ऋण पाने वाली संस्थाओं द्वारा राशि का उचित उपयोग करने हेतु उनके वित्तीय मामलों की जांच के लिए व्यवस्था का विस्तार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो जांच करने वाली इस व्यवस्था का विस्तार करने के लिए क्या विशेष प्रस्ताव हैं तथा उन को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) से (घ): जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी पर्यटकों को बेचे गए बहुमूल्य पत्थरों और जवाहरातों पर विक्रय कर

8788. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली ज्वैलर्स एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि विदेशी पर्यटकों को बेचे गये बहुमूल्य पत्थरों और ज्वाहरात पर लगाए गए विक्रय कर को वापस दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) दिल्ली ज्वैलर्स एसोसिएशन से ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं आया है कि विदेशी पर्यटकों को बेचे गये बहुमूल्य पत्थरों और ज्वाहरात पर लगाया गया विक्री-कर वापस लिया जाय। किन्तु नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दिल्ली के एक कार्यकारी पार्षद को 12-2-73 को एक अभ्यावेदन भेजा था जिसमें अनुरोध किया गया था कि विदेशी मुद्रा के बदले विदेशियों को बहुमूल्य पत्थरों और ज्वाहरात की स्थानीय बिक्री बिक्री-कर

से मुक्त की जानी चाहिये। यह रियायत अन्य राज्यों में उपलब्ध नहीं है। वास्तव में, भारत से निर्यात के लिए बिक्री, बिक्री-कर से मुक्त की जाती है। माँगी गई रियायत से प्रशासनिक कठिनाईयां पैदा होने के अलावा आय में हानि होने की सम्भावना है। भारत में आने वाले विदेशी बिक्री-कर के मामूली भार को भलिभांति सहन कर सकते हैं। एसोसिएशन को सूचित किया गया था कि उनके द्वारा मांगी गई छूट स्वीकार नहीं की जा सकती है।

पश्चिमी बंगाल में नमक का मूल्य

8789. **श्री रेणु पद दास :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की जनता को देश में उत्पादित नमक का जापान की जनता की तुलना में, जहां भारतीय नमक का उपयोग किया जाता है, अधिक मूल्य देना पड़ता है;

(ख) क्या नमक का अधिक मूल्य होने के कारण पश्चिमी बंगाल स्थित उद्योग सोडा ऐश, कास्टिक सोडा और क्लोरीन का प्रतियोगी मूल्यों पर उत्पादन करने में असमर्थ है क्योंकि इन उत्पादों के लिए नमक एक मूलभूत रसायन भी है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कृणव कुमार मुखर्जी) : प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि 1970 के पश्चात् जापान को नमक का बिल्कुल निर्यात नहीं किया गया है।

(ख) ऐसी कोई भी शिकायत पश्चिम बंगाल के किसी भी उद्योग को प्राप्त नहीं हुई है;

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अरुणाचल प्रदेश में ग्रामोद्योग का विकास

8790. **श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में ग्रामोद्योगों के विकास के लिये भावी संभावनाओं का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) अरुणाचल प्रदेश में किन उद्योगों का विकास किए जाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Programmes Undertaken by Khadi and Village Industries Commission

8791. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether various programmes undertaken by Khadi and Village Industries Commission under the rural scheme have helped in removing unemployment;

(b) whether great hurdle has been created in the said work due to the increased prices of the raw materials at present; and

(c) if so, the measures being taken by Government to give impetus to the said work?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rehman Ansari) : (a) The programmes of the Khadi and Village Industries Commission are essentially employment oriented and hence to a certain extent they have helped in reducing unemployment.

(b) Shortage of raw materials is one of the hurdles affecting the growth of this sector.

(c) Several schemes have been drawn up by the Khadi and Village Industries Commission to ameliorate this situation.

Take-over of Sick Textile Mills

8792. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take over some other sick textile mills; and

(b) if so, the names thereof?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) : The functioning of textile mills is kept under watch, and as and when required, necessary action according to the provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and The Sick Textile Undertakings (Taking over of Management) Act, 1972 will be taken.

ट्रक के टायरों का आयात

8794. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रक के टायरों, जिनकी देश में कमी है, के अविलम्ब आयात के लिए कोई प्रबन्ध किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) वास्तविक ट्रक आपरेटरों को आयातित टायरों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबन्ध किए जाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० से कुछ राज्य परिवहन उपक्रमों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से शीघ्र ही श्रीलंका में ट्रकों के 5000 टायरों का आयात करने के लिए कहा गया है। सरकार भी राज्य मार्ग परिवहन उपक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के जरिए ट्रकों के 18000 टायरों का आयात करने के बारे में विचार कर रही है। इन टायरों का वितरण राज्य परिवहन उपक्रमों के बीच अनुपात के आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के पश्चात् किया जायेगा।

भोपाल से खादी आयोग भवन का स्थानान्तरण

8795. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जनवरी, 1973 को दिल्ली में हुई खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बैठक में आयोग के प्रतिनिधियों द्वारा यह आश्वासन दिलाया गया था कि भोपाल स्थित खादी आयोग भवन का स्थानान्तरण कर्मचारियों की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा तथा कहा गया था कि स्थानान्तरण किए जाने पर कर्मचारियों के हितों की पर्याप्त रक्षा की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लिए उपदान योजना

8796. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की वर्तमान उपदान योजना सरकार द्वारा आयोग की योजना का अनुमोदन किये जाने तक अस्थायी व्यवस्था है;

(ख) क्या संसद द्वारा हाल में पारित किये गये उपदान सम्बन्धी विधान की तुलना में वर्तमान योजना के अन्तर्गत कम लाभ दिया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार से आयोग को यह सलाह दी है कि आयोग के उपदान सम्बन्धी प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने तक हाल के उपदान कानून को अपनाया जाए; और

(घ) यदि हां, तो आयोग ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को उपदान दिए जाने की योजना

8797. **श्री एस० ए० मुरगनन्तम :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने खादी आयोग कर्मचारी यूनियन से अपने कर्मचारियों को उपदान दिये जाने की योजना के बारे में बातचीत की है; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या यह योजना केन्द्रीय सरकार को खादी ग्रामोद्योग आयोग की उचित स्वीकृति लेकर भेज दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई ने अपने कर्मचारियों को उपदान देने की योजना को भारत सरकार को पेश किया था ।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने आयोग के कर्मचारियों के लिए उपदान योजना पर विचार किया और अपना निर्णय खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई को सूचित कर दिया है ।

नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा अर्जित लाभ

8798. **श्री एस० ए० मुरगनन्तम : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन को इसकी स्थापना के समय से ही लाभ हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसको 1971-72 तक कुल कितना लाभ हुआ तथा इसमें एक अप्रैल, 1972 को कितना पूंजी निवेश था ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) :––सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण औद्योगिक आयोग की स्थापना का प्रस्ताव

8799. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री डी० पी० जदेजा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री 21 फरवरी, 1973 के ग्रामीण औद्योगिक आयोग की स्थापना के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने हेतु एक ग्रामीण औद्योगिक आयोग की स्थापना करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग पर लागू होने वाले श्रमिक कानून

8800. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1961 में अथवा उसके लगभग खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में मजदूर संघों को मान्यता देने के संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने उद्योग मंत्रालय के माध्यम से आयोग को यह राय दी थी कि आयोग के कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य श्रम कानूनों के अन्तर्गत आते हैं और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एक ऐसा उद्योग है जिस पर उद्योग से सम्बन्ध श्रम कानून लागू होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में और आगे तथ्य क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) :––सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कुटीर और ग्राम उद्योग क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र तथा बड़े उद्योग क्षेत्र का योगदान

8801. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुटीर तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र तथा बड़े उद्योग क्षेत्र-द्वारा दिए जाने वाले योगदान पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकाला है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) **और (ख) :** 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में ऐसे मूल सिद्धांत रखे गए हैं जो कुटीर ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

और अन्य क्षेत्रों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका सहित सामान्य रूप से औद्योगिक विकास के सरकार के दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं। इस संबन्ध में सरकार की नीतियां इन्हीं सिद्धांत द्वारा संचालित होती रहती हैं।

केरल में ग्राम उद्योगों के विकास की संभावनाएं

8802. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ग्रामोद्योगों के विकास की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में किन उद्योगों को विकसित किए जाने का प्रस्ताव है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ख) :—सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात की तुलना में अन्य राज्यों को केन्द्रीय सहायता

8803. **श्री प्रभूदास पटेल :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात राज्य को केन्द्र की प्रति-व्यक्ति सहायता सबसे कम रही है;

(ख) क्या पंजाब को दी गई प्रति व्यक्ति सहायता सबसे अधिक रही है;

(ग) यदि हां, तो गुजरात को सबसे कम प्रति-व्यक्ति सहायता देने के क्या कारण हैं; और

(घ) पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य को पर्याप्त सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं। गुजरात को आवंटित चौथी योजना प्रति-व्यक्ति केन्द्रीय सहायता (57 रुपए), आन्ध्र प्रदेश (54 रुपए), महाराष्ट्र (47 रुपए), तमिलनाडु (50 रुपए), उत्तर प्रदेश (56 रुपए) और पश्चिम बंगाल (48 रुपए) को दी गई सहायता से अधिक तथा बिहार और मैसूर के बराबर हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पांचवी पंचवर्षीय योजना में राज्यों को केन्द्रीय सहायता आवंटित करने की वस्तुपरक कसौटियों पर अभी योजना आयोग में विचार किया जा रहा है।

आय तथा मूल्य नीति बनाने के कार्य को स्थगित करना

8804. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक स्पष्ट राष्ट्रीय मजूरी नीति बनाने का निर्णय लिया है लेकिन आय तथा मूल्य नीति बनाने के कार्य को स्थगित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो आय तथा मूल्य नीति बनाने के कार्य को स्थगित करने के क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सरकार ने मूल्यों तथा आयों संबंधी नीति निर्धारण के कार्य को अस्थगित करने का कोई निर्णय नहीं किया है। जैसा कि "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक दस्तावेज में संकेत किया गया है कि सरकार की दृष्टि में मूल्य, वेतन तथा आय उस नीति के अभिन्न अंग हैं जो कि स्थायित्व तथा सामाजिक न्याय के साथ विकासोन्मुख हैं। मूल्यों, वेतनों तथा आयों के बीच समुचित संतुलन को इस प्रकार की नीति का एक अनिवार्य तत्व समझा गया है। समुचित मूल्य-वेतन तथा आय संबंधी नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें दृष्टिकोण दस्तावेज में दर्शाई गई हैं। योजना के मसौदे में सम्मिलित करने के लिए उपर्युक्त सभी तीनों पहलुओं का ब्योरा तैयार किया जा रहा है। योजना का मसौदा सितम्बर, 1973 तक तैयार हो जाने की आशा है।

सी० आई० ए० की गतिविधियां

8805. **श्री ज्योर्तिमय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने, अमरीका से उदार वित्तीय सहायता के साथ, अमरीका के मिचीगन विश्वविद्यालय के सहयोग से, "परिवार नियोजन के प्रति उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों के दृष्टिकोण" का एक सर्वेक्षण आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि इस सहयोग-अनुसंधान परियोजना का सी० आई० ए० द्वारा राजनीतिक विध्वंस के लिए सामग्री एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) :— तथ्य मालूम किए जा रहे हैं। 25 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8099 के उत्तर की ओर ध्यान भी आकर्षित किया जाता है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योगपतियों को राज सहायता

8806. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम अक्तूबर, 1970 के बाद भेजी गई, प्राप्त की गई मूल्य-प्रदत्त और लगाई गई मशीनों के लिए चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों के लिए दस प्रतिशत की सीधी राजसहायता केवल इस आधार पर नहीं दी जा रही है कि इनके क्रयादेश 1 अक्तूबर, 1970 से पहले दिए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में नीति पर पुनर्विचार करने का है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) तथा (ख) : 10 प्रतिशत केन्द्रीय प्रत्यक्ष अनुदान या उपदान योजनाएं 1971 केवल उन्हीं नए औद्योगिक एककों अथवा वर्तमान एककों के लिए लागू होती हैं जिनमें निर्दिष्ट पिछड़े इलाकों में पर्याप्त औद्योगिक विस्तार हुआ हो। उक्त योजना के अनुच्छेद 4(ख) में दी गई परिभाषा के अनुसार एक नए औद्योगिक एकक का तात्पर्य उस औद्योगिक एकक से है, जिसकी स्थापना के लिए 1 अक्तूबर, 1970 के बाद कारगर कदम उठाए गए हों और कारगर कदमों की अनुच्छेद 4 (ङ) (III) में जो विशेष व्याख्या की गई है उसके अनुसार फर्म के आर्डर की तिथि को ध्यान में रखा जाता है, मशीनें प्राप्त करने की तिथि को नहीं।

पिछड़े जिलों के विकास के लिए बिहार को विशेष सहायता

8807. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पिछड़े राज्य की केन्द्र सरकार द्वारा उसके उन जिलों के विकास हेतु विशेष सहायता प्रदान की जाएगी जिन्हें पिछड़े हुए जिले घोषित किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन जिलों के विकास हेतु जिला आयोजना बोर्ड को धन का आबंटन करने का है ताकि वह प्रभावशाली कार्यवाही कर सके ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) :—निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में पांचवीं योजना में जो व्यापक नीति अपनाई जाएगी वह सभा पटल पर पहले ही प्रस्तुत "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण "दस्तावेज के अध्याय 10 में बताई जा चुकी है। उनके तेजी से विकास के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में संचालानात्मक व्यौरा और उनके क्रियान्वयन के लिए संचालानात्मक व्यवस्थाओं का व्यौरा राज्य योजना प्रस्तावों के प्राप्त होने पर राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर तैयार किया जाएगा ।

वर्ष 1972 में विदेशी सहयोग के मामले

8808. **श्री शशि भूषण :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में विदेशी सहयोग के कितने मामलों को सरकार ने स्वीकृति दी, किस प्रकार का विदेशी सहयोग था तथा सम्बन्धित विदेशी कम्पनियों अथवा व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ख) विदेशी सहयोग से कौन-कौन सी वस्तुओं का निर्माण करने का विचार है;

(ग) उन भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं; जिन्हें विदेशी सहयोग की स्वीकृति दी गई तथा उनके कारखाने कहां-कहां स्थित हैं; और

(घ) किस अधिकारी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार का विदेशी सहयोग अत्यन्त आवश्यक है, और प्रत्येक मामले में विदेशी सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रामण्यम) : (क) से (ग) :—वर्ष 1972 की अवधि में सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत मामलों की कुल संख्या	विदेशी पूंजी साझेदारी वाले मामले
1972	257	36

इन मामलों का त्रैमासिक विवरण जिसमें भारतीय पार्टी का नाम तथा पता, विदेशी सहयोग का नाम तथा पता, निर्माण की वस्तु और क्या सहयोग में विदेशी पूंजी साझेदारी भी शामिल है का ब्योरा जनरल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड में प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 1972 के इन त्रैमासिक विवरणों की प्रतियां संसद् ग्रंथागार में भी उपलब्ध हैं। इन औद्योगिक एककों का वास्तविक स्थापना स्थल तब पता लगेगा जब सम्बद्ध पार्टियां इन एककों की स्थापना के बारे में अन्तिम रूप से कार्य करेंगी।

(घ) तकनीकी विकास के महानिदेशालय, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास और अन्य तकनीकी प्राधिकारियों को जिनकी आवेदन पत्रों पर निर्णय लेते समय टैक्नोलोजी के आयात करने की आवश्यकता के प्रश्न पर राय ली जाती है, को हमेशा ही विदेशी सहयोग आवेदन पत्रों की प्रतियां प्रेषित की जाती हैं। ये तकनीकी प्राधिकारी विदेशी निवेश बोर्ड में जो कि विदेशी सहयोग/निवेश के आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण है, प्रतिनिधित्व भी करते हैं।

स्वीकृत शर्तें और उपबन्ध विभिन्न कारकों के आधार पर प्रत्येक मामले में भिन्न होती हैं इसमें आयात की जाने वाली टैक्नोलोजी की किस्म भी शामिल है। सामान्य रूप से उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए भारतीय करों के अधीन अधिकतम 5 प्रतिशत तक की रायल्टी की अनुमति दी गई है। उपयुक्त मामलों में एकमुश्त तकनीकी शुल्क की भी अनुमति दी गई है।

जहां विदेशी पूंजी की साझेदारी शामिल थी, कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अथवा इससे कम अंशों की विदेशी इक्विटी धारण करने की अनुमति दी गई है।

गोवा में हिन्दु राज के सम्बन्ध में गोवा के मुख्य मंत्री का कथित वक्तव्य

8809. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संघ राज्य क्षेत्र गोवा के नागरिक मुख्य मंत्री के इस कथित वक्तव्य ('नवहिन्द टाइम्स' 28 मार्च, 1973) से भयभीत हैं कि इस देश में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू है और गोवा में हिन्दू राज के होने में कोई बुराई नहीं है"; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) और (ख) :—सरकार को मुख्य मंत्री के कथित वक्तव्य के कारण गोवा, दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र के अनेक नागरिकों के भयभीत होने की जानकारी नहीं है। किन्तु सरकार मुख्य मंत्री के कथित वक्तव्य में निहित मत को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती।

जनजाति क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए काम कर रही गैर-सरकारी एजेंसियां

8810. **श्री एस० एन० मिश्र**
श्री के० मालन्ना } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजाति क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए काम कर रही गैर-सरकारी एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन संस्थाओं को पृथक-पृथक कितना अनुदान दिया गया ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में डाकघरों, सार्वजनिक टेलीफोन और तारघरों की संख्या

8811. श्री बक्शी नायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में श्रेणीवार डाकघरों, सार्वजनिक टेलीफोनघरों और तारघरों की संख्या क्या है,

(ख) 1973–74 के दौरान इस प्रकार के कितने डाक तथा तारघर खोले जाने का प्रस्ताव है, और

(ग) क्या सरकार का विचार फूलबानी जिले में, जो एक पिछड़ा जिला है, एक विशेष सर्वेक्षण करने तथा वहां उड़िया के अन्य जिलों के बराबर पर्याप्त संख्या में डाक तथा तारघर खोलने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यह सूचना नीचे दी गई है :—

जिले का नाम	मुख्य डाकघर	डाकघर उपडाकघर	शाखा डाकघर	पी०सी०ओ०	तारघर
बालासोर	82	69	672	47	69
बूलनगीर	81	31	268	21	22
गंजम	83	81	594	56	71
कटक	84	132	709	97	120
धेनकनाल	81	33	304	31	36
क्योंझार	81	33	255	28	31
कालाहान्डी	81	21	216	7	19
कोरापुट	82	64	290	15	41
मयूरभंज	81	37	395	25	33
पुरी	84	74	531	78	66
फूलबनी	81	17	239	10	13
सुन्दरगढ़	82	42	193	34	36
सम्बलपुर	82	72	400	44	47

(ख) यह सूचना नीचे दी गई है :—

जिले का नाम	डाकघर	पी० सी० ओ०	तारघर
कलासोर	5	3	4
बूलनगीर	10	2	कोई नहीं
गंजम	10	6	4
कटक	5	16	3
धेनकनाल	25	1	कोई नहीं
क्योंझार	25	1	1
कालाहांडी	25	कोई नहीं	कोई नहीं
कोरापुट	20	9	4
मयुरभंज	15	1	कोई नहीं
पुरी	5	4	3
फूलबानी	25	2	1
सुन्दरगढ़	20	कोई नही	1
सम्बलपुर	10	4	4

(ग) डाक सेवाएं :

इस बारे में कोई विशेष सर्वेक्षण आवश्यक नहीं समझा जाता। सरकार का यह प्रस्ताव है कि नीचे बताई डाक सुविधाएं दे दी जाएं :—

(i) यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1973-74 के दौरान 25 नए डाकघर खोले जाएं।

(ii) यह प्रस्ताव है कि वर्ष 1973-74 के दौरान जिले के 4 डाकघरों का दर्जा बढ़ा दिया जाए।

(iii) फूलबानी जिले में जितने डाकघर खोलना संभव है, उतने डाकघर खोलकर डाक-सुविधाओं का विकास करने की दृष्टि से एक अलग डाकडिवीजन बना दिया गया है।

तार घर

फूलबानी जिले में उपयुक्त संख्या में तारघर खोलने के लिए विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है।

अराजपत्रित डाक अधिकारियों की राजपत्रित संवर्गो में पदोन्नति करने का आधार

8812. **श्री बक्शी नायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निचले स्तर के अराजपत्रित प्रशासनिक डाक अधिकारियों को राजपत्रित संवर्गों में किस आधार पर पदोन्नत किया जाता है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : जो अराजपत्रित डाक कर्मचारी डाकघर निरीक्षक हैं या रेल डाक-सेवा निरीक्षक हैं या डाकघर निरीक्षक या रेल डाक-सेवा निरीक्षक रह चुके हैं और अब इनसे ऊंचे अराजपत्रित ग्रेडों में काम कर रहे हैं और उन्होंने पांच वर्षों तक लगातार सेवा की है और इन ग्रेडों में से किसी एक ग्रेड में स्थायी हैं तथा जिनकी आयु जिस वर्ष में उनका चयन होना है उस वर्ष की पहली जुलाई को 50 वर्ष से कम हों, वे डाक अधीक्षक सेवा-द्वितीय श्रेणी में चयन के पात्र हैं और उनके चयन पर विचार किया जाता है।

जो अराजपत्रित डाक कर्मचारी सहायक अधीक्षक, डाकघर या हायर सेलेक्शन ग्रेड पोस्टमास्टर के पदों पर काम कर रहे हैं और जिन्होंने उन ग्रेडों में 5 साल सेवा की हो या उस ग्रेड से ठीक निचले ग्रेड की सेवा मिलाकर 8 साल सेवा की हो और उन काडरों में से किसी काडर में स्थायी हों तो वे पोस्टमास्टर सेवा-द्वितीय श्रेणी में चयन के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

इन दोनों मामलों में चयन सेवा-रेकार्डों के आधार पर एक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाता है।

डाक तार कर्मचारियों का प्रशिक्षण

8813. **श्री बक्शी नायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, जिससे डाक-तार कर्मचारी अपने कार्यों को सन्तोषजनक ढंग से कर सकें, और

(ख) क्या इस बारे में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का और कार्यवाही करने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) डाक-तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित प्रशिक्षण संस्थाओं में डाक-तार विभाग के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया

जाता है। दूरसंचार के क्षेत्र में 7 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र और 24 सर्किल/जिला प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो विभिन्न काडरों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण के अलावा कर्मचारियों के विभिन्न काडरों के लिए अलग-अलग विषयों में रिफ्रेशर कोर्स भी संचालित किए जाते हैं। डाक क्षेत्र में 4 आवास सुविधा वाले प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो प्रचालन और पर्यवेक्षण कर्मचारियों के विभिन्न काडरों को प्रशिक्षण देते हैं। लोवर सेलेक्शन ग्रेड कर्मचारियों के लिए इन केन्द्रों में रिफ्रेशर कोर्स भी चालू किया जा रहा है। इसके अलावा यदि प्रचालन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति इन आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों से नहीं हो पाती हैं तो आवश्यकतानुसार गैर-आवासीय प्रशिक्षण कक्षाएं भी चालू की जाती हैं। डाक और दूरसंचार दोनों शाखाओं के अधिकारियों को मैनेजमेंट और तत्संबंधी में प्रशिक्षित करने के लिए समय-समय पर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद जैसी प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजा जाता है।

(ख) यह प्रस्ताव है कि क्षेत्रीय सर्किल और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं और प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाई जाए।

डाक-घर विभाग में नियमों और प्रक्रियाओं का सरल बनाया जाना

8814. **श्री बक्शी नायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक-तार विभाग में नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस बारे में अब तक किस प्रकार की कार्यवाही की गई है और उस मामले में और क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) डाक तार विभाग की डाक शाखा के अंतर्गत एक सेल बनाया गया है जो कार्य विधियों का अध्ययन करेगा। इस अध्ययन के मुख्य मुद्दे इस प्रकार है :

(i) डाक के प्रेषक से लेकर उसकी डिलीवरी तक जो कार्यवाई की जाती है, उसकी कार्य-विधियां ;

(ii) मनीआर्डर बुक करने और उनका भुगतान करने की कार्यविधियां ;

(iii) रजिस्ट्री और पार्सल डाक बुक करने और उसकी डिलीवरी संबंधी कार्यविधियां ; और

(iv) डाकघरों के उप-लेखा और कोष-विभागों में अपनाई जाने वाली कार्यविधि

(ग) पिछले सात महीनों में जो अध्ययन किया गया है उसके आधार पर कुछ कार्यविधियां सरल बना दी गई हैं। ये कार्यविधियां इस प्रकार हैं :

1. जारी किए गए आदेश

(i) रेल डाक सेवा में एडवान्स-वर्क-पेपर छपाया जाना।

(ii) ऐसे अनावश्यक हवाई डाक थैलों का इस्तेमाल बंद करना जो वितरण कार्यालय में प्राप्त होने के बाद उस दिन के वितरण में शामिल न किए जा सकते हों,

(iii) बड़े पैमाने पर डाली जाने वाली डाक वस्तुएं काउंटर पर स्वीकार की जानी चाहिए।

(iv) डाकघरों में ग्राहकों की लंबी कतारें न लगे इस उद्देश्य से बहुद्देश्यीय काउंटर खोलना।

(v) डाकघरों में रजिस्ट्री सारों में अपेक्षित डाक के ब्यौरे छापना।

(vi) छटाई का एक उपयुक्त तरीका विकसित करना।

(vii) थैलों को बंद करने के लिए एक मानक निर्धारित करना।

(viii) रजिस्ट्री पत्रों और रजिस्ट्री पार्सलों से संबंधित पाने वाले से पावती लेने की कार्यविधि समाप्त कर देना और उसकी जिन स्थानों पर वितरण-पर्ची प्रणाली का प्रचलन है वहां पाने वाले वितरण-पर्ची पर ही हस्ताक्षर करा लेना।

(ix) शाखा डाकघर के लेन-देनों के मासिक सार तैयार करने की कार्यविधि समाप्त करना।

II. वे आदेश जो जारी किए जाने वाले हैं

(i) उप-डाकघर लेखों की मासिक प्रति भेजना बंद करना।

(ii) वेशी नकदी बकाया ज्ञापन भेजना बंद करना।

(iii) पुन: प्रेषण केन्द्रों को भेजे जाने वाले प्रेषण।

(iv) ऊंची कीमत की बीमाशुदा वस्तुओं के वितरण की कार्यविधि में परिवर्तन।

(v) रेलवे थैलों को सील न करना ।

III. परीक्षाधीन

(i) ऐसी वितरण सेवा जिसका रेकार्ड रखा जाता है।

(ii) रजिस्ट्री पावती के इस्तेमाल के लिए संशोधित कार्यविधि।

(iii) मुख्य डाकघरों में होने वाले लेखा संबंधी कार्य का पुनर्गठन।

(iv) मुख्य रिकार्ड कार्यालयों में होने वाले लेखा संबंधी कार्य का पुनर्गठन।

(v) रेल डाक सेवा रिकार्ड कार्यालयों में वर्क-पेपर की जाँच संबंधी कार्रवाई समाप्त करना।

(vi) रजिस्ट्री, पार्सल और मनीआर्डर शाखाओं में डाक्यूमेंटेशन संबंधी कार्य में कमी करना।

(vii) उप डाकघर और शाखा डाकघर सारांशों को सरल बनाना।

(viii) उप डाकघरों/शाखा डाकघरों द्वारा लेखा भेजने की बारम्बारता में कमी करना

कश्मीर की अर्थव्यवस्था को नया रूप देने के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाना

8815. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर की अर्थ व्यवस्था को नए रूप देने के लिए 18 मार्च, 1973 को कुछ योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :) : (क) और (ख) जम्मू तथा कश्मीर के निर्माण और विकास मंत्री तथा केन्द्रीय योजना मंत्री के बीच 18 मार्च, 1973 को एक अनौपचारिक बैठक हुई और अन्य विषयों के अलावा उन्होंने रहन-सहन की दशाओं में सुधार, श्रीनगर में कालीन (कारपैट) बुनने वालों को प्रशिक्षण और जम्मू क्षेत्र के कृषि विकास की समस्याओं पर भी चर्चा की।

आदिवासी विकास खण्डों और प्रायौगिक परियोजनाओं के अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रों का विकास

8816. **श्री के० प्रधानी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी विकास खण्डों और प्रायौगिक परियोजनाओं के अतिरिक्त, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना आरम्भ करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो वे योजनाएं क्या हैं; और

(ग) ये योजनाएं कब तक कार्यान्वित हो जाएंगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : 20–2–1973 को सभा पटल पर प्रस्तुत "पाँचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण" में जैसे बताया गया है । समेकित क्षेत्र योजनाएं तैयार करने के लिए उन सघन क्षेत्रों को सीमाँकित करना जिनमें काफी संख्या में आदिम जाति के लोग रहते हैं तथा विकास के विभिन्न क्षेत्रों से अधिक मात्रा में धन लगाने का आदेश देने का प्रस्ताव है । इन सघन क्षेत्रों के अलावा अनेक जिलों में आदिम जाति की आबादी के अलग-थलग छोटे-छोटे स्थान हैं। इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए जिला योजनाओं के अन्तर्गत विशेष स्कीमें तैयार की जाएंगी । पाँचवीं योजना अवधि में कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा ये कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

पांचवीं योजना में आदिमजातीय क्षेत्रों का विकास

8817. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण में आदिमजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भरता रखी गई है ;

(ख) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी जातीय क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकता का ध्यान रखने का प्रस्ताव है; और

(ग) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिमजातीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित परिव्यय कितना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हाँ । पाँचवीं योजना में, आदिम जाति क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम में सामान्य क्षेत्र जिसमें मुख्य विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था है, की भूमिका पर बल दिया गया है ।

(ख) जी, हाँ । राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकताओं संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत जो स्कीमें तथा कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे उनसे आदिम जाति तथा अन्य क्षेत्र, दोनों ही लाभान्वित होंगे ।

(ग) पाँचवीं योजना के न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के बारे में इस समय उनके साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल को छोड़कर किसी अन्य राज्य में टायरों का नया कारखाना स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंन्स देना

8818. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई टायर कम्पनी को पश्चिम बंगाल में कारखाना लगाने के लिए औद्योगिक लाइसस नहीं दिया गया है परन्तु उसी कम्पनी की एक अन्य राज्य में कारखाना लगाने के लिए अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम): (क) तथा (ख): मेसर्स इन्टेक टायर्स आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता को मोटर गाड़ियों के तीन लाख टायर तथा तीन लाख ट्यूब बना कर कलकत्ता स्थित कारखाने, प्रतिवर्ष का पर्याप्त विस्तार करने के लिए दिनाँक 16 अक्टूबर, 1969 को एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया था। वे इस विस्तार लाइसेंस को कलकत्ता में ही क्रियान्वित नहीं कर सके क्योंकि वहां निरन्तर श्रमिक अशाँति बनी रही। अतः उन्होंने अनुरोध किया था कि उन्हें राय बरेली (उ० प्र०) में एक नया कारखाना स्थापित करके इस विस्तार लाइसेंस को कार्यान्वित करने की अनुमति दी जाए। सरकार ने अगस्त, 1972 में इसे स्वीकार कर लिया था। पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को दिनाँक 8 सितम्बर, 1972 को प्रतिवर्ष 4.4 लाख की संख्या में मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूबें बनाने के लिए, उस क्षमता के बदले जिसके लिए मेन इन्टेक को स्थानान्तरण करने की अनुमति दी जानी है, पश्चिम बंगाल में एक नया एकक स्थापित करने के लिए एक आशय-पत्र भी स्वीकृत किया गया है।

पश्चिम बंगाल के लिए अल्पावधि रोजगार योजनाएं

8819. **श्री बी० के० दासचौधरी**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र को चालू वित्तीय वर्ष के लिए अल्पकालीन रोजगार की कई योजनायें भेजी हैं:

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की रुपरेखा क्या है और चालू वित्तीय वर्ष तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है और पश्चिम बंगाल सरकार को शेष राशि की स्वीकृति कब तक दी जाएगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, हाँ।

(ख) भारत सरकार द्वारा चालू वर्ष में शिक्षित बेरोजगारों के लिए 5 लाख रोज़गार सुलभ कराने का जो निर्णय लिया गया था, उसके अनुसरण में ये योजनाएं बनाई गई हैं। इनमें रखे गए प्रस्ताव स्वयं रोजगार कार्यक्रमों, प्रशिक्षण योजनाओं, अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों, सहायताप्राप्त रोज़गार स्कीमों आदि से संबंधित हैं। इन स्कीमों के संबंध में धन की वचनबद्धता अभी तक चालू वर्ष के लिए ही है।

(ग) राज्य सरकार को यह परामर्श दिया गया है कि उसे 10.82 करोड़ रु० की राशि शिक्षित बेरोजगारों विशेष रोजगार योजनाओं और ग्रामीण रोजगार के लिए क्रेश योजना से सम्बन्धित कार्यक्रमों जो 1971–72 में चालू किए गए थे, को चालू रखने के लिए दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को यह भी सलाह दी गई है कि वह चालू वर्ष में 'हाफ ए मिलियन जोब' कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 करोड़ रुपये की अस्थाई अधिकतम सीमा के भीतर रहते हुए काम कर सकती है।

"इलैक्ट्रानिक्स स्विंडल" के बारे में समाचार

8820. **श्री बी० के० दासचौधरी**: क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1973 के 'इकानामिक टाइम्स' में 'इलैक्ट्रानिक्स स्विंडल' के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह मामला न सौंपने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) क्यों कि किसी विशिष्ट पक्ष के विरुद्ध इस रिपोर्ट में कोई विशेष शिकायत नहीं है, मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

Shortage of Foodgrains due to Faulty Planning

8821. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether due consideration has not been given to agriculture and irrigation schemes in any of the plans formulated since the formation of the Planning Commission;

(b) if so, whether there is acute shortage of foodgrains in the country at present due to faulty plans in this regards; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) : It is not correct to say that in various Five Year Plans, due consideration was not given to agriculture and irrigation. In fact, generally, about 20% of the total Plan outlay was allocated to these Sectors.

From production levels of 23·5 million tonnes of rice, 6·4 million tonnes of wheat and 16·9 million tonnes of other cereals giving a total output of all cereals of the order of 46·8 million tonnes in 1949-50 (pre-Plan Year) the production of rice, wheat and other cereals has come upto 42·7 million tonnes of rice, 26·5 million tonnes of wheat and 24·4 million tonnes other cereals giving a total out-turn of all cereals of the order of 93·6 million tonnes during 1971-72. This means that as a result of planned efforts during the last 20 years the production of cereals has been doubled. The present shortage of foodgrains cannot, be considered attributable to inadequate priority given to agriculture and irrigation.

The Government is drawing up plans of agricultural production and irrigation to step up the production of foodgrains including pulses to 140 million tonnes at the end of the Fifth Five Year Plan. These include among others, effective exploitation of the irrigation potential already created as a result of various Plan schemes.

Range of Patna Broadcasting Station with Reference to Champaran and some Parts of Saran in North Bihar and Bhojpuri Area of Nepal.

8822. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Patna Broadcasting Station does not cover Champaran and some parts of Saran in North Bihar and also Bhojpuri area of Nepal; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) The Radio Station at Patna does provide primary broadcast service to Saran and eastern parts of Champaran districts in North Bihar. Services to Nepal constitute part of External Services and are arranged from the transmitters at Delhi and Calcutta.

(b) Proposals to extend broadcast coverage to the uncovered areas of Bihar are being considered for inclusion in the Fifth Plan.

चम्पारन जिले में टेलीफोन सेवा

8823. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि बिहार में चम्पारन (पूर्व तथा पश्चिम) लगाये गये टेलीफोनों की सेवा सन्तोषजनक नहीं है और ट्रंक लाइनों में गड़बड़ रहती है;

(ख) क्या उन्होंने जून, 1972 तक टेलीफोन सेवा सुधारने का आश्वासन दिया था; और

(ग) क्या उनके आश्वासन के बावजूद, टेलीफोन अभी तक ठीक नहीं किये गये हैं; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) टेलीफोन क्नेक्शनों के सन्तोषजनक काम न करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन पर तत्काल कार्रवाई की गई। ट्रंक लाइनों के बंद पड़े रहने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई।

(ख) इस तरह का कोई आश्वासन नहीं किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में एक टेलीफोन के खम्बे से एक व्यापारी द्वारा 16000 गैर कानूनी ट्रंक काल करना

8824. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर**
श्री प्रसन्नाभाई मेहता : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक टेलीफोन के खम्बे से एक व्यापारी द्वारा 16000 गैर कानूनी ट्रंक काल करने के बारे में 6 अप्रैल, 1973 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, और

(ख) क्या कोई जांच पड़ताल की गई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) पुलिस को मामले की रिपोर्ट कर दी गई है और उन की तफतीश चल रही है।

दिल्ली में चुराए गए वाहन

8825. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर**
श्री प्रसन्नाभाई मेहता : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1973 के दौरान में दिल्ली में कुल कितने वाहन चुराये गए;

(ख) उन में से कितने बरामद कर लिये गए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 106

(ख) 71

(ग) 14

नार्थ लखीमपुर टाऊन में डफला आदिवासियों द्वारा स्कूल के लड़कों की हत्या किया जाना

8826. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर**
श्री प्रसन्नाभाई मेहता } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में डफला आदिवासियों ने राज्य में आतंक फैलाना आरम्भ कर दिया है और उन्होंने 4 अप्रैल, 1973 को नार्थ लखीमपुर टाउन में स्कूल पिकनिक पार्टी के छः लड़कों को मार डाला;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) क्या इन आदिवासियों को चीन से हथियार मिल रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) डफला आदिवासियों द्वारा इस तरह का कोई आतंक नहीं फैलाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के सुबंसीरी जिले में किमिन के पास 4 अप्रैल, 1973 को एक घटना में कुछ लड़कों पर जो असम के नार्थ लखीमपुर जिले में धाकुआखाना स्कूल से पिकनिक के लिये गये थे किमिन के दो नौजवान युवकों ने जिनमें से एक दाव (छुरे की एक किस्म) से लैस था, हमला किया जिसके परिणामस्वरूप सात लड़कों की मृत्यु हो गई।

(ख) दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और

(ग) डफ्ला आदिवासियों को चीन द्वारा हथियार देने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

लाइसेंसदात्री समिति की बैठक

8827. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर**
श्री प्रसन्नाभाई मेहता } : क्या औद्योकि विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेन्स देने वाली पूरी समिति की कोई बैठक 24 मार्च, 1973 को नई दिल्ली में हुई थी जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, हां।

(ख) जिन विषयों पर बैठक में चर्चा की गई थी उनकी सूची अनुबंध में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4936/73]

विवरण

1. लाइसेंसिंग नीति, 1973
2. राज्य औद्योगिक विकास निगमों की भूमिका, उनकी प्रगति और समस्यायें।
3. पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण करना।

4. राज्य सरकारों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा बड़े और मंझौले उद्योगों और खनिजों के संबंध पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध में मार्ग दर्शी सिद्धान्त बनाना।
5. राज्य क्षेत्र में सीमेन्ट उद्योग।
6. 14-8-72 से 18-12-72 की अवधि आदि में लाइसेंसिंग समिति की उप-समिति द्वारा जिन आवेदन पत्रों (सूची संलग्न है) पर विचार किया गया था उन पर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार के निवेदनों पर विचार किया गया।

टायरों और ट्यूबों के अलग-अलग मूल्य

8828. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह टायरों और ट्यूबों की किस्म के बारे में 21 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4004 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अलग-अलग कम्पनियों द्वारा बनाये गये जाने वाले टायरों एवं ट्यूबों की कीमतें एक ही क्यों ? जबकि किन्हीं दो कम्पनियों के माल की किस्मों में समाता नहीं और सरकार का इस बारे में क्या करने का विचार है।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : विभिन्न कम्पनियों द्वारा बनाये जाने वाले टायरों की किस्म यद्यपि एक जैसी न भी हो फिर भी उनमें एक दूसरे में काफी समानता होती है। सरकार ने पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस दिया है जिसके स्थापित हो जाने पर अधिक प्रतिस्पर्धा होने से उपभोक्ताओं के चुनाव के लिये अधिक क्षेत्र प्राप्त हो सकेगा।

टायर निर्माताओं द्वारा पैदा की गई बनावटी कमी के परिणास्वरूप वायर विक्रेताओं द्वारा ट्रक और बस टायरों का अधिक कीमत पर बेचा जाना

8829. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टायर निर्माताओं की यह प्रवृति है कि किन्ही क्षेत्रों में बाजार में ट्रकों एवं बसों के उस माप अथवा मापों के टायर भर दिए जाते हैं जिस माप अथवा मापों की मांग नहीं होती और ऐसे क्षेत्रों को उस माप के टायरों से वंचित कर दिया जाता है जहां पर उस माप के टायर लोकप्रिय होते हैं और इसके परिणामस्वरूप व्यापारी टायरों को अधिक मूल्यों पर बेचते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रवृति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है; और

(ग) क्या सरकार को बिचौलियों, अर्थात् इस उद्योग के व्यापारियों को समाप्त करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिससे कि उपभोक्ता को शोषण से बचाया जा सके, यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). सरकार को टायर निर्माताओं के बारे में एक शिकायत मिली है कि वे कुछ क्षेत्रों में जहां मार्ग नहीं है ट्रक तथा बस टायरों को खूब भर रहे हैं और मांग वाले अन्य क्षेत्रों को इन टायरों से वंचित कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप डीलर इन क्षेत्रों में टायरों को अधिक मूल्यों पर बेच रहे हैं, विद्यमान प्रबन्धों के अन्तर्गत टायर बनाने वाली कम्पनियों प्रतिरक्षा राज्य परिवहन उपक्रमों उपकरण निर्माताओं,

सहकारी समितियों और 10 या इससे अधिक गाड़ियों के मालिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। टायर बनाने वाली कम्पनियों के उत्पादन का शेष लगभग 50 प्रतिशत निर्माताओं द्वारा विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्र में अपने डीलरों के जरिये बिक्री करने के लिए दिया जाता है। डीलरों से यह अपेक्षित है कि वे इन टायरों को राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों जहां भी आदेश ऐसे अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उनको राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत जारी किए जाते हैं के अनुसार बेचे।

विशाखापत्तनम जेल से कलकत्ता उच्च न्यायालय को भेजी गई बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका का डाक-तार विभाग द्वारा लौटाया जाना

8830. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम जेल से कलकत्ता उच्च न्यायालय को एक नजरबन्दी नक्सलवादी नेता कानू सान्याल द्वारा भेजी गई बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका को डाक-तार विभाग ने यह लिख कर दो बार लौटा दिया था कि पाने वाले का पता नहीं चला;

(ख) क्या इस बात की ओर उच्चतम न्यायालय के एक वकील श्री आर० के० गर्ग ने सरकार का ध्यान दिलाया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। विशाखापत्तनम सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने कलकत्ता हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम दो रजिस्ट्री पत्र भेजे थे। इन पत्रों पर पता पूरा नहीं है, "पाने वाले का पता नहीं चला" कैफियत लिख कर लौटा दिया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) कलकत्ता हाई कोर्ट में दो रजिस्ट्रार हैं। एक मूल शाखा में है और दूसरे अपीलीय शाखा में हैं। रजिस्ट्रार (मूल शाखा) के नाम आए पत्र हाई कोर्ट के प्राप्ति अनुभाग में लिये जाते हैं। जबकि अपीलीय शाखा के नाम आए पत्र केन्द्रीय प्रेषण अनुभाग में लिये जाते हैं। वाल्टेयर आर० एस० डाकघर का तारीख 11-10-1972 का रजिस्ट्री पत्र रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट आफ जूडीकेचर, कलकत्ता के नाम था और ललिता कालोनी (विशाखापत्तनम) डाकघर का तारीख 10-11-72 का रजिस्ट्री पत्र रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, कलकत्ता के नाम था। ये दोनों पत्र डिलीवरी के लिए सम्बन्धित डाकिये को दे दिये गए थे। उस डाकिये ने ये दोनों पत्र प्राप्ति अनुभाग और केन्द्रीय प्रेषण अनुभाग के कर्मचारियों के सामने पेश किये। चूंकि इन अनुभागों के कर्मचारियों ने इन्हें लेने से इनकार किया, इसलिये डाकिये ने इन पत्रों पर 'पता पूरा नहीं है, पाने वाले का पता नहीं चला" कैफियत लिख कर इन्हें प्रधान डाकघर को लौटा दिया। अगले दिन ये पत्र डिलीवरी के लिए ओवरसियर डाकिये को दिये गये। उसने पत्रों की डिलीवरी देने के लिए प्रयत्न किए लेकिन इनकी डिलीवरी न हो सकी। फलत: ओवरसियर डाकिये ने भी संबंधित डाकिये जैसी कैफियत लिख कर इन पत्रों को प्रधान डाकघर को लौटा दिया। तत्पश्चात् ये पत्र प्रेषक को लौटा दिए गए थे।

देश में शराब बनाने वाले कारखाने

8831. **श्री शशि भूषण** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शराब बनाने वाले कारखानों की कुल संख्या कितनी है तथा राज्य-वार, वे कहां-कहां स्थापित हैं और प्रत्येक की लाइसेन्सशुदा क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन में से अधिकांश कारखाने अपनी लाइसेन्सशुदा क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं ;

(ग) क्या उन्हों ने लाइसेन्स शुदा क्षमता बढ़ाने की मांग की है और यदि हां, तो प्रत्येक मामले में उनको कितना विस्तार करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) देश में शराब बनाने वाले कारखानों की संख्या 11 है। शराब बनाने वाले कारखानों के नाम, राज्यवार उनके स्थल और लाइसेंसीकृत/पंजीकृत क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं। केवल दो शराब के कारखानों द्वारा अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक बीयर का उत्पादन करने की सूचना मिली है।

(ग) और (घ). जी, हां। उनमें से एक ने विस्तार के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे औद्योगिक एककों जिनका उत्पादन उनकी लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक है के सामान्य प्रश्न पर इस मामले की जांच करने के पश्चात् प्रस्तुत की जाने वाली सरकार कमीशन की सिफारिशों के आधार पर, सरकार विचार करेगी।

विवरण

क्रम सं०	फर्म का नाम	स्थान/राज्य	किलो लीटरों में लाइसेंसीकृत पंजीकृत वार्षिक क्षमता
1.	मै० मोहन मीकिन, ब्रेवरीज	मोहन नगर (उ० प्र०)	4091
2.	मै० मोहन कोल्डवाटर ब्रेअरीज	लखनऊ (उ० प्र०)	5000
3.	मै० नारंग ब्रवरीज	नवाबगंज गौंडा (उ० प्र०)	2500
4.	मै० मोहन मीकिन ब्रेवरीज	सोलन (हिमाचल प्रदेश)	5455
5.	मै० यूनाइटेड ब्रेवरीज	बंगलौर (मैसूर)	8183
6.	मै० बंगलौर ब्रेवरीज	बंगलौर (मैसूर)	5000
7.	मै० रतनजी एण्ड कम्पनी लिमिटेड	कलकत्ता (प० बंगाल)	3273
8.	मै० पिल्सनर ब्रेवरीज	गोवा	5000
9.	मै० एसोसिएटेड ब्रेवरीज	गोवा	2000
10.	मै० देवन्स मोर्डर्न ब्रेवरीज लि०	जम्मू (जम्मू और काश्मीर)	2340
11.	मै० लीला सन्स	भोपाल (मध्य प्रदेश)	4000

Arrest of Brigadier Senuka of Underground Naga Federal Army

8832. Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to tate :

(a) whether Brigadier Senuka of underground Naga Federal Army has been arrested by the Armed Forces in Assam in January, 1973; and

(b) if so, the action that has since been taken against him?

The Deputy Minister in The Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Self-styled 'Brigadier' Senuka of underground 'Naga Federal Army' was apprehended by the Security Forces from Village Akami, 13 miles South East of Kohima in Nagaland on 30th December, 1972.

(b) He was handed over on 22nd January, 1973 to the civil authorities in Nagaland. A case against Senuka has been registered under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and is under investigation.

Pakistani Nationals Visiting Maharashtra State on Valid Passports

8833. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) The number of Pakistani nationals who came to Maharashtra State on valid passports during the last three years; and

(b) the number of Pakistani nationals, out of them, who returned to Pakistan before expiry of their visas?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a) and (b) : nformations being collected and will be laid on the Table of the House.

Fire In Head Post Office Simla

8834. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2275 on the 29th November, 1972 regarding Fire in Simla main Post Office and state :

(a) whether the enquiry into the causes of the fire which broke out in the Head Post Office of Simla on 23rd September, 1972 has since been completed; and

(b) if so, the outcome thereof?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) & (b) No. The case is still under police investigation.

आकाशवाणी लखनऊ द्वारा विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्ति

8835. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी लखनऊ में वर्ष 1971-72 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्तियां की गई थीं; यदि हां तो विभिन्न कार्यों के लिए चुने गए व्यक्तियों की संख्या तथा उनकी योग्यताएं क्या हैं;

(ख) चयन समिति के सदस्य कौन-कौन थे; और

(ग) आकाशवाणी के कर्मचारियों के कितने रिश्तेदारों की नियुक्ति की गई ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	नियुक्त किए गए स्टाफ आर्टिस्टों के नाम	पदनाम	अर्हताएं	चयन समिति के सदस्य	क्या आकाशवाणी के किसी कर्मचारी का रिश्तेदार है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री राम कुमार सक्सेना	कापिस्ट	इन्टर	1. श्री आर०के०खन्ना, कार्यकारी इंजीनियर 2. श्री आई०के०गुरुतू सहायक केन्द्र निदेशक 3. श्री पी०सी०शुक्ल, फार्म रेडियो अधिकारी	जी, हां, उस के पिता का भतीजा लखनऊ में प्रोडक्शन सहायक के पद पर कार्य कर रहा है।
2.	श्री एन. के. मिश्र	अनाउन्सर (जूनियर ग्रेड)	बी० ए०	1. श्री पी०माथुर, केन्द्र निदेशक, लखनऊ 2. श्री बी० एस० कुमार, अपर केन्द्र, निदेशक, कानपुर। 3. श्रीमती एस० के० बक्शी (गैर सरकारी सदस्य) 4. प्रधानाचार्य, नारी शिक्षा निकेतन	नहीं
3.	कुमारी अनुराधा शर्मा	अनाउन्सर इन्टर ग्रेड)	एम० एस० सी० डी० पी० ए०		नहीं
4.	श्रीमती शकुन्तला लायल मिश्र	तथैव	एम० ए०		नहीं
5.	श्रीमती कान्ती गुप्त	तथैव	एम०ए०एल०टी०		नहीं
6.	श्री ए०के० श्रीवास्तव	तथैव	बी० ए०		नहीं
7.	श्रीमती सुमन गुप्त	तथैव	एम० ए०		नहीं
8.	कुमारी सन्तोष धर	तथैव	एम० ए०		नहीं

विट्ठलभाई पटेल भवन, नई दिल्ली में गुंडागर्दी

8836. **श्री एम० कतामुतु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विट्ठलभाई पटेल भवन के क्वार्टरों में रह रहे गुंडे उत्पात मचा रहे हैं और दूध के बूथ में दूध का क्रय करने वाले लोगों को तंग कर रहे हैं;

(ख) क्या 2 अप्रैल, 1973 को एक व्यक्ति को पीटा गया तथा उसे अस्पताल ले जाना पड़ा;

(ग) क्या सूचना देने पर पुलिस वहां गई और उसने बयान लिये;

(घ) यदि हां, तो पीटने आदि के लिये जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(ङ) विट्ठलभाई पटेल भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली के दूध के बूथ पर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) ऐसी कोई शिकायत ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । 2-4-1973 को विट्ठलभाई पटेल भवन के समीप मिल्क बूथ पर झगड़ा हुआ था जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति घायल हुआ था ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अधीन पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था जिसकी जांच-पड़ताल चल रही है ।

(ङ) गश्ती दल द्वारा निगरानी रखी जा रही है तथा सुबह और शाम को दूध वितरण के समय मिल्क बूथ पर प्रतिदिन एक सिपाही तैनात किया जाता है ।

Use of Hindi In Offices

8837. Shrimati Savitri Shyam : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of such non-Hindi-speaking Central Government employees who have passed Pragya Examination recognised by the Ministry of Home Affairs; and

(b) the number of employees, out of them, who are doing official work in Hindi?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The number of non-Hindi knowing Central Government employees who have passed the Pragya examination so far is 97,437.

(b) Under the Official Languages Act every Central Government employee is free to use Hindi or English for Official work and this freedom also applied to those who have passed Pragya Examination. However, there has been progressive increase in the use of Hindi for Official purposes. This increase is reflected in the fact that the number of sections in the main Ministries/ Departments in which Hindi is being used in noting and drafting has increased to 448 as on 31-3-1972 from 359 as on 31-3-1971.

सरकारी औद्योगिक नीति के ढांचे के अन्तर्गत मशीन उद्योग के लिए उपनीति

8838. **श्री वनमाली पटनायक**
डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकताएं शीघ्र और भारतीय संसाधनों से ही पूरी की जा सके, तथा उनके मंत्रालय का विचार सरकार की औद्योगिक नीति के समूचे ढांचे के अन्तर्गत मशीन उद्योग के लिये एक उपनीति बनाने का है ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या है; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम): (क) से (ग): सरकार ने औद्योगिक मशीनें बनाने हेतु देश में ही उपलब्ध क्षमता का प्रयोग करने, माल शीघ्र भेजना सुनिश्चित करने, और अनावश्यक आयात को टालने हतु समस्त औद्योगिक नीति के ढांचे के भीतर भी मशीन उद्योगों की एक उप-नीति बनाई है; इस नीति-निर्धारण में मशीन उद्योगों की सब प्रकार की अनेक निर्माण सुविधाओं का ध्यान रखा गया है तथा डिजाइन क्षमताओं का निरन्तर उच्चतर बनाना इस नीति का एक अनिवार्य अंग है। उपयुक्त मामलों में आशय पत्रों में एक शर्त लगायी जाती है कि इसके पहले कि आशयपत्र की एक औद्योगिक लाइसेन्स में परिणत किया जाये आवेदक एक डिजाइन संगठन स्थापित करने हेतु सुविधाएं प्रदान करें और संबंधित तकनीकी प्राधिकारी को उसका ब्यौरा प्रस्तुत करे। तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल भी बनाया गया है। यह दल डिजाइन सूचनाओं के एक केन्द्रीय ब्यूरो के बनाने के प्रश्न की जांच करेगा; डिजाइन और रेखांकन सुविधाओं में कमियों की एक व्यापक सूची बनायेगा, तथा इस बात पर भी विचार करेगा कि किस तरह डिजाइन इंजीनियरी फर्मों और निर्माताओं को आवश्यक सहायता दी जा सकती है ताकि देशी निर्मातागण विभिन्न प्रकार के उपक्रम बना सके।

सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि अन्तिम उत्पादों के निर्माताओं, मशीन-निर्माताओं और सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय परामर्श करने की पद्धति चालू करके देशी मशीनी क्षमता के प्रयोग में तेजी लायी जा सके। सम्बन्धित अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे प्राय इस प्रकार के त्रिपक्षीय वार्तालाप कराऐं।

विभिन्न इंजीनियरी उद्योगों में क्षमता की उपलब्धि की स्थिति सुस्पष्ट करने की दृष्टि से सरकार ने राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के माध्यम से इंजीनियरिंग उद्योगों में क्षमताओं की उपलब्धि के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण कराना प्रारम्भ किया है।

पांचवीं योजना में टेलीविजन का विस्तार

8840. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी
श्री एम० एस० संजीवी राव: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश भर में टेलीविजन का विस्तार करने सम्बन्धी योजनाओं को अब तक अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बात क्या हैं; और

(ग) योजनाओं की अनुमानित लागत क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) जी, अभी तक नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मैसूर में टायरों और ट्यूबों के निर्माण के लिए विदेशी जानकारी का आयात

8841. श्री राम भगत पासवान : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर के एक उद्यमी को टायरों एवं ट्यूबों के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग आमन्त्रित करने एवं जानकारी का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पिछले निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख).

मद्रास की एक पार्टी को प्रतिवर्ष चार-चार लाख आटोमोबाइल टायर ट्यूब बनाने की क्षमता का एक नया एकक मैसूर में स्थापित करने के लिये एक आशय पत्र जारी किया गया है तथा चेकोस्लोवाकिया के मै० टेक्नो एक्सपोर्ट के साथ सहयोग के उनके प्रस्ताव को भी सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है। सरकार ने पहले किए गये अपने किन्हीं निर्णयों में संशोधन नहीं किया है क्योंकि आटोमोबाइल टायर और ट्यूबों के उत्पादन के लिये विदेशी सहयोग अभी आवश्यक समझा जा रहा है तथा उसके लिये अनुमति दी जा रही है।

पांचवीं योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

8842. **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री राजदेव सिंह : } क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने संबंधी विशेष ढांचा बनाने पर विचार कर रहा है जिससे कि राशि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग न किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां :

(ख) यह विषय अभी विचाराधीन है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जन संचार के साधनों के विस्तार की योजनाएं

8843. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जन संचार के साधनों के विस्तार की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) पांचवीं योजना में शामिल की जाने वाली योजनायें अभी भी विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों के कार्य और क्षमताओं का अध्ययन

8844. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**
श्री एस० आर० वामणी } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नियंत्रित अवधि के पश्चात् उद्योगों के कार्य और क्षमताओं का अध्ययन करने के प्रश्न पर विचार करेगी ;

(ख) क्या वर्तमान उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता को पैदा करने अथवा उत्पादन की नई पद्धतियों का विकास करने के लिए पूंजी नियोजकों को मार्गदर्शन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग): सरकार यह समझती है कि ऐसे उद्योगों का जिनमें क्षमता की आवश्यकता है समय-समय पर पता लगाकर उनका प्रकाशन उद्यमियों की जानकारी के लिये करने से पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्षमताओं का व्यवस्थित सृजन करने में आसानी होगी। अतः प्रतिवर्ष उद्योगकार व्यापक संवीक्षा करके विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लाइसेंस देने की गुंजाइश बताने तथा लाइसेंस देने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का वार्षिक प्रकाशन करने का प्रस्ताव है इससे न केवल विशिष्ट उद्योगों का पता ही चलेगा बल्कि उद्योग की स्थिति तथा उसके वांछित लाभप्रद आकार, प्रौद्योगिकी, स्थापना-स्थल तथा उन अन्य बातों का भी पता चल सकेगा जिनसे विशेष उद्योगों को लाइसेंस देने के संबंध में निर्णय किये जायेंगे। आशा है कि इस जानकारी से नये उद्यमियों का यथार्थतः विमियोजन करने का इरादा निश्चित करने तथा आवेदन पत्र इस रूप में देने की दिशा में मार्ग-दर्शन हो सकेगा जिससे उनके आवेदन पत्र सरकार को स्वीकार्य होंगे तथा उन पर शीघ्रता से कार्यवाई की जा सकेगी।

मैसूर की जेनु, कुर्बा और सालिगा जनजातियों का पुनर्वास

8845. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**
श्री धर्मराव अफजलपुरकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ जनजाति वर्ग जीने की समस्या का सामना कर रहे हैं और उन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों पर खेती करने तथा वनों से अन्न एकत्र करने सम्बन्धी परम्परागत पेशे से वंचित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो मैसूर की इन जेनु, कुर्बा और सालिगा जनजातियों का पुनर्वास करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) फल तथा अन्न एकत्रित कर के जीवन यापन करने वाले कुछ जन जाति वर्ग विभिन्न कारणों से कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। सरकार को इस सामान्य समस्या की जानकारी है।

(ख) जेनु कुरबा तथा सोलिगा जनजाति को बसाने के लिए जनजाति कल्याण कार्यक्रम के अधीन अनेक कालोनियां स्थापित की गई हैं। आर्थिक विकास योजनायें प्रारम्भ की गई हैं और आश्रम पाठशालायें स्थापित की गई हैं। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान इन उपायों को तेज करने तथा इन समुदायों के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए केन्द्र द्वारा एक विशिष्ठ योजना चलाने का प्रस्ताव है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नये बोर्ड का गठन

8846. **श्री वेकारिया**
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव } : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के नए बोर्ड का पुनर्गठन कब किया जायेगा।

(ख) नए बोर्डों की स्थापना करते समय सरकार का विचार उन कुछ सदस्यों को इस बोर्ड में, जो इसमें बारी-बारी से अवधि से अधिक समय से हैं, नहीं रखने तथा इसके नए सदस्यों को लाने का है; और ?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योग विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) भारत सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के पुनर्गठन की अवधि अधिसूचना संख्या 6(2)/73-के० वी० आई० (1) दिनांक 30-3-1973 द्वारा बढ़ा दी है तथा सरकार की अधिसूचना सं० 6(2)/72-के० वी० आई० (1) दिनांक 24-11-1972 में अधिसूचित आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 31 मार्च, 1974 तक के लिए बढ़ा दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूंजी प्रधान उद्योगों के लिए नियंत्रित मूल्यों की दो स्तर वाली प्रणाली

8847. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभी हाल में पूंजी प्रधान उद्योगों के लिए नियंत्रण सची की दर को ध्यान करना चाहते थे लागू करने के प्रश्न पर विचार करती रही है;

(ख) यदि हां, तो दो स्तर की प्रणाली लागू करने की आवश्यकता किन कारणों से महसूस की जा रही है ; और

(ग) इस बारे में किये गये निर्णय का क्या ब्यौरा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) से (ग) कीमतों में प्रभावी स्थिरता लाने वाले विभिन्न अभ्युपायों की संवीक्षा और अध्ययन सरकार निरन्तर करती रहती है। किन्तु सरकार ने नियन्त्रित कीमतों की दो स्तर वाली प्रणाली लागू करने का निर्णय नहीं किया है।

भारत में विदेशी धन का आना

8848. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देश राजनीतिक और जन कल्याण कार्यों के लिए भारत में धन व्यय कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में उन्होंने कितना धन खर्च किया तथा इस धन के प्राप्त करने वालों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या विदेशों में पंजीकृत कम्पनियां राजनीतिक और जन कल्याण कार्यों पर कोई धन खर्च कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, तथा वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में उन्होंने कितना धन खर्च किया तथा इस धन को प्राप्त करने वालों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) तक : सरकार को पता है कि व्यक्ति तथा संगठन विदेशों से धन प्राप्त कर रहे हैं । उनकी ओर स सूचना प्रकट करने अथवा व्यय के संवीक्षा लेखा रखने व प्रस्तुत करने के लिए किसी कानूनी बन्धन के अभाव में विदेशों से प्राप्त धन की मात्रा अथवा विभिन्न प्राप्त कर्ताओं द्वारा व्यय किये गये धन के बारे में निश्चित सूचना देना सम्भव नहीं है । इस संबंध में विदेशी धन के प्रयोग पर सतर्कता ब्यूरो की रिपोर्ट के बारे में 14 मई, 1969 को गृह मंत्री द्वारा दिये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । साधारण तथा प्रमाणिक लेन-देन के अतिरिक्त विदेशी संगठनों, ऐजेन्सियों अथवा व्यक्तियों से धन की प्राप्ति पर उपयुक्त प्रतिबन्ध लगाने के प्रयोजन के लिए विधायी प्रस्ताव तयार किए जा रहे हैं और संसद् में शीघ्र एक विधेयक के पुन:स्थापित किये जाने की सम्भावना है ।

Discussion Between Minister of Jails of Madhya Pradesh and Ministry Regarding Maintaining of Law and Order in Madhya Pradesh

8849. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether discussions were held in February, 1973 between the Minister of Jails of Madhya Pradesh and his Ministry in regard to the construction of an open jail in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the action taken so far in this matter and the action to be taken in future?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :(a) & (b) Construction of an open jail in Madhya Pradesh for lodging thc dacoits after their conviction was *inter-alia* discussed with the Minister in the Ministry of Home Affairs by Chief Minister of Madhya Pradesh and Chief Minister of Uttar Pradesh and representatives of the Government of Rajasthan on 20th January, 1973. The State Government of Madhya Pradesh have decided tentatively to set up an open air jail in Guna District Dacoits in respect of whom convictions have already been confirmed have been moved from the Central Jail Gwalior to the District Jail Narsingarh and this jail is being treated as a transit camp, for the open air jail to be set up in Guna district.

Memoranda Submitted by the Delegations to Lt. Governor of Delhi Regarding Maintaining of Law And Order in Delhi

8850. Shri Phool Chand Verma
Shri Jharkhande Rai } : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether some delegations had called on Lt. Governor of Delhi and also submitted memoranda to him on 4th April 1973 in support of the demand to take effective steps for checking crimes and maintaining law and order in Delhi; and

(b) if so, the contents of the said menoranda and the action taken by Government so far as also the action proposed to be taken in future?

The Deputy Minister in The Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes. Two delegations had called on the Lt. Governor Delhi and submitted Memoranda.

(b) Copies of Memoranda are attached. A list of steps taken to keep the law and order situation in Delhi under control is attached. The law and order situation is kept under watch and is constantly reviewed.

Copies of two memoranda attached as mentioned in answer to part (b) of the Unstarred Question No. 8850 (tabled by Shri Phool Chand Verma and Shri Jharkhande Rai in the Lok Sabha on 2nd May, 1973)

TRUE COPY

Citizens Council, Delhi
President :
Kanwar Lal Gupta.

44-E Kamla Nagar, Delhi-7.
April 3, 1973.

The Lt. Governor,
Delhi Administration,
Delhi.

Sir,

The law and order situation in the Capital has been deteriorating particularly for the last one year, Murders, stabbing, Decoities are quite common in the Capital. The goondas have been indulging openly in violence. A common man in the city feels most insecure and unsafe. It has become very difficult for the ladies to go out of their house in the evening.

The Police has miserably failed to meet the challenge posed by the organised gang of Gundas. In some cases the police is mixed up with the Gundas.

The recent large scale transfers had a demoralised effect on the Police-force. New experiments are frequently made by the Police-authorities, but the situation is going from bad to worse.

If drastic action is not taken and antisocial element is not curbed with iron-hands, we are afraid, the situation may go out of hands. The citizens' Council Delhi suggests as follows :—

(a) Scientific-study should be made about the Crime in Delhi. For this a high-powered Commission consisting of a senior High-Court Judge to find the causes of deterioration of Laws and Orders and suggest ways and means to improve the situation, may be set up.

(b) The Police Act is as old as 1861. The Police-Manual was made in 1935. Similarly, there are many cut-dated laws and by-laws under which Delhi Police is to function. All the aforesaid laws and by-laws should be changed, which may be suitable for the modern times.

(c) There should be a Research-Cell to study and watch the progress of the crimes in the capital. The population of Delhi, has been increasing every year. The criminals are using scientific-methods and they are changing their tactics everyday. This Cell should study the trend scientifically and guide the Police. Some Experts should be employed in these Research-Cells

(d) The Delhi Police should chalk out short-term as well as long-term planning to check the crimes in the Capital. Necessary funds should also be provided for the same. There is no planning at present.

(e) The Police-patrolling during day and at night is very poor. The number of constables, who go on patrolling, is very small. The number should be increased. The senior-officers including S. Ps. should go for patrolling occasionally. The senior-officials should not waste their time in clerical-work. They should use their time in the field also. The force in line and the Home Guards should also be used for patrolling everyday.

(f) The Public relation of the police is very poor. The Society is not allowed to play its role to check crime in the capital. Non-political agencies which are acting in the capital, should be contacted by the authorities and these agencies should be used for mobilising the public opinion.

(g) Some officers of C.B.I. may be attached with the Police Stations of Delhi, who may watch the behaviour of the Police officials whether they function properly or not. They should be able to detect the cases of bribery if any. There is no co-ordination between the authorities of the police. Each branch passes buck on the other. There should be proper co-ordination. There should be a Police Commissioner in Delhi like Bombay. It will remove dyarchy prevalent in the Administration. Action against the goondas should be taken under the Maintenance of Security Act.

We hope that you will be kind enough to give serious thought over our suggestions and necessary action will be taken over our representation.

Thanking you.

Yours sincerely,
Sd/- Kanwar Lal Gupta

TRUE COPY

DELHI JAN PARISHAD

President
Ram Charan Aggarwal.

Nawghara
Kinari Bazar, Delhi-6.
April 4, 1973.

To,

Shri Baleshwar Prasad Ji,
Lt. Governor of Delhi,
Delhi.

Dear Sir,

Please permit us to draw your attention to unusual re-occurrance of the highly shocking incidents in various parts of Delhi. Some of the incidents have really compelled us to think in serious terms about the Law and Order situation in the Capital.

While assuring our fullest co-operation in the said matter, we wish to point out that the root cause of this evil is that the anti-social and criminal elements have succeeded in establishing contacts with our police at various levels. It is common experience that most of the Station House Officers in Delhi and their subordinate staff do not take their duty of patrolling the area at times vulnerable to crimes. We have also seen the police officers discouraging the respectables of the area and giving big welcome to undesirables. Certainly we appreciate that things are not alike always and everywhere but you will agree with us that it is necessary that we may sit together and take stock of the situation right now, otherwise we are loosing faith of the peace loving majority which is getting seriously apprehensive in the prevailing circumstances.

With profound regards,

Yours faithfully,
Sd/- Ram Charan Aggarwal

Statement attached in respect of answer to part (b) of the Unstarred Question No. 8850 (tabled by S/Shri Phool Chand Verma and Jharkhandey Rai) in the Lok Sabha on 2nd May, 1973.

The following are the steps taken to keep the law and order situation in Delhi under control :

(i) The Delhi Police with its various agencies, remain constantly vigilant and steps are taken to collect intelligence. Special preventive patrolling is enforced in sensitive areas and anti-social elements are not allowed to raise their heads.

(ii) On pay days, preventive patrolling and other necessary measures are enforced near the banks and commercial areas, with a view to prevent robberies, decoities etc.

(iii) The Delhi Police Dog Squad supplements the police patrolling during night in certain areas of the city. The police dogs are also being utilized in their normal functions to trace out the clues of crime by scent.

(iv) Special armed patrolling is done in the areas of the Union Territory of Delhi where dacoities are usually expected. In addition, Mounted Police patrolling and 'Naka-bandies' at strategic points are organised.

(v) The Missing Person's Squad of Crime Branch deploys its staff at different places, including railway stations, for the prevention of incidents of kidnapping of children as well as to round up unescorted and destitute children.

(vi) Plain clothes policemen are deployed in running buses to prevent the incidents of pick-pocketing and to check other anti-social activities, such as eve-teasing etc.

(vii) Vigilant action is taken against the boot-leggers.

(viii) The Anti-Vice Squad functioning in the Crime Branch deals with the subject of social defence *i.e.* the suppression of immoral traffic in women and girls.

(ix) Raids are organised at the places of criminal hide-outs.

(x) Patrolling is done regularly by the Police Control Room Vehicles in their respective areas round the clock. This is meant to ensure prompt collection and dissemination of information to strengthen public confidence by prompt response to the calls for help and to take first-aid action till the local police take charge of the situation.

(xi) The number of control room mobile vehicles for patrolling has been increased and their beats have been revised where necessary, in the light of concentration of robbery in certain areas and vulnerability of others on account of loneliness or other reasons.

(xii) Mohalla meetings in affected areas are being held to inspire confidence in the public and to elicit useful criminal intelligence.

(xiii) The responsibility of the Division Officers and Beat Constables has been enforced. Punishment is given for inefficiency and reward is given to those who develop useful criminal intelligence.

(xiv) A survey of incidents of robbery is being conducted to intensify police patrolling in the affected areas.

(xv) A separate Manual for the Delhi Police is being prepared.

Dismissed Police Constables in Delhi Employed Under Government of India elsewhere.

8851. Shri Chandra Shahani : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the notification of dismissal of those constables of Delhi Police, who are dismissed from service on the charges of misconduct has to be sent compulsorily to the District Police under whose jurisdiction their respective places of permanent residences fall;

(b) if so, the number and particulars of such cases as have come to the notice of Delhi during the last three years in which those constables, who were dismissed from service on charges of misconduct have been working under the Government of India even today by resorting to impersonation by changing their own and their fathers' names because the required notification was not published in the Gazette?

The Deputy Home Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes.

(b) No such case has come to the notice of the Delhi Police during the last three years.

प्राथमिकता के आधार पर उद्योगों के लिए कच्चे माल आदि की सप्लाई

8852. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिये प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार लघु उद्योगों को भी धन, दुलर्भ कच्चा माल और विदेशी मुद्रा जसी अपेक्षित वस्तुओं की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर करेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) कच्चे माल का आयात करने संबंधी नीति जो सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू होती है, 1973-74 की 'इम्पोर्ट ट्रेड कंट्रोल पालिसी' जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, में स्पष्ट कर दी गई हैं जिसमें प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को उनकी 'आवश्यकता के आधार पर' तथा गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों को पहले से स्थापित उनकी हकदारी के अनुसार कच्चा माल उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाती है।

(ख) प्राथमिकता वाले लघु उद्योगों को कच्चा माल आयात करने के लिए जहां कहीं उनकी आवश्यकता का पता चलता है तथा वे अपनी इस प्रकार की आवश्यकता के लिए निर्धारित क्षमता के अनुसार आवेदन करते हैं, बड़े उद्योगों पर लागू होने वाली नीति समान रूप से लागू होती है। गैर प्राथमिकता वाले लघु एककों के लिए कच्चा माल आयात करने की नीति आयात नीति में निर्धारित उनकी हकदारी के संबंध में दिए गए एक सिद्धान्त के अनुसार संचालित होती है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों, राज्य वित्त निगमों तथा लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से गठित अन्य एजेंसियों द्वारा लघु एककों को उदारता पूर्वक वित्तीय सहायता दी जाती है।

कलपक्कम परमाणु बिजलीघर को चालू करना।

8853. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु बिजलीघर कब तक चालू हो जायेगा ;

(ख) क्या वहां पर काम निर्धारित समयनुसार चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिम मंत्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : आशा है कि मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट सन् 1976 में तथा दूसरा यूनिट सन् 1978 में क्रान्तिकता प्राप्त कर लेगा। इन यूनिटों से, क्रान्तिकता प्राप्त करने के कुछ महीनों पश्चात्, अपनी पूरी उत्पादन क्षमता से काम करने की आशा की जा सकती है। इस कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ग) मद्रास परमाणु विद्युत् परियोजना के पहले यूनिट के चालू होने में कुछ सीमा तक तो देरी इस यूनिट की स्थापना पर होने वाले व्यय के विदेशी मुद्रा के अंश के लिए ऋण प्राप्त करने के प्रयत्न में समय लगने के कारण हुई तथा कुछ सीमा तक इसके उपकरणों को यथा-संभव भारत में ही निर्माण करने के प्रयत्न के कारण। मद्रास परमाणु विद्युत् परियोजना के दूसरे यूनिट की स्थापना के लिए मई, 1971 में ही संस्वीकृति प्रदान की गई थी।

"टोटल इनर्जी बोनसेप्ट" नामक ईंधन मितव्ययता सम्बन्धी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की योजना

8854. **श्री नरेन्द्र सिंह: :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने 'टोटल इनर्जी बोनसेप्ट नामक ईंधन मितव्यवता सम्बन्धी कोई योजना दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

(ग) क्या सरकार बोनसेप्ट को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू करना व्यवहारिक समझती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) 'टोटलएनर्जी तथा एनर्जी सबस्टीट्यूशन" पर मार्च, 1973 में हुई संगोष्ठी के शिष्ट मण्डल की सिफारिशों पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् विचार कर रही है। इन सिफारिशों के प्राप्त होते ही सरकार उन पर यथोचित कार्यवाही करेगी।

(ग) व (घ) इस अवस्था में ये प्रश्न नहीं उठता।

स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवा भंग की अवधि को नियमित करना।

8855. **श्री समर गुह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सरकारी कर्मचारियों जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कष्ट सहना पड़ा था अथवा दण्ड दिया गया था और आजादी के बाद पुनः नौकरी पर लगाया गया था, की वरिष्ठता पेंशन तथा उपदान के सम्बन्ध में सेवा भंग की अवधि को नियमित करने के प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं इसके अन्तिम रूप देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : इस सम्बन्ध में अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि सरकारी कर्मचारियों के बारे में जिन्हें उनकी देशभक्ति की गतिविधियों अथवा देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने के कारण सेवा से हटाया, सेवामुक्त या बर्खास्त किया गया था, या जिन्होंने देशभक्ति के उद्देश्यों से या इसलिए कि वे राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग ले सकें, अपनी नियुक्तियों से त्याग-पत्र दे दिया था, भारत सरकार के अधीन उन्हें पुनः रोजगार दिये जाने पर, उस ग्रेड या पद जिसमें वह कर्मचारी सेवा विच्छेद होने के पूर्व नियुक्त किया हो, उसकी सेवा भंग की अवधि को वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए उनकी सेवा के रूप में गिना जाएगा, यदि इसके लिए विशिष्ट कारण हों कि किसी अन्य ग्रेड या पद में इसे सेवा के रूप में गिना जाएगा। ऐसे मामलों में जहां तक पेंशन के लाभों का सम्बन्ध, है, यद्यपि विद्यमान अनुदेशों के अनुसार सेवा में विच्छेद की अवधि को इस उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाता; अतः हाल ही में इस सम्बन्ध में एक अध्यावेदन प्राप्त होने के परिणामस्वरुप यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि क्या इसे पेंशन के लाभों के लिए गिने जाने की अनुमति दी जाए।

Promotion to the Posts of L. D. Cs in Delhi Administration

8858. Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether applications have been invited from the Chowkidars and Peons for promoting them to the posts of Lower Division Clerks on the basis of departmental examination to be held by the Delhi Administration, Delhi and the last date of receiving applications was 26th February 1973;

(b) whether 5 year service on the posts of Chowkidars or Peons is necessary for being appointed to the post of Lower Division Clerk;

(c) whether the number of Scheduled Tribe persons working on the posts of Lower Division Clerks in the Delhi Administration is less than that of the quota of posts reserved for them; and

(d) if so, whether Government propose to relax the period of five years of service on the posts of Chowkidars and peons in the case of Scheduled Tribes persons to fill the quota of seats reserved for them?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a) In order to fill vacancies in Grade IV (Ministerial) viz., posts of Lower Division Clerks, against 10% promotion quota, the Delhi Administration requested its Departments to send by 26th February, 1973, the names of all Class IV employees who were desirous and eligible for taking the test.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) No, Sir. The eligibility conditions prescribed in the recruitment rules are applicable to all candidates and are not relaxable in the case of Scheduled Tribes candidates.

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र

8859. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज-सहायता के रूप में रियायत और 10 प्रतिशत सीधा केन्द्रीय अनुदान अथवा राजसहायता योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में चुने गये पिछड़े जिलों में उद्योगों में स्थापना के लिये आज तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : जैसा कि केन्द्रीय वितीय संस्थानों ने बताया है रियायती वित योजनाओं के अधीन 31 दिसम्बर, 1972 तक उड़ीसा के पिछड़े हुए जिलों से ऋण हेतु 19 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 31.38 लाख रु० की धनराशि वाले 15 आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में रियायती रकम की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है।

जहाँ तक 10 प्रतिशत सीधा केन्द्रीय अनुदान अथवा राजसहायता योजना का सम्बन्ध है, उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी तक यह बताया है कि 49 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। पंजीयत किए गए हैं जिनमें से लगभग 400,000 रु० के 15 आवेदन-पत्रों पर राजसहायता की मंजूरी दे दी गई है।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स, मद्रास द्वारा बनाई गई द्विभाषी टेलीप्रिंटर मशीन

8860. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर, मद्रास ने एक द्विभाषी टेलीप्रिंटर का निर्माण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस टेलीप्रिंटर मशीन की अन्य देशों में भी माँग है ; और

(ग) यदि हाँ, तो 1973-74 के दौरान अन्य देशों को इसकी बिक्री से कितनी विदेशी मुद्रा के उपार्जन की सम्भावना है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड, मद्रास ने एक द्वभाषी टेलीप्रिंटर मशीन का विकास किया है।

(ख) जी हाँ।

(ग) अभी तक हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड को कोई निश्चित आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। अस्तु इस समय यह कहना संभव नहीं है कि 1973–74 के दौरान द्विभाषी मशीनों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हो सकेगी।

जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत समाचार-पत्र सम्बन्धी अर्थव्यवस्था का अधिकार देने का निर्णय

8861. **श्री आर० वी०स्वामिनाथन्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्र उद्योग की अर्थ व्यवस्था की जाँच करने के लिए स्थापित की गई तथ्यों का पता लगाने वाली समिति की जाँच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार देने का निर्णय किया है और यदि हाँ, तो समिति को किस प्रकार से अधिकार दिए गए हैं;

(ख) क्या समिति ने प्रश्नावली जारी की थी और उनका उत्तर देने की अवधि को दो बार बढ़ाया गया था क्योंकि बड़े समाचारपत्रों से कोई उत्तर नहीं मिला था; और

(ग) तथ्यों का पता लगाने वाली समिति का अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सरकार ने तथ्य अन्वेषक समिति को जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिकार दिए हैं। इस सम्बन्ध में 26-4-73 को जारी गजट अधिसूचना की एक प्रति सदन की मेज पर 27-4-73 को रख दी गई थी। उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबन्धों को छोड़कर उसके शेष सभी उपबन्ध उस समिति को लागू किए गए हैं।

(ख) जी, हाँ। समिति ने सितम्बर, 1972 के प्रथम सप्ताह में सभी दैनिक समाचारपत्रों को एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की थी। प्रश्नावली के उत्तर भेजने की अन्तिम तारीख 15 अक्तूबर, 1972 थी जो बाद में कतिपय समाचारपत्रों तथा समाचारपत्र एसोशियेशनों की प्रार्थना पर 15 नवम्बर, 1972 तक बढ़ा दी गई थी। बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी, अनेक समाचारपत्रों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए। दोषी समाचारपत्रों में बड़े, मझोले तथा छोटे सभी प्रकार के समाचारपत्र शामिल हैं।

(ग) समिति ने सरकार को सूचित किया है कि आँकड़ों का विश्लेषण करने तथा रिपोर्ट लिखने में पर्याप्त सूचना और आँकड़े उपलब्ध होने की तारीख से 6 महीने का समय लगेगा।

भारत का सोवियत मानकीकरण विशेषज्ञों के साथ करार

8862. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मार्च, 1973 को सोवियत मानकीकरण विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हाल ही में किया गया दौरा विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में मास्को में हुए भारत-सोवियत करार के अनुसरण में हुआ था;

(ग) यदि हाँ, तो किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(घ) किन-किन बातों पर समझौते हुए ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हाँ। मार्च 19-26, 1973 के दौरान रूस के मानक संबंधी राज्य समिति के उपाध्यक्ष श्री ए० एम० निकीफ़ोरेनको के नेतृत्व में पाँच सदस्यों का एक रूसी प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का दौरा किया था।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) : इस प्रतिनिधि मण्डल ने एक भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल से, जिसका नेतृत्व भारतीय मानक संस्थान के महा निदेशक डा० एस० के० सेन ने किया था तथा जिसमें विभिन्न विभागों और मन्त्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, विचार विमर्श किया। मानक और माप विद्या के क्षेत्र में सहयोग के लिए रूसी तथा भारतीय सुझावों के मसौदे पर वार्ता की गई तथा इन क्षेत्रों के भावी सहयोग की एक सूची को अन्तिम रूप दिया गया। इस सूची में सहयोग के पांच प्रमुख क्षेत्र हैं :

(क) मानवीकरण तथा गुण आश्वासन

(ख) माप विद्या

(ग) सूचना तथा प्रलेखों का विनिमय

(घ) प्रतिनिधि मण्डल, विशेषज्ञ, सलाहकार तथा प्राध्यापकों का विनिमय

(च) विशेषज्ञों का प्रशिक्षण।

दोनों देशों के इन मदों से सम्बन्धित कार्यकारी अंग सहयोग संबंधी ब्योरे बनाएंगे। कार्यकारी दल द्वारा, जिसकी स्थापना योजना तथा कार्यक्रम बनाने एवं सहयोग के विकास के लिए की जाएगी, इस पर निश्चय लिया जाएगा। अगस्त 1973 में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की रूस याता के दौरान इसे संभवतया अन्तिम रूप दिया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार में महिला कर्मचारियों की प्रतिशतता

8863. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार में महिला कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने कुछ विशिष्ट विभागों को केवल महिलाओं के लिए रखने का विचार किया है?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31 मार्च, 1971 को केन्द्रीय सरकार के कुल कर्मचारियों की संख्या में महिलाओं की प्रतिशतता 2.5 थी।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 16(2) में यह व्यवस्था है कि केवल धर्म, मूल-वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जाएगा। इन परिस्थितियों में ऐसा कोई अवसर नहीं आया जबकि केवल महिलाओं के लिए ही किन्हीं विशिष्ट विभागों को स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया हो।

आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत का चयन

8864. **श्री हेमेन्द्र सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों का चुनाव करने वाली समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या वे प्रसारण के लिए रागों का चुनाव राग गाए जाने के समय और मौसम को ध्यान में रख कर करते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी से हिन्दुस्तानी संगीत के प्रसारण के लिए कार्यक्रमों का चयन करने के लिए कोई समिति नहीं है। केन्द्रों के

शास्त्रीय संगीत के कार्यभारी प्रोड्यूसरों द्वारा कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है और कलाकारों को बुक किया जाता है।

(ख) रागों का चयन कलाकारों के परामर्श से किया जाता है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

भीलवाड़ा राजस्थान के स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन देना

8865. **श्री हेमेन्द्र सिंह।** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से पेंशन के लिए कितने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) उनमें से उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें पेंशन दी गई तथा रद्द की गई और विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की संख्या कितनी-कितनी है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 28–4–1973 तक 61 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) 61 में से 8 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत कर दी गई है और उनके नाम संलग्न सूची में दिए हैं। 6 रद्द कर दिए गए हैं और विचाराधीन मामलों की संख्या 47 है।

विवरण

जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) में 28–4–1973 तक उन व्यक्तियों की संख्या की सूची, जिनको पेंशन स्वीकृत की गई है।

क्रमाँक	नाम
1.	श्री फूल चन्द बिहानी
2.	श्री रमेश चन्द्र ओझा
3.	श्री फतेह सिंह यादव
4.	श्री लाडू राम व्यास
5.	श्री जयपाल सिंह उर्फ अक्षूदत्त
6.	श्री भवानी शंकर दुखित
7.	श्री राम चन्द वैद्य
8.	श्रीमती नारायणी देवी

बंगला देश और पाकिस्तान के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना

8866. **श्री हेमेन्द्र सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश और पाकिस्तान के शरणार्थियों को किन नियमों के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है और यदि वे मानवीय कारणों से शरणार्थी शिविरों से बाहर जाना चाहें तो उसके लिए क्या तरीका है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : नागरिकता के लिए आवेदन-पत्रों पर नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है। वर्तमान नीति के अनुसार 25–3–1971 के बाद बंगला देश और पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों को बंगला देश और पाकिस्तान को, जैसा भी हो, को लौटना पड़ेगा और इसलिए

उनको भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता। शरणार्थियों और उनके बच्चों को शिविरों में चिकित्सा तथा शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। शिविरों से बाहर जाने वालों को श्रम तथा पुनर्वास (पुनर्वास विभाग) से इस शर्त पर अनुमति लेनी पड़ेगी कि भविष्य में वे सरकार से किसी राहत व पुनर्वास सहायता के लिए अनुरोध नहीं करेंगे।

भीलवाड़ा (राजस्थान) में उद्योगों की स्थापना करने के लिए आवेदन पत्र

8867. **श्री मेहेन्द्र सिंह :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पास उन फर्मों तथा व्यक्तियों के कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं जो पिछड़ा जिला भीलवाड़ा में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं; और

(ख) इसको औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने के बाद से यहां कौन से उद्योग स्थापित हुए हैं अथवा किन उद्योगों को स्थापित करने के लिए अनुमति दी गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) वर्ष 1971 के तीन और 1972 का एक आवेदन-पत्र अनिर्णीत है। सामान्यतः अनिर्णीत आवेदन-पत्रों का ब्यौरा बताया नहीं जाता।

(ख) वर्ष 1970 से 1972 तक की अवधि में भीलवाड़ा में सूती धागे के निर्माण हेतु स्पिनिंग फैक्टरी (कताई फैक्टरी) की स्थापना के लिए एक लाइसेंस दिया गया है। पता चला है कि इन लाइसेंस को क्रियान्वित करने के लिए कारगर कदम उठाये गये हैं।

मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना

8868. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिलेवार संख्या क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा पेंशन देने की स्वीकृति दी गई है; और

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कितने स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सिफारिश की थी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है। [ग्रंथालय में रखा गया/ देखिए संख्या एल० टी० 4937/73]

(ख) 28-4-1973 तक राज्य सरकार ने 280 मामलों की सिफारिश की थी।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र का विकास

8869. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है यदि हाँ तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उसके निदेशपद क्या हैं; और

(ख) इस समिति द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कौन-कौन से जिलों की विकास समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् ने अपनी 10 जुलाई, 1972 को हुई बैठक में जो सुझाव दिया था उसके अनुसार योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकार की अध्यक्षता में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति जिसमें मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, का गठन किया गया। यह समिति बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास

करने से सम्बन्धित समेकित योजना और कार्य-नीति तैयार करने में दोनों राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करेगी।

संयुक्त समन्वय समिति का गठन निम्न प्रकार से है :—

मध्य प्रदेश	उतर प्रदेश
योजना सचिव	आयुक्त, बुन्देलखण्ड डिवीजन, झांसी।
आयुक्त, सागर डिवीजन, सागर	अधीक्षक इंजीनियर सिंचाई विभाग, लखनऊ।
विशेष कार्य अधिकारी	मुख्य इंजीनियर, राज्य बिजली बोर्ड, लखनऊ।
(ई० एण्ड एस०, सी० एम० एस० सेक्रेटरी)	अपर मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (सड़क) लखनऊ।
	आयुक्त और आयोजन सचिव, आयोजन विभाग, लखनऊ।

निम्नांकित जिले बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं :—

मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश
सागर	बाँदा
टीकमगढ़	झांसी
छतरपुर	हमीरपुर
पन्ना	जालौन
दमोह	
दतिया	

बड़े व्यापार गृहों से जन सम्पर्क के साधनों का लिया जाना

8870. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े व्यापार गृहों आदि से प्रेस सहित सभी जन संपर्क के सभी साधनों को लेने के लिए कोई योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को तत्काल आवश्यक कार्रवाही करने में क्या रुकावट है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : औद्योगिक व्यापार गृहों से समाचारपत्रों को अलग करने के प्रस्तावों पर सरकार सर्वोच्च न्यायालय के 1972-73 के लिए अखबारी कागज संबंधी नीति पर निर्णय तथा संविधान संशोधनों की वैधता पर उसके हाल ही के निर्णय की रोशनी में विचार कर रही है।

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि

8871. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमेंट के मूल्य में वृद्धि की अनुमति देने का है जिससे कि यह उद्योग अपने विस्तार के योग्य बन सके और मांग की पूर्ति के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित कर सके ?

(ख) यदि हां, तो मूल्य में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि इस प्रकार उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त राशि का उपयोग उत्पादन में विस्तार और वृद्धि के लिए ही किया जाए ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग): सीमेंट का कारखाने से निकलते समय का मूल्य फिर से निश्चित करने का प्रश्न प्रशुल्क आयोग के विचाराधीन है। उन्होंने एक अन्तरिम रिपोर्ट दी है जिसमें मूल्य में अन्तरिम वृद्धि की सिफारिश की गई है जिसमें आयोग की अंतिम रिपोर्ट के संदर्भ में उचित संशोधन किया जाएगा इसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

Class IV Employees in R. M. S. Office, Jaipur

8872. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is a shortage of Class IV employees in R. M. S. Office, Jaipur;

(b) whether the said office has also demanded additional class IV employees; and

(c) if so, the reasons for which additional Class IV employees have not been provided to them?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No Sir. Staff upto the sanctioned strengh stands provided.

(b) Yes.

(c) It was only in September 1972 that five additional class IV posts were sanctioned. Fresh proposals for additional staff sent on 23-4-73 are under examination and if any more staff is justified it will be sanctioned.

Export of Goods from Instrumentation Ltd., Kotah

8873. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the quantity of goods exported by Instrumentation Ltd., Kotah to foreign countries during the current year;

(b) the names of the countries to which the goods were exported; and

(c) the nature of goods exported?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) : Instrumentation Limited, Kota, exported goods valued at Rs. 5,66,000/- (approximately) to Ethiopia, Thailand, Malawi, Nepal and Ceylon during 1972-73. The goods exported consist of Electronic Bridge Recorder, Pyrometric Indicating Controller, Thermocouples, Strip Charts and parts of Instruments. Besides, Instrumentation Limited have secured a contract valued at Rs. 1·5 crores from Government of Malaysia on global tender basis for the supply of instrumentation systems on turn-key basis to a power station in that country.

New Branches of Instrumentation Limited, Kotah

8874. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the places where the branches of the Instrumentation Limited, Kotah, are located in the country; and

(b) the percentage of Russian assistance given to these units so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) As at present Instrumentation Limited, Kota have one manufacturing unit at Kota, Rajasthan. Steps are, being taken to establish their second unit at Palghat, Kerala State.

(b) Assistance to the extent of 2·970 million Roubles and 0·437 million Roubles has so far been received by Instrumentation Limited, Kota and the proposed Palghat unit respectively.

वर्ष 1973 को रिटायर होने वाले सेलेक्शन ग्रेड के स्टेशन डायरेक्टर

8875. **श्री मनोरंजन हाजरा**
श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1973 में सेवा निवृत्त होने वाले आकाशवाणी के सेलेक्शन ग्रेड के स्टेशन डायरेक्टरों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : आकाशवाणी के केन्द्र निदेशक (सेलेक्शन ग्रेड) संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारी 1973 में सेवा से निवृत्त होने वाले हैं :—

1. श्री के० पी० शुंगलू, केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दिल्ली ।
2. श्री गोपाल दास, कार्यक्रम निदेशक (नीति), आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली ।
3. श्री रोमेश चन्द्र, निदेशक, टेलीविजन केन्द्र (उपग्रह), नई दिल्ली ।
4. श्री अशफाक हुसैन, केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, बम्बई ।

Exchange of Refugee Relief Postal Stamps

8877. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have received some complaints that some Post Offices in Delhi hesitate to exchange the refugee relief postal stamps despite such a declaration made by Government and, if so, the number thereof; and

(b) whether Government have conducted any enquiry in this regard if so, the outcome thereof?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir. Three complaints have been received.

(b) In one of the cases the complaint was settled on the spot by the Sub-Postmaster. In the other two cases enquiries have been instituted: but have not yet been completed.

योजनाओं की बेहतर क्रियान्विति के लिए प्रशासनिक ढांचा

8878. **श्री नवल किशोर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने योजनाओं की बेहतर क्रियान्विति के लिए प्रशासनिक ढांचा बनाने के बारे में अंतिम रूप में निर्णय ले लिया है; और यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है; और

(ख) ये परिवर्तन कब तक लागू किए जाएंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख): योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्वरूप में वांछित परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक दस्तावेज के अध्याय 12 में दी गई है ।

इस सम्बन्ध में विस्तृत रूपरेखा अभी तैयार की जा रही है ।

टेलीवीजन द्वारा विज्ञापन

8879. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन द्वारा विज्ञापन करने की अनुमति देने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) यदि हां, तो टेलीविजन द्वारा विज्ञापन से आकाशवाणी के कितने समय की बचत होगी।

(ग) क्या टेलीविजन के विज्ञापन दर अधिक होंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस हेतु प्रस्तावित दर क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

बिजली में कटौती के कारण राजस्थान के उद्योगों को हुई क्षति

8880. **श्री नवल किशोर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली में कटौती के परिणामस्वरूप राजस्थान के उपयोगों को भारी क्षति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें क्षति हुई है तथा अक्तूबर, 1972 से उत्पादन के रूप में कितनी क्षति हुई है थी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : राजस्थान उन राज्यों में से एक है जो बिजली में कटौती से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फिर भी, औद्योगिक एककों की संख्या अधिक होने तथा औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए केवल बिजली में कटौती के कारण विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में हुई हानि का ठीक-ठीक हिसाब लगा सकना संभव नहीं है। राजस्थान के सीमेंट उद्योग में मुख्य रूप से बिजली की कमी के कारण वर्ष 1972 के दौरान लगभग 13,000 मीट्रिक टन उत्पादन में हानि बताई गई है।

मीना टंडन हत्याकांड का मामला

8881. **श्री पन्नालाल बारूपाल :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीना टंडन हत्या कांड के मामले में न्यायालय द्वारा की गई निंदात्मक टिप्पणियां किन व्यक्तियों के विरुद्ध अभी तक चल रही है ;

(ख) क्या एक उच्च पुलिस अधिकारी ने न्यायालय में यह बयान दिया था कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग निर्देशन के अन्तर्गत स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच की थी और महानिरीक्षक, दिल्ली पुलिस ने अगस्त, 1969 को गृह मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र में इस तथ्य की पुष्टि की गई थी ;

(ग) क्या उच्च पुलिस अधिकारियों ने जुलाई, 1969 में इस मामले में महत्वपूर्ण गवाहों की जांच की थी ; और

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी उच्च पुलिस अधिकारियों और पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर की गलती पाई थी, परन्तु उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कोई नहीं, श्रीमान्।

(ख) एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने न्यायालय में कहा था कि वे इस मामले पर पुलिस अधीक्षक, उत्तर के साथ कभी कभी विचार विमर्श करते रहे हैं।

इस संबंध में अगस्त, 1969 में गृह मंत्रालय में एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जिन अधिकारियों की गलतियां बताई गई हैं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है।

बंगला देश को दूरसंचार उपकरणों की सप्लाई

8882. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश को दूर संचार उपकरणों की सप्लाई के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां इस करार पर 7 अप्रैल 1973 को हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) इस करार की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) यह करार भारत सरकार और गण प्रजातंत्री बंगलादेश के बीच हुए "तारीख 16-5-72 के ऋण समझौते" के शर्तों के मुताबिक किया गया है। 16-5-72 के कारारनामें में बंगलादेश की सरकार को रेलवे प्रणाली के पुनःस्थापन दूरसंचार, उपस्कर और बिजली उत्पादन उपस्कर सप्लाई करने के लिए 10 करोड़ भारतीय रुपयों का ऋण देने का समझौता किया गया था।

(ii) भारतीय डाक-तार विभाग बंगलादेश डाक-तार और टेलीफोन विभाग को तीस लाख भारतीय रुपयों के मूल्य के भारत में निर्मित दूरसंचार उपस्कर सप्लाई करेगा।

(iii) यह सभी सामग्री 3-12-1973 तक सप्लाई की जानी है।

पिछड़े जिलों में औद्योगिक आधारभूत ढांचे तैयार करना

8884. श्री राजदेव सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार उपबन्ध करने और सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों से यह कहने का है कि पिछड़े जिलों में सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से औद्योगिक आधारभूत ढांचे तैयार करने का कार्य आरम्भ करें; और

(ख) यदि नहीं, तो आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करने के संबंध में किस अन्य उपाय पर विचार किया जा रहा है ताकि उद्यमकर्ताओं को पिछड़े जिलों और क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा सके जैसा कि सरकार चाहती है?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : बुनियादी आधार की व्यवस्था सहित पिछड़े क्षेत्रों/आंचलों के विकास के प्रति जो दृष्टिकोण है उसे "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण" दस्तावेज में बताया गया है। इसमें आधारभूत आर्थिक और सामाजिक बुनियादी आधार के विस्तार जिसके अंतर्गत सिंचाई संचार ऋण हाटव्यवस्था बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार आते हैं पर पिछड़े क्षेत्रों/आंचलों के विकास के लिए बल दिया गया है। विस्तृत ब्योरे पर अभी विचार किया जा रहा है।

संगणक विज्ञान में चीन की तुलना में भारत द्वारा की गयी कम प्रगति

8885. श्री राजदेव सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन द्वारा की गई उन प्रगति की जानकारी है जिसका उल्लेख संयुक्त राज्य अमरीका की विज्ञान पत्रिका में किया गया है और जिसे देख कर अमरीका के वैज्ञानिकों को आश्चर्य हुआ कि गत पांच वर्षों में चीन ने संगणक विज्ञान के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है;

(ख) क्या चीन के पास आजकल अपने डिजाइन के थर्ड जेनरेशन मशीनों सहित 200 संगणक हैं जबकि भारत के पास "सेकिन्ड जेनरेशन" के लगभग 1150 संगणक हैं जिनमें से अधिकांश के डिजाइन अमरीकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो हमारी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं जबकि हमने तकनीकी जानकारी विदेश से प्राप्त की और संगणक क्षेत्र में हमने चीन से काफी पहले प्रवेश किया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : सरकार को पता है और रिपोर्टों को नोट कर लिया है जो कम्प्यूटर विज्ञान तथा तकनोलोजी के क्षेत्र में चीन द्वारा की गई प्रगति पर अमरीका तथा ब्रिटेन के लोकप्रिय विज्ञान जनरल्स में प्रकाशित हुई हैं। यदि ये रिपोर्टें पूर्णरूप से सही हैं तो चीन ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। फिर भी, क्योंकि किसी भारतीय प्रेक्षक द्वारा इसका स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया है सरकार इन रिपोर्टों पर रससे बाहर की कोई टीका करने में असमर्थ है। भारत में स्वदेशी कम्प्यूटर निर्माण कार्यक्रम 1969 में इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में आरंम्भ हुआ जो पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार का सरकारी-क्षेत्र उपक्रम है। इस कार्य-क्रम का सरकार द्वारा समर्थन किया जा रहा है जिसमें अनुदान तथा कर्जे के रूप में आर्थिक सहायता भी सम्मिलित है। पहले कार्यक्रम इस क्षेत्र में भारत में परिचालित विदेशी कम्पनियों द्वारा पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त थे और इन्होंने ठोस रूप से इस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता बढ़ाने में सहायता नहीं दी। राष्ट्रीय विकास तथा सम्पूर्ण रूप से इलैक्ट्रानिक्स की प्रगति को ध्यान में रखते हुए इलैक्ट्रानिक्स विभाग ऐसे कदम उठा रहा है जिससे कि कम्प्यूटरों के निर्माण के साथ ही साथ विभिन्न छोटे पुर्जों तथा घटकों के निर्माण हेतु स्वदेशी सामर्थ्य तथा आत्म-निर्भरता शीघ्र से शीघ्र सुनिश्चित की जा सके।

Foreign Aid for Fifth Plan

8886. Shri Shrikrishna Aggrawal : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Fifth Five Year Plan is proposed to be financed with foreign aid;

(b) if so, the extent to which it is likely to be so financed; and

(c) the names of the countries from which assistance is being obtained?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) : The Fifth five-year Plan assumes a gross external assistance of Rs. 3000 crores for the five-year period. Against this debt service obligations including both interest payments and loan repayments will amount to Rs. 2360 crores leaving a net aid of Rs. 640 crores to be availed of in the early years of Plan. In the terminal year the net aid will be brought down to zero. Assistance will be obtained from all friendly countries.

वर्ष 1973-74 में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को रोजगार

8887. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के दौरान इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को रोजगार प्रदान करने हेतु कोई विशेष योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : सरकार का उद्देश्य 1973-74 के अन्त तक सभी उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना है। वार्षिक योजना 1973-74 में विभिन्न विकास क्षेत्रों में सम्मिलित हुई प्रकार के कार्यक्रमों के अतिरिक्त जो कि इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों को लाभ पहुंचाएंगे 1971-72 तथा 1972-73 में कई विशेष रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं और 1973-74 में पांच लाख शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने से सम्बन्धित नई स्कीमों से 1973-74 में इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों के लिए काफी अधिक रोजगार अवसर सुलभ होने की आशा है। 1973-74 में विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय-व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है :—

1.	कृषि सेवा केन्द्र	0.76 करोड़
2.	भूमि तथा मृद सर्वेक्षण प्राकृतिक संसाधन	0.85 ,,
3.	वन सर्वेक्षण—प्राकृतिक संसाधन	1.00 ,,
4.	भूमिगत जल सर्वेक्षण प्राकृतिक संसाधन	4.34 ,,
5.	ग्राम इंजीनियरी सर्वेक्षण	2.85 ,,
6.	सिंचाई तथा बिजली परियोजना की जांच	6.11 ,,
7.	उद्यमियों की वित्तीय सहायता	13.00 ,,
8.	भारत सर्वेक्षण विभाग के कार्यक्रम	1.25 ,,
9.	सड़क परियोजनाओं की जांच	0.90 ,,
10.	ग्राम जल पूर्ति के लिए अभिकल्प एकक	0.44 ,,
11.	खनिज सर्वेक्षण—प्राकृतिक संसाधन	1.00 ,,
12.	राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में विशेष रोजगार कार्यक्रम (केन्द्रीय सहायता)	27.00 ,,
13.	शिक्षितों के लिए पांच लाख रोजगार अवसर	100.00 ,,
		159.50 ,,

1973-74 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए पांच लाख रोजगार अवसर सुलभ करने से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों के लिए रोजगार अवसर सृजित करने के कार्य को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ये स्कीमें तैयार की जा रही हैं—(1) इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों सहित विभिन्न वर्गों के शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-नियोजन स्कीमें, (2) शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्रशिक्षण स्कीमें ताकि इन्हें प्रशिक्षण के बाद काम पर लगाया जा सके, (3) सर्वेक्षण, अध्ययन तथा जांच करना तथा (4) इंजीनियरी की डिग्री, डिप्लोमा-धारियों और अल्प शिक्षित व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता-युक्त रोजगार। आर्थिक सहायता-युक्त रोजगार की स्कीम के अन्तर्गत यह परिकल्पना की गई है कि छोटे तथा मध्यम क्षेत्र के निजी उद्योग-पतियों द्वारा इंजीनियरी की डिग्री तथा डिप्लोमा धारियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी परन्तु इंजीनियरी की डिग्री वालों को अधिक से अधिक 200 रु० प्रति माह तथा डिप्लोमा धारियों को 125 रुपए प्रति माह दिए जायेंगे इसके अतिरिक्त इंजीनियरों में स्व-नियोजनकी प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए

गए हैं। इंजीनियरों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से ठेके लेने के लिए कई राज्य सरकारों ने छूट प्रदान कर रखी है इन छूटों में ये भी सम्मिलित हैं--बयाने की राशि जब्त करने से छूट, टेंडर की दरों आदि में छूट। ऐसे इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा अन्य शिक्षित व्यक्तियों, जो कि छोटे उद्योग प्रारम्भ करना चाहते हों को वित्तीय सहायता पचाने से संबंधित स्कीमें भी कई अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। कुछ राज्यों में छोटे उद्योग प्रारम्भ करने के लिए तकनीशिनों को निर्मित शैड आवंटित किए गए हैं तथा सहायता की सरल शर्तें रखी गई हैं। भारतीय स्टेंट बैंक तथा इसके सहायक बैंकों और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी अपने उपक्रम स्थापित करने के लिए इंजीनियर उद्यमियों ने सहायता देने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमें आरम्भ की हैं। औद्योगिक विकास मंत्रालय तथा लघु उद्योग सेवा संस्थान भी तकनीशनों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कहते रहे हैं।

आशा है कि चालू वित्त बर्ष के अन्त तक सभी बेरोजगार स्नातक इंजीनियर लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कर सकें।

उद्योगों में क्षमता का उपयोग

8888. **श्री बक्शी नायक**
श्री महादीपक सिंह शाक्य
: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और निजी क्षेत्र में कितने प्रतिशत औद्योगिक क्षमता का उपयोग किया जाता है;

(ख) क्या गत दो वर्षों में औद्योगिक क्षमता के उपयोग में कमी हुई है,

(ग) यह कमी किस सीमा तक हुई है, और

(घ) क्या वर्तमान क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और यदि हां, तो किस प्रकार की?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग): चुने हुए उद्योगों में वर्ष 1970 से 1972 के दौरान क्षमता का उपयोग दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 4938/73] इस विवरण से यह दिखाई देगा कि 1970 की तुलना में यद्यपि कुछ उद्योगों में 1971 और 1972 में क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता कम हुई है कुछ अन्य उद्योगों में क्षमता का उपयोग बढ़ा भी है।

(घ) सरकार द्वारा क्षमता के पूरे उपयोग के बारे में उठाए गए कुछ कदम ये हैं।

(1) औद्योगिक सहायता देने की नीति को उदार बनाया जाना और लाइसेंस देने की पद्धति को सुप्रवाही बनाना।

(2) जहां एक या दो पारी के आधार पर लाइसेंस दिया गया है उनमें बहुपारी द्वारा कार्य की अनुमति देना; और महत्व के कुल 65 चुने उद्योगों के सम्बन्ध में अन्य मामलों में लाइसेंस की क्षमता से 200 प्रतिशत तक उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करना बशर्ते की सम्बन्धित उद्योग बड़े घराने का न हो अथवा बहुसंख्यक विदेशी शेयरों वाले फर्म का न हो जिनकी क्षमता में विस्तार और विनियमन के हेतु विशेष रूप से गठित कृतिकदल द्वारा गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है।

(3) बड़े घरानों और विहित शर्तों के पूरी होने पर विदेशी बहुसंख्यक शेयर वाली फर्मों को छोड़कर सभी आवेदकों को 1 करोड़ तक के निवेश के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने के विषय में छूट।

(4) औद्योगिक उत्पादन की दर में तेजी लाने की दृष्टि से कच्चे माल विशेषकर इस्पात जिसकी कमी है, आयात नीति को उदार बनाना;

(5) औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने और पूंजीगत माल के आयात के आवेदन पत्रों को प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना और

(6) सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में क्षमता के पूरे उपयोग के बीच आने वालों उवरोधों को दूर करना जिसके लिए योजना आयोग के सदस्य के अधीन एक विशेष दल का गठन किया गया है।

क्रास-बार एक्सचेंज में त्रुटियां

8849. **श्री एस० सी० सामन्त**
श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रास-बार एक्सचेंज में किन दोषों का पता लगा है और उनको किस प्रकार दूर किया जा रहा है ;

(ख) विशेषज्ञों आदि द्वारा इस सौदे को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व इन दोषों का पता न लगने के क्या कारण हैं; और

(ग) उसको बदलने में होने वाली हानि तथा ग्राहकों, प्रयोक्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों को होने वाली कठिनाई के लिए किस को उत्तरदायी ठहराया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) क्रास-बार एक्सचेंजों के कार्य-चालन में निम्नलिखित खामियां पाई गई हैं :—

(1) अपर्याप्त सम्पर्क (कन्टैक्ट) सुरक्षा

(2) सहायक उपकरणों का काम न करना

(3) मशीनी समायोजनों का टिकाऊ न होना

(5) सर्किटों की छोटी समस्याएं

(5) जंग लग जाना।

उन सभी क्रासबार एक्सचेंजों के बारे में जिनके लिए उपस्कर मेसर्स बी० टी० एम०, बेल्जियम ने सप्लाई किए थे, उपर्युक्त खामियाँ दूर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जहां तक उन क्रासबार एक्सचेंजों की खामियां दूर कराने का प्रश्न है, जिनके लिए उपस्कर मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर ने सप्लाई किए थे, ये खामियां दूर कराने के लिए कदम उठाए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ख) हमारे विशेषज्ञों ने क्रासबार एक्सचेंज उपस्कर के लिए टेंडर क्रासबार प्राणाली की व्यापक धारणाओं और सुविधाओं आदि के आधार पर स्वीकार किया था। इन व्यापक धारणाओं और सुविधाओं की विस्तृत सूचना टेंडर भेजने वाली पार्टियों ने दी थी। हमारे विशेषज्ञों के लिए जिन्होंने इस प्रणाली को स्वीकार करने का निर्णय लिया था, प्रत्येक क्रासबार उपकरण के डिजाइन या क्रासबार प्रणाली के प्रत्येक सर्किट की जांच करना न तो सम्भव था और न ही ऐसी कार्यविधि अपनाई गई थी।

क्रासबार प्रकार के उपस्कर सहित जितने भी टैलीफोन एक्सचेंज लगाए गए हैं वे सब काम कर रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। सिर्फ ऊपर भाग (क) में उल्लिखित खामियों के कारण क्रासबार एक्सचेंजों का कार्य-चालन सन्तोषजनक नहीं है। इन खामियों के बारे में एक्सचेंजों के चालू हो जाने के बाद ही पता चल सकता था।

(ग) उपर्युक्त खामियों को दूर करने के लिए बेल्जियम के मैसर्स बी० टी० एम० अपेक्षित साज-सामान मुफ्त दे रहे हैं। वे सैद्धान्तिक रूप से इसके लिए भी राजी हो गए हैं कि उक्त खामियों को दूर करने के लिए उपस्करों में सुधार लाने के लिए जो भी खर्च आएगा उसे वे उठाएंगे। आशा है कि उपर्युक्त खामियां दूर हो जाने पर क्रासबार एक्सचेंज सन्तोषजनक सेवा देने लगेंगे। इस प्रकार उपभोक्ताओं, प्रयोक्ताओं तथा अन्य लोगों को इस समय जो कठिनाई हो रही है, वह दूर हो जाएगी।

दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोनों की मांग

8890. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली के इलाकों में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत टलीफोन की मांग को पूरा करने के लिए उनका मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है,

(ख) इस मार्ग में क्या मुख्य कठिनाइयां हैं और उनको कैसे दूर किया जा रहा है, और

(ग) यह मंत्रालय सारी मांग को कब तक पूरा करने की स्थिति में होगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में टेलीफोन कनेक्शनों की जितनी क्षमता है, अगले पांच वर्षों के दौरान उसमें कुल करीब 55,000 लाइनें और जोड़ी जा रही हैं।

(ख) दिल्ली में तथा देश के दूसरे स्थानों में टेलीफोनों की मांगें पूरी करने के रास्ते में जो मुख्य बाधाएं हैं, उन का उल्लेख नीचे किया गया है :—

(i) आटोमेटिक एक्सचेंज के उपस्कर की कमी,

(ii) जमींदोज केबुलों की कमी, और

(iii) टेलीफोन यंत्रों की कमी।

इन कमियों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(i) पांचवीं योजना के दौरान स्विचिंग उपकरणों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दूसरा कारखाना स्थापित किया जा रहा है।

(ii) जमींदोज केबुल तैयार करने का एक नया कारखाना अभी हाल ही में हैदराबाद में लगाया गया है और रूपनारायणपुर के मौजूदा कारखाने की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है।

(iii) टेलीफोन के उपकरणों को असेम्बुल करने के लिए नैनी में एक नया यूनिट स्थापित किया गया है।

(ग) हालांकि मौजूदा मांगों को धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है, फिर भी टेलीफोन की अतिरिक्त मांगें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए निकट भविष्य में टेलीफोनों की सभी मांगें पूरी करना संभव नहीं हो सकेगा। पांचवीं योजना के मसौदे में यह प्रस्ताव रखा गया है कि सामान्यतया 31-3-1986 तक दिल्ली की टेलीफोनों की सभी मांगों को अयतन पूरा कर दिया जाएगा।

आकाशवाणी केन्द्र, कलकत्ता के न्यूज रीडिंग सेक्शन और अनाउन्समेंट सेक्शन में काम कर रहे नैमित्तिक कर्मचारी

8891. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र, कलकत्ता के न्यूजरीडिंग सेक्शन अथवा एनाउन्समेंट सेक्शन में कितने लोग नैमित्तिक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त सेक्शनों के लिए स्थायी अथवा ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती करने का कोई प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है ; और

(ग) क्या आकाशवाणी के कर्मचारियों को आकाशवाणी से बाहर काम करके रुपया कमाने की अनुमति है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) छ :।

(ख) जी, नहीं । फिलहाल इन व्यक्तियों को जो कार्य दिया गया है, वह अस्थायी प्रकार का है ।

(ग) जी, हां, ठेके की शर्तों के अनुसार ।

उद्योगों में आर० एण्ड डी० संगठन

8892. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग एसोसिएशन आफ इंडिया (वैस्टर्न रीजन) के आर० एण्ड डी० पैनल ने उद्योगों में आर० एण्ड डी० व्यवस्था की समस्याओं के बारे में सरकार को एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां तो ज्ञापन में क्या सुझाव दिए गए हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य सुझाव निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

(1) इंजीनियरिंग उद्योग में आर० एण्ड डी० कार्य ।

(2) आर० एण्ड डी० कर ।

(3) अनुसंधान संस्थाओं एवं उद्योगों के मध्य सहयोग और समन्वय ।

(4) आय कर अधिनियम की धारा 35 और 80 एम० एम० और 80 के अन्तर्गत कर की छूट ।

(5) औद्योगिक लाइसेन्सिगं सम्बन्धी नीति ।

(ग) "निजी क्षेत्र के उद्योग में अनुसंधान और विकास सम्बन्धी समिति" के पास सिफारिशें विचाराधीन हैं । निजी उद्योग के अनुसंधान और विकास के वाणिज्यिकरण और निष्पादन सम्बन्धी नीति के हेतु सिफारिशें करने के लिए यह समिति गठित की गई थी ।

कोरापुट और गंजम ऐजेंसी (उड़ीसा) में उद्योगों का विकास

8893. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आदिवासी और औद्योगिक दृष्टि के पिछड़े हुए कोरापुट और गंजम एजेंसी क्षेत्र में राज्य के अन्य भागों की तुलना में लघु उद्योगों और बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास का स्तर क्या है ;

(ख) क्या इन दोनों जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी मात्रा में खनिज पदार्थ हैं;

(ग) क्या सरकार पांचवीं योजना के दौरान कोरापुट और गंजम ऐजेंसी के वनों पर आधारित तथा खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग और कृषि उद्योग आरम्भ करेगी ;

(घ) क्या उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम ने पिछड़े हुए इन क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार को संपूर्ण सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ङ) : कोरापुट जिसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला बताया गया है में 173 लघु उद्योग एकक हैं जिनमें करीब 144 लाख रुपए का विनियोजन किया गया है तथा 1798 आदमी कार्य करते हैं। ऐसा मालूम हुआ है कि इस जिले में एल्मीनियम वाली मिट्टी (बाक्साइट) चूने का पत्थर, डोलीमाइट कच्चा लोहा, ग्रेफाइट और मेंगनीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इनमें से कुछ का औद्योगिक उपयोग भी किया गया है। किन्तु गंजम को पिछड़ा क्षेत्र नहीं माना गया है।

सरकार को उड़ीसा राज्य औद्योगिक विकास निगम से कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। भारत के औद्योगिक विकास बैंक के संयुक्त संस्थागत अध्ययन दल ने कुछ परियोजनाओं के विषय में निश्चय करने के लिए राज्य के औद्योगिक विश्व का एक सर्वेक्षण किया था। रिपोर्ट में राज्य में औद्योगिक निम्नलिखित उद्योगों के लिए सुझाव दिया गया है :—

जूट मिल, वनस्पति अनन्नास का रस निकालने और बोतल में भरने, नारियल उद्योग समूह, साल के बीज का तेल, आंवले का सत, हाई कार्बन केरो क्रीम, फ्लशिंग गैस रिटार्स, फेरोबेनाडियम, सीमेन्ट फेरो सिलीकान, प्रीस्ट्रेस्ड कान्क्रीट पाइप, रिफ्रैक्टरीज और अल्पकि नियम।

इन औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापित किए जाने का स्थान निश्चित करना प्रत्येक मामले की तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता पर निर्भर करेगा। भारत के औद्योगिक विकास बैंक की सर्वेक्षण रिपोर्ट का निदेशक समिति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से अध्ययन किया जा रहा है ताकि अग्रेतर कार्यवाही जैसे सरकारी और निजी क्षेत्रों के संभावी उद्यमियों की जानकारी के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का निश्चय किया जा सके। उड़ीसा राज्य के विभिन्न जिलों के तुलनात्मक विकास स्तर की जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

पांचवीं योजना के दौरान खानाबदोश जनजातियों का सामाजिक आर्थिक विकास

8894. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में भारत की अत्यधिक आदिम जनजातियों, खानाबदोश जनजातियों और अर्द्ध खानाबदोश जनजातियों के लिए सरकार एक विशेष योजना बना रही है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए चौथी योजना की अवधि में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस योजना के अन्तर्गत अब तक किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। 'पांचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण 1974-79' नामक दस्तावेज में यह स्वीकार किया गया है कि सामान्य क्षेत्र तथा विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों में पहले जो विकास के लाभ हुए वे पिछड़े वर्गों के निचले भागों तक नहीं पहुंच पाए हैं। यह प्रस्ताव है कि पिछड़े वर्गों में भी जो अधिक पिछड़े हैं, उनका पता लगाया जाय ताकि उनके लिए आर्थिक विकास तथा न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम चलाये जा सकें।

(ख) उड़ीसा तथा असम जैसे कुछ राज्यों ने अधिक पिछड़ी हुई आदिम जनजातियों का अभिनिर्धारण कर, उनके लाभ के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। जिन राज्यों में खानाबदोश तथा अर्द्ध-खानाबदोश जातियों की संख्या अधिक है उन्होंने अपने यहां पिछड़े वर्गों के सैक्टर में इन समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। चौथी योजना में अनुसूचित जनजातियों, खानाबदोश तथा अर्द्धखानाबदोश जनजातियों के पुनर्वास तथा विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना की व्यवस्था है ।

(ग) केन्द्रीय प्रयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों (जिनमें कि खानाबदोश तथा अर्द्धखानाबदोश जनजातियों भी शामिल हैं) के सम्बन्ध में चौथी योजना परिव्यय तथा व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4939/73]

आदिवासी संस्कृति पर निर्मित वृत्त चित्र

8895. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आदिवासी संस्कृति अर्थात भारत विभिन्न जनजातियों की ठेठ पुरातन परम्परा पर आधारित कितने वृत्त चित्र बनाए गए हैं;

(ख) उन जनजातियों के नाम क्या है ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इन विभिन्न जनजातियों के बारे में वृत्त चित्रों का निर्माण भी करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फिल्म प्रभाग ने आदिवासी संस्कृति पर 4 वृत्त चित्र बनाए हैं। इसके अतिरिक्त, उसने तीन फिल्में दान के रूप में स्वीकार की हैं। 2 वृत्त चित्र निर्माणाधीन हैं।

(ख) मुकम्मल हुई फिल्मों में चित्रित मुख्य जनजातियां ये हैं :—

(1) हिमाचल की गडरिया जनजाति

(2) नागा

(3) मोपा, तथा

(4) डफलास

(ग) जी, हां।

वर्ष 1973-74 के दौरान सिंचाई, विद्युत, इस्पात उर्वरकों और अलौह धातुओं पर बल

8896. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 की वार्षिक योजना में सरकार द्वारा सिंचाई, विद्युत, इस्पात, उर्वरकों और अलौह धातुओं पर अधिक बल दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लिए स्वीकार की गई योजना की रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) सिंचाई

1973-74 में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त क्षमता तथा अतिरिक्त उपयोग से सम्बन्धित लक्ष्यों की परिकल्पना क्रमशः 10.60 लाख हैक्टेयर और 12.10 लाख हेक्टेयर की गई है। चालू स्कीमों को यथासंभव पूरा करने के काम पर ज़ोर दिया जाएगा। नई स्कीमों का चयन करने में सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा पिछड़े की स्कीमों को वरीयता प्रदान की जाएगी ।

बिजली

ऐसी सम्भावना है कि बिजली की उत्पादन क्षमता 1972-73 की लगभग 175.30 लाख किलोवाट क्षमता से बढ़कर 1973-74 में 194.570 लाख किलोवाट हो जाएगी । 1973-74 में पारेषण लाइनों के निर्माण कार्य को उच्चतर प्राथमिकता प्रदान की गई है।

ऐसी आशा है कि ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 1973-74 में तीन लाख पम्प-इंजनों को बिजली प्रदान कर दी जाएगी। इस वर्ष 13000 गांवों में बिजली लगाने की भी परिकल्पना की गई है। इस प्रकार चौथी योजना की समाप्ति तक लगभग 24 लाख पम्प-इंजनों को बिजली प्रदान कर दी जाएगी तथा देश के 1.48 लाख गांवों में बिजली लग जाएगी ।

इस्पात

1973-74 के दौरान इस्पात के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख विकास कार्यों में भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार तथा 17 लाख टन उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण कार्य में तीव्रता लाने का कार्य महत्वपूर्ण है। 1973-74 में इस्पात पिण्ड बनाने का लक्ष्य 7.8 लाख टन निर्धारित किया गया है ।

उर्वरक

कई नई परियोजनाओं के 1973-74 में पूरे हो जाने की आशा है, जिनसे लगभग आठ लाख टन नाइट्रोजन खाद का अतिरिक्त उत्पादन होने लगेगा। 1973-74 में नाईट्रोजन तथा पी2 ओ5 उर्वरकों के उत्पादन लक्ष्यों का अनुमान क्रमशः 14 लाख टन तथा चार लाख टन लगाया गया है।

अलौह धातु

1973-74 में एल्यूमीनियम तथा तांबे के उत्पादन में काफी वृद्धि होने की सम्भावना है। इन धातुओं के उत्पादन लक्ष्यों का अनुमान क्रमशः 210000 टन तथा 20000 टन लगाया गया है।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने हेतु एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय दल का राज्यों का दौरा

8897. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु एक उच्च स्तरीय केन्द्रीय दल ने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे के क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : 1973-74 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए पांच लाख रोजगार अवसर उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए योजना राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल ने अब तक केरल, तमिलनाडु, मैसूर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल का दौरा किया है। ये स्कीमें राज्य सरकारों को योजना आयोग द्वारा भेजे गए मुख्यमार्गदर्शक सिद्धातों (प्रतिलिपि संलग्न) के आधार पर तैयार की गई हैं। विचारविमर्शों के परिणामस्वरूप कई स्कीमों को शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मंजूर किया गया है। कुछ स्कीमों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि उन्हें कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुकूल बनाया जा सके। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अनुमोदित स्कीमों का कार्यान्वयन करें। दल को आशा है कि वह मई के अन्त तक शेष राज्यों का दौरा भी कर लेगा ताकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गई सभी स्कीमें मई के अन्त तक मंजूर हो जाएं।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए पाँच लाख रोजगार अवसरों का कार्यक्रम (1973-74)

मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. रोजगार कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए कि उनका वर्तमान विकास कार्यक्रम अथवा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किए जाने वाले कार्यक्रमों से सामंजस्य स्थापित हो सके। स्कीमें ऐसी होनी चाहिए कि उनके लिए आवर्ती सहायता की आवश्यकता न हो अपितु ऐसी भी हो कि जो व्यक्ति काम पर लगे हों वे अर्थ-व्यवस्था की सामान्य धारा में आ जाएं। रोजगार अवसरों की व्यवस्था करते समय रोजगार के स्वतः सृजन की बात पर बल दिया जाना चाहिए। स्कीमें ऐसी भी होनी चाहिए कि उनसे अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध हों और उनका प्रभाव भी अधिकाधिक हो। ये उत्पादनशील एवं श्रम-सघन भी होनी चाहिए।

2. इस दिशा में हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक राज्य (जहां तक सम्भव हो, जिलावार) में 1973-74 में कम से कम 20 प्रतिशत शिक्षित बेरोज़गार काम पर लगाए जा सकें।

3. ऐसे इंजीनियरों तथा उच्च शिक्षा प्राप्त तकनीशनों जो कि अभी तक बेरोजगार हैं, को प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वर्ष 1973-74 में ऐसे सभी इंजीनियरों तथा उच्च शिक्षा प्राप्त तकनीशनों को लाभप्रद रोज़गार अवसर प्रदान करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाने चाहिएं।

4. जिस परिवार का कोई आय का साधन न हो उसके शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और अल्पसंख्यकों के स्नातकों पर रोजगार देते समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार युद्ध के परिणामस्वरूप हुई विधवाओं, सफाई करने वाले वर्ग के बेरोजगार शिक्षितों, अपाहिज शिक्षित युवकों तथा इसी प्रकार के अन्य उपयुक्त मामलों में विशेष सुविधा दी जानी चाहिए।

6. शिक्षित बेरोजगारों की रोजगार तथा किसी काम में खपने की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पांचवीं योजना के कार्यक्रमों का आधार माना जाना चाहिए। विशेषकर अगले वर्ष की वार्षिक योजना को दृष्टि में रखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण स्कीमें तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए पांच लाख रोजगार अवसर उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत धन केवल प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रवृत्ति देने, प्रशिक्षण से सम्बन्धित

कार्मिकों व प्रशिक्षण उपकरणों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए ही दिया जाएगा । भवनों, वाहनों आदि पर होने वाला अन्य व्यय राज्य सरकार को स्वयं अपने साधनों से पूरा करना होगा ।

7. इलेक्ट्रोनिक बस्तियों अथवा प्लास्टिक बस्तियों जैसी मूल सहायक औद्योगिक बस्तियों तथा विशेष औद्योगिक बस्तियों को बसाने के कार्य को बढ़ाया जाना चाहिए । परन्तु इस प्रकार की बस्तियों को बसाने के उद्देश्य से अपेक्षित निवेश के लिए संस्थागत अथवा राज्य संसाधनों से धन जुटाया जाना चाहिए ।

8. ऐसे लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों, जिनके लिए कम पूंजी की आवश्यकता हो परन्तु जो उत्पादन तथा श्रम परक हों, को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए और उन्हें पर्याप्त संरक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए ।

9. शिक्षित बेरोजगारों की उपभोक्ता सहकारी समितियों, ऋण सहकारी समितियों, सेवा सहकारी समितियों, औद्योगिक सहकारी समितियों आदि को मार्जिन धनराशि देकर अथवा शेयर पूंजी में अंशदान कर आरम्भ किया जाए तथा प्रोत्साहित किया जाए ।

10. इन स्कीमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए राज्य-स्तर पर एक विशेष सैल की स्थापना की जानी चाहिए । इसमें प्रमुख कोई मंत्री होना चाहिए तथा सचिव स्तर का कोई अधिकारी भी इसमें हो । इस प्रकार के सेलों में बैंकों, सरकारी वित्त संस्थाओं, उद्योगों, निगमों आदि के भी प्रतिनिधि होने चाहिए । जिला स्तर पर भी इस प्रकार के सेलों की स्थापना की जानी चाहिए । इन सेलों को अक्सर अपनी बैठकें करनी चाहिए और उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वयन में प्रबोधन का काम करना चाहिए ।

Cancellation of Letters of Intent/Licences

8898. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the circumstances in which letters of intent and licences are cancelled; and

(b) the number of letters of intent and licences cancelled during the last three years?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) A letter of intent automatically lapses if, within the specified period, applications/proposals relating to the conditions mentioned therein are not submitted or if, within a period of one year from the date of issue of the letter of intent, an industrial licence is not issued to the applicant unless the period of validity of the letter of intent is, in the meanwhile, extended by Government on an application to be made by the applicant before the expiry of the said period of one year. Industrial licences are revoked by the Government if the licensee without reasonable cause fails to take effective steps for the implementation of the licence within the specified time. Industrial licences are surrendered by the parties if they cannot implement them and these are then cancelled by the Government.

(b) Information regarding letters of intent cancelled is not available. The following numbers of licences were revoked/surrendered during the last three years:—

	No. of licences revoked	No. of licences surrendered	Total
1970	40	20	60
1971	27	8	35
1972	16	15	31

Cases of False Complaints Detected by Central Vigilance Commission

8899. Shri M. C. Daga : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of those cases detected by the Central Vigilance Commission in 1969, 1970 and 1971 in which the First Information Reports or the complaints were found to be false and whether action was taken against the persons who lodged the false complaints; and

(b) the names of the persons punished for making false complaints and the nature of punishment awarded to each of them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Publicity of Policies, Achievements and Programmes of Union Government by State Governments

8900. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the various aspects of relationship between the Central Information and Broadcasting Department and the Information and Broadcasting Departments of States and how the State Governments give publicity to the policies, achievement and programmes of Union Government upto the Panchayat level; and

(b) Whether Union Government take any action against those State Governments which do not give publicity to the Policies, achievements and programmes of the Centre?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Broadcasting is in the Union list. The Central and State Information Departments have distinct spheres of activity in conformity with our federal structure. While the media units of the Union Government project the national perspective in their programmes, the State units highlight the State angle and are concerned with the policies, achievements and programmes of the State Governments. The Central and State organizations, however, try to work in a complementary way in matters concerning major national objetives. For this purpose co-ordination machinery exists at various levels.

(b) Does not arise.

क्रासबार एक्सचेंजों में त्रुटियों का दूर किया जाना

8901. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रासबार एक्सचेंजों के डिजाइन और उत्पादन में कुछ दोष पाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक दूर कर दिया जाएगा तथा उन दोषों को दूर करने पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) क्रासबार एक्सचेंजों के कार्य-चालन में कुछ खास खामियां ही जानकारी में आई हैं ।

(ख) जिन क्रास बार टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए बेल्जियम के मेसर्स बी० टी० एम० द्वारा उपस्कर सप्लाई किया गया था, उन सभी एक्सचेंजों में उपर्युक्त खामियों को दूर करने के लिए एक कार्यक्रम हाथ में ले लिया गया है उम्मीद है कि वर्ष 1974-75 के मध्य तक यह कार्य पूरा हो जाएगा । तथापि दिल्ली के तीन क्रासबार एक्सचेंजों में अग्रता के आधार पर काम हो रहा है और उम्मीद है कि इस वर्ष के समाप्त होने से पहले ही यह काम पूरा हो जाएगा । जहां तक इन क्रासबार एक्सचेंजों की खामियों को दूर करने पर होने वाले खर्च का संबंध है, खामियों को दूर करने के काम में आने वाले सभी सामान मेसर्स

बी० टी० एम० मुफ्त सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने सिद्धांत रूप में यह बात भी मान ली है कि इस काम में लगने वाली श्रमशक्ति का खर्च भी वे वहन करेंगे। जहां तक क्रासबार एक्सचेंजों की खामियों को दूर करने का संबंध है जिनके लिए उपस्कर मेसर्स आई० टी० आई०, बंगलौर द्वारा सप्लाई किए गए थे इन एक्सचेंजों की खामियों को दूर करने के उपायों पर विचार किया जा रहा है और खामियों दूर करने के काम पर जो खर्च आएगा और इस काम के पूरा होने में जो समय लगेगा, उसका अनुमान लगाया जा रहा है।

Places in Bihar with Automatic Telephone Exchanges

8903. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of places in Bihar where there are automatic telephone exchanges;

(b) the number and names of places where automatic telephone exchanges are proposed to be set up during 1973-74; and

(c) the names of such places in Bihar which are proposed to be linked with Patna by direct dialling system during 1973-74?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) A list giving the names of place in Bihar where there are automatic telephone exchanges is enclosed as Annexure I. [*Placed in Library. See* No. *LT*-4940/73].

(b) Automatic telephone exchanges are proposed to be set up at 18 places in Bihar during 1973-74. The names are given in the list enclosed as Annexure II. [*Placed in Library. See No. LT*-4940/73].

(c) No places in Bihar are proposed to be linked with Patna by direct dialling system during 1973-74.

Charging of higher prices of imported goods from Small Scale Industries

8904. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether higher prices are charged by Government/importing agencies for imported goods from small scale industries as compared to the prices charged from big industries;

(b) whether the service charges of these agencies are also on the high side; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) to (c). As per the pricing policy framed by the pricing Review Committee, the small scale industrial units get supplies of raw materials at the same price at which the large scale units get them.

The service charges of the Government/importing agencies are normally fixed in the range of 1·5% to 5% of the c.i.f. prices for different categories of consumers. In the case of a few items like Soyabean oil, copra, tallow or stainless steel where there is large gap between the import price and domestic price, the State agencies are authorised to mop up the profits with a view to avoid windfall profits being made by middlemen. In a number of items, the service charges have been fixed less by 3·5% of c.i.f. price for small scale units than the service charges which are fixed for large scale units.

Proposal to set up Industrial Development Board in Delhi

8905. Shri Chiranjib Jha : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government have seen the news item published in the Hindustan of the 4th April, 1973 under the caption "Delhi men Audhyogik Vikas Board ki Sthapna ka Sujhav" (proposal for setting up an industrial development board in Delhi); and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) and (b). Presumably the reference is regarding the recommendation contained in the report of industrial panel set up by the Delhi Administration for establishment of Industrial Land Development Corporation. The report is yet to be submitted to the Delhi Administration.

बिहार के गया और नवादा जिलों में सरकारी क्षेत्र में उद्योग

8906. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के दौरान बिहार के गया और नवादा जिलों में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने पर कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जाएगी ।

बिहार में गया टैक्सटाइल मिल्स को पुनः खोलना

8907. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य स्थित गया टेक्सटाइल मिल्स क्यूं बंद कर गई थी; और

(ख) क्या निकट भविष्य में इसे खुलवाने की सरकार की कोई योजना है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जून 1965 में श्रमिक अशान्ति अलाभकारी कार्य संचालन और सतत हानि के कारण गैरसरकारी प्रबन्धकों ने मिल बन्द कर दी थी ।

(ख) मिल जिसका प्रबन्ध संकटग्रस्त वस्त्र उद्योग उपक्रम (प्रबन्ध को हाथ में लेना) अधिनियम 1972 की धारा 4(1) के द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन है के पट्टेदारों ने भारत के उच्चतम न्यायालय से अन्तरिम स्थगन (स्टे आर्डर) आदेश प्राप्त कर लिए हैं जिसके अनुसार यथापूर्व स्थिति बनी रहेगी। इसलिए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अभिरक्षक द्वारा मिल अभी चालू नहीं की गयी है।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा उद्योग के रास्ट्रीयकरण के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने की मांग

8908. **श्री रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने सरकार से राष्ट्रीयकरण के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत घोषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या नई दिल्ली में हाल में आयोजित अपनी वार्षिक बैठक में संघ द्वारा स्वीकृत एक संकल्प में कहा गया है कि जिस विशिष्ट आधार पर इन उद्योगों को अपने नियंत्रण में लिया जाएगा, सरकार की इस नीति के स्पष्ट वकतव्य से उद्योग में विश्वास पनपेगा ;

(ग) क्या संघ ने यह भी मांग की है कि राष्ट्रीयकरण संबंधी निर्णय करने से पूर्व यह मामला एक स्वतंत्र निकाय को, यह अध्ययन करने कि यह कदम समग्र रूप से जनहित में है, सौंप देना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) : भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने हाल ही में नई दिल्ली में हुए अपने वार्षिक अधिवेशन में निम्नलिखित सिफारिशों सहित एक प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव राष्ट्रीयकरण द्वारा एकाएक निजी व्यापार के हाथ में लिए जाने से उत्पन्न हुए भ्रम तथा आशंकाओं के निवारणार्थ लाया गया था।

(1) उन उद्योगों के विषय में, जो हाथ में लिए गए तथा जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, सरकार द्वारा ठीक-ठीक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जाएं और उनकी खुले आम घोषणा की जाए।

(2) इसके पहले कि सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया जाए, मामला एक स्वतंत्र जांच निकाय को भेजा जाए जो इस बात का अध्ययन करे कि क्या प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण समग्र-रूपेण लोकहित में है।

(3) हाथ में लिए जाने और राष्ट्रीयकरण के सभी मामलों में निवेशकर्ताओं को समुचित और सही मुआवजा देने का आशवासन दिया जाए।

(घ) समय-समय पर यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि सरकार की नीति राष्ट्रीयकरण का उपयोग राष्ट्रीयकरण के लिए ही नहीं बल्कि जब कभी भी लोकहित में उचित होता है किया जाता है।

विभिन्न राज्यों में डाकुओं का सफाया

8909. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन कुछ डाकुओं ने गत वर्ष समर्पण नहीं किया था, वे डाकू विभिन्न राज्यों में नए गिरोहों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों को, नए गिरोहों का सफाया करने के लिए, कितनी केन्द्रीय सहायता देने की पेशकश की गई है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई समन्वित योजना बनाई गई है और भूमि सुधार तथा डाकूग्रस्त क्षेत्रों के सामान्य आर्थिक विकास के मामले में इसे कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) : नए गिरोहों का सफाया करने के लिए कोई विशेष सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) : डाकू ग्रस्त क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए योजनाओं का सुझाव देने के लिए संयुक्त सचिवों की एक समिति गठित की गई थी। इस क्षेत्र के लिए बिहड़ भूमि के सुधार तथा सड़क के विकास से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हुई है और संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श में कार्यवाही की जा रही है।

घर पर जाकर टेलीफोन बिल देने के लिए मैसेंजर नियुक्त करने का प्रस्ताव

8919. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग का विचार घर-घर जाकर टेलीफोन बिल डिलीवर करने के लिए विशेष मैसेंजरों की नियुक्ति करने का है जिससे कि बिलों के खो जाने को रोका जा सके जैसा कि अब हो रहा है,

(ख) क्या डाक-तार विभाग का विचार बिल बनाने के कार्य का विकेन्द्रीकरण करके उसे उप-मण्डल स्तर देने का है जिससे कि तारघरों की तरह टेलीफोन के बिलों की राशि अदायगी टेलीफोन केन्द्र अथवा उप-मण्डल कार्यालय के काउंटर पर हो सके, और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीबाई छेनबागारामन पिल्लै नामक एक स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु

8911. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या श्रीमती लक्ष्मीबाई छेनबागारामन पिल्लै नामक एक स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु दिसम्बर के पहले सप्ताह में धन और उचित चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण बम्बई में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या तथ्य हैं ;

(ग) क्या श्रीमती लक्ष्मी पिल्लै का घर पुलिस के कब्ज़े में है; और

(घ) क्या छेनबागारामन स्मारक केन्द्र मद्रास तथा डा० पिल्लै के सम्बन्धियों ने पुलिस कमिश्नर और सरकार से कोई दावा किया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :(क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संगणकों के विकास और निर्माण के लिए एक नया उपक्रम बनाने का प्रस्ताव

8912. **श्री राम प्रकाश** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगणकों की नवीनतम किस्म के विकास और निर्माण के लिये एक नया उपक्रम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है, और

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल कितना खर्च आयेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) तथा (ख) सरकार ने मई, 1971 में, इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, (हैदराबाद) जो पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार का सरकारी क्षेत्र उपक्रम है, का कम्प्यूटर निर्माण कार्यक्रम स्वीकार कर लिया है। कारपोरेशन ने अब तक 18 कम्प्यूटर (टी०डी० सी० 12) बनाये हैं और अधिक संस्कारित प्रणालियों का विकास करने की अग्रिम अवस्था में है जिसका आधार इंटीग्रेटिड सर्किट्स है, जो 1974 से उपलब्ध होंगे। इस कार्यक्रम में होने वाला खर्चा जो अब तक सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है 223.76 लाख रुपये है जो चार वर्षों की अवधि में वितरित कर दिया है, (1971-72 से 1975-76 तक)। लघु-कम्प्यूटरों के उत्पादन हेतु निर्माण कार्यक्रम कैसे स्थापित किया जाय, के प्रश्न की भी जांच सरकार कर रही है और कम्प्यूटर लघु-प्रणालियों की शृंखला तथा घटक जैसे पेरीफिरल्स

मैमोरीज, अर्द्ध-कंडक्टर डिवाइसेज आदि भी विचाराधीन है। उपर्युक्त वर्णित स्वरूपों की प्रगति के आधार पर, सरकार आवश्यकता पर विचार करेगी अथवा कम्प्यूटर तथा सम्बन्धित मद्दों के निर्माण हेतु किसी और उपक्रम की स्थापना पर भी विचार करेगी।

आर० के० पुरम. नई दिल्ली स्थित लाइब्रेरी आफ कम्प्यूटर सेंटर से सम्बन्द्ध डी० जी० टी० डी० डेटा टेप का गुम होना

8913. **श्री मधु दण्डवते :** :क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० के० पुरम, नई दिल्ली स्थित लाइब्रेरी आफ कम्प्यूटर सेंटर से संबद्ध एक डी० जी० टी० डी० डेटा टेप लाइब्रेरी से गुम हो गया है;

(ख) क्या इस डेटा टेप में कई लाख कार्ड शामिल/सम्बद्ध है और इस पर लगभग 1,50,000 रुपये खर्च किए गए थे

(ग) क्या इसे प्राप्त करने के लिए सरकार ने कोई प्रयास किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) नई दिल्ली आर० के० पुरम् स्थित कम्प्यूटर सेंटर की लाइब्रेरी से कोई डी० जी० टी० डी० डेटा टेप गुम नहीं हुआ था। किन्तु भारतीय प्रबन्ध संस्थान कलकत्ता द्वारा डी० जी० टी० डी० के लिये प्रमुख डेटा पद्धति का एक टेप से अक्समात अंकन मिट गया था;

(ख) से (घ) चूंकि मूल दस्तावेज उपलब्ध हैं भारतीय प्रबन्ध संस्थान को उसको फिर तैयार करने को कहा गया है।

भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता द्वारा कम्प्यूटर पर आधारित सूचना केन्द्र का डिजायन तैयार किया जाना

8914. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता को डी०जी०टी०डी० के लिए, जानकारी पद्धति पर आधारित एक संगणक के डिजाइन का काम सौंपा गया था;

(ख) क्या भारतीय प्रबन्ध संस्थान ने इस ठेके को पूरा कर लिया है; और

(ग) क्या भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता को मूल ठेके से बहुत अधिक की राशि दी गई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां। भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता को तकनीकी विकास के महानिदेशालय के लिए संगणक पर आधारित जानकारी के अनुसार डिजाइन तैयार करने और कार्यान्वियन का कार्य सौंपा गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) संविदा की शर्तों के अनुसार भारतीय प्रबन्ध संस्थान की 5 लाख रु० का भुगतान किया गया है। इसके अलावा, उनके द्वारा किए गये अतिरिक्त कार्य के लिए उन्हें 1,80,000 रु० की राशि का भुगतान किया गया था।

आकाशवाणी और गीत तथा नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों के पदोन्नति के अवसर और स्थानान्तरण के लिये नियम

8915. **श्री मधु दण्डवते : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या आकाशवाणी और गीत तथा नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों के लिये कोई पदोन्नति के अवसर तथा तबादले के लिये निश्चित नियम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ; और

(ग) वर्ष 1972 के दौरान गीत तथा नाटक प्रभाग के कितने आर्टिस्टों और कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : आकाशवाणी तथा गीत और नाटक प्रभाग के आर्टिस्ट अलग-अलग संवर्गों के सदस्य हैं और इसलिए उनके कार्य तुलनीय नहीं है। आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा तबादले के लिये नियमित प्रक्रिया है।

(ग) अतः स्टाफ आर्टिस्टों के मामले में पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, 1972 के दौरान दो कलाकारों, जो सीमा प्रचार दलों में समेकित 150 रुपए मासिक फीस पर खेल के अभिनेता थे, को 215–440 रुपये मासिक फीस पर क्रमशः नर्तक तथा अभिनेत्री चुना गया था। उन कर्मचारियों, जिनको वर्ष 1972 के दौरान पदोन्नत किया गया था, की संख्या दो थी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरियां देने सम्बन्धी योजनाएं

8917. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेरोज़गार व्यक्तियों को नौकरियां देने के लिये केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा कोई विशेष योजनायें बनायी गयीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की योजनाओं में शामिल किए गए विभिन्न कार्यक्रमों से जनसंख्या के सभी वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी शामिल हैं, को लाभ पहुंचने की आशा है। चौथी योजना के दौरान लघु कृषक विकास एजेन्सी, नाममात्र के कृषकों व कृषि मजदूरों तथा ग्रामीण रोज़गार के लिए त्वरित स्कीम जैसे विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए थे। इनसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पर्याप्त रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित विशेष रोज़गार कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनेक स्कीमों से भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को लाभ पहुंच रहा है। शिक्षित बेरोज़गारों को 5 लाख रोज़गार के अवसर सुलभ करने का कार्यक्रम चलाया गया है। योजना आयोग ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोज़गार देने में प्राथमिकता दी जाय।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और खाना-बदोश जन-जाति के सभी स्नातकों तथा सफ़ाई का काम करने वालों में से शिक्षित लोगों को 1973-74 में लाभप्रद रोज़गार में खपा लें। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में भी उन शिक्षित लोगों को रोज़गार सुलभ करने का विशेष उल्लेख है, जिनके परिवार में आय का कोई स्रोत नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों को भी इससे पर्याप्त लाभ पहुंचेगा।

पांचवी योजना में पिछड़े वर्गों के विकास संबंधी कार्य-नीति में मुख्य विकास कार्यक्रम उपलब्ध करने में सामान्य क्षेत्र की भूमिका पर विशेष बल दिया जा रहा है। न्यूनतम आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सार्वजनिक उपभोक्ता कार्यक्रम में ऐसी स्थितियां पैदा की जायेंगी जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और खाना-बदोश जन-जाति के लोगों को उच्च प्राथमिकता मिले। सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में कृषि, भूमि सुधार, ग्रामीण और लघु उद्योग, अर्द्ध-कारीगर व्यवसायों में रोज़गार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण तथा संचार कार्य शामिल हैं। इनमें पिछड़े वर्गों के विकास कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक विधि-निर्माण को इस प्रकार का मोड़ दिया जायेगा जिससे एक निश्चित समय के भीतर ये विकास के उपयुक्त स्तर तक पहुंच जाये। इसके अतिरिक्त पिछड़े सामुदायों के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम, तथा उनकी प्रतियोगी-योग्यता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण स्कीमें चलाई जाएंगी। मिडिल स्कूल की शिक्षा के उपरान्त लाभप्रद रोज़गार में वृद्धि करने के लिए समुचित वृत्ति आयोजन और मार्ग दर्शन पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

भारत और सोवियत संघ में अन्तरिक्ष सम्बन्धी करार

8918. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री एम० कत्तामुतु :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और सोवियत संघ में अन्तरिक्ष परियोजना पर कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के साथ मई, 1972 में एक करार किया है जिसके अन्तर्गत, भारत में ही पूरा डिजायन बनाकर तैयार किया गया एक उपग्रह, सोवियत राकेट की सहायता से, सोवियत कास्मोड्रम से वर्ष 1974 के मध्य छोड़ा जायेगा।

पश्चिम बंगाल में लघु उद्योगों का बंद होना

8919. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई से प्रकाशित होने वाले 17 मार्च, 1973 के "इकानामिक टाइम्स" में "मास क्लोजर आफ बंगाल स्माल यूनिट्स (बंगाल के छोटे एककों का बड़े पैमाने पर बंद होना)" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार के बारे में जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : सम्बन्धित प्राधिकारी पश्चिम बंगाल की विशेष औद्योगिक स्थिति से अवगत है और स्थिति का मुकाबला करने के विषय में सतत् प्रयत्न किए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में बिजली के बल्ब बनाने वाले कारखानों का बंद होना

8920. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बिजली के बल्ब बनाने वाले छोटे कारखाने कितने हैं ;

(ख) इन करखानों में कितने लोग काम करते हैं ;

(ग) क्या कच्चे माल की अत्यधिक कमी के कारण इन कारखानों को बंद किया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो इन छोटे कारखानों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) 150 के लगभग ।

(ख) यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में इस उद्योग में लगभग 32,000 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

(ग) कच्चे माल की कमी कुछ एककों के बन्द होने के कारणों में से एक कारण है।

(घ) इन एककों की समस्याओं की जांच की जा रही है।

जनसंचार साधनों के कार्यकरण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सलाहकार पैनल

8921. **श्री सरज पाण्डे : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में जनसंचार साधनों के कार्यकरण से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में परामर्श देने हेतु राष्ट्रीय पैनल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) एक राष्ट्रीय जन सम्पर्क परिषद् गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) परिषद् का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

चालू वर्ष में योजना व्यय में कमी

8922 **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) चालू वर्ष के योजना व्यय में होने वाली लगभग 100 करोड़ रुपये की कमी के क्या कारण हैं, और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चालू वर्ष के दौरान योजना व्यय में कमी आई है, यह बताना अभी संभव नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नगरों में रेडियो और टेलीविजन कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

8924. **श्री लालजी भाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े नगरों में रेडियो और टेलीविजन केन्द्रों के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने की कुछ योजनाएं बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : आकाशवाणी के कुछ केन्द्रों में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर पहले ही हैं। चौथी योजना के अन्तर्गत 36 केन्द्रों में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाये जायेंगे। शेष केन्द्रों में कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण कार्य धन की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए पांचवीं तथा बाद की योजनाओं में हाथ में लिया जायगा।

राष्ट्रपति द्वारा दी गई विभिन्न उपाधियों का लौटाना

8925. **श्री लालजी भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी गई उपाधियों को लौटाने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : राष्ट्रपति पुरस्कार कई प्रकार के हैं और उन पर विभिन्न मंत्रालयों में कार्यवाही की जाती है। जहां तक उन पुरस्कारों का संबंध है जिन पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की गई है, किसी भी ऐसे व्यक्ति ने, जिसको गत तीन वर्षों में ऐसा पुरस्कार दिया गया था, वापस नहीं किया है।

भारत सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पद

8926. **श्री लालजी भाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग से उम्मीदवारों का चयन हो जाने के काफी समय बाद भी भारत सरकार के विभिन्न विभागों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : कभी-कभी चयन किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति में विलम्ब हो जाता है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये जाने के पश्चात अनुमोदित उम्मींदवारों की सूची संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को भेजी जाती है, चयन किए गए उम्मीदवार की नियुक्ति से पहले आचरण और पूर्व वृत की जांच तथा स्वास्थ्य परीक्षा आदि कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इन औपचारिकताओं को पूरा करने में निःसंदेह कुछ समय लगता है, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीदवार के चयन तथा रिक्त पद पर उसकी वास्तविक नियुक्ति के बीच समयान्तर हो जाता है।

पांचवी योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए आयोजना सेल द्वारा तैयार की गई योजनाएं

8927. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार तथा योजना आयोग के विचारार्थ और पांचवीं योजना में सम्मिलित करने के लिए कोई ठोस योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1972-73 के दौरान इस सेल द्वारा किए गए कार्य का सार क्या है ;

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख): पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के विस्तृत कार्यक्रमों को तैयार करने की जिम्मेदारी मुख्यत संबद्ध राज्य सरकारों की है। पहाड़ी क्षेत्र एकांश पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करता है, इन क्षेत्रों के लिये योजनायें तैयार करने में राज्यों को सहायता देता है और भूमि सामर्थ्य, संसाधन उपलब्धि, विपणन और परिष्करण कार्यकलापों और सहवर्ती बुनियादी आधार की सुविधाओं के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य अन्तः कार्रवाई की व्यवस्था करता है।

पहाड़ी क्षत्र एकांश द्वारा 1972-73 के दौरान जो काम किया गया उसका सारांश संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण

(1) पहाड़ी क्षेत्र एकांश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास से संबंधित निर्देशन समिति को तकनीकी तथा सचिवालय सेवा उपलब्ध करता है । इसमें सर्वेक्षण डिजाइन व प्रश्नावली और पहाड़ी विकास के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी दस्तावेज तैयार करना शामिल है। इसके अलावा, पहाड़ी क्षेत्र एकांश उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण सहित विशेष कार्यक्रम शुरू करने पर प्रश्न के सम्बद्ध मन्त्रालयों से सम्पर्क भी स्थापित करता है।

(2) पहाड़ी क्षेत्र एकांश ने उत्तर प्रदेश के चुने हुए पहाड़ी जिलों में चालू कार्यक्रमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने तथा जिला योजनाएं तैयार करने के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए दल भेजे।

(3) जम्मू तथा कश्मीर के लिए योजना तैयार करने के बारे में पहाड़ी क्षेत्र एकांश ने राज्य प्रतिनिधियों के साथ प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया।

(4) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में विद्यमान सूचना के आधार की भी पहाड़ी क्षेत्र एकांश ने सामान्य समीक्षा की ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए कार्य-नीति तैयार करने में उसकी पर्याप्तता या अन्यथा का पता लगाया जा सके

पिछड़े क्षेत्रों में तीव्रगति से उद्योगीकरण करने के लिए अवस्थापना की व्यवस्था

8928. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के तीव्र गति से उद्योगीकरण हेतु रेलवे लाइन, बिजली तथा परिवहन प्रदान करके अवस्थापना की व्यवस्था करने संबंधी संसद सदस्यों द्वारा बार-बार किये गय अनुरोध को ध्यान में रखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अथवा योजना आयोग ने देश के विभिन्न पिछड़े भागों में अवस्थापना की व्यवस्था की जांच करने के लिए तथा संबंधित मंत्रालयों को इन मदों के अपनी आगामी योजनाओं में शामिल किये जाने के लिये सिफारिश करने के लिये किसी समिति का गठन किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की समिति का गठन करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने पांचवीं योजना के दौरान चुने हुए पिछड़े ज़िलों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एक अभियान दल का गठन किया था। चुने हुए पिछड़े जिलों में उद्योगों के तेजी से विकास करने पर औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा गठित एक अध्ययन दल जांच कर रहा है।

जिला स्तर पर योजना बोर्ड

8929. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला स्तर पर योजना बोर्ड बनाने के लिये सरकार ने कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : विभिन्न राज्यों में जिला स्तर पर इस समय जो संस्थागत तथा प्रशासनिक संरचना है उसमें काफी विभिन्नता है। अतः जिला स्तर पर योजना मंण्डलों (बोर्डों) के गठन के बारे में योजना आयोग ने कोई ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं किए हैं। योजना आयोग इस समय जिस स्कीम के लिये वित्तीय सहायता दे रहा है उसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर आयोजन तंत्र को केवल कार्य संचालन एककों के रूप में सुदृढ़ तथा पुनर्गठित करने की कल्पना की गई है।

10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रम

8930. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिये आकाशवाणी में कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो उन कार्यक्रमों के नाम क्या हैं और उक्त कार्यक्रमों के लिये कितना समय आवंटित है ; और

(ग) क्या उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिये सभी राज्यों के बच्चों को सुविधाएं दी जाती हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रमों के नाम हर स्टेशन पर भिन्न-भिन्न हैं, इनकी अवधि 15 मिनट से 60 मिनट तक होती हैं।

(ग) जी, हां।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा कम्पलेक्स

8932. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र जिसने दो वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा कम्पलैक्स की सम्भावनाओं पर अध्ययन किया था ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां ईधन की अत्याधिक कमी है इस प्रकार के एक कम्पलेक्स की स्थापना का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कम्पलेक्स की मुख्य बातें क्या हैं और इसकी अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) परमाणु बिजली पर आधारित कृषि उद्योग समिश्रों की परिकल्पना का मूल्यांकन करने के लिये परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नियुक्त किये गये एक कार्यकारी वर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस कार्यकारी वर्ग द्वारा जिन परियोजनाओं का अध्ययन किया गया है उनमें से गंगा के मैदान में इस प्रकार का समिश्र स्थापित करने की एक परियोजना भी शामिल है। इन परियोजनाओं को और विस्तृत रूप से अध्ययन किया जा रहा है । इस अध्ययन के पूरा हो जाने के पश्चात इन परियोजनाओं को स्थापित करने के बारे में सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

आत्म निर्भरता के जरिए औद्योगिक विकास के बारे में गोष्ठी

8933. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन्होंने नई दिल्ली में 6 अप्रैल, 1973 को अत्मनिर्भरता के जरिये औद्योगिक विकास के बारे में एक गोष्ठी का उद्घाटन किया था,

(ख) क्या उसमें यह संकेत दिया गया था कि सरकार उन लोगों के लिये, जो प्रौद्योगिकी का आयात करना चाहते हैं, यह अनिवार्य किया जाये कि या तो वे स्वयं अनुसंधान और विकास सुविधा की व्यवस्था करें अथवा इस प्रकार की आयात की गई प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिय स्वयं को किसी मौजूदा अनुसंधान की और विकास संस्थान से संबद्ध करें, तो यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है, और

(ग) इस गोष्ठी में अन्य कौन से प्रस्ताव रखे गये हैं, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : औद्योगिक विकास के बारे में 6 अप्रैल, 1973 को गोष्ठी का उद्घाटन करते समय यह कहा गया था कि प्रौद्योगिकी के आयातकों को चाहिये कि वे स्वयं आवश्यक अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों की स्थापना करें अथवा उसी प्रौद्योगिकी के बारम्बार आयात करने की आवश्यकता को समाप्त करने यथाशीघ्र देश में ही क्षमता का निर्माण करने हेतु विद्यमान अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में प्रतिष्ठानों से अपने को सम्बद्ध करें।

विदेशी सहयोग के करारों पर स्वीकृति देते समय यह शर्त लगायी जा रही है कि करार की अवधि के दौरान भारतीय कंम्पनी को स्वयं अपनी डिजाइन और अनुसंधान की सुविधाएं जुटानी चाहिएं और करार की अवधि के बाद विदेशी सहयोगी पर निरंतर निर्भर रहना आवश्यक नहीं होगा।

(ग) गोष्ठी में किए गए कुछ प्रस्ताव ये थे :–

(1) विदेशी और देशी प्रौद्योगिकी के उपयुक्त समिश्रण का विकास करने की आवश्यकता।

(2) आंकड़ा कोशों तथा प्रौद्योगिकी प्रलेखीकरण का सृजन करना,

(3) वैज्ञानिक और तकनीकी मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करना,

(4) अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों में डिजाइन क्षमता में वृद्धि करना,

(5) अनुसंधान संगठनों के साथ सुदृढ़ इंजीनियरी प्रभाग सम्बद्ध करना,

(6) परामर्शदात्री संगठनों को सुदृढ़ बनाना, और

(7) लागत डिजाइन और विशिष्टियों का मानकीकरण करना। सरकार ने ये बातें ध्यान में रख ली हैं।

Setting up of Industries under Joint Sector

8934. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of undertakings proposed to be set up in the Joint Sector; and

(b) the number of letters of intent and licences issued to various parties for setting up the projects indicating the names of the parties which have been issued letters of intent and licences so far as also the names of projects for which letters of intent and licences have been issued and the time by which these projects are likely to be set up and go into production?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) : On the basis of information furnished by the State Industrial Development Corporations, a statement is laid on the Table of the House, giving a list of projects which the respective State Industrial Development Corporations propose to set up in the joint sector. [Placed in Library. See No. LT-4941/73]. In addition, M/s. Century Pulp, Calcutta and M/s. Bangur Brothers, Calcutta have also been issued letters of intent for the setting up of paper plants in the Joint Sector. These projects are at various stages of implementation.

Promotion of Class IV Employees as Clerks

8935. Shri Narendra Singh Bisht : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the maximum age limit prescribed for the competitive examination conducted by Government for promotion of Class IV employees as clerks is 45 years;

(b) if so, Government's scheme in regard to promotion of those Class IV employees who have crossed the age of 45 years;

(c) whether they would be promoted without taking any examination; and

(d) if not, whether Government propose to relax the age limit for Class IV employees who are above 45 years of the said examination?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir. However, it is relaxable by five years in the case of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates.

(b) & (c) : As the nature of the duties of Class IV employees are different from the nature of duties of Class III employees, promotion as such was not found feasible. However, reservation of 10% of vacancies in the grade of Lower Division Clerks is provided for educationally qualified Class IV staff. (i.e those possessing matriculation or equivalent qualification) who have rendered five years' service and who are below the age of 45 years (50 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) at the time of the departmental examination. Thus as there is no scheme for promotion of Class IV employees, the question of promotion of those who have crossed the age of 45 years without taking any examination does not arise.

(d) No Sir.

317LSS/73—9

Communication System in Hill Districts of U.P.

8936. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the measures taken or proposed to be taken to improve the communications system in hill districts of Uttar Pradesh?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (A) *Telegraph an Telephane facilities.*

The policy for opening long distance Public Call Offices and Telegraph Offices on loss basis in the Hilly areas has been relaxed. This relaxed policy is also applicable to hilly areas of U.P. like other hilly areas in the country. At present, 90 Public Call Offices, 156 Telegraph Offices and 30 Telephone Exchanges are working in the Hill District of Uttar Pradesh. In addition, 34 Public Call Offices, 51 Telegraph Offices and 1 Telephone exchange are sanctioned for these areas and these offices will be opened progressively.

(B) *Postal Facilities.*

At present there are 1596 Post offices working in the hill districts of Uttar Pradesh. It is proposed to open 59 more Post Offices in these districts during the year 1973-74. Opening of these additional Post Offices will improve the delivery services and letter box clearances in these areas.

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का 'समाचार दर्शन' कार्यक्रम

8937. **श्री वसंत साठे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के 'समाचार दर्शन' कार्यक्रम में चालू मामलों पर चर्चा के महत्व तथा बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए इस कार्यक्रम को प्रादेशिक भाषाओं के श्रोताओं के लिये प्रसारण करने वाले केन्द्रों पर नियमित आधार पर चालू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : "स्पाटलाइट' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक दिन के राष्ट्रीय दृष्टिकोण से समाचारिक महत्व के प्रमुख विषय को प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम तीन महानगरों तथा 9 अन्य केन्द्रों से रिले किया जाता है। यह कार्यक्रम हिन्दी में "सामयिकी" नाम से दिल्ली केन्द्र से प्रसारित किया जाता है।

प्रादेशिक भाषाओं में सामयिक विषयों पर नियमित कमेंन्ट्रियां चालू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास अनुदान के दर का पुनरीक्षण

8938. **श्री गदाधर साहा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति (पांचवीं लोक सभा) की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास अनुदान में वृद्धि करने की आवश्यकता से सम्बन्धित सिफारिश को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, विशेषत. पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य ने क्या निर्णय लिये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गई सिफारिश सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी गई थी। कुछ राज्यों से अब तक प्राप्त उत्तर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि करने से सम्बन्धित मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अधीन ग्राह्य निर्वाह के व्यय की दरों में योग्य छात्रों के लिए अर्थात् जिन्होंने अपनी अन्तिम परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं, वृद्धि कर दी गई है।

विवरण

पश्चिम बंगाल :

सिद्धान्तरूप में स्वीकृत। वास्तव में छात्रावासों के निर्माण विस्तार के लिए तथा बोर्डिंग व्यय के लिए अनुदान के सम्बन्ध में पुनरीक्षण किया गया है। जहां तक बोर्डिंग व्यय का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि रहन-सहन के बढ़ते व्यय को पूरा करने के लिए वर्तमान दर बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। धन की कमी के कारण इस समय और पुनरीक्षण करना सम्भव नहीं है।

गुजरात :

छात्रावास अनुदानों की दर 1-11-1971 से प्रति छात्र प्रतिमाह 30 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये कर दी गई है।

तमिलनाडु :

सरकारी छात्रावासों में छात्रों के लिए खाद्य व्यय की दर 1971-72 से प्रति छात्र प्रति माह 5 रुपये तक बढ़ा दी गई है।

मैसूर :

तालुक मुख्यालयों तथा अन्य ग्रामीण स्थानों में छात्रावास के भवनों के निर्माण के लिए एक योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अधीन तालुक विकास बोर्डों से ऐसे भवनों का निर्माण व्यय वहन करने के अतिरिक्त निःशुल्क स्थान प्रदान करने और तालुक मुख्यालयों तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए क्रमशः 50,000 रुपये और 37,500 रुपये का सरकारी अनुदान देने को कहा गया है। तालुक विकास बोर्डों का उत्तर बिलकुल उत्साहवर्द्धक रहा है। इसीलिए इस समय अनुदानों की दर में किसी पुनरीक्षण का प्रश्न नहीं है।

उड़ीसा :

उपभोक्ता सामान के मूल्यों में असामान्य वृद्धि के कारण राज्य सरकार 1-11-1972 से विशेष छात्रावासों वजीफों, छात्रवृत्तियों में बोर्डिंग व्यय की वर्तमान दरों में तथा प्रति माह प्रति छात्र 10 रुपये की सामान्य दर पर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति में वृद्धि करने के लिए सहमत हो गई है।

हरियाणा :

राज्य सरकार छात्रावासों में रह रहे अनुसूचित जातियों के छात्रों को अपने निजी धन के अलावा 15 रुपये की दर पर अतिरिक्त छात्रावास भत्ते तथा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृद्धि योजना के अधीन ग्राह्य 13 से 15 रुपये तक प्रतिमाह के निर्वाह व्यय मंजूर करती है।

केरल :

कालेज छात्रावास तथा मान्य छात्रावासों में रह रहे (पोस्ट-मैट्रिक अध्ययन) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों को भोजन तथा आवास के वास्तविक व्यय दिए जाते हैं इसीलिए बोर्डिंग अनुदानों में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता है।

महानगर के छात्रावासों में दाखिल छात्रों को देय बोर्डिंग व्यय प्रति छात्र 65 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है। कल्याणकारी छात्रावास (प्री-मैट्रिक अध्ययन) के छात्रों को देय बोर्डिंग अनुदान प्रति छात्र प्रति माह 45 रुपये है। इस समय उपरोक्त छात्रावास में रह रहे छात्रों के बोर्डिंग अनुदान में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान :

सहायता प्राप्त छात्रावासों की दरें 1-7-1971 से 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षाओं तक के लिए 40 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति माह प्रति छात्र तथा 9वीं कक्षा से 11वीं कक्षा तक के लिए 45 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति माह प्रति छात्र कर दी गई है, जो स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए कुल व्यय का 90 प्रतिशत होता है।

मैसर्स जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड को दिए गए लाइसेंस का रद्द किया जाना

8939. **श्री समर गुह :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार, मैसर्स जे० स्टोन एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड को थाना काम्प्लेक्स (महाराष्ट्र) में नया कारखाना खोलने के लिए दिए गए लाइसेंस को, पश्चिम बंगाल सरकार और जनता द्वारा व्यक्त किए गए असंतोष तथा उस क्षेत्र में इस कारखाने को स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की मूल अस्वीकृति को ध्यान में रखते हुए रद्द करने का है, और

(ख) यदि (क) भाग का उत्तर नहीं में हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) महाराष्ट्र में गुणावगुणों के आधार पर जांच के उपरान्त मैसर्स जे० स्टोन एण्ड कम्पनी लिमिटेड को मार्ग निर्देशन साधनों के बनाने हेतु लाइसेन्स दिया गया था। अतएव ये कार्य महाराष्ट्र में किया जायेगा यह कृतिसंहरण का कोई आधार नहीं है।

श्री मधु लिमये के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re : Question of Privilege against Shri Madhu Limaye

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : महोदय, मैंने नियम 222 के अन्तर्गत श्री मधु लिमये तथा इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के पांच अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है तथा मैं आपसे मिल चुका हूं। और आपने मुझे इस मामले को सदन में उठाने की अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने सूचना दी है तथा इस सूचना की एक प्रति श्री मधु लिमये को भेज दी गई है। श्री मधु लिमये ने मुझे अभी ही भेजी है **(व्यवधान)** उन्होंने कहा है कि मैं आपसे इसे वापस लेने का अनुरोध करूं तथा वह पूछना चाहते हैं कि क्या आप इसे वापस लेने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : हम इसे वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह कहते हैं कि इसे कल के लिए रखा जाये तो वह उसका उत्तर भेज देंगे····

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : उन्होंने कुछ कहा है। वह सदन में उपस्थित हैं अतः वह बता सकते हैं कि क्या यह ठीक है अथवा नहीं। किसी विस्तृत उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : कल छुट्टी थी। और आज यह देर से आया। उनकी ओर से उत्तर आने दीजिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : वह यहां उपस्थित हैं। हम इसे वापिस नहीं ले रहे। उन्हें यह बताने दीजिए कि क्या यह ठीक है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कल चर्चा करेंगे।

Shri Mohinder Singh Gill (Ferozepore) **:** I was there in Bombay, and there Shri Limaye had said so. It should be taken up to-day.

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, should I say something in this regard.

Mr. Speaker : If you want, you can speak.

Shri Madhu Limaye : I have told that if they do not want to withdraw, I shall reply to it tomorrow. I have not read it thoroughly. I shall reply to it tomorrow.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसे निलम्बित करने से कोई लाभ नहीं है। उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या यह ठीक है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह अनुरोध किया है कि यदि आप इसे वापस लेने सम्बन्धी माननीय सदस्य के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो वह उसका कल उत्तर देंगे। हम इस पर कल चर्चा करेंगे।

Shri Madhu Limaye : I would reply it tomorrow. I would not only speak on this but on the whole affair.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं। सीधा-सा प्रश्न है कि क्या उन्होंने यह बात कही अथवा नहीं। वह कहते हैं कि वह उसे पढ़ कर उसका विस्तृत उत्तर देंगे। प्रश्न यह है कि क्या माननीय सदस्य ने चौपाटी बीच पर यह शब्द कहे अथवा नहीं। क्या बम्बई से प्रकाशित इंडियन एक्सप्रैस में छपा समाचार तथ्यों पर आधारित है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : एक सीधा-सा प्रश्न है। **(व्यवधान)** आप लोग बैठ जाइए। अब प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने यह वक्तव्य दिया अथवा नहीं। यह तथ्यों का प्रश्न है।

Shri Madhu Limaye : Speaker Sir, I would have to read the news which appeared in the Indian Express. I would have to go through this letter also. I have arrived here from Lucknow to-day. Can you not give me 24-hour time for it.

Mr. Speaker : Alright.

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 1973 और केन्द्रीय सतर्कता आयोग का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं।

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 21 अप्रैल 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 405 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4928/73]।**

(2) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में आयोग की सलाह सरकार द्वारा न माने जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4929/73]।**

सिविल रक्षा (संशोधन) विनियम, 1973

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० सी० मोहसिन) मैं सिविल रक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 20 के अन्तर्गत सिविल रक्षा (संशोधन) विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 382 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4930/73]।

इन्स्ट्रूमन्टेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुकर्जी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इन्स्मेट्रमेन्टेशन लिमिटेड कोटा का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 4931/73]।

पेटेन्ट नियम, 1972

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अन्तर्गत पेटेन्ट नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 301 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल० टी० सं० 4932/73]।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

Committee on Welfare of Scheduled Casts and Scheduled Tribes

16वां, 17वां, तथा 18वां प्रतिवेदन

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग)—सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में समिति के 7वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 16वां प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (डाक और तार विभाग)—डाक और तार विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में समिति के 8वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 17वां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (बैंककारी विभाग)—स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा उसके सहायक बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के सम्बन्ध में समिति के 9वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 18वां प्रतिवेदन।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक

Central Excise and Salt (Amendment) Bill

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 में आगे और संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 में आगे और संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अर्न्तगत मामले

Matterr under Rule 377

(एक) केनेडी एयरपोर्ट, न्यूयार्क स्थित एयर इंडिया कार्गो से हीरे-जवाहरात लूटने का समाचार

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Mr. Speaker, Sir, I want to draw the attention of Government to the incident which occurred yesterday on Kennedy Airport, New York and theft of diamonds worth about 5 lakh dollars from Air India godown and the way in which these were looted and I want that Government should make a statement in this regard.

Sir, whereas this has lessened the credibility of Air India, it has suffered a loss also. **This matter should be taken seriously and the Govt. of USA should be asked to pay compensation for** it. Government should come out with a statement to apprise of the members of Parliament **with *it*.**

(दो) गुजरात में खाद्यान्न और सीमेंट की अनुपलब्धता

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : आपने मुझें नियम 377 के अन्तर्गत गुजरात राज्य के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण मामले उठाने का समय दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं। इनमें से एक मामला गुजरात में खाद्यान्न उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में है। गुजरात सरकार इस समय एक महीने में केवल एक किलो अनाज प्रति व्यक्ति देती है। इसके कारण भुखमरी से चार व्यक्ति मर चुके हैं। सुरेन्द्रनगर जिले में खाद्यान्न के लिए दंगा कर रहे व्यक्तियों पर पुलिस ने गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति तो घटना स्थल पर ही मर गया तथा कुछ व्यक्ति घायल हुए। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कम से कम 1.5 लाख टन खाद्यान्न गुजरात राज्य को हर मास दे।

दूसरी बात सीमेन्ट की अत्यधिक कमी के सम्बन्ध में है। आज के **हिन्दुस्तान टाइम्स** में छपे समाचार के अनुसार सेवालिया की एसोसिएटेड सीमेन्ट फैक्टरी को कोयले की कम सप्लाई के कारण गत शनिवार से बन्द कर दिया गया है। इस कारण गुजरात राज्य में सीमेन्ट की अत्यधिक कमी है। मुझे भी इस सम्बन्ध में कठिनाई हो रही है। अनुसूचित जातियों के लिए धींग में छात्रावास पर निर्माण-कार्य हो रहा है तथा पिछले तीन महीनों से उसके लिए सीमेन्ट उपलब्ध नहीं है। अत: सरकार को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए तथा गुजरात राज्य को कुछ और सीमेन्ट भी देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सहाय पाण्डे वित्त विधेयक पर अपना भाषण पुन: आरम्भ करें।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इससे पहले कि श्री पांडे जी अपना भाषण आरम्भ करें मुझे कुछ निवेदन करना है। मैंने आपको आज सुबह एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने कहा है कि यद्यपि हम नियम 193 के अन्तर्गत न्यायाधीशों की वरिष्टता का उल्लंघन करने पर विशेष चर्चा करने वाले हैं, प्रधान मंत्री ने इस विषय पर मई दिवस के मंच से नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह बात कहने की अनुमति नहीं दी है। यह नीति का प्रश्न नहीं है। उन्हें इस सदन से बाहर बोलने का पूर्ण अधिकार है। आपको इस सम्बन्ध में भावुक होने की आवश्यकता नहीं। आप भी सदन से बाहर कुछ भी कह सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न नहीं है यह परम्परा तथा औचित्य के विपरीत है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है।

वित्त विधेयक 1973

Finance Bill, 1973

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : In this year, when we were faced with the scarcity of a large number of things, we should make suitable changes in our plans in the light of our past experience.

The short supply of electricity has not only seriously affected industrial production but seriously crops also. Due to shortage of electricity, we had suffered a loss of production worth Rs. 900 crores. This loss of production would have serious repercussions in the coming years.

The Ministry of Finance is a central point from where all the planning was controlled. Therefore, it is very essential that there should be close coordination of the various ministries with that Ministy. While granting a licence, it should be ensured that all necessary things are made available to it without loss of time so that production do not suffer.

There are a number of things for which foreign exchange is not needed. But even then there is shortage of these things. Why there is shortage of cement, paper, iron etc. We can say that crops have been effected due to scarcity of water or in the absence of rains but why the industrial production has come to a standstill?

Top priority should be given to the development of agriculture and sufficient water and power should be made available to the farmers. Government should make maximum possible allotment for irrigation and power facilities. So long as this was not done the present atmosphere of gloom and disappointment would continue which posed a serious danger to our democracy.

The electricity is in short supply. The pumps are not in operation. Something should be done to meet this shortage. As regards agriculture, every farmer wants that water should be supplied to irrigate his crops. We have sufficient water but irrigational arrangements have not been made to utilise that water.

The situation in Maharashtra was very grave on account of continued drought for last three years. Although the Government was quite alive to the situation and was trying to send more and more foodgrains to that State, some people were trying to exploit the situation for making political capital out of it. This tendence must be deprecated.

The Finance Minister said that the failure of rains was nothing new for our country. There was no doubt about it. But then something would have to be done about it. Some alternative arrangement would have to be evolved. It was also necessary to build up enough buffer stocks to help us at the time of drought.

As regards income tax, there was no doubt that the department had launched a programme of mass communication to educate the people on the spot assessment and it had been quite successful. So this programme should be carried further and a ceiling should be created among the people that payment of tax was national duty.

There had been enough of political awakening in the country. Now what was needed was to create economic awakening. The people must have a feeling that they should contribute in the progress and developed ahead on the path of development.

As regards procurement of foodgrains, the intention was to make it available to the people. Unfortunately the Jan Sangh people were telling the farmers that the price fixed by the Government was not fair and they should not sell the grains to the Government. Such a propaganda was very harmful. So long as there was shortage of foodgrains in the country such agitation should not be launched and the hands of the Government should be strengthened so that they could tackle the problem successfully.

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : समूचे देश में व्यापक अकाल से बड़ी चिन्ता पैदा हो रही है। राजस्थान में स्थिति बड़ी गम्भीर है। अकाल शिविरों में जो कुप्रबन्ध किया जा रहा है उसे देखकर ही विश्वास किया जाये। खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई महंगाई तथा अकाल की स्थिति से विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगले दो महीनों से पहले स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि ये महीने बड़े ही संकटकालीन हैं।

मैं अपने साथ पीने के जल की एक बोतल लाया हूं। ऐसा जल जनता को दिया जा रहा है। मैं जानता हूं कि हज़ारों वर्षों से लोग इसी तरह का जल पी रहे हैं किन्तु आज विज्ञान के युग में भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पीने का अच्छा जल उपलब्ध नहीं है और लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है। यह बड़ी दुखद स्थिति है।

अकाल शिविरों में मजदूरी समय पर नहीं दी जा रही और खाद्य के सप्लाई करने की स्थिति नितांत शोचनीय है। रोजगार भी अपर्याप्त है। यह निर्णय किया गया है कि बीकानेर जिले में सभी लोग राजस्थान नहर पर कार्य करेंगे, किन्तु यह जिला तो वहां से 150 मील दूर है लोग कैसे अपने बीवी-बच्चों तथा मवेशियों को लेकर वहां जायेंगे। इन सभी बातों पर विचार होना चाहिए।

यदि राजस्थान नहर या किसी अन्य परियोजना को शीघ्र पूरा करना है तो केन्द्र को उन्हें अपने हाथ में लेना चाहिए। हमने इस मामले को सरकार के समक्ष और सिंचाई एवं विद्युत् मन्त्रालय की परामर्श-

दात्री समिति के समक्ष उठाया है और यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है कि राजस्थान नहर को केन्द्र के अन्तर्गत आना चाहिए। इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा करना चाहिए ताकि हम आने वाले समय में इस समस्या का समाधान कर सकें।

रोजगार के सम्बन्ध में, एक नया निगम बनाया गया है कि एक परिवार में केवल 50 प्रतिशत लोगों को नियुक्त किया जायेगा। यदि एक परिवार में दस वयस्क सदस्य हैं, तो केवल 5 सदस्यों को अकाल शिविरों में नियुक्त किया जायेगा। 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों को अब आगे से नियुक्त नहीं किया जायगा। एक व्यक्ति, जो 70 या 80 पैसे प्रतिदिन कमाता है, समूचे परिवार को कैसे भोजन दे सकता है, यदि बच्चों को कोई रोजगार नहीं दिया जाता है?

अनाज की पैदावार की तुलना में जनसंख्या के प्रश्न पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार इस बारे में सोचना नहीं चाहती।

उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय ने संसद् सदस्यों के सम्बन्ध पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। अब के बाद जो भी विधान अपनी बुद्धिमत्ता से इस सभा में लाये जायें, वे बहुत ध्यानपूर्वक तैयार करके लाये जाने चाहिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय अब आगे रखवाली करने वाला नहीं रहा, जैसा कि यह पहले था।

कराधान के सम्बन्ध में करों को एक व्यक्ति की भुगतान क्षमता के भीतर लगाया जाना चाहिये। यदि उसके पास अधिक धन है, तो सरकार उसे ले सकती है, किन्तु उसे ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए और एक व्यक्ति को कारावास भेजने के गम्भीर परिणामों को भुगतने के लिए दिन-रात धमकी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे भ्रष्टाचार फैलेगा।

मैंने संसद् सदस्यों के वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित किया था। हम महसूस करते हैं कि एक संसद सदस्य द्वारा कर मुक्त 51 रुपये प्रति दिवस प्राप्त करना गलत है, क्योंकि सोचने की नयी दृष्टि से हमें भी राजकोष के प्रति करों के रूप में अंशदान करना पड़ेगा। यदि सरकार वास्तव में समाजवादी समाज बनाना चाहती है, तो ऐसा उपाय अवश्य ही उठाना चाहिए।

मन्त्रियों के घरों और उनके संबंधियों पर होने वाले खर्चे के सम्बन्ध में, निश्चय ही अब समय आ गया है, जब एक मन्त्री को अपने कार्यालयों अथवा घरों पर एक लाख रुपया खर्च नहीं करना चाहिए। जब हम समाजवाद की बात करते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है।

काले धन के सम्बन्ध में, यदि सरकार इसे रोकना चाहती है, तो वह कराधान को उचित बनाने के लिए पहला पग उठाये और उसे एक व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता के अन्दर ही लागू करे और वह स्वच्छ राजनीति को अपनाए। यदि राजनीति स्वच्छ हो जाती है, तो इस देश में काला धन गायब हो जायगा।

करापवंचन को रोकने के लिए सरकार छापे डालने की शक्ति को प्राप्त कर सकती है। किन्तु उस व्यक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और उसे तानाशाह नहीं बनाना चाहिए जैसा कि यह आज बनी हुई है। आज सरकार के पास करापवंचन के सम्बन्ध में छापे डालने की बहुत शक्तियां हैं तथा प्रायः उन शक्तियों का दुरुपयोग ही किया जाता है। किन्तु समय आ गया है कि सरकार की इन शक्तियों पर कुछ अंकुश लगाया जाना चाहिए। मैं सदन को इस बुराई को दूर करने के लिए सुझाव देना चाहता हूं कि इस देश में अगर कोई 50 संसद् सदस्य अध्यक्ष महोदय से याचिका करें तो किसी भी मन्त्री के घर छापा डाला जाये। इस तरह से मन्त्रियों को पता चलेगा कि छापा डालने की बात कोई साधारण बात नहीं है।

नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के संबंध में, यह शायद सवसे बड़ा धोखा और मतदान एकत्र करने वाला नारा है। जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना है। यदि सरकार यह चाहती है कि नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा लागू की जानी चाहिए तो उसे सभी तरह से ऐसे करने दिया जाना चाहिए। किन्तु उस शक्ति का मनमाने ढंग से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

किन्तु यदि सरकार लोगों से उनके घर छीन लेना चाहती है तो उससे समस्याएं पैदा हो जायेंगी। प्रश्न यह है कि आप भूमि का मूल्यांकन कैसे कर पायेंगे क्योंकि रुपय की वास्तविक कीमत का अवमूल्यन हो रहा है। हर रोज कीमतें बढ़ रही हैं आज की इमारत 5 लाख रुपये की है कल वही 6 लाख की हो जायेगी। अतः मेरा एक सुझाव है मंत्रियों, संसद् सदस्यों और सरकारी अधिकारियों को ऐसी किसी सरकारी अथवा अपनी सम्पत्ति में नहीं रहना चाहिए जिसका मूल्य 5 लाख से अधिक हो। समाजवाद एक अवधारणा है और यदि आप उसमें विश्वास करते हैं तो सब के सम्बन्ध में वही बात लागू की जानी चाहिये। यदि ऐसा हुआ तो प्रधान मंत्री अन्य मंत्रियों तथा श्री वाजपेयी को भी अपनी कोठियां, जायदाद छोड़नी पड़ेंगी।

एक और बात यह है नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना। राजस्थान में भी ऐसा ही किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वहां ट्रस्ट बना दिये गये हैं या भवन बेच दिये गये हैं और उनका मालिक कौन है पता ही नहीं चलता। आप सम्पत्ति छीनना चाहते हैं तो लें लीजिए, लेकिन व्यक्ति को कानूनी समस्याओं में तो न उलझाइये। भारत के 57 करोड़ लोगों को भी राष्ट्रनिर्माण में भागीदार बनाया जाये। आपका रजिस्ट्रार सरकारी कार्यालय में बैठकर सम्पत्ति की बिक्री को पंजीकृत करता है, स्टाम्प शुल्क लगता है लेकिन भूतलक्षी प्रभाव सब कुछ समाप्त कर देता है। अतः मैं कहता हूं कि यह सब धोखा है।

इसके साथ-साथ राजस्थान में भूमि सम्बन्धी एक नया नियम बनाया गया है जिसके कारण वयस्क पुत्र तथा वयस्क पुत्री में भी भेद-भाव किया जाता है : मान लो वयस्क पुत्री शादी नहीं करना चाहती, उसे कृषि का धंधा क्यों न अपनाने दिया जाये ? इस प्रकार का मत-भेद समाप्त किया जाना चाहिए।

यदि आप देश को महान बनाना चाहते हैं तो अच्छे कानून बनाये जायें। देश में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बनायी रखी जाये। आप धन छीन लीजिए किन्तु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को नहीं छीनना चाहिए।

श्री के० डी० मालवीय (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त निधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक के अन्त में जो टिप्पणी खण्डों के बारे में की गई है उससे पता चलता है कि वित्त विधेयक के खण्डों में उग्रता लाने का प्रयत्न किया गया है। चीजों के दाम तो बढ़ने ही हैं क्योंकि आज के जमाने में आबादी बढ़ रही है, हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं और दुनिया भर में चीजों की कमी है तो दाम बढ़ेंगे ही। चाहे समाजवाद लाने में तीव्रता की जाये या वह धीरे-धीरे आये या श्री पीलू मोदी की इच्छानुसार उसका विरोध ही करें, आबादी बढ़ती रहेगी और दाम भी बढ़ेंगे।

जो लोग सरकार की आलोचना करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि के मामले में हमारा देश दूसरे नम्बर पर है। अतः कीमतों में वृद्धि और चीजों में कमी होना अनिवार्य है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसका सीधा सम्बन्ध लोगों से है और इस प्रणाली में गति धीमी ही रहती है।

तथापि कुछ कमियां हैं जिनके बारे में ध्यान देना जरूरी है। देश में निर्धारित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जाता। हम निर्धारित क्षमता का पूरा उपयोग करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। सीमेंट का उदाहरण ले सकते हैं। हम अपनी अधिकतर सड़कें बिटुमन से बनाते हैं। हम तेल शोधन कारखानों में बिटुमन का थोड़ा-सा उत्पादन कम करके उसके स्थान पर ईंधन तेल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसकी देश को बहुत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ायें और सड़कों का निर्माण सीमेंट और रोड़ी को मिलाकर करें जो अधिक देर तक चलेंगी। उससे रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे और हम देश में ही उसका उत्पादन कर सकते हैं। संयंत्र हमारे पास है और चूना भी यहां काफी मिलता है।

नये मंत्री जी ने बड़े जोश के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय का भार संभाला है। मुझे आशा है कि उनके कार्यकाल में अधिक सफलता प्राप्त हो सकेगी।

(श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुईं)

[Shrimati Sheela Kaul *in the Chair*]

जब तक सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेती और सशक्त नीति नहीं अपनाती तब तक पेट्रोलियम उत्पादों की कमी की समस्या दूर नहीं की जा सकती। दुर्भाग्य से पेट्रोलियम उत्पादों को कोयले के उत्पादन और कच्चा तेल आयात करने को बढ़ती हुई मांग के सन्दर्भ में नहीं देखा जाता। अमरीकी साप्ताहिक पत्रिका 'पेट्रोलियम इन्टेलिजेंस' के नवीनतम अंक में छपा है कि राष्ट्रपति निक्सन ने शक्ति आयोग की शीघ्र स्थापना के लिए एक उपसमिति नियुक्त की है। इससे कोयले के उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। यदि हम पहले की तरह कच्चे तेल का उपयोग डीजल इन्जनों को चलाने के लिए करते रहे और भविष्य में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक कारखानों के लिए भी डीजल प्रयोग हुआ तो हमें कच्चे माल के आयात में वृद्धि करनी होगी और अगले 12-13 वर्षों में 400-450 लाख मीटर टन कच्चे तेल का आयात करना पड़ेगा। इस प्रकार 2,000 या 1,800 करोड़ रुपये व्यय करने होंगे।

मैं स्वीकार करता हूं कि हम तेल की खोज सम्बन्धी कार्यक्रम को अधिक नहीं बढ़ा पाये हैं। अब तक की खोज से तो उत्पादन कहीं अधिक हो सकता था। मेरा कहना यह है कि हमें कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए। हमारे पश्चिमी तापीय केन्द्र ईंधन तेल से चलाये जाते हैं। यह बिल्कुल अनुचित बात है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि हमने कोयले के प्रयोग को न बढ़ाया तो स्थिति का सामना करना कठिन होगा।

हम ठीक निर्णय नहीं ले पाते हैं, गलतियां करते हैं और निर्णय लेने में विलम्ब होता है। इससे बहुत नुकसान होता है। परन्तु मुझे खुशी है कि अब सरकार शीघ्र निर्णय के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समितियां नियुक्त करने की बात उच्चतम स्तर पर सोच रही है। कोई निर्णय न लेने से गलत निर्णय लेना अधिक अच्छा है।

आज हम क्षेत्र में जाकर कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन परिस्थितियों में कोई अन्य सरकार इससे अधिक अच्छा कार्य नहीं कर सकती थी। किन्तु आज प्रशासन में चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यदि हम वास्तव में अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो जिला स्तर पर जनता के प्रतिनिधियों को सत्ता क्यों नहीं सौंप दी जाती। अब समय आ गया है कि सरकार विकेन्द्रीकरण की ओर ध्यान दे। गैर-सरकारी अच्छे लोगों को सत्ता सौंपी जा सकती है। लगभग 30 वर्ष पहले मैंने अपने महान और सुयोग्य नेता श्री गोबिन्द बल्लभ पंत को सुझाव दिया था कि जिला स्तर पर गैर-सरकारी सुयोग्य लोगों को चुना जाये। उस समय एक उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक नेता श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल को मुख्य ग्रामीण विकास अधिकारी बनाया गया और उन्होंने एक वर्ष में इतना कार्य किया जितना कि अन्य अधि-

कारी 5 से 10 वर्ष की अवधि में कर पाते। हम विपक्षी दल की अन्य बातों की उपेक्षा कर सकते हैं किन्तु निचले स्तर पर विकेन्द्रीकरण की उपेक्षा करना सम्भव नहीं है। जितना शीघ्र यह कार्य किया जा सके उतना ही अच्छा है किन्तु सरकार तो क्रमबद्धता में उलझ गयी है, इससे सारा कार्य निष्प्रभावी और बेकार सिद्ध हो गया है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्री मालवीय ने आधा भाषण दे चुकने के बाद जो बातें कहीं हैं उससे मुझे अवश्य आश्चर्य हुआ है। यह उनके दर्शन से अलग बात थी। अचानक ही वह व्यावहारिक और समझदारी भरे शब्द बोलने लगे और मानवता के प्रति उचित ढंग से सोचने लग गये। बाद के भाषण के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी बहुत-सी बातें ठीक हैं। किन्तु इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता कि उच्चतम स्तर पर अब सही ढंग से सोचा जाने लगा है क्योंकि समूची शक्ति राजनीतिक सत्ता के लिए लगाई जा रही है और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों को ध्यान में रख कर ही सभी निर्णय लिये जाते हैं।

कल हमने प्रधान मंत्री को उन्मादपूर्ण ढंग से कहते हुए सुना कि वे किस प्रकार गरीबों की सहायता करना चाहती हैं और किस प्रकार निहित स्वार्थ, जिनमें मैं भी आ जाता हूं, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में रुकावट डाल रहे हैं। हम यहां केवल सात हैं और वहां तो वे 350 हैं। समझ में नहीं आता कि थोड़े से विपक्षी सदस्य इस महान क्रांति को रोक रहे हैं।

एक और बात है, प्रधान मंत्री ने प्रमुख विधि विशेषज्ञों और वकीलों से पूछा है कि किस ढंग से गरीबों को न्याय मिल सकता है। 15 वर्ष पूर्व विधि आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इस बारे में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं कि किस प्रकार सस्ता न्याय दिलाया जा सकता है। किन्तु दुर्भाग्य है कि भारत सरकार ने विधि आयोग की उन महत्वपूर्ण सिफारिशों को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उन्होंने तो केवल यही सिफारिश पढ़ी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वरीयता को ध्यान में न रखा जाये किन्तु उन्होंने यह नहीं पढ़ा कि इस प्रकार नियुक्ति करते समय योग्यता को ध्यान में रखा जाये। विधि आयोग की नियुक्ति का क्या लाभ है जब उन्हें कार्यान्वित ही नहीं किया जाता।

अब गरीबी हटाने की बात को लें। हम सभी गरीबी के बारे में चिंतित हैं। किन्तु यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि उसे हटाया कैसे जाये। श्री मालवीय को सुनें तो लगता है कि उन्हें इस बात का पता नहीं और श्री चह्वाण का भाषण सुनें तो वे भी अनभिज्ञ नजर आते हैं। प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी को भी चिल्लाते हुए सुनें तो प्रतीत होगा कि गरीबी दूर करने का ढंग उन्हें भी मालूम नहीं। जब मैं यह कहता हूं कि मुझे वह ढंग मालूम है तो वे शोर मचाने लगते हैं। यह जानना आवश्यक है कि गरीबी किस प्रकार दूर की जा सकती है।

मनुष्य की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करके गरीबी हटाई जा सकती है। चाहे देश समाजवादी हो या पूंजीवादी, गरीबी तभी दूर हो सकती है जब मनुष्य को उत्पादन बढ़ाने के लिए सुधरे हुए उपकरण दिये जाएं और उन उपकरणों का ठीक प्रयोग करने का ढंग बताया जाये। मेरा विश्वास है कि देश में गरीबी, बेरोजगारी और कीमतों में वृद्धि हुई है। देश में सीमेंट, इस्पात, अनाज, तेल, कोयला कुछ भी नहीं मिल रहा। देश का उद्योग ठीक नहीं चल रहा। सरकारी क्षेत्र कोई लाभ नहीं कमाता। देश में 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। लेकिन आज गांव आर्थिक रूप से व्यावहार्थ इकाई नहीं रह गया है।

वित्त विधेयक प्रति वर्ष पेश किया जाता है लेकिन वह बिल्कुल निरर्थक है। मंत्री महोदय कुछ राशि विनियोग राशि के रूप में रखते हैं किसी को थोड़ा दे दिया जाता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि अगली बार जब वे वित्त विधेयक पेश करें तो ऐसे प्रस्ताव लायें जिससे संसाधनों

की स्थिति में सुधार हो और उनका ऐसे ढंग से प्रयोग हो जिससे गरीबों को सहायता मिले । न कि सत्ता प्राप्त लोगों को ही सहायता देकर केवल आंकड़ों में वृद्धि हो ।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदया, सभापति जी मैं विधेयक का समर्थन करने को खड़ा हुआ हूं । मुझे पता है कि मैं श्री पीलू मोदी के बाद बोल रहा हूं और सभा में गम्भीरता लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ।

कराधान नीति में सामंजस्य न देखकर मुझे निराशा हुई है । वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के अन्त में कहा है कि केन्द्रीय सरकार के बजट का उद्देश्य न केवल राजस्व और व्यय में संतुलन लाना है बल्कि हमारे मूल भूत और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी उसे एक प्रमुख उपकरण बनना है ।

हमारा घोषित उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण ढंग से देश में समाजवादी समाज की स्थापना की जाये । मुझे आशा थी कि इस भारी दस्तावेज में यह संकेत दिया जायेगा कि यह परिवर्तन कैसे लाया जायेगा किन्तु ऐसा नहीं किया गया है । हमने समाजवादी कराधान नीति नहीं अपनायी । मैं श्री एन० येरमेलो, सोवियत अर्थशास्त्री की बात को उद्धृत करना चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि रूस में जार शासन के समय 62 प्रति कर लगाए गए थे लेकिन अब 1965 में केवल 7 प्रतिशत ही रह गए हैं तथा 91.6 प्रतिशत राजस्व राज्य के उद्यमों से ही प्राप्त होता है ।

1947-48 में जब हमें स्वतन्त्रता मिली तो करों से 206.8 करोड़ रुपये प्राप्त होते थे । इस प्रस्तावित बजट में करों से 5,113 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । पिछले 25 वर्षों में इसमें 25 गुना वृद्धि हुई है । यह बात तो ठीक है कि हमारे अभी समाजवादी अर्थ-व्यवस्था नहीं है बल्कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है । किन्तु हमने सरकारी उद्यमों से संसाधन जुटाने और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर अधिक भार डालने के बारे में क्या किया है ?

इस वर्ष निगमित कराधान में वृद्धि नहीं की गई है । अभी भी कराधान का भार अधिकतर सामान्य लोगों पर ही पड़ता है । इस प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि आम व्यक्ति के उपयोग की वस्तुओं पर कर न लगें और विलास की वस्तुओं से ही कर उगाहे जायें । जहां तक बचतों का सम्बन्ध है, कोई भी अर्थ-व्यवस्था उस समय तक बचतों पर निर्भर नहीं कर सकता जब तक चालू मुद्रा के मूल्य में कमी होती रहे । कर बढ़ रहे, मुद्रा की सप्लाई बढ़ रही है, ऐसी हालत में बचत कहां हो सकती है ।

सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध हम सभी से है । यह समूचे देश का है अतः यह देखना हमारा सभी का कर्त्तव्य है कि यह सुचारू रूप से चले । हमने सरकारी क्षेत्र में 2,300 करोड़ रुपये लगा रखे हैं अतः यह स्वाभाविक ही है कि हमें इस क्षेत्र से कम से कम 15 प्रतिशत लाभ हो और हम प्रतिवर्ष 350 करोड़ रुपये कमा सकें । परन्तु उसके विपरीत हमें तो 15.16 करोड़ रुपये का घाटा हुआ । प्रश्न यह है कि इस घाटे के लिए उत्तरदायी कौन है ।

वास्तविक कठिनाई यह है कि एक ओर तो हम कहते हैं कि नौकरशाही हमारी योजनाओं को सफल नहीं होने देती, दूसरी ओर हम इन उद्यमों को चलाने के लिए फिर नौकरशाही को सौंप देते हैं । इस प्रकार अच्छे परिणामों की आशा किस प्रकार की जा सकती है । हमने व्यवसायी व्यवस्थापकों को इस क्षेत्र में लाने का प्रयत्न नहीं किया है । क्या सरकारी क्षेत्र के कार्यचालन के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ? क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए सरकार को संसद् के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और क्या राजनीतिक दलों की बात छोड़ कर सारी सभा इनकी जांच कर सकती है ?

हमारे यहां कृत्रिम कमी पैदा कर दी जाती है। हमारी अर्थ-व्यवस्था इससे प्रभावित है। जब भी गन्ने या कपास का उत्पादन थोड़ा अधिक होता है तो देश में शोर मच जाता है। हर आदमी कहने लग जाता है कि हमने आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लिया है। किन्तु यहां अधिक उत्पादन कभी होता ही नहीं क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था कुछ बड़े व्यापार गृहों के हाथ में है जिनका लाभ इसी में है कि कृत्रिम कमी पैदा की जाये। जब भी उत्पादन अधिक होता है तो उन्हें चिंता हो जाती है कि कीमतें गिर जायेंगी और वे इस प्रयत्न में जुट जाते हैं कि किसान और मूल उत्पादक को उसका पूरा भाग न मिले। परन्तु नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था में किसान तथा मूल उत्पादक को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि उत्पादन कम या अधिक होने पर उन्हें नियत लाभ मिल सकेगा। हमने फसलों का बीमा कराने की बात भी नहीं सोची है। हम बड़े-बड़े व्यापार गृहों का अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण कम करना चाहते हैं किन्तु उनकी सम्पत्ति में वृद्धि ही हुई है। उन्हें और लाइसेंस मिले हैं जब कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास बहुत कम हुआ है।

ऐसी सरकारी नीतियों को बनाने का कोई लाभ नहीं जिन्हें कार्यान्वित न किया जा सके। अतः मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे इन तीन बातों के प्रति किस प्रकार के पग उठाना चाहते हैं—एक है समाजवाद की ओर बढ़ना, दूसरा कराधान नीति तथा तीसरी बात है आर्थिक नीति। इसके साथ-साथ बड़े-बड़े व्यापार गृहों पर नियंत्रण और देश की कमी वाली अर्थ-व्यवस्था को अतिरिक्त उत्पादन वाली अर्थ-व्यवस्था बनाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

अब मैं चीजों की कमी के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। पिछले दो वर्षों में उत्पादन बहुत कम हुआ है जब कि मुद्रा की सप्लाई में 12 से 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे निश्चय ही मूल्यों में वृद्धि होती है। लोगों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तभी सम्भव है जब आम उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन और वितरण पर राज्य का नियंत्रण हो और यह सुनिश्चित किया जाये कि वे उचित मूल्यों पर मिलेंगी और किसानों तथा मूल उत्पादकों को उनका भाग अवश्य मिलेगा, धन्यवाद।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन (अडूर) : महोदय, वित्त विधेयक सम्बन्धी चर्चा में भाग लेते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि हम इस बात पर विचार करें कि आम आदमी को स्वतन्त्रता के बाद कितना लाभ हुआ है। आज आवश्यक चीजों की कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं। बेरोजगारी में वृद्धि, पानी की सप्लाई में कमी और बिजली की कटौती के कारण आम आदमी को दो समय पेट भरना भी कठिन हो रहा है।

हमारा देश कृषि प्रधान है और वह उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार है किन्तु किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या किया है ? किसानों को आसान शर्तों पर ऋण नहीं मिल पाता। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि किये बिना किसान की स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है। राजस्थान नहर आदि कई योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं जिससे किसानों को सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ता है।

मैं सरकारी आंकड़ों के आधार पर नहीं बोल रही। देश की स्थिति को देख कर कह रही हूं। नारियल जटा उद्योग और काजू उद्योग बड़े व्यापार गृहों के हाथ में है जो श्रमिकों का शोषण करते हैं। इसके लिए हमारी सरकार की वित्तीय नीति उत्तरदायी है। छोटे पैमाने के उद्योगों को सरकार द्वारा ऋण और अनुदान दिए जाने चाहियें। पिछड़े क्षेत्रों में नये कारखाने स्थापित किये जाएं तथा एक वित्तीय संस्थान बनाया जाये ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अनाज की कमी कोई नई बात नहीं है। प्रतिवर्ष हमें इसका सामना करना पड़ता है। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने के लिए हमें पन बिजली तथा

तापीय बिजली परियोजनाएं आरम्भ की जानी चाहिएं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। केरल में लघु उपकरण तथा अखबारी कागज के कारखाने लगाए जाने थे किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। केरल के लोग रोजगार ढूंढ़ने के लिए देश के अन्य भागों में दौड़-धूप कर रहे हैं।

काला बाजार करने वाले और जमाखोर कृषि मजदूरों का शोषण करण रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं और जन साधारण के लिए दो समय भोजन करना भी कठिन हो गया है। सरकार को चाहिए कि वह थोक व्यापार को हाथ में ले ले और आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित दर की दुकानों द्वारा करे। मिट्टी का तेल, चीनी, गैस, साबुन तथा अन्य वस्तुएं गरीब लोगों को उपलब्ध की जायें। इन वस्तुओं पर लगाये गये उत्पाद शुल्कों तथा करों को हटाना चाहिए ,और उन्हें विलासिता की सामग्री पर लगाया जाये।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण सम्बन्धी नीति को बदला जाना चाहिए। घाटे वाले राज्यों की ओर अधिक ध्यान दिया जाये। केरल, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को खाद्यान्नों का अधिक कोटा दिया जाना चाहिए। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि केरल को चावल की सप्लाई कम करके गेहूं दिया जायेगा। लेकिन चावल तो केरल के लोगों का मुख्य भोजन है। केन्द्र को चाहिए कि उन्हें अधिक चावल दे। सरकार को शीघ्र कार्यवाही करने में हिचकना नहीं चाहिए।

सरकार की आर्थिक नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। आयकर के बकायों की तुरंत वसूली की जाये और करों से बचने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। तभी मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। तभी गरीबों को राहत मिल सकती है।

समाजवादी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करके ही गरीबी दूर की जा सकती है। यदि इसमें विलम्ब किया गया तो मैं सरकार को चेतावनी देती हूं कि स्थिति विस्फोटक हो जायेगी और उसे सम्भाला नहीं जा सकेगा।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : Madam, Chairman, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. There is doubt that there had been a good deal of progress in the field of agro-industries but the so-called green revolution has not taken place so far as paddy and other coarse grain is concerned. Similarly though several industries were set up yet the per capita consumption has been static at 10 kg. for the last 15 years whereas the world average was 150 Kg.

There was still acute poverty in the country. About 50 per cent of the people have no living accommodation and 19% families have a living space of less than 10 square metres. It means that 54% people have less than 20 square metres of living space. But our population is increasing at an alarming speed and would be doubled at the end of this century. We need double the number of houses, hospitals and schools. We have to provide meals to more people. The per capita monthly expenditure in town and villages was Rs. 37·20 but more than 50 per cent of people have a capacity to spend only Rs. 12·20 only. During the last three weeks about 400 people have died of small-pox largely because they were not in a position to pay fees to the doctors.

I have newspaper cutting with me wherein it is stated that village on the borders of Madhya Pradesh and Andra Pradash, hunger compelled the residents to cat dust and all of them died after an hour.

Today people are in need of employment but Government is unable to provide work to them. The figures relating unemployment in the country are misleading. The Central Government pays more than Rs. 200 crores every year as overtime allowance to their employees. It means two things either there is too much work which the present strength of employees is unable to do or the employees adopt the policy of 'go slow' to earn over time. If there was no adequate strength of employees more than ten lakhs of people could be given employment every year within that amount. Government should seriously ponder over this question.

There are 338 districts in the country. Out of them 128 districts have no arrangements to supply even drinking water people in the rural areas were poor, illitrate but peaceful. But Government have provided Rs. 50 crores under crash programme to provide employment only. More attention should be given to them.

There are many States which remain backward economically. The Staste of U. P. has been persistently ignored during the last 4 plans in the matter of allocation of central assistance, with the result that per capita consumption of electricity in U. P. in 1970-71 was 58 K.wh against the national average of 90 K.wh. There are 35 percent villages which do not have any approach road and 39 percent villages were connected with poor Kuchha roads. According to the last report of National Sample Survey 60 percent of the U.P.'s population has per capita consumption at 1971-72 prices below Rs. 37. About 27 districts out of a total of 54 districts in U. P. are extremely economically backward. They include 15 Eastern districts 4 districts in Bundelkhand and 7-8 hill districts must. We take steps to improve the conditions of these areas.

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए उठा हूं। विधेयक को पेश करते समय माननीय मंत्री जी ने विभिन्न करों में लगभग दो करोड़ रुपये की राहत दी है। आशा है कि वह निम्न, मध्यम श्रेणी और मध्यम श्रेणी के लोगों के प्रति कुछ उदार होंगे और कुछ अधिक राहत देंगे।

पिछले वर्ष खाद्य की स्थिति बहुत अच्छी थी और हमारे पास एक करोड़ मीटरी टन का सुरक्षित भण्डार था। कीमतों में स्थिरता थी और उसकी स्थिति इतनी खराब नहीं थी। किन्तु इस वर्ष मानसून न होने के कारण सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होनी प्रारम्भ हो गई है। इसके अतिरिक्त, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को भी राहत देने के लिए भारी प्रावधान करना है। इन सब को दृष्टि में रखते हुए बजट और कर-प्रस्ताव उचित एवं स्वीकार्य है।

बहुत से सदस्यों ने खाद्यान्न की कीमतों में हुई वृद्धि के बारे में कहा है। इस वर्ष हमारी सरकार ने दीर्घकालीन दृष्टि से गेहूँ और चावल के थोक व्यापार का अधिग्रहण कर एक साहसी कदम उठाया है। इस से जनता को निर्धारित कीमत पर खाद्यान्न की सप्लाई होगी और किसान आश्वस्त होंगे कि वे अपना अनाज स्थिर कीमतों पर बेच सकेंगे। चावल और गेहूं की कीमतों का स्थिरीकरण करने से अन्य उपभोग्य वस्तुओं की कीमतें भी स्थिर हो जायेंगी। इस से निरन्तर रूप से हो रही मूल्य वृद्धि रुक जायेगी। किन्तु विरोधी दल दोगली चाल चल रहे हैं। अब जनता उनकी इस दोगली चाल को समझने लगी है और यह निश्चित है कि हमारी खाद्य वसूली नीति बहुत सफल होगी।

जहां तक मध्यम और निम्न मध्यम वर्गों को राहत देने का संबंध है, यह आशा की जाती है कि वित्त मंत्री 5,000 रुपये की छूट-सीमा को बढ़ा कर 7,500 रुपये करेंगे, जैसा कि वांचू समिति और बूथालिंगम समिति ने सिफारिश की है। इस निर्णय से 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपये की हानि तो होगी किन्तु इससे आयकर अधिकारियों के काम में कुछ कमी होगी और वे अधिकांश छोटे करदाताओं से मुक्त हो जायेंगे।

वित्त मंत्री ने इस वर्ष मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने का भरसक प्रयास किया है। बजट में केवल 10 करोड़ रुपये का अंतर है।

बचत के लिए बजट-प्रस्तावों में कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया जिससे अधिक निवेश हो सकता था। जब तक कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तब तक कोई बचत या निवेश नहीं होगा।

पिछले चार-पांच वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में कोई सराहनीय वृद्धि नहीं हुई है। औसत वृद्धि केवल 3½ प्रतिशत हो रही है जबकि उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा थी। यह वृद्धि

10—317LSS/73

भी क्षमता के उचित उपयोग के कारण हुई है न कि नये उद्योगों की स्थापना के कारण । ऐसी क्या बात है कि कोई भी नया उद्योग स्थापित नहीं किया गया । जब वित्तीय संस्थाएं उद्यमियों को ऋण दे रही हैं, वे बहुत से प्रतिबंध भी लगा रही हैं । उदाहरण के लिए, वे प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की स्वीकृति के लिए ज़ोर देते हैं । निदेशक मण्डल में किसी भी परिवर्तन के लिए वे अपनी स्वीकृति चाहते हैं । कई शर्तें भी लगाई जाती हैं । क्या मैं वित्त मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या उन्होंने यह जांच की है कि देश में उद्योगों के विस्तार के मार्ग में ये नियम कितनी बाधा डालते हैं । सरकार के पास व्यापक शक्तियां हैं । हमें नये उद्यमियों या नये उद्योगों को ऋण देने के लिए कड़े नियम लागू नहीं करने चाहिएं । इससे बहुत से लोगों को उद्योग स्थापित करने में सहायता मिलेगी और बेरोजगारी की समस्या हल होगी तथा उत्पादन में वृद्धि होगी ।

श्री के० एन तिवारी पीठासीन हुए ।

[Shri K. N. Tiwari *in the chair*]

हमने पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण के बारे में बात की है । इस बजट में पिछड़ क्षेत्र में उद्योग स्थापति करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए हैं । किन्तु मूलभूत ढ़ांचा क्या है ? क्ष्या संचार और परिवहन है ? जब तक ये दोनों चीज़े नहीं की जातीं तब तक पिछड़े क्षेत्रों, छोटे नगरों को कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है और यहां के लोगों को रोजगार प्राप्त करने हेतु शहरों में आना पड़ेगा । अत: पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापति करने के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिएं ।

हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि उत्पाद शुल्क विभाग या सीमा शुल्क विभाग ने तस्करी का सामान जब्त किया है । मेरे विचार में सामान की तस्करी का मुख्य कारण प्रारंभिक उत्पादन पर उत्पाद कर की उच्च दर है । जब तक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कमी नहीं की जाती तब तक तस्करी रुक नहीं सकती । तस्करी रोकने के लिए इस संबंध में कुछ न कुछ करना चाहिए । पिछले कई वर्षों से सरकारी क्षेत्र में हमारी जो योजनाएं चल रहीं है उनसे कोई लाभ नहीं दिखाई देता । जब तक सरकारी अधिकारी समुचित रूप से कार्य नहीं करते और जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक देश का विकास करने की हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : सभापति महोदय, श्रीमान् सादी फिल्मों पर शुल्क हटा देने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी की बड़ी आभारी हूं यदि ऐसा न किया जाता तो कम लागत के चलचित्र बनाने वालों को इस शुल्क का काफी भार पड़ता ।

स्वतंत्रता के 25 वर्ष बाद भी अठन्नी और चवन्नी के सिक्कों पर भूतपूर्व शासकों के शीश के चित्र हैं । इन सिक्कों के चलन को बन्द करना चाहिये ।

डा० कैलाश (दक्षिण बम्बई) : सभापति महोदय, श्रीमान्, वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए मैं इस बात के लिए भी वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कृषि आय में समायोजन कर लगभग 2 करोड़ रु० की राहत तेल और ग्रीज़ आदि के छोटे उत्पादकों को राहत और कच्चे माल पर छूट आदि देने की घोषणा की है । वित्त मंत्री को उन निर्माताओं को भी छूट देनी चाहिए जो क्षेत्रीय भाषाओं में चलचित्र बनाते हैं । क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग और विकास के लिए और देश की एकता के लिए चलचित्र बनाना बहुत आवश्यक है ।

कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए अनाज की कीमतें कम करना आवश्यक है । और अनाज के मूल्य को कम करने के लिए हमारे खेतों में पानी की सप्लाई बहुत आवश्यक है । अत: वित्त मंत्री को

माध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। करों से प्राप्त आय का 91 प्रतिशत गैर विकास कार्यों या प्रशासन पर व्यय किया जाता है, इसे कम किया जाना चाहिए।

बेरोजगारी की समस्या की ओर भी मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए देश का औद्योगिक दृष्टि से विकास करना चाहिये और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित लघु उद्योगों का हम विकास कर सकते हैं। मेरे विचार में इस ओर हमारा ध्यान नहीं दिलाया गया यद्यपि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा है कि ग्रीमीण क्षेत्रों में यद्यपि उद्यमी अपने उद्योग स्थापति करते हैं तो वह उन्हें लाभ पर 20 प्रतिशत की छूट देना चाहते हैं। मेरे विचार मे 20 प्रतिशत प्राय: नगण्य ही है जब कि कोई आधार भूत ढांचा नहीं है और जब तक हम आधारभूत ढांचे का विकास नहीं करते तब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को आकर्षित करना बहुत ही कठिन है। अत: मेरा सुझाव है कि 40 प्रतिशत की राहत दी जानी चाहिये।

मैं नहीं जानता कि काले धन को बाहर निकालने के लिए कदम क्यों नहीं उठाये जाते। जिन लोगों के पास काला धन है, उन्हें पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का मूलभूत ढांचे का विकास करने के लिए कहा जाना चाहिये किन्तु उनसे यह न पूछा जाय कि उनके पास यह धन कहां से आया। शयद इस प्रकार काले धन को बाहर निकाल कर मूलभूत ढांचे को तैयार करके गांवों में उद्योगों को स्थापति किया जा सकता है।

मुझे आश्चर्य है कि बजट को गुप्त रखने की प्रक्रिया को क्यों अपनाया जाता है और इससे यह भय पैदा करने का प्रयास क्यों किया जाता है जब कि दैनिक उपभोग की वस्तुएं बजट से पहले और बजट के बाद लुप्त हो जाती हैं। मेरे विचार से वित्त मंत्री को सभा में यह कहना चाहिए कि उन्हें अमुक प्रयोजनों के लिए इतने धन की आवश्यकता है और सभा को इस बात पर चर्चा करनी चाहिये कि किस स्रोत से सरकार धन ले सकती है। यदि चर्चा की जाती है और एक मत पैदा किया जाता है और हम यह कह सकते हैं कि अमुक वस्तुओं पर कर लगाया जाय। मेरे विचार से इस प्रक्रिया से वस्तुएं लुप्त नहीं हो सकेंगी। संसद सदस्यों को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा सकता कि प्रत्यक्ष कर से कितना लेना चाहिये और अप्रत्यक्ष कर से कितना लेना चाहिये। मेरे विचार से यदि हम ऐसा करते हैं तो चोर बजारी नहीं होगी और न ही अभाव की स्थिति पैदा होगी।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : क्या मैं माननीय सदस्य से स्पष्टीकरण मांग सकती हूं। क्या उनका अभिप्राय यह है कि कराधान के प्रस्ताव सरकार या वित्त मंत्री से आने के बजाय सभा के माननीय सदस्यों कीं ओर से आने चाहिये?

डा० कैलाश : जी हां! आपको यह बताना चाहिये कि आपको अगले वर्ष कितने धन की आवश्यकता है।

मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं को नहीं लिया गया। कोई भी यह कह सकता है कि यह राज्य का विषय है। किन्तु मैं एक उदाहरण दे सकता हूं जिसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिये। मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के मामले पर, जिन पर क्रमश: 25 लाख से एक करोड़ रुपए और 25 लाख रुपये की लागत आती है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा योजना आयोग या वित्त मंत्रालय की स्वीकृति अनिवार्य नहीं होनी चाहिये। किन्तु योजना आयोग ने यह शर्त लगा रखी है कि राज्य अपनी वार्षिक परियोजनाओं में मध्यम या लघु सिंचाई परियोजनाओं को शामिल नहीं कर सकते सरकार को इस नीति में परिवर्तन करना चाहिये और राज्य सरकारों को यह अनुमति दी जानी चाहिये कि वे अपनी योजनाएं तैयार कर लें ताकि उन्हें राजस्व का भाग मिल सके।

अब मैं पीने के पानी की भयंकर समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त, विदेशी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे। देश में मोटर स्प्रिट की कमी को पूरा

करने के लिये विदेशी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। यदि एकदम ऐसा नहीं हो सकता तो दो या तीन चरणों में यह कार्य किया जा सकता है। इससे पैट्रोल और मशीन तेल के मामले में देश आत्म निर्भर हो जायगा।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सभापति महोदय, श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार के वार्षिक बजट मे सरकार के वित्तीय अधिकारों और सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसधानों की मात्रा की जानकारी मिलती है। संघीय ढांचा में जब तक हम केन्द्र और राज्यों दोनों के वित्तीय अधिकारों और वित्तीय संसाधनों का मूल्यांकन नहीं करते और उनकी तुलना नहीं करते तब तक हमें देश की आर्थिक शक्ति की सही तस्वीर नहीं मिल सकती। केन्द्र और राज्यों के बजट एक दूसरे के पूरक होने चाहिये।

राज्यों का व्यय तथा उत्तरदायित्व जिस गति से बढ़ रहा है उस गति से उनके राजस्व में वृद्धि नहीं हुई है। इन दस वर्षों में करों से केन्द्रीय अनुदानों पर राज्यों की जो निर्भरता है उसमें 30 प्रतिशत से 41 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। अत: यही उचित समय है कि हमें संवैधानिक व्यवस्था पर पुन: विचार करना चाहिये ताकि राज्य अपने उत्तरदायित्व को निभा सके और संविधान में उन्हें ऐसे क्षेत्र दिये जायें जो एक मात्र उनके अपने हों।

तामिल नाडू के मुख्य मंत्री ने इस वर्ष अपने बजट भाषण में कहा है कि राज्यों पर ऋण भार को कम करना चाहिये और विभाजनीय करों के आधार पर विस्तार करना चाहिये। निगम कर को भी, जो मुख्य रूप से आय कर ही है, विभाजन के लिए लिया जाना चाहिये और राज्यों के उत्पादन शुल्क के हिस्से में वृद्धि कर 50 प्रतिशत करना चाहिये। यह कोई नई बात नहीं है प्रत्येक राज्य इस बात की मांग करता रहा है। संविधान निर्माण के समय यह सिफारिश की गई थी कि कुछ अन्य करों के अतिरिक्त कम्पनियों पर लगाए जाने वाले निगम कर को राज्यों के लिए विभाज्य करों में शामिल किया जाना चाहिये।

यह आरोप निरंतर लगाया गया है कि केन्द्रीय सरकार उन मदों पर ध्यान नहीं दे रही है जो केन्द्र द्वारा लगाये जाते हैं तथा एकत्रित किये जाते हैं किन्तु पूरी तरह राज्यों को आवंटित किये जाते हैं। अनुच्छेद 269 के अधीन बहुत सी ऐसी मदें हैं जिनका कभी उपयोग नहीं किया गया। उदाहरण के लिए, समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उनसे प्रकाशित विज्ञापनों पर क्यों न कर लगाया जाएं'? भारतीय भाषाओं के सभी समाचार पत्रों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों को भी, जिनका परिचालन, 30,000 या इससे अधिक है, अलग किया जा सकता है। किन्तु अन्य सभी समाचार पत्रों पर, जिन्हें विज्ञापनों से काफी रुपया मिलता है कर लगाया जा सकता है और ये कर राज्यों को दिये जा सकते हैं। सरकार अधिसूचनाओं द्वारा ढांचे और कभी-कभी करों की दरों में परिवर्तन करती रही है। वित्त विधेयक 1973 के उपबन्धों में सीमा शुल्क के अन्तर्गत छह मदों का उल्लेख किया गया है जिन पर शुल्क की दरों में वृद्धि की गई है किन्तु वित्त विधेयक की दूसरी अनुसूची में इन छह मदों में से केवल दो मदों अर्थात मद 29 और 63 के बारे में कहा गया है। समझ में नहीं आता कि अन्य चार मदों जैसे रुई, नाईलोन, सूत आदि पर शुल्क की दरों में वित्त विधेयक के उपबन्धों के बिना कैसे वृद्धि की गई है। शायद इस वर्तमान रियायती दर को अधिसूचना के जरिये वापिस ले कर किया गया है। विशिष्ट शुल्क के आधार पर वर्तमान रियायती दर की व्यवस्था है जब कि टैरिफ़ में यह दर मूल्य के आधार पर है। इसका अर्थ यह कि संसद प्राधिकार तथा संवैधानिक स्वीकृति के बिना ही इसमें परिवर्तन किया गया है। यह एक गम्भीर मामला है और वित्त मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

सरकार की अधिसूचना द्वारा ढांचा और शुल्क की दरों में पूर्ण परिवर्तन करने की जो प्रवृत्ति है, उसकी लोक लेखा समिति ने आलोचना की है। यह बात विचित्र लगती है कि वित्त विधेयक में विशेष

दरों पर कर लगाने संबंधी प्रस्तावों के साथ-साथ प्रस्तावित करों में कमी करने के लिए प्रभावी दरें भी सरकार द्वारा जारी की जा रही हैं और संसद को इस बारे में समझाने का कोई अवसर नहीं दिया गया। जब कभी दरों में कमी की जाय, संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिये।

लोक लेखा समिति (चौथी लोक सभा) ने अपने प्रतिवेदनो में सरकार की तीव्र आलोचना की है यदि यह दिखाना आवश्यक है कि प्रभावी दरें ही सही दरें हैं तो यह समझ में नहीं आता कि सरकार को इन प्रभावी दरों का प्रस्ताव मानक दरों के रूप में स्वयं क्यों नहीं करना चाहिये ताकि संसद को उन सही दरों के बारे में भ्रम न हो जिन्हें बिभिन्न वस्तुओं के संबंध में अपनाया जायगा। संसद के लिए यह गंभीर मामला है क्यों कि कराधान उपायों पर इस का प्रभावी नियंत्रण कम हो जाता है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं है कि उन धनी किसानों पर कर लगाया जाये, जिन पर पंचवर्षीय योजनाओं से हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और इससे वे लाभान्वित हुए हैं। किन्तु मैं चाहता हूं कि ऐसा करते हुए सरकार ऐसा कार्य न करे जो गैर-संवैधानिक हो। कराधान जाँच समिति की सिफारिश के अनुसार सरकार को सभा में प्रस्ताव रखने से पहले महान्यायवादी की सलाह लेनी चाहिये थी और राज्यों से भी इस मामले में परामर्श लेना चाहिये था। अनुच्छेद 274 में कहा गया है कि संसद में ऐसा विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है।

चौथे वित्त आयोग ने इस विषय पर विस्तार से विचार किया है। उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे सिफारिश करने से पहले प्रभावित राज्यों से सलाह लेनी चाहिये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने से पहले उन्हें इसमें रुचि रखने वाले राज्यों की भी राय लेनी चाहिये।

राज समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से पहले राज्यों की सलाह ली जानी चाहिये, विशेषकर के एकत्रीकरण के लिए तथा कृषि से भिन्न आय की संगणना के लिए यह आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि इन सिफारिशों का कार्यान्वयन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि समिति की सिफारिशों पर उचित कार्यवाही करने से राज्यों के कर-ढांचा में इक्वीटी और लचीलापन लाने में सहायता मिलेगी।

अभी भी मेरा यह विचार है कि यह असंवैधानिक है और यदि यह उच्चतम न्यायालय के सामने जाता है, तो यह रद्द किया जा सकता है।

मैं अब शुद्ध कृषि आय की गणना करने के तरीके का उल्लेख करूंगा। मेरा विचार है कि जब तक "कुल आय" की परिभाषा में परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस मामले पर अनेक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय दिये जा चुके हैं।

कृषि आय से संबंधित अनेक अधिनियम हो सकते हैं और इन सभी अधिनियमों की परिभाषा फिर से करनी होगी क्योंकि आय-कर अधिनियम में दी गई कृषि आय की परिभाषा को बदलते हैं, जिससे राज्यों के अधिनियमों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसमें सावधानी बरती जानी चाहिये।

आयकर की बकाया राशि के बारे में लोक लेखा समिति ने कई प्रतिवेदन दियें हैं। करों की बकाया राशि बढ़ती जा रही है। यह मालूम नहीं है कि सरकार ने बकाया राशि की वसूली के लिये क्या कदम उठाये हैं। कर वसूली में भी बहुत गड़बड़ी है।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): At present we were faced with two problems, first is to encrease the production is both industrial and agricultural sector and second is the equitable distribution of the products.

(श्री सेझियान पीठासीन हुए)

Shri Sezhiyan in the chair:

Integration of agricultural and non-agricultural income was being resorted to as a check on the industrialists from converting their black money into white money. It was a good thing. But the Government should see that marginal and small farmers were not brought in the net. Therefore, the rules under the Act should he made simple. Otherwise small farmers would be harassed while the rich people would manage to escape. (*Interruption*)......

Government should see that rags, which had been smuggled in the country, should either be converted into wool tops or should he suitably be disposed off. Immediate action should be taken in the regard.

Black money could not be recovered despite all the measures adopted by the Government. Therefore, the Government would have report to demonitization sooner or later. Without this, the hold of black money on our economy would not be broken....(*Interruption*)....

The states plans should be suitably be revised to see that the money was spent only on items for which it was allowed.

Nationalised bank should be directed to advance loans direct to small and marginal farmers unless that was done they could not be saved from the clutches of money lenders. The agriculturalists should be paid a remunerative price for their produce. However, the interests of the consumers should also be kept in mind. Government should see that inputs like seeds, fertilizers, etc. were made available to them in time and also at reasonable prices. Government should also see that adequate power was supplied to the agriculturalist so that his crops were not destroyed for want of power.

We should further strengthen our public sector. Government should set up an inspection cell to find out the reasons of losses in the Public Sector units.

The production of consumer goods should be increased, so that prices of articles of daily use could come down.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : हम सभी देश के अच्छे नागरिक हैं। हमें इस पृष्ठ-भूमि को लेकर सोचना है। हम जानते हैं कि मूल्य बढ़ रहे हैं, गरीब व्यक्ति को कुछ सहायता दी जानी चाहिये।

राजस्थान में अकाल की स्थिति दिखायी दे रही है। वहां खाद्यान्न और जल की कमी है। आज राजस्थान में औद्योगिक विकास की बहुत बुरी तरह उपेक्षा की जा रही है।

भारत-पाक युद्ध में हमारी सेना ने राजस्थान की सीमा पर बहुत ही बहादुरी का काम किया। मैं रक्षा सेवाओं को, जिन्होंने सीमा पर राजस्थान में सामरिक महत्व की सड़कों के बारे में सोचा था, बधायी दूंगा। आज राजस्थान की स्थिति क्या है? देश में जितनी सड़कें हैं, उसका 5.2 प्रतिशत भाग ही राजस्थान में है जब कि राज्य का क्षेत्रफल का 10.5 प्रतिशत है। अब समय आ गया है, जबकि उस क्षेत्र में अधिक सामरिक महत्व की सड़कों तथा अधिक सामरिक महत्व के रेल मार्गों की व्यवस्था की जाये।

जब हमें यह मालम हुआ कि तेलशोधक कारखाना अन्ततोगत्वा हटाकर उत्तर प्रदेश ले जाया गया है, तब हमें बड़ी निराशा हुई। हमें इस बात से भी निराशा हुई है कि उर्वरक कारखाना राजस्थान में नहीं लाया जा रहा है। राजस्थान में जस्ता के बड़े भण्डार पाये जाते हैं। फिर भी उदयपुर में जस्ता प्रगलक कारखाने का विस्तार नहीं किया जा रहा है। राजस्थान को दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिये भी मंजूरी नहीं दी गयी है। वहां चूना पत्थर के भंडार भी हैं। राजस्थान में और अधिक कारखानों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है। राजस्थान में कम लागत से अधिक सीमेंट कारखाने स्थापित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहां और धातुओं के भी बड़े भंडार उपलब्ध हैं। अतः, सरकार को इस मामले पर फिर से विचार करना चाहिये।

कोरी फिल्मों, 'नेगेटिव' और 'पाज़िटिव' फिल्मों पर प्रति मीटर 50 पैसे का भारी सीमा शुल्क लगाया गया है। वित्त मंत्री ने काली और सफेद फिल्मों में कुछ रियायतें दी हैं। फिल्म उद्योग का अस्तित्व बना रहने दिया जाना चाहिये और 50 पैसे प्रति मीटर के कर में काफी कमी की जानी चाहिये, क्योंकि इसका हमारे देश की फिल्मों पर कुप्रभाव पड़ेगा।

प्रत्यक्ष कराधान कानूनों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हमें बताया गया है कि सरकार ने वाँचू समिति की 200 सिफारिशें स्वीकार की हैं। बेहतर तो यह होता कि यह विधेयक वर्ष 1973-74 के लिये वित्तीय प्रस्तावों पर चर्चा समाप्त होने से पहले पेश किया जाता। आय कर अधिनियम के बारे में क्या किया जा रहा है। आय कर अधिनियम के बारे में क्या हो रहा है? इस विभाग की क्या स्थिति है? वह परिवर्तन करता है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य व्यक्ति के लिये सारी बात समझ से बाहर हो गयी। कराधान कानून को सरल बनाये जाने की आवश्यकताहै।

कृषि सम्बन्धी आय पर कर लगाना उचित नहीं है। इसका सारे देश में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेहतर यह है कि यह मामला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाये।

आय कर कानून के अन्तर्गत 15 महीने के वेतन अथवा 34,000 रुपये की छूट दी गई है। किन्तु 1970 के उपदान अधिनियम के अनुसार, जो इस सभा द्वारा पारित किया गया था, 20 महीने के वेतन की छूट दिये जाने की व्यवस्था है। इस असंगति को सुधारा जाना चाहिये।

सरकार ने सम्पत्ति का मूल्याँकन करने के लिये एक मूल्याँकन विभाग खोला है। इसने कर दावा की विवरणी के अनुसार 26 करोड़ रुपये का सम्पत्ति कर निर्धारित किया है और इसे बढ़ाकर 37 करोड़ रुपये बताया गया है। विवरणी में दिये गये सम्पत्ति कर के निर्धारण में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग द्वारा कर-निर्धारण 200 प्रतिशत बढ़ाकर बताया गया है। इस मामले की गम्भीरता पूर्वक छानबीन की जानी चाहिये। भिन्न-भिन्न मानदण्डों के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है।

सरकार को 5,000 रुपये की छूट सीमा, जो इस समय बहुत ही कम है, बढ़ाने पर विचार करना चाहिये। मेरे विचार में विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दण्ड उपबन्धों को काफी कम किया जाना चाहिये। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आय कर अधिनियम की भाषा को सरल बनाया जाना चाहिये, ताकि इसे सामान्य व्यक्ति समझ सके।

***श्री एम सत्यनारायण राव (करीम नगर)** : वित्त मंत्री महोदय ने वित्त विधेक को पुरःस्थापित किया है और वह इसे पारित कराना चाहते हैं। मैं इसका समर्थन करने के लिये तैयार नहीं

*तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर
[Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Telugu.]

हूं । देश में व्याप्त अव्यवस्थित स्थितियों की जिम्मेदारी न केवल सरकार, अपितु मंत्री महोदय पर भी पड़ती है । जब बिजली की कमी के लिये सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से पूछा गया, तो प्रभारी मंत्री ने बताया कि उन्होंने आवश्यक योजनायें वित्त मंत्रालय को भेजी हुई हैं । किन्तु वित्त मंत्रालय अपेक्षित मंजूरी नहीं दे रहा है । इसलिये वित्त मंत्रालय ही इस अस्त-व्यस्त स्थिति के लिये जिम्मेदार है ।

तापीय बिजली के उत्पादन के लिये हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है । इसके बावजूद तापीय बिजली उत्पादन के संबंध में कोई प्रगति नहीं की गयी है । इस देश में तापीय बिजली के उत्पादन की इस क्षेत्र में बहुत अधिक उपेक्षा की गयीं है । इस समय देश बिजली की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक उद्योगों को बन्द करना पड़ रहा है । ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जबकि हमारे लिये अन्य देशों से खाद्यान्नों का आयात करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहा । अतः यह सब कुछ इस कारण हुआ है कि बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिये बनायी गयी आवश्यक योजनाओं को स्वीकृति न देने के लिये वित्त मंत्रालय ही जिम्मेदार है ।

पिछड़े क्षेत्र के विकास के बारे में कहा गया है । इस उद्देश्य से एक आन्दोलन किया गया कि तेलंगाना क्षेत्र को आर्थिक रूप से आन्ध्र प्रदेश राज्य के अन्य उन्नत क्षेत्रों के बराबर लाया जाना चाहिये । सरकार को यह भी बताना चाहिये कि 1969 से लेकर इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है । पोचामपनू और मनेरू नामक दो परियोजनायें धन के अभाव के कारण पूरी नहीं हुई हैं । यदि मनेरू परियोजना को पूरा कर दिया जाये, तो इससे न केवल खाद्यान्नों का उत्पादन ही बढ़ेगा, अपितु वारंगल नगर की पेय जल समस्या का भी समाधान हो जायेगा । वित्त मंत्रालय को यथाशीघ्र आवश्यक धन की मन्जूरी दे देनी चाहिये, ताकि इन परियोजनाओं को शुरू तथा पूरा किया जा सके । आन्ध्र प्रदेश की न केवल विकास के क्षेत्र में ही, अपितु, रेल के क्षेत्र में भी उपेक्षा की गयी है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस राज्य में किसी भी नयी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने के लिये रेल मंत्रालय को आवश्यक धन की स्वीकृति दी जानी चाहिये ।

काले धन की बुराई का सामना करने के लिये कोई भी पग नहीं उठाया गया है । हम नहीं जानते हैं कि सरकार किन कारणों से विमुद्रीकरण नहीं कर रही है । इस काले धन के कारण कई आयकर अधिकारी लखपति बन गये हैं । यदि आयकर विभाग में व्याप्त कदाचारों को रोका जाये, तो इस विभाग द्वारा अधिक धन की बसूली की जा सकती है । सरकार को इन सभी तथ्यों का अध्ययन करना चाहिये और इस देश की प्रगति और समृद्धि की दिशा में उपचारात्मक उपाय करने चाहिये ।

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : I want to give an example. In Bihar the estimate for improving 750 miles of national highway was Rs. 45 crores. Out of that the World Bank had to give loan for 250 miles and the estimated cost for that was Rs. 10 lakhs per mile. The estimated cost for 500 miles of highway to be improved by spending money from the annual plan was Rs. 4 lakhs per mile. The loan from the World Bank could not be got and therefore that work had also to be included in the annual plan, but the estimated cost remained Rs. 10 lakhs per mile. The contractors gave tenders at inflated rates because a contractor could not give a tender lower than Rs. 25 lakhs. The attention of the Minister of Transport was inacted to the whole matter. The matter was inquired into and there was saving of Rs. 4 crores. In this connection the high officials of the Central Government and the State Government began to penalise a person, whom they thought passed on the information. If this matter was further gone into, there could have been a saving of another Rs. 6 crores.

Mr. Chairman : He may continue his speech next time. Now we shall take up discussion under Rule 193.

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में चर्चा

Discussion re : Appointment of Chief Justice of India.

Shri Madhu Limaye : How much time has been fixed for it.

Mr. Chairman : Three hours have been allotted for this.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : हम आज भी 7 बजे तक बैठकर इस पर विचार कर सकते हैं, जिससे हमें तीन घंटे मिल जायेंगे। विरोधी पक्ष के नेताओं की यह इच्छा है कि हमें तीन घंटे और शुक्रवार को मिलने चाहियें। शेष विचार सोमवार को किया जा सकता है।

सभापति महोदय : सोमवार को ऐसा करना सम्भव नहीं होगा।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(MR. SPEAKER *in the Chair*)

श्री के० रघुरामैया : यदि सामान्य इच्छा यह है कि कुल समय लगभग छः घंटे निश्चित किया जा सकता है, तो हम शेष चर्चा शुक्रवार को कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो सोमवार को शेष विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मने सोचा था कि इसके लिये दो घंटे पर्याप्त होंगे। तीन घंटे आज और अन्य तीन घंटे कब दिये जा सकते हैं ?

श्री के० रघुरामैया : शुक्रवार और सोमवार को।

श्री एच० एन० मुकर्जी : कलकत्ता (उत्तर पूर्व) : मैं यह पूरी तरह मानता हूं कि वित्त विधेयक पर गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक को कल पास किया जाना है। मैं ऐसा करना चाहता हूं कि शुक्रवार को कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार नहीं करूंगा। हम कल वित्त विधेयक को स्थगित नहीं कर सकते; क्योंकि यह पहले ही निश्चित किया जा चुका और ऐसा करना गलत परम्परा बन जायेगी। छुट्टियों के दौरान आप के नये विचार होंगे...... **(व्यवधान)** 377 के अन्तर्गत भी कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायगा; इसके लिये हम कोई और समय निकालेंगे।

Shri Madhu Limaye (Banka)': Mr. Speaker, non-consideration of three senior Judges for the post of Chief Justice and the resignation by them is an unparalleted incident .... (interruption)

अध्यक्ष महोदय : आखिरकार यह चर्चा काफी घंटों के लिये होती रहेगी।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) **:** Sir, we accept whatever you have said, but you may ask Hon'ble member not to utter any such word, which may compell us to say anything.

Mr. Speaker : Order, Order. If any such thing happens, I would be careful.

Shri Madhu Limaye : We should appreciate the submitting of resignation by Judges.

The Law Minister, in his statement, has referred to the report of Law Commission. If he tries to justify the appointment of new Chief Justice by picking up a part of the commission's recommendations without considering the context, no impartial man with agree to such a justification. In their report the Law commission have on the very outset objected to the attempt by the Executive to put pressure in the appointment of judges. They made two recommendations in

regard to appointment of judges and Cehief Justice of the Supreme Court. If suggested that in order to stablise interpretation of the law such persons should be appointed as judges of the Supreme Court who could serve the court for atleast 10 years. The commission suggested that the Chief Justice should get at least a tenure of 5 to 7 years. Even if we adjudge by this criterion justice Grover had longer period of Service than the new Chief Justice.

In his statement, the Law Minister has pointed out that the recommendations of the Law Commission regarding appointment of the Chief Justice had been accepted in 1960. But there is no proof to this effect and the House also did not get a chance to discuss it. The Government should have come before the House if they had decided to change the old convention. If this recommendation was accepted by the Government, why they have not implemented it during the last 13 years ?

The Law Commission were anxious to appoint only such person as the Chief Justice who could safeguard the sanctity and independence of the judiciary and could raise his voice against pressure of the Government. But no person having a little knowledge of law will admit that the new Chief Justice satisfies this criterion more than the three judges who have been ignorded. When the new Chief does not possess any special quality in comparison to these three judges why has he been appointed a Chief Justice ?

The Law Minister wants to know the cases where Justice Shelat and justice Grover have given decisions against the Government (*interruptions*). In 1968 in a habeus corpus case in which I was involved justice Grover has given a decision against the Government. Again in 1970 in two cases in which I was involved the bench, in which justice Shelat was also present, passed Serious strictures against the concerned Magistrate. Thus the Government is angry with these judges for their decisions against the Government.

Government are angry with justice Hegde as he had the courage to give a decision against the prime Minister in an election petition against her. He has not been appointed Chief Justice as Government had hatred for him.

A mention has been made about the administrative experience for appointment as Chief Justice. The fact is that both justice Hegde and justice shelat had necessary administrative experience because they had acted as Chief Justice of Gujarat High Court and Delhi High Court respectively whereas justice Ray does not possess any administrative experience. Even from this point of view the appointment of the new Chief Justice is not justified.

The Law Minister has stated that the power of the President was absolute in the Matter of appointment of judges. Dr. Ambedkar, while speaking in the constituent Assembly had opined that it would be dangerous to leave the appointment by the President without any kind of restriction or limitation merely on the advise of the Executive of the day.

Again we have to see and consider whether the Constitution had given any importance to seniority. ... (*Interruption*) ... In Article 60 dealing with oath or affirmation by the President there is a reference to the senior most Judge. As such Constitution also gives due importance, to the principle of seniority.

Speaker : I may tell you that the first speaker does not take more than half hour. You have exceeded that limit. Please finish your speech.

Shri Madhu Limaye : I shall finish it immediately. The President should have consulted the retiring Chief Justice. Shri Gokhale has not told the names of the judges which have been consulted by the President when a departure from the past practice was being made by the Government. They should have consulted legal luminaries like Shri M. C. Setalvad and Shri C. K. Dafhtary. They should have also consulted ex-Chief Justice Hidayatullah, Shah and Sikri with whom the three Judges Shelat, Hegde and Grover had actually worked.

There is commosion in the entire country on this issue ... (*interruption*) In order to resolve the present crisis the President should advise the new Chief Justice to resign and ask the

three Judges who have resigned to withdraw their resignations thus reestablishing the convention of appointment of The Chief Justice by seniority. Shri A. N. Grover, when he becomes the Chief Justice in his turn could resign 6 months before the expiry of his term. So that Justice Ray could get a chance to become Chief Justice. I have made this suggestion to safeguard the independence of judiciary, otherwise, in future the Judges will always try to please the Government and will be committed to the Government.

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : I have listened my honourable friend Shri Madhu Limaye very carefully. There is no mention in the Constitution of India as to on whose advise the President will make the appointment of Chief Justice. That being the case it is difficult to understand what irregularities have been committed in the recent appointment of the Chief Justice. Was it not a fact that in the past also junior judges have been appointed as Chief Justices in the High Courts? My honourable friend has not made any reference to these facts. Therefore the controversy that has been raised in this regard is really very infortunate. I have every regard for the judiciary and I do want that the judiciaries should function according to the Constitution.

I will now draw your attention to the Law Commission's Report. In their Report it has been clearly laid down that it is not at all necessary that only the senior judge should be appointed as Chief Justice. Even experienced lawyers of the Bar Council could be appointed to this post.

It has also to be considered whether our country has done something new? There is nothing new in it. Even in countries like Australia, Canada and United Kingdom, seniority was not the criterion. Even these countries have appoint the Junior Judges as Chief Justices.

There appears to be some well organised conspiracy against this controversy that has been raised. The persons behind this controversy want to obstruct our Prime Minister's march towards socialism. They think that by sporting the image of our Prime Minister they will strengthen their own position. Our Prime Minister earnestly wants to improve the lot of the poor. These are the people who are opposing her every move in this direction. Thus the whole thing was politically motivated.

Shri Madhu Limaye was talking of impeachment of the Prime Minister. But, whether he can quote any article of the Constitution under which it could be done? I, therefore, reiterate that the President has done it according to rules and the Constitution and thus has upheld the sanctity of the Judiciary and that of Democracy. Hence there is political motive behind this conspiracy and the people should be beware of it.

श्री जगन्नाथ राव (छत्रपुर) : गत 23 वर्षों में संसद में पहली बार किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में चर्चा उठायी गई है और इस नियुक्ति पर बार के एक वर्ग, कुछ सेवा निवृत्त न्यायाधीशों, इस्तीफा देने वाले न्यायधीशों और कुछ संसद सदस्यों ने विरोध किया है। यदि यह नियुक्ति संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गई होती तो मैं भी इस आलोचना का समर्थन करता। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एक वारंट द्वारा की जाती है। वरिष्ठता कोई सिद्धांत नहीं है अपितु प्रक्रिया मात्र के रूप में ही चलती रही है। आज एक व्यक्ति केवल इसी बात से वरिष्ठ बन जाता है क्योंकि न्यायालय में वह अन्य लोगों से पहले आया। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे ऐसे लोगों से बढ़कर कोई विशिष्ट स्थान पाने का दावा करने का अधिकार मिल गया हो जोकि उसके बराबर की योग्यता और विशिष्टता प्राप्त किये हुए हैं।

इसके इलावा विधि आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा है कि वरिष्ठता ही केवल सिद्धांत नहीं है। न्यायाधीश की उपयुक्तता पर भी विचार करना अनिवार्य है। यदि राष्ट्रपति ने श्री राय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है तो स्वभावतः उन लोगों को दुख

हुआ होगा जिनका स्थान श्री राय ने ले लिया है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इसमें किसी सिद्धांत का अतिक्रमण किया गया अथवा संविधान की उपेक्षा की गई हो।

जिस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है उसे समय के अनुसार चलना पड़ता है। वह ऊंची अटालिकाओं पर बैठ कर देश में घट रही घटनाओं से अनजान नहीं रह सकता। उपयुक्त तथा ससंगत निर्माण के सिद्धांतों को लागू करना और निदेशक तत्वों को लागू करने में बाधा न डालना ही उसका कर्त्तव्य निभाना है। अतः इस बात में न्यायाधीश की प्रवृत्ति अधिक महत्व रखती है।

बार के एक वर्ग ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को क्षति पहुंचाई गई है क्योंकि एक कनिष्ट न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 124 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता परन्तु संसद की दोनों सभाएं खंड (4) के अन्तर्गत प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के अभियोग में राष्ट्रपति को याचिका देकर ऐसा कर सकती हैं। एक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक उस पद पर रह सकता है और उसे कोई संरक्षण अथवा पक्षपात प्राप्त करने के लिये कार्यपालिका का आसरा नहीं लेना पड़ता अतः यह स्पष्ट है कि इस से कार्यपालिका की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

कुछ लोगों ने कहा है कि एक कनिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने से जनता के विश्वास को धक्का लगा है। वास्तव में एसी बात नहीं। ऐसा तो जब भी कई बार हुआ होगा जबकि उच्चतम न्यायालय ने कई हाल के मामलों में अपने निर्णय दिये थे। अतः यह बात तर्कहीन है।

श्री मधु लिमये द्वारा कहा गया है कि जब विधि आयोग का 14वां प्रतिवेदन स्वीकार किया गया था सभा के सम्मुख कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह प्रतिवेदन विधि प्रशासन से संबंधित था। इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो सिफारिशें की गई थीं उससे कानून में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई और सरकार इन सिफारिशों को अपनी कार्यवाही द्वारा कार्यान्वित कर सकती है। अतः कानून में संशोधन करने के लिए इन सिफारिशों को संसद् के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी।

अनुच्छेद 60 के संबंध में श्री मधु लिमये ने एक अन्य बात उठाई है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख तथा उसकी अनुपस्थिति में न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ग्रहण करेगा। किन्तु यह अनुच्छेद राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 124 में वरिष्ठतम न्यायाधीश के बारे में कोई उलेलख नहीं है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अतः राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री के सत्परामर्श से न्यायाधीश श्री ए० एन० राय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रपति की यह कार्यवाही उपयुक्त है और बार परिषद् या त्याग पत्र देने वाले न्यायधीशों द्वारा उठाई गई आपत्ति में कोई वैधता नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश की अकस्मात नियुक्ति के कारण लोगों के दिमाग में शंका पैदा हुई। वास्तव में इससे उन्हें आश्चर्य हुआ। किन्तु सरकार क्या कर सकती थी? फैसला 24 तारीख

को दिया गया। मुख्य न्यायाधीश 25 तारीख को सेवा-निवृत हो रहे थे। उस दिन किसी न किसी की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जानी थी। अतः भविष्य में अपनाये जाने वाले मानकों को प्रकाशित करने के लिए समय नहीं था। वास्तव में यह एक संयोग था। अतः मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का समर्थन करते हुए जिससे कुछ न्यायाधीशों को जिनका अतिक्रमण हुआ है, तथा कुछ विपक्षी सदस्यों को निराशा हुई हो, इस सम्बन्ध में भ्रम को दूर करने के लिए मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि वह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में भविष्य में अपनाये जाने वाले मानकों के बारे में बताये। इससे किसी भी प्रकार का भ्रम अथवा सन्देह चाहे वह संसद् में अथवा उच्चतम न्यायालय या बाहर हो दूर हो जायेगा। इससे लोगों, न्यायाधीशों और बार में विश्वास पैदा होगा। भविष्य में कम से कम ऐसा किया जाना चाहिए।

श्री हेगड़े ने भी पत्रकार सम्मेलन में कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकार होना चाहिए। संविधान में ऐसे स्वतंत्र निकाय को कोई उल्लेख नहीं है। कार्यपालिका राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। श्री हेगड़े किस स्वतंत्र प्राधिकार के बारे में सोचते हैं। वे स्वयं न्यायाधीश थे वे संविधान जानते हैं। जब भी संविधान में संशोधन किया जायेगा तो जिस अनुच्छेद में भी संशोधन की आवश्यकता होगी संशोधन किया जायेगा। उन्हें इस नियुक्ति की वधता अथवा औचित्य पर सन्देह नहीं करना चाहिए। मैं इस नियुक्ति की पुष्टि करता हूं।

प्रस्ताव में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से उत्पन्न स्थिति पर विचार किया जाये। स्थिति क्या है? चार स्थान रिक्त हुए हैं। इस पर क्या चर्चा करें। यह चर्चा केवल राजनीतिक अभिप्राय युक्त है, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री ए० के० गोपालन: तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों का अतिक्रमण कर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से देश में व्यापक चर्चा होना उचित ही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से चली आ रही परम्परा को समाप्त करने से पहले सरकार ने उसे संसद के समक्ष लाना उचित नहीं समझा। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम किसी भी न्यायाधीश का समर्थन नहीं करते हैं सभी न्यायाधीश एक जैसे ही हैं। बड़ी-बड़ी सम्पत्ति वाले तथा विशेषाधिकार वाले वर्ग तथा पीड़ित और शोषित वर्ग के बीच न्याय की बात करना बेकार है। बिना मुकदमे के नजरबंद रखना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चलता रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कांग्रेस के ही नेता ही ऐसे कानूनों को गैर-कानूनी कहते थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ही एक बार कहा था जो सरकार बिना मुकदमा चलाये हिरासत में रखने पर निर्भर करती है वह एक दिन भी रहने के योग्य नहीं है।

आज उच्चतम न्यायालय द्वारा आंतरिक सुरक्षा रख-रखाव अधिनियम की धारा 17 (क) को रद्द करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्रीय सरकार की सांठगांठ से किसी न किसी बहाने उन्हें जेल में रखे हुए हैं। श्री एन० एन० पाण्डे ने कहा है कि वे संविधान और न्यायालय का आदर करते हैं। परन्तु संविधान और न्यायालय का कहां आदर है? आन्तरिक सुरक्षा रख-रखाव अधिनियम की धारा 17(क) की समाप्ति के बाद भी वे लोग जेल में हैं। महाधिवक्ता कहते हैं कि उन्हें कुछ समय दीजिए ताकि इस सम्बन्ध में वे कुछ प्रबन्ध कर सकें उन्हें जेल में रख सकें। उच्चतम न्यायालय ने, जब 1951 में निवारक निरोध को चुनौती दी

गई थी, एक कानून निर्धारित किया था। 20 वर्ष तक उसे अपनाने के बाद उन्होंने 1970 में बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के मामले में उसमें अकारण परिवर्तन किया। इसका क्या कारण है। बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में उन्होंने इसमें परिवर्तन किया क्योंकि व्यापारी लोगों के सम्पत्ति अधिकार का प्रश्न निहित था। **(व्यवधान)**। मैं यह न्यायालय के बारे में कह रहा हूं चूंकि मेरे मामले में वे मुझे पांच वर्ष तक जेल में रखना चाहते थे। अत: जब मैं जेल से बाहर आया तो उन्होंने इसमें परिवर्तन किया।

जब श्री ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद ने कहा कि न्यायाधीशों की विचारधारा तथा निर्णय वर्ग स्वरूप होना चाहिए। इस उद्देश्य के वक्तव्य को न्यायालय का अवमान माना गया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि श्री ई० एस० नम्बूदिरीपाद मार्क्सवाद नहीं जानते और उन्हें मार्क्सवाद सीखना चाहिए। उन्होंने केवल मार्क्स ने न्यायालय के वर्गस्वरूप के बारे में जो कहा था वही उधृत किया और इसे न्यायालय का अवमान समझा गया।

उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसलों में यह निर्णय दिया गया कि संसद सम्पत्ति सम्बन्धों के बारे में आमूल परिवर्तन नहीं कर सकती है इससे बड़े-बड़े सम्पत्ति वालों को अधिक सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम और प्रिवी पर्स अधिनियम में अपना निर्णय देकर प्रगतिशील विचारधारा को धक्का पहुंचाया है। इसका निर्णय निहित स्वार्थों के पक्ष में था। जो अद्यतन निर्णय दिया गया है उसमें सम्पत्ति सम्बन्धी बातों में आमूल परिवर्तन लाने सम्बन्धी संसद के अधिकार को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया गया है। यह महसूस किया जायगा कि जब न्यायालय संसदीय विधान को अवैध घोषित करता है इसका समानता और सम्पत्ति रखने के मूलभूत अधिकार के नाम पर एकाधिकारियों और बड़े सम्पत्तिधारियों की रक्षा करने के लिए सामान्यत: प्रभाव पड़ेगा। यह सदैव समानता और सम्पत्ति रखने के मूलभूत अधिकार के नाम पर किया गया है।

तथापि अब तक इन वर्ग सीमाओं के भीतर यह कुछ आशा की जाती थी कि उच्चतम न्यायालय कुछ हद तक कार्यकारी सरकार के मनमाने कार्यों के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करेगा किन्तु वर्तमान नियुक्ति से यह आशा भी समाप्त हो गई है। विधि आयोग की 15 वर्ष पुरानी सिफारिश को दोबारा चालू करना सरकार के लिए 15 वर्ष पहले विधि आयोग ने एक सिफारिश की थी कि केवल वरीयता ही कसौटी नहीं होनी चाहिए तो क्यों सरकार ने संसद को विश्वास में नहीं लिया और कहा कि इस कारण 15 वर्ष पहले की पद्धति समाप्त की जा रही है। 15 वर्ष तक वरीयता को आधार माना गया और अकस्मात इसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। तीन न्यायाधीशों ने सरकार के विरुद्ध फैसला दिया और दूसरे ही दिन सरकार कहती है कि वरीयता नहीं चलगी। क्या देश के लोग इस पर विश्वास करेंगे। न्यायाधीश कहेंगे कि उन्होंने सरकार के विरुद्ध फैसला दिया है और इस कारण उनका अतिक्रमण हुआ है। लोग इस पर विश्वास करेंगे। इसका अर्थ यह है जो कुछ सरकार कहती है उच्चतम न्यायालय उसका पालन करे। सरकार विपक्ष को दबाना चाहती है। जब उच्चतम न्यायालय संविधान की कोई व्याख्या करती है तो सरकार उसका आदर नहीं करती है तथा उससे रद्द किये गये विधान का सरकार क्रियान्वयन नहीं करती है। इसका अर्थ क्या है। देश के लोग यह सब समझते हैं। सरकार चाहती है कि अच्छे तथा प्रगतिशील न्यायाधीश हों। जब धारा 17क समाप्त की गई तो इसका अर्थ यह हुआ कि न्यायाधीश प्रतिक्रियावादी हैं और जब सरकार उसे क्रियान्वित नहीं

कर रही है तो फिर सरकार प्रगतिशील हो गई। ये प्रतिक्रियावादी और प्रगतिवादी..... ....को सरकस कैसा है (**व्यवधान**) जहां तक उच्चतम न्यायालय और उसके न्यायाधीशों का प्रश्न है उनके बारे में हमारी अपनी विचारधारा है उनके फैसले से सम्पत्तिशाली लोगों को ही सहायता मिलेगी। शोषित वर्ग को कभी भी लाभ नहीं होगा। परन्तु न्यायाधीश राय की नियुक्ति से न्यायापालिका को सतर्क रहने की धमकी दी गई है इसका परिणाम यह होगा........(**व्यवधान**)। हम इसका विरोध करते हैं।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : जब भी इस देश में यथा पूर्व स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो बड़ा शोर और आतंक फैल जाता है। साथी ए० के० गोपालन ने कहा कि न्यायाधीश सम्पत्तिशाली वर्ग के हैं किन्तु उन्होंने इसका कोई समाधान नहीं दिया है।

श्री ए० के० गोपालन : इस का समाधान यही कि न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद करे क्योंकि इस पर कम से कम कुछ चर्चा तो होगी।

श्री वयालार रवि : मैं नहीं समझता कि संसद में चर्चा होने से न्यायापालिका के चरित्र में कैसे परिवर्तन हो जायगा। आज देश में सारा आरोप यह लगाया जा रहा है कि यह सब राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। मैं पूछना चाहता हूं कि न्यायापालिका में राजनीति कौन लाया। यदि इतिहास को 1967 से देखा जाये तो सुब्बा राव नामके मुख्य न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के ही दौरान राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय किया मैं श्री वाजपेयी और उनके दल को दोषी कहूंगा क्योंकि उन्होंने सुब्बा राव से चर्चा की चुनाव लड़ने का निर्णय किया। अतः आप न्यायापालिका में राजनीति लाये और सुब्बा राव ने डा० जाकिर हुसैन के विरुद्ध चुनाव लड़ा। इसके अतिरिक्त श्री बी० पी० सिन्हा थे। उन्होंने एकाधिकारी गृहों के पक्ष में निर्णय दिया और अगले दिन सेवा-निवृत हो गये। उन्हें उस एकाधिकारी गृह में उच्चपद मिल गया। कहां है ऐसा नैतिक साहस कि श्री सिन्हा के विरोध में कहा जाये कि आपमें से किसी ने भी विरोध नहीं किया (**व्यवधान**)। श्री शाह के बारे में भी कुछ कहूंगा। उन्होंने बैंक राष्ट्रीयकरण के मुकदमें के मामले में निर्णय दिया। इस समय वे एक लाख रुपये से अधिक प्राप्त कर रहे हैं। क्या हर समय एकाधिकारी गृहों के हितों की ही रक्षा नहीं की जाती है। श्री हेगड़े ने कहा है कि श्री गोखले बार और न्यायालय के लिए सबसे बड़ा खतरा है उन्होने श्री मोहन कुमारमंगलम को वरिष्ठ विधि मंत्री कहा है तथा कहा है कि प्रधान मंत्री भी उनसे द्वेष रखते हैं। विचार धारा एक दिन में नहीं बनती है। उन्होंने कहा है कि उनके अतिक्रमण से उन्हें आश्चर्य नहीं है अर्थात् वे इसके लिए तैयार थे और इसकी उन्हें आशा थी। एक ऐसे असंतुलित व्यक्ति से न्याय की कैसे आशा की जा सकती है। मैंने यह भी सुना है कि उन्हें राज्य सभा में मैसूर से एक स्थान दिया गया है। न्यायापालिका में राजनीति को कौन लाया है। यह दूसरी ओर बैठे राजनीतिक दल ही हैं जो अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए इसमें राजनीति ला रहे हैं।

मूलभूत अधिकारों के मामले का क्या हुआ? जब श्री बेग अस्पताल में थे तो ये श्री हेगड़े और उनके साथी ही थे जिन्होंने डा० करोली पर यह प्रमाण पत्र देने के लिए दबाव डाला कि श्री बेग विचार करने और निर्णय लिखने के लिए मांसिक रूप से कमजोर हैं। क्या इसके पीछे राजनीतिक अभिप्राय नहीं है। अब यह उचित समय है कि इसे समाप्त किया जाये। वे चाहते थे कि श्री बेग फैसला न दें। मुख्य न्यायाधीश के घर पर एक भोज

का आयोजन किया गया जिसमें केवल सात-न्यायाधीश आमंत्रित किये गये जैसे कि अन्य छ: ऐसे न्यायाधीश नहीं हैं जिन पर विश्वास किया जाये उनके अतिरिक्त एक प्रमुख अधिवक्ता भी थे। वहां उस मामले पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया। अत: न्यायापालिका में राजनीति कौन लाया? राजनीति लाने वाले वे लोग हैं जिनके निहित स्वार्थ हैं।

श्री एम० सी० छागला का ही मामला लीजिए। जब श्री जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे तो वे श्री पातंजलि शास्त्री की वरिष्टता की उपेक्षा कराकर उच्चतम न्यायालय में आने को तैयार थे। अत: सिद्धांत का प्रश्न कहां आता है।

मेरे राज्य केरल का ही मामला लीजिए। हमारी सरकार ने हजारों काश्तकारों को पट्टेदारी अधिकार देने के लिए एक कानून पास किया। हमारी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में मामला लड़ा। वे लोगों के साथ थे न कि निहित स्वार्थों के साथ। परन्तु निहित स्वार्थों की ओर से किसने मामला लड़ा?

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि श्री हेगडे आदि का अतिक्रमण हुआ है मैं उनके वक्तव्य को उधृत करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा कि योग्यता की कसौटी सरकार के आदेशों के अनुपालन पर निर्भर करता है जिन न्यायाधीशों का अतिक्रमण हुआ है उनमें यह योग्यता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि शेष तीनों न्यायाधीश सरकार के दबाव में हैं। माना तीन वर्ष के बाद श्री ग्रोवर सेवा-निवत्त होते हैं और कोई अन्य व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि लोकतंत्र खतरे में है और शेष नौ न्यायाधीश सरकार के दबाव में हैं।

यह सुझाव दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनियमितता हुई है। किन्तु किसी ने भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन के लिए कोई तरीका नहीं सुझाया है वे तो केवल वरिष्ठता की उपेक्षा करने पर आपत्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा की गई है इसलिए लोकतंत्र संकट में पड़ गया है। यह राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

हमारे माननीय मित्रों ने सर्वत्र प्रयत्न किया और असफल रहे हैं लोगों ने उन्होंने पराजित किया है। अब श्री हेगडे आदि के जलूस निकाले जा रहे हैं और उनका अभिनन्दन किया जा रहा है। यह सब राजनीति है और यही लोग हैं जो न्यायपालिका का उपहास कर रहे हैं।

वे मुख्य न्यायाधीश और नौ न्यायाधीशों पर आरोप लगा रहे हैं कि वे दबाव में हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि श्री हेगडे मुख्य न्यायाधीश नहीं बने तो बुरा हुआ है और उनके मुख्य न्यायाधीश बनने से सब ठीक हो जायेगा। क्योंकि श्री हेगडे ने हर समय उनके हितों की रक्षा की है।

हम यहां लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए आये हुए हैं हम लोगों की आकांक्षा को मूर्त रूप देने और लोगों की खुशहाली के लिए काम करने के लिए यहां हैं। अत: इस सरकार ने लोगों से अधिकार प्राप्त किया है। हमें लोगों के हितों के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। यही कारण है कि हम प्रगतिशील कानून बनाते हैं। दुर्भाग्यवश उच्चतम न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि एक उच्च सरकार है। उन्होंने लोगों से अधिकार प्राप्त नहीं किये हैं उन्हें राष्ट्रपति ने नाम निर्दिष्ट किया है। हमें जनता से उनके कल्याण के लिए अधिकार मिला है।— अत: उच्चतम न्यायालय एक उच्च सरकार नहीं है। वे इस सम्बन्ध में संसद को चुनौती नहीं दे सकते। हमें यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की इच्छा प्रधान रहे।

श्री ए० के० गोपालन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय अपने विचारों को प्रतिदिन बदलती रही है, गोलक नाथ के मामले में ही, जिसमें न्यायाधीश सीकरी और श्री शेलट ने फैसला दिया, अब वे कहते हैं कि यह गलत है।

श्री हेगडे ने कहा कि उन्होंने प्रधान मंत्री के विरुद्ध निर्णय दिया किन्तु उनके साथ तीन और भी न्यायाधीश हैं श्री हेगडे ही कैसे यह दावा करते हैं कि केवल उन्होंने ही फैसला दिया है।

बहुमत का प्रश्न उठाया गया है परन्तु केवल तीन ही न्यायाधीशों ने त्यागपत्र दिया है नौ तो अभी भी वहां हैं इसका अर्थ यह है कि बहुमत सरकार के निर्णय तथा श्री राय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के पक्ष में है। यह लोगों की भलाई के लिए है और उनके हितों की रक्षा के लिए है तथा एक प्रगतिशील समाजवादी समाज को बढ़ावा देने के लिए है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (पूर्वोत्तर कलकत्ता) : ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में तूफान उठा है। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर जो घृणा पैदा की गई है उसकी कोई सीमा होनी चाहिए। कम से कम संसद में इस समस्त मामले के मूल में जाने का प्रत्यन किया जाना चाहिए।

समाचार पत्रों की इन रिपोर्टों के अलावा कि जिन तीन न्यायाधीशों ने त्यागपत्र दिया उन्होंने सम्मेलन आयोजित किये मुझे श्री पी० कोदान्दा राव से जो लगभग 25 वर्ष पहले सेवा निवृत हो गये थे, एक परिपत्र मिला जिसमें समस्त न्यायापालिका और बार कौंसिल को हड़ताल करने तथा विरोध करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार का परिपत्र भेजने के पीछे कोई ताकत प्रतीत होती है।

यद्यपि इन तीन न्यायाधीशों के प्रति मुझे कुछ सहृदयता है किन्तु इस घटना के बारे में कैसे इतना शोर किया गया है।

अतिक्रमण न केवल न्यायापालिका में ही हो रहा है किन्तु कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। कलकत्ता में ही न्यायाधीश पी० एन० मुकर्जी के स्थान पर न्यायाधीश पी० बी० मुकर्जी की नियुक्ति हुई जिसके बारे में मैंने प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था तथा श्री गोखले की उपस्थिति में संसद में कहा था किन्तु उसका कुछ भी नहीं हुआ। अतिक्रमण सभी जगह होता रहता है किन्तु इसी मामले पर शोर हुआ है।

मुख्य प्रश्न यह है कि शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि शक्ति की भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति होती है। बिना शक्ति के राज्य तंत्र नहीं चल सकता है और संसद का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि शक्ति उचित रूप से प्रदान की जाती है।

जहां तक न्यायाधीशों का सम्बन्ध है हमने अपनी स्थिति अपने निर्वाचन घोषणा-पत्र में व्यक्त की है। हमने यह निर्णय अचानक ही नहीं लिया है। हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा है कि उच्च न्यायिक नियुक्तियों के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी इसका समर्थन करें। न्यायिक पदों, राज्यपालों तथा राजदूतों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संसदीय संगठन होना चाहिए।

हमारे मित्र श्री लिमये ने किसी राज्यपाल के बारे में एक आश्चर्यजनक रिपोर्ट दी है जिनको श्री चह्वाण भी नहीं बचा सके। इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में कोई संसदीय व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार को इसे क्रियान्वित करने का प्रयत्न करना चाहिए।

वास्तविक मामला वरिष्ठता और पद पर नियुक्ति का नहीं है। महत्वपूर्ण मामला तो यह है कि जमींदारों और पूंजीपतियों के निहित स्वार्थ सामाजिक और आर्थिक सुधारों के उपायों को विफल करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का सफलता पूर्वक उपयोग करते रहना है। 1951 के प्रथम संशोधन से लेकर गत वर्ष के 24वें और 25वें संशोधन तक यही बात है। 1969 में सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और नरेशों की निजी थैलियों को समाप्त किया और एकाधिकारी पूंजी के कुछ क्षेत्रों को ले लिया तो यह लड़ाई और भी अधिक जटिल और गम्भीर हो गई। सरकार ने उस मजबूती से कार्यवाही नहीं की जितनी कि इसे उस अवसर पर करनी चाहिए थी और वह इस देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की नैतिक भावना को अत्यधिक क्षति पहुंचाने के काम करने से न्यायपालिका को रोक नहीं सकी। हमने देखा कि न्यायपालिका कोई भूमिका निभा रही है। जब आज न्यायपालिका स्वयं लड़ाई लड़ रही है जैसा कि यह आज तीन न्यायाधीशों के रूप में और निहित स्वार्थों की रक्षा करने के लिए उनके अभियान के रूप में कर रही है। यदि अन्ततः न्यायालय पीठ पर प्रतिक्रियावादी कब्जा करने वालों को निकाल देने की शुरुआत की गई है तो यह अच्छी बात है। इसीलिए हम सरकार की कार्यवाही का समर्थन कर रहे हैं।

हमने देखा कि गोलक नाथ मामले के बाद जब हितकर परिस्थितियां पैदा हो गयीं तो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बा राव शीघ्रता में अपना न्यायिक पद छोड़कर राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए खड़े हो गये। यह दीर्घकालीन योजना थी, जो सौभाग्यवश समय पर लोगों को अधिक सतर्क हो जाने के कारण समाप्त हो गयी। 9 वर्षों तक गोलक नाथ निर्णय हमारी प्रगति में बाधा डालती रही है। वर्तमान उच्चतम न्यायालय के बहुमत द्वारा हमारे संविधान के अनुच्छेद 31(ग) के रद्द किये जाने को देखते हुए आज इसके विलंबित और आधे मन से रद्द किये जाने का कम मूल्य रहा गया है।

जिस तत्परता से न्यायालयों ने प्रबन्ध ग्रहण के मामलों में सरकार के विरुद्ध समादेश याचिका स्वीकार की, जिस ढंग से श्रमिकों पर आक्रमण करने के लिए बेईमान नियोक्ताओं के साथ नर्मी का व्यवहार किया और विभिन्न प्रकार के धोखों और अपराधों के सिद्ध हो जाने के बावजूद उनके कारखाने उन्हें वापस दे दिये और जिस ढंग से नियोक्ताओं की बेईमानी को प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रियों द्वारा उनके मुकदमों की वकालत करने पर छिपा लिया गया, इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आखिर इस समय हमारे न्यायालयों में सुन्दर कानूनी वाक्यों से जड़ कर वर्ग सम्बन्धी नीतियों को चतुरता से कहा जा रहा है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से समर्थन भी दिया जा रहा है।

भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री सीकरी ने कहा कि नियुक्ति 'राजनीतिक' है। क्या अनुच्छेद 31(ग) को रद्द करने सम्बन्धी उनका निर्णय राजनीतिक था? क्या गोलकनाथ मामले में निर्णय राजनीतिक नहीं था। श्री हेगडे जिस तरह से अपने निष्काषन के बारे में प्रदर्शन कर रहे हैं वह न्यायिक व्यवहार के विरुद्ध है। श्री हेगडे जमीदार संघ के सचिव, अनेक संयुक्त स्टाक कम्पनियों के निदेशक तथा 1947 में निदेशक बोर्ड के सभापति रहे। आज वे कहते हैं कि वे लोकतंत्र के सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं। मेरा तात्पर्य व्यक्तित्व से नहीं है किन्तु सिद्धान्तों से है। मुख्य न्यायाधीश अजित नाथ रे का बार बार उल्लेख किया गया है। वे स्वभाव से रूढ़िवादी हैं और प्रशिक्षण से अनुदार हैं तथा प्रतिभावान व्यक्ति हैं। उनके ऊपर जो चापलूस होने का आरोप लगाया गया है वह गलत है। श्री एंथनी और श्री हेगडे ने

कहा है कि वे साम्यवादियों के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं। किन्तु जैसा मैं जानता हूं वे किसी भी प्रकार की राजनीति के विरुद्ध हैं।

श्री मधु लिमये को हक है कि वे प्रधान मंत्री तथा नेहरू के नाम पर आक्षेप करें। किन्तु जहां तक वरिष्ठता के अतिक्रमण का सम्बन्ध है मैं सरकार से कहूंगा कि वह न्यायपालिका के स्वरूप में संविधान के अन्तर्गत परिवर्तन करें। जनता का कल्याण सर्वोपरि कानून है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि क्रान्ति करना लोगों का अधिकार है और जब वे संवैधानिक तरीकों से संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते तो क्रान्ति का जरिया उनका अधिकार है।

संसद को अनुच्छेद 31ग को पुनः अधिनियमित करना चाहिये जिसमें किसी प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप के विरुद्ध उपयुक्त संरक्षणों की व्यवस्था की जाये और यदि संभव हो तो इस निर्वाचित संसद को यह देखभाल करने की शक्ति प्रदान की जाये कि हमारे देश में व्यवस्था किस प्रकार से की जाये।

मौलिक बातों की ओर ध्यान दिया जाये और इस बात का पता लगाया जाये कि इस देश की स्थिति के अनुसार क्या किया जाना चाहिये। यह कार्य न्यायपालिका के ऊपर नहीं छोड़ा जाना चाहिये क्योंकि यह हमेशा प्रतिक्रियावादियों के पक्ष में रही है। (**व्यवधान**)।

इन तीनों न्यायाधीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा करना पहले घटी अनेक घटनाओं की तुलना में एक बहुत ही साधारण बात है। अब समय आ गया है जबकि सरकार इस नीति को जारी रखे। इस बात को सुनिश्चित करने का यह एक पहला कदम है, एक प्रारंभिक कदम है कि न्यायिक निर्णयों से हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण में बाधा न पड़े।

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति, जिसने संविधान पढ़ा हो इस बात में सन्देह करेगा कि अनुच्छेद 124 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद् की सलाह से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसा पहले भी कई बार किया जा चुका है। वरिष्ठता और विचारधारा के बारे में ऐसी कुछ बात नहीं है। जो सरकार को राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिये प्रेरित करे। सरकार या राष्ट्रपति के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह किसी विशेष नियुक्ति पर, अर्थात् उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में ले। आज का वास्तविक विषय यह है कि हमने न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाने की उस प्रक्रिया को क्यों छोड़ दिया है जो पिछले 23 वर्षों से चली आ रही थी।

हमें पिछले 6 वर्षों की उस पृष्ठभूमि को नहीं भूल जाना चाहिये जिसे हम कह सकते हैं कि एक ओर सरकार तथा संसद और दूसरी ओर न्यायालय के बीच संघर्ष हुआ था। एक ऐसा वातावरण रहा जिसमें न्यायालय एक ढंग से सोचता रहा और हम दूसरे ढंग से। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जब से गोलक नाथ के मामले का निर्णय दिया गया है तब से हमें कठिन स्थिति से गुजरना पड़ा है। निस्सन्देह संसद संविधान के प्रत्येक भाग में संशोधन कर सकती है। यहाँ तक कि मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है।

इसके बाद बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम का मामला आया। जहाँ सरकार के इस निर्णय के राजनीतिक और आर्थिक पक्ष का सम्बन्ध है, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और इसका समूचे देश भर में स्वागत किया गया है। विधान बनाने में सरकार ने और बाद में संसद

ने विधान की अनुमति देते हुए शाँतिलाल मंगलदास मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर कार्यवाही की। यहाँ पर भी उच्चतम न्यायालय ने शाँतिलाल मंगलदास के मामले में उल्टा निर्णय दिया और बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को रद्द कर दिया।

इसके बाद नरेशों की मान्यता समाप्त करने का सरकार ने आदेश दिया। यहाँ भी हमने उस्मानअली के मामले में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर पूरी कार्यवाही की। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मान्यता और प्रिवी पर्स देने का प्रश्न राजनीतिक कार्य है और यह न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं है। एक बार और न्यायालय ने उस्मानअली के मामले में भेद दिखलाया और सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। अतः पिछले 6 वर्षों का अनुभव दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इन 6 वर्षों में हमें यह संघर्ष कदम कदम पर करना पड़ा जिसमें दो पहलू हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। एक तो अनिश्चितता है जो संविधान के निर्वाचन में ही व्याप्त है, इसलिये हमें यह पता नहीं कि कल हम न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही कोई कार्यवाही करेंगे, तो उसे भी रद्द किया जा सकता है। दूसरे, प्रमुख आर्थिक मामलों से सम्बन्धित सरकार और संसद के प्रमुख निर्णयों को न्यायालय एक-एक करके रद्द कर देगा। क्या हमारा यह सोचना उचित नहीं है कि न्यायालय और हमारे बीच कोई अधिक स्थायी सम्बन्ध रखा जा सके। क्या यह अच्छा नहीं है कि हम उस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनायें जो कानून के बारे में स्थिरता, निश्चितता आदि को सुनिश्चित करने के लिये समर्थ हो सके और संघर्ष की स्थिति समाप्त करने में सहायता दे सके तथा सामने आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं के प्रति न्यायालय के दृष्टिकोण में कतिपय स्थायित्व प्रदान करने में समर्थ हो सके।

जब हम यह सोचने का प्रयास करते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के उच्च पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने में हमारी विचारधारा क्या होनी चाहिये, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उसका जीवन के प्रति, राजनीति के प्रति मूलभूत दृष्टिकोण क्या है? जिसके माध्यम से वह भारत की समस्याओं की ओर देखता है। 1935, 1936 और 1937 में संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय में 9 न्यायाधीश थे। उन दिनों अमरीका में चार न्यायाधीशों ने लगातार राष्ट्रपति रूजवेल्ट के न्यू डील विधान के विरुद्ध निर्णय दिया और उतने ही वरिष्ठ तीन न्यायाधीशों ने यह निर्णय दिया कि न्यू डील विधान वैध, उचित और ठीक है और दो न्यायाधीशों ने इसमें हिचकिचाहट की। सभी 7 न्यायाधीश ईमानदार थे। कोई भी कार्यपालिका का चापलूस नहीं था। यह न्यायाधीशों की अपनी अपनी विचारधारा थी यह उनका अपना दृष्टिकोण था। जिससे वे अमरीका में मामलों की ओर देखते थे। रूढ़िवादी धीरे-धीरे अग्रसर होने में विश्वास रखते हैं और वे न्यू डील को विनाशक मानते थे, जबकि दूसरे कहते थे कि यह निर्णय करना सत्तारूढ़ दल का कार्य है कि नीति क्या है और उन्होंने न्यू डील विधान में अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की जिससे 1929-30 में शेयर बाजार के संकट से अमरीका को बचाया गया।

मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। किन्तु मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि न्यायाधीश का दृष्टिकोण विशेषकर देश के उच्चतम न्यायालय में इस बात को निश्चित करता है कि उसका मत कहाँ पड़ेगा। इस विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो गैर-राजनीतिक हो और ऐसी बात नहीं कि न्यायाधीश की अपनी कोई विचारधारा न हो। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है। तब सदस्य यह पूछ सकते हैं कि कोई यह निर्णय कैसे करे कि न्यायाधीश की विचारधारा क्या है। उसका दृष्टिकोण और दर्शन क्या है। अब्राहीम

लिंकन ने इसका उत्तर दिया है कि हमें वह व्यक्ति लेना चाहिये जिसकी विचारधारा और दृष्टिकोण को हम जानते हों।

यदि उच्चतम न्यायालय के हाल के 1600 पृष्ठों के निर्णय को पढ़ा जाये, तो उससे प्रत्येक न्यायाधीश की विचारधारा का पता लग जायेगा। जिन 6 न्यायाधीशों ने 24वें, 25वें और 26वें संशोधनों का समर्थन किया है, उनमें से प्रत्येक न्यायाधीश ने निर्देशक तत्वों को कुछ ऊंचा उठाया है और मूल अधिकारों को कुछ कम कर दिया है और समाज के उचित अधिकारों को जरा सा ऊंचा स्थान दिया है, जबकि किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों को थोड़ा निचला स्थान दिया है। अन्य 6 न्यायाधीशों ने कहा है कि मूल अधिकार अति पवित्र है। इनकी रक्षा की जानी चाहिये और निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिये सब कुछ किया जाना चाहिये। निस्सन्देह सरकार के रूप में हमारा यह कर्त्तव्य है कि न्यायाधीश के दर्शन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखें और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या वे इस समय उच्चतम न्यायालय में रहें या उसे छोड़ दें। वास्तव में ईमानदारी और निष्पक्ष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचना सरकार में हम लोगों का कर्त्तव्य है कि अमुक व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने के योग्य है और यह बात उसके विचारों से व्यक्त दृष्टिकोण और दर्शन से यह दृष्टिगत होती है कि क्या वह बहुत ही योग्य या सक्षम न्यायाधीश है। सरकार के रूप में यह हमारा एक विशेषाधिकार है और मैं कहता हूं कि संविधान ने हमें यह जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह न केवल न्यायिक ईमानदारी, कानूनी ज्ञान और कौशल को ध्यान में रखे, वरन् वह न्यायाधीश के दर्शन और दृष्टिकोण पर भी विचार करे। हम पर प्रतिबद्ध न्यायाधीश के लिये दोष लगाया गया है, यद्यपि हम चाहते हैं कि न्यायाधीश स्वयं प्रतिबद्ध हों। हम कोई प्रतिबद्ध न्यायाधीश नहीं चाहते। हम वह न्यायाधीश चाहते हैं जो यह समझ सके कि देश में क्या हो रहा है और देश का सम्मान किस ओर है और यह स्वीकार कर सके कि संसद सर्वप्रभुत्व संपन्न है और भविष्य के सम्बन्ध में संसद की शक्तियाँ सर्वप्रभुत्व संपन्न हैं।

अमरीका में 1933 और 1971 के बीच उच्चतम न्यायालय में 26 न्यायाधीश नियुक्त किये गये। 26 में से 22 सत्तारूढ़ राष्ट्रपति के दल से सम्बन्धित थे। मुख्य न्यायाधीश वारेन 1948 में रिपब्लिकन दल के उप-राष्ट्रपति के पद के लिये उम्मीदवार थे और 1952 में जनरल ड्वाइट आइजन हावर के वह सक्रिय समर्थक रहे थे। 1953 में वह मुख्य न्यायाधीश बन गये। उनका बड़ा नाम हुआ और नीग्रो तथा अन्य लोगों के अधिकारों के मामले में उन्होंने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की। जनरल मिलियम डगलस, जो 40 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, 1933, 1934 और 1935 में रूजवेल्ट के बड़े समर्थक थे।

अब मैं इंगलैण्ड के बारे में बताना चाहता हूं। इंगलैंड में, जो लोकतंत्र का घर कहा जाता है, श्री जैक्सन ने अपनी पुस्तक "दि मशीनरी आफ जस्टिस इन इंगलैण्ड" में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को यह पद राजनैतिक सेवाओं के बदले में दिया जाता है। यह पद अधिकाँशतः महा न्यायाधीवादी को दिया जाता है।

आस्ट्रेलिया में गत 70 वर्षों में 7 न्यायाधीश नियुक्त किये गये। उनमें से दो वहाँ की प्रतिनिधि सभा अर्थात् संसद के सदस्य थे और कामनवैल्थ मंत्री भी थे। एक तो अपनी नियुक्ति से पहले प्रतिनिधि सभा का सदस्य और मंत्री था। अतः आस्ट्रेलिया में राजनीति और न्यायपालिका में बहुत अधिक अन्तर नहीं है।

कनाडा में भी 1940 से लेकर 1960 तक राज्यों के उच्च-न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों में ऐसी नियुक्तियाँ की गईं। इनमें से 25 में से 22 ऐसे थे जिनके राजनीतिक विचार थे और वे मंत्री भी रह चुके थे।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी आपत्ति यह है कि मंत्री महोदय कल या परसों भी इस पर भाषण दे सकते हैं। वह केवल श्री हेगड़े के बारे में 15 से 20 मिनट तक बोले हैं। उन्हें सभा का समय इस तरह क्यों लेना चाहिये ?

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I have been standing for five minutes for raising a point of order. I have never seen such a practice when any body waits for 5 minutes for raising a point of order.

Mr. Speaker : This is no point of order.

Shri Madhu Limaye : My point of order is this that you get so excited when Shri Mohan Kumaramangalam was interrupted by a Member while I was interrupted several times by these Members. This is a point of order. Please give your ruling ... (interruption).

I mean to say that it is the duty of the Speaker/Chairman to safeguard the rights of the minority in the House. When I speak, these Members interrupt me but you do not get excited. If things go like this, we shall also make noise.

Mr. Speaker : Shri Kumaramanglam was speaking, when I asked them not to interrupt him. They thought nothing except to fight with the chair.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि श्री हेगड़े के नाम का उल्लेख अनेक बार क्यों किया गया है। हम तीन न्यायाधीशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उनमें से एक न्यायाधीश श्री हेगडे हैं और उनके आचरण पर चर्चा करना आवश्यक है। हम उन न्यायाधीशों की चर्चा नहीं कर सकते, जिन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है। दूसरे, मैं एक और बात पर आपका विनिर्णय चाहता हूं।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं अपना भाषण जारी रख सकता हूं ? अब मैं सभा के समक्ष कुछ अन्तिम परिणामों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र के लिये यह आवश्यक नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर हो, परन्तु इसके विपरीत इस तरह करने से कई बार बड़े हानिकारक परिणाम भी हुए हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि वरिष्ठता के आधार पर गलत व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है और बड़ी लम्बी अवधि तक न्यायालय पर छाया रहता है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में यह आवश्यक नहीं है कि न्यायाधीश राजनीति से बिल्कुल अछूता रहे।

न्यायाधीश बनने के लिये तीसरी बात यह है कि न्यायाधीश को सामयिक सरकारी मामलों की पूरी जानकारी होनी चाहिये।

चौथी बात यह है कि सरकार का अधिकार है कि वह देखे कि जिस व्यक्ति को देश की सब से ऊंची अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है, उसकी विचारधारा और दृष्टिकोण क्या है ?

पाँचवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की उच्चतम अदालत की निश्चितता और स्थायित्व बना रहना चाहिये।

आज न्यायाधीशों की नियुक्तियों के बारे जो विवाद चल रहा है, वह समाप्त हो जायेगा और जो कुछ हुआ है, वह हमारे देश के इतिहास में इस अर्थ में एक महत्वपूर्ण घटना होगी कि इसने परंपरा की अच्छाइयों और बुराइयों पर एक वाद-विवाद प्रारम्भ किया और ऐसे वास्तविक कारणों को प्रकट किया जिससे प्रभावित होकर सरकार इस तरह के उच्च पद पर नियुक्तयाँ करे।

अध्यक्ष महोदय : श्री पीलू मोदी बोलना चाहते हैं। पीलू मोदी के भाषण के बाद मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मन्त्री महोदय ने बड़े सरल शब्दों में कहा है कि आज का हमारा उच्चतम न्यायालय एक बहुत पुरानी सड़ी गली संस्था बन कर रह गया है। यह उनकी विचारधारा के अनुकूल नहीं है। इसके और संसद के बीच कुछ मतभेद भी पैदा हो गये हैं। इसलिये अब समय आ गया है जबकि इसके पुराने आकार को बदलकर इसे सरकार का प्रवक्ता बनाया जाये। इस प्रकार उन्होंने अपना दृष्टिकोण काफी स्पष्ट कर दिया है। अतः जब श्री हेगडे ने वही बात कही तो उन्हें परेशान नहीं होना चाहिये। विरोधी पक्ष के लोग भी सरकार पर यही आरोप लगाते रहे कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय का वह आकार नहीं बने रहने दिया जो कि संविधान के अनुसार होना चाहिये था। उसने इसे सरकार का प्रवक्ता बना दिया है।

मेरा सामाजिक परिवर्तन में विश्वास है। किन्तु मेरा विश्वास तो इस बात में है कि परिवर्तन जनता के लिये होना चाहिये न कि शासकों के लिये। सरकार और विरोधी पक्ष के बीच मतभेद का यही विषय रहा है। हमारा विश्वास है कि परिवर्तन धीरे धीरे, नियमित और लोकतंत्रीय ढंग से होना चाहिये।

यह बड़ी सरल बात है कि मूल अधिकार निदेशक तत्वों में दिये गये अधिकारों से भिन्न क्यों हैं? संविधान के अंतर्गत हमें काम करने की स्वतन्त्रता है। लेकिन काम करना तभी संभव है जब सरकार सभी को काम दे। सरकार को निदेशक तत्वों के अनुसार लोगों को रोजगार जुटाना चाहिये।

श्री मोहन कुमारमंगलम ने कहा है कि न्यायाधीश प्रतिबद्ध होने चाहियें जो सरकार के कहने के अनुसार चलें और जो कुछ सरकार कहे उसे वे नौकरों की तरह स्वीकार करते जायें। उच्चतम न्यायालय ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया है, उसके अनुसार सरकार की 90 प्रतिशत बात मान ली गई है और केवल 10 प्रतिशत ही जनता के हक में कही गई है। फिर भी सरकार को संतोष नहीं हुआ और इसने बहुत ही बुरी तरह बदले की भावना से उस पर हमला किया है। ऐसा पहले देखने में नहीं आया है।

विधि आयोग ने अनेक उपायों के लिये सुझाव दिये थे जिनसे सस्ता न्याय प्राप्त किया जा सके। परन्तु क्या सरकार आज तक किसी एक सुझाव को भी अमल में लायी है।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक-सभा गुरुवार, 3 मई, 1973/13 वैशाख, 1895 (शक) के 11 बजे तक म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 3, 1973/Vaisakha 13, 1895 (Saka).

317 LSS/73—GIPF.